खण्ड-270, अंक-4
सोमवार, 14 अग्रहायण, शक संवत् 1888
(5 दिसम्बर, 1966 ई0)

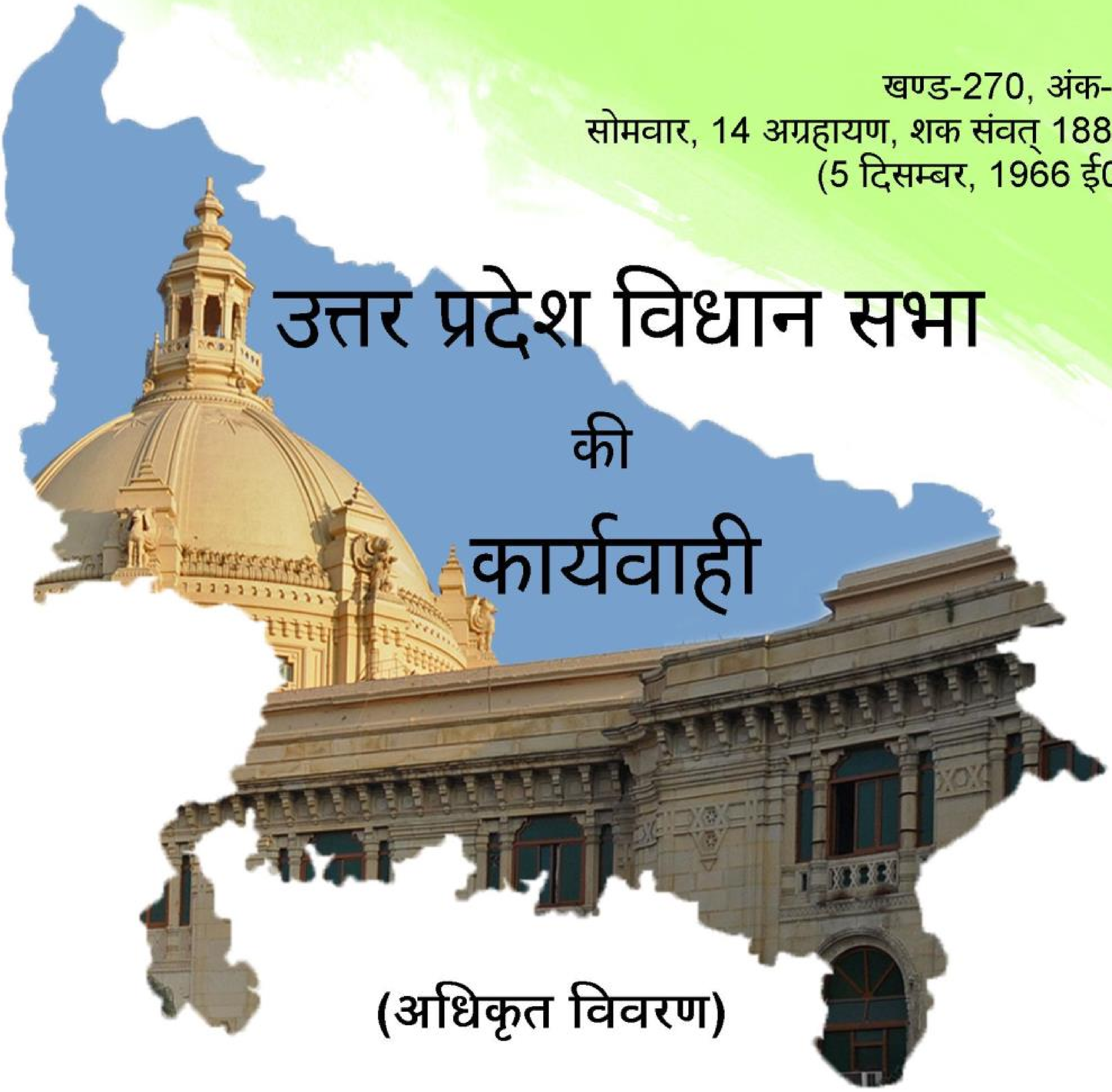

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 270 में 8 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 25 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, ५ दिसम्बर, १९६६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजकर ५ मिनट पर अध्यक्ष, श्री मदन मोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य ३१६

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायण प्रतापसिंह, श्री
अवधेश कुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमद बख्श, श्री
आनन्दसिंह, कुंवर
इन्द्रपाल, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कंधईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ बहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा बेगम, श्रीमती
कुमार करुणाकृष्ण नायर, श्री
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गिरवरप्रसाद, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदा सिंह, श्री

गोकुलप्रसाद, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबली सिंह, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशप्रसाद पांडेय, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयगोपाल, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखण्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजसिंह, श्री
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाउदयाल खन्ना, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
नौरंगलाल, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल मिश्र, श्री
प्रेमसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पाण्डेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रतापसिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजरानी, श्रीमती

बेनीबाई, श्रीमती
बृजेश्वर सहाय, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवान सहाय, श्री
भगौती दीन, श्री
भीखालाल, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मदनपाल सिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीर प्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधवप्रसाद त्रिपाठी, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेघनाथसिंह शिशोदिया, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त, श्री
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीर सहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (एटा)
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरत प्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर

लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुर सिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपाल सिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विश्वनाथपांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथ प्रसाद, श्री
विष्णुप्रताप सिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिब्बनलाल सक्सेना, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनाथसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री
सत्यवीर कुंवर, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदार सिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह यादव, श्री
सूरजलाल गुप्त वकील, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल घुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—गृह मन्त्री, श्री हरगोविन्दसिंह, राजस्व मन्त्री श्री हुकुमसिंह विसेन, तथा शिक्षा उप-मन्त्री डा० राम नारायण पान्डेय भी उपस्थित थे।

सदन की कार्यवाही विलम्ब से आरम्भ होने के सम्बन्ध में आपत्ति

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

अध्यक्ष जी, ११ बजे से विधान सभा की कार्यवाही शुरू होने वाली थी, ५ मिनट लेट हो गयी है, इसलिए कायदे से कार्यवाही नहीं हो सकती है।

श्री अध्यक्ष—

कायदे से कार्यवाही ११ बजे से शुरू होती है। लेकिन अब कोरम हो गया है तो कार्यवाही हो सकती है।

प्रश्नोत्तर

सोमवार, ५ दिसम्बर, १९६६

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

इण्टर कालेजों में अध्यापकों की वरिष्ठता-सूची

****१—श्री भीखालाल (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—**

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला विद्यालय निरीक्षक, लखनऊ के पास लखनऊ से सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में इन्टर की कक्षाओं में अध्यापन कराने वाले अध्यापकों की वरिष्ठता के आधार पर कोई वरिष्ठता-सूची रहती है? यदि हां, तो वह सूची क्या है? यदि नहीं, तो सरकार क्या इस सम्बन्ध में कोई आदेश देने पर विचार करेगी?

वित्त मन्त्री (श्री कैलाशप्रकाश)—

जी नहीं। निरीक्षक के पास ऐसी सूची रखने के विषय में किसी आदेश की आवश्यकता नहीं क्योंकि सूची विद्यालय में प्रबन्धक के पास रहती है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३०(४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

उत्तर गोंडा वन खण्ड में ठेकेदारों की जमानत के रुपये का गबन

***१—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद) तथा श्री शुकदेवप्रसाद (जिला गोंडा)—**

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर वन खण्ड, गोंडा में कर्मचारियों द्वारा जमानत वगैरह में १९५५–५६, १९५६–५७, १९५७–५८ व ,१९५८–५९ में कितना धन ठेकेदारों का गबन हुआ है:

(क) कितने कर्मचारियों को कब और कितने दिन की सजा मिली?

(ख) किस-किस ठेकेदार का कितना धन गबन हुआ है उसकी एक सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

(ग) क्या यह सत्य है कि उलटा ठेकेदारों को नोटिस दिया गया है कि इस धन को जल्दी जमा कर दें? यदि हां, तो क्यों?

कृषि उप-मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)—

उत्तर गोंडा वन खंड में १९५५–५६ से १९५८–५९ तक के ठेकेदारों के जमानत के रुपये का संदिग्ध गबन रुपये ८१,७५५.३४ पैसे था जैसा कि आडिट ने निकाला था। जांच के पश्चात् इसमें से २१,६८५ रुपये का गबन हुआ नहीं पाया गया और शेष रुपये ६०,०७०.३४ पैसे के सम्बन्ध में जांच जारी है।

(क) केवल एक ही कर्मचारी श्री वृज बहादुर लाल, सहायक लिपिक को मार्च सन् १९६२ और नवम्बर, सन् १९६३ में भिन्न-भिन्न मुकदमों में निम्नलिखित सजायें मिलीं :—

(१) भारतीय दण्ड संहिता (इण्डियन पीनल कोड) की धारा ४६७ के अन्तर्गत ३ वर्ष, धारा ४६८ के अन्तर्गत २ वर्ष, धारा ४७७ के अन्तर्गत २ वर्ष

धारा ४२० के अन्तर्गत २ वर्ष और धारा ४०९ के अन्तर्गत ४ वर्ष की सख्त सजा एवं ८,००० रुपये जुर्माना, जिसके न देने पर और ४ वर्ष की सख्त सजा। सब सजायें साथ-साथ चालू (न्यायादेश ३-३-६२ को दिया गया)।

(२) भारतीय दण्ड संहिता की धारा ४६७ के अन्तर्गत ३ वर्ष, धारा ६४८ के अन्तर्गत २ वर्ष, धारा ४७७-ए के अन्तर्गत २ वर्ष, धारा ४२० के अन्तर्गत २ वर्ष धारा ४०९ के अन्तर्गत ४ वर्ष की सख्त सजा और १२,००० रुपये जुर्माना, जिसके न देने पर और ४ वर्ष की सख्त सजा। सब सजायें साथ-साथ चालू। (न्यायादेश ३-३-१९६२ को दिया गया।)

(३) भारतीय दण्ड संहिता की धाराओं ४६७, ४६८, ४२०, ४०९ और ४७७-ए के अन्तर्गत, प्रत्येक में तीन वर्ष की सख्त सजा। सब सजायें साथ-साथ चालू। (न्यायादेश २६-११-६३ को दिया गया)।

(ख) उपरोक्त संदिग्ध गबन हुए ८१,७५५.३४ रुपये का प्रत्येक ठेकदार का वर्षवार विवरण की सूची संलग्न है।

(ग) यह सही है कि जिन ठेकेदारों के खिलाफ सरकारी वन विभाग का बकाया था उनके नाम से नोटिस जारी किया गया और उन से यह पूछा गया कि वे बतायें कि नोटिस में दिये हुये उनके लाट का हिसाब उनको मान्य है या नहीं। उनसे यह भी प्रार्थना की गई कि यदि उनको नोटिस में दिये हुए लाट का हिसाब नहीं मान्य है तो वे उसके विरुद्ध आपत्ति करें और साथ-साथ यह बतायें कि उन्होंने और कितना रुपया जमा किया है जो नोटिस में दर्शाये हुए हिसाब में शामिल नहीं है और ऐसे दिये हुए रुपये का प्रमाण भी प्रस्तुत करें। यह नोटिस विशेषतया यों दिया गया था ताकि ठेकेदार का हिसाब सही-सही ज्ञात हो जाये और गबन किये हुये रुपये की सही स्थिति निर्धारित कर ली जाये।

(देखिए नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५५५-५५८ पर)

श्री नाथूराम शिक्षक--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ से लेकर ५९ तक के बीच में इतनी लम्बी रकम के गबन में एक ही व्यक्ति गुनहगार माना गया अथवा और कोई ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

जी हां, जांच से जिस व्यक्ति को सजा दी गई है उसी के बारे में मालूम हुआ। बाकी अभी जांच हो रही है।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

आपने कहा कि नोटिस दी गयी। क्या उस विभाग में हिसाब नहीं रहता था जो उनसे हिसाब मांगा गया ?

श्री बलदेवसिंह आर्य--

जैसा कि उत्तर में बताया गया है प्रत्येक ठेकेदार का हिसाब होता है वह रुपया जो जमा नहीं हुआ या जिसका गबन हुआ है, यह पता चल जाय ठेकेदार से कि उसने कितनी धन-राशि दी है या कितनी धनराशि उसने जमा की है और हिसाब में जमा नहीं हुआ है इसलिए नोटिस दी ताकि स्थिति साफ हो जाय।

श्री लखी सिंह (जिला मथुरा)—

उत्तर में कहा गया है कि प्रार्थना की गयी। मैं जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी डकैती हुई फिर प्रार्थना किस से की गयी ?

श्री अध्यक्ष—

शब्दों पर आपको आपत्ति है। कोई बात पूछ लीजिये।

श्री लखीसिंह—

यह बड़ी गम्भीर बात है कि इतने बड़े डकैतों से प्रार्थना करें।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

पांच वर्ष लगातार गबन होता गया। क्या किसी स्टेज पर पांच वर्षों में आडिट हुआ या नहीं हुआ और नहीं हुआ तो क्यों ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चरणसिंह)—

पांच वर्ष तो गबन हुआ नहीं। चार वर्ष हुए। दूसरे यह कि किसी के सौ रुपये, किसी के दो सौ रुपये, दर्जनों ठेकेदारों की गबन की हुई रकम थी जिसका योग ६० हजार बैठता है और नीचे के स्तर पर क्लर्क वगैरह में हुआ। जब नोटिस में आया तब ऐक्शन ले लिया गया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

आडिट हुआ या नहीं हुआ मेरा यह प्रश्न है।

श्री बलदेवसिंह आर्य —

आडिट हुआ और आडिट से ही यह सब पता चला।

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

श्री ब्रजबहादुर लाल अकेले पर मुकदमा चला या और लोग भी थे जो छूट गये और छूट गये तो कितने।

श्री बलदेवसिंह आर्य—

यह स्पष्ट कर दिया गया कि जो अपराधी पाया गया उसी के विरुद्ध कार्यवाही हुई और उसको न्यायालय में दंड दिया गया।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

श्री ब्रजबहादुर लाल का पद क्या था ?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सहायक लिपिक था।

कृषि उत्पादन योजना में कटौती

*२—श्री टम्बेश्वरप्रसाद (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह वित्तीय वर्ष १९६६–६७ के कृषि उत्पादन योजना में कितनी कटौती करने का विचार कर रही है ? तथा उसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ?

कृषि मन्त्री (श्री गेंदासिंह)—

वित्तीय वर्ष १९६६–६७ की कृषि उत्पादन योजना में कुल ५४.८८४ लाख रुपये की कटौती की गयी है। यह कटौती ऐसी मदों में की गयी है जिनका कृषि उत्पादन लक्ष्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

*३—श्री टम्बेश्वरप्रसाद (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कृषि उत्पादन योजनाओं के लिये कितना धन निर्धारित किया गया था तथा उसमें अब कितनी कटौती की जा रही है? तथा उसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है?

श्री गेंदासिंह—

१०५५ करोड़ रुपये की प्रस्तावित चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कृषि उत्पादन योजना के लिये २२८.५९ करोड़ रुपये निर्धारित किये गये थे। अब चतुर्थ पंच वर्षीय योजना की कुल लागत ९२६ करोड़ रुपये निर्धारित की गयी है जिसमें कृषि उत्पादन योजना के लिये २३३.६८ करोड़ रुपये निर्धारित किये गये हैं। इस प्रकार चतुर्थ पंचवर्षीय कृषि उत्पादन योजना में कोई कटौती नहीं की गयी। उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़ने का प्रश्न नहीं उठता।

*४—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

[६ठें शुक्रवार के लिए प्रश्न संख्या २ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

बिन्दकी नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों की सेवा समाप्ति

*५—श्री रामकिशोर वर्मा (जिला फतेहपुर)—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को पता है कि फतेहपुर जिले की बिन्दकी नगरपालिका समिति ने पक्षपातपूर्ण दुराग्रह भावना से नागरिक हितों की उपेक्षा कर पालिका के समस्त ५४ सफाई तथा कार्यालय के कई वरिष्ठ स्थायी कर्मचारियों को अनियमित एवं नाटकीय ढंग से नौकरी से पृथक् कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप सफाई व्यवस्था न हो पाने और गन्दगी बढ़ जाने से संक्रामक बीमारी उत्पन्न हो गई है तथा अन्य कर्मचारियों में भी भय, असन्तोष एवं क्षोभ का वातावरण उत्पन्न हो जाने से अशान्ति की स्थिति उत्पन्न हो गई है और पालिका कार्यालय का कार्य भी अव्यवस्थित हो गया है?

स्वायत्त शासन मन्त्री के सभासचिव (श्रीमती तारा अग्रवाल)—

दिनांक १६–५–६६ से ३–६–६६ तक बिन्दकी नगरपालिका के सफाई कमचारियों ने हड़ताल की थी। इस सम्बन्ध में ४६ सफाई कर्मचारियों की सेवायें समाप्त की गई थीं। बाद में नगरपालिका तथा सफाई कर्मचारियों के बीच समझौता हो गया जिसके फलस्वरूप नौकरी से निकाले गये अधिकतर मेहतर कर्मचारी पुनः कार्य पर वापस ले लिए गए और नगर की सफाई व्यवस्था सुचारुरूप से चल रही है। हड़ताल के दौरान भी सफाई की गड़बड़ी के कारण किसी संक्रामक बीमारी का प्रकोप नहीं हुआ।

इसके अतिरिक्त इसी दौरान में नगरपालिका के १ कर अधीक्षक, २ लिपिक तथा १ अन्य सफाई कर्मचारी की सेवायें भी समाप्त की गई थीं। उक्त कर अधीक्षक तथा लिपिकों की सेवायें अनावश्यक समझकर तथा कर्मचारियों को अनुपयुक्त जानकर नगरपालिका की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से समाप्त की गई। उक्त सफाई कर्मचारी की सेवायें उसके न्यायालय द्वारा राहजनी के अपराध में दण्डित होने के फलस्वरूप समाप्त की गई थी।

*६—श्री रामकिशोर वर्मा—

क्या मन्त्री जी सामान्य स्थिति लाने हेतु पृथक् किये गये समस्त कर्मचारियों को वापस लेने के लिये नगरपालिका समिति को विवश करेंगे, या तत्काल पालिका समिति को भंग कर

प्रशासक नियुक्त करेंगे, जिससे नागरिक तथा कर्मचारियों के हितों की रक्षा हो सके और कब तक ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जिन कर्मचारियों की सेवायें हड़ताल के सम्बन्ध में समाप्त की गई थीं उनमें से अधिकतर पुनः नौकरी पर वापस ले लिए गए हैं।

श्री रामकिशोर वर्मा---

क्या मन्त्री जी यह बताएंगे कि बिन्दकी नगरपालिका के केवल ५४ स्थायी कर्मचारी थे और उन्होंने अपनी कुछ न्यायपूर्ण मांगों को लेकर हड़ताल की थी, उनकी मांगें छोटी-छोटी थीं ? इस हड़ताल के दौरान वहां के एस० डी० एम० और फतेहपुर नगरपालिका के चेयरमैन ने समझौता वार्ता करा दिया और उनकी मांगों को मान लिया गया फिर भी वहां के पूरे के पूरे कर्मचारियों को न लेकर थोड़े कर्मचारियों को ही लेने का क्या कारण है ? और यह प्रबन्ध कब तक कर दिया जायगा कि वहां के सारे के सारे कर्मचारी सेवाओं में पुनः ले लिए जाएं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जो समझौता वार्ता हुई थी उसका पालन अध्यक्ष ने किया और उन सफाई कर्मचारियों को नियुक्त कर लिया है, लेकिन केवल १४ शेष बचे हैं। ७ तो वे हैं जो पुलिस की राहजनी में ग्रस्त हैं और ७ वे हैं जो वृद्धावस्था के कारण नहीं लिए गए हैं। उन पर कार्यवाही हो रही है। बाकी सभी समझौता वार्ता के अन्तर्गत ले लिये गये हैं।

श्री रामकिशोर वर्मा---

दूसरा पहलू जो वहां के स्थायी कर्मचारी-कर अधीक्षक और २ लिपिक थे जो कि समय-समय पर पदोन्नति किये गये थे, उन्हें नगरपालिका की आर्थिक दुर्व्यवस्था के कारण उनके मूल पद पर न रखकर उनको नौकरी से बिलकुल पृथक क्यों कर दिया गया ? क्या सरकार ऐसे आदेश देने की कृपा करेगी कि जो स्थायी कर्मचारी हैं उन्हें पुनः नौकरी पर ले लिया जायगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

बिन्दकी नगरपालिका की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए यह स्थायी ३ कर्मचारी सेवा से पृथक किए गए हैं लेकिन नियमानुसार जो प्रदेश सरकार के अन्तर्गत हैं यदि उन्हें सेवा से निकाला जाता है तो अन्य स्थान रिक्त होने पर उन्हें रख लिया जाता है। उसी तरह उन्हें भी कहीं न कहीं जगह होने पर पुनः एकोमेडेट करने पर विचार होगा।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)---

इस बात को देखते हुए कि इस नगरपालिका की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से ये बाधाएं पैदा हो गयी हैं वहां के जिलाधीश ने सरकार को लिखा है कि इस बोर्ड को सुपरसीड कर दिया जाय और इस पर सरकार ने बोर्ड को शो-काज नोटिस भी दिया। तो क्या सरकार उसे सुपरसीड करने का विचार कर रही है ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जी नहीं।

श्री रामकिशोर वर्मा---

क्या मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जैसा प्रश्न के उत्तर में कहा कि वहां के सब सफाई कर्मचारी हटा दिए गए थे और जो स्थायी कर्मचारी थे उन्हें हटा दिया गया था। इसके पहले जिलाधीश ने समय-समय पर सरकार का ध्यान दिलाया कि इस बोर्ड में भ्रष्टाचार है, अनियमितताएं हैं और पक्षपात फैला हुआ है, अतः इस बोर्ड को सुपरसीड कर दिया जाय और इस पर सरकार

[श्री रामकिशोर वर्मा]

की ओर से बोर्ड को नोटिस भी जारी किया गया और जवाब तलब किया गया। जवाब मिलने पर भी फिर जिलाधीश ने लिखा कि इसे सुपरसीड कर दिया जाय। इस पर भी उसे सुपरसीड नहीं किया गया, तो सरकार के सामने क्या कठिनाई है कि अब तक उस नगरपालिका को निलम्बित नहीं किया गया? और अब कब तक उसे निलम्बित कर लिया जायगा?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जो भी शिकायतें आती हैं, उस पर सरकार बराबर कार्यवाही करती है, किन्तु अभी तक उसके बारे में कोई भी ऐसी रिपोर्ट नहीं आयी कि उस के आधार पर उसे सुपरसीड किया जाय।

(उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिए गए तारांकित प्रश्न।)

मलिहाबाद में रजिस्टर्ड नर्सरीज

*१—श्री भीखालाल—

क्या सरकार प्रथम सत्र १९६६ के ६वें सोमवार के लिए निर्धारित प्रश्न संख्या ५८ के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेगी कि तीन प्रार्थना-पत्र किन-किन लोगों के हैं और कब दिये गये और कब तक निर्णय होगा?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

तीन प्रार्थना-पत्र सर्वश्री अब्दुल्ला नर्सरी, मलिहाबाद, महमूदनगर नर्सरी, मलिहाबाद तथा पिथौरागढ़ फार्म नर्सरी, माल के थे जो कि क्रमशः २१-७-६५, १९-३-६५ तथा १६-१२-६५ को प्राप्त हुए थे। इन में से अब्दुल्ला नर्सरी का रजिस्ट्रेशन फल विकास संघ द्वारा जुलाई ५, १९६६ को किया जा चुका है। शेष दो नर्सरियों के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में आवश्यक निरीक्षण के पश्चात् पाई गई कमियों को ठीक करने के लिए नर्सरी मालिकों को लिखा गया है, जिसके प्राप्त होने के पश्चात् उनके रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में विचार किया जायगा।

*२—श्री भीखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मलिहाबाद, जिला लखनऊ में कितनी नर्सरीज रजिस्टर्ड हैं और प्रत्येक ने वर्ष १९६५ से कितना-कितना माल तैयार किया और बोर्ड द्वारा उनकी कब-कब जांच की गई?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५५९ पर)

*३—श्री भीखालाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गत वर्ष इन रजिस्टर्ड नर्सरीज में किन-किन को इस बात की नोटिस दी गई कि उन्होंने स्वयं माल तैयार न करके दूसरों से खरीद कर के रखा और सरकार को सप्लाई किया और नोटिसों का क्या नतीजा निकला और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

किसी को भी नोटिस नहीं दी गई। अतः किसी प्रकार की कार्यवाही करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री भीखालाल—

क्या नियम इस प्रकार के हैं कि रजिस्टर्ड नर्सरीज खुद माल तैयार करें और सप्लाई करें? तो क्या अगर रजिस्टर्ड नर्सरीज़ अनरजिस्टर्ड नर्सरीज से जो घटिया किस्म का माल होता है खरीद अच्छे दामों पर सप्लाई करें तो उसको रोकने का कोई प्रबन्ध है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

ऐसा नहीं है कि अनरजिस्टर्ड नर्सरीज से माल खरीदा जावे। नियमानुसार रजिस्टर्ड नर्सरीज से ही माल खरीदा जाता है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

माननीय मन्त्री जी प्रश्न नहीं समझ सके। प्रश्न यह है कि अगर रजिस्टर्ड नर्सरीज अनरजिस्टर्ड नर्सरीज से खरीद कर सप्लाई करें, तो उनके रोकने के लिए क्या कोई इन्तजाम है?

श्री गेंदासिंह—

समय-समय पर इसके लिए जांच हुआ करती है।

श्री शिवराजसिंह (जिला बदायूं)—

रजिस्टर्ड नर्सरीज का कितना क्षेत्रफल है और उसमें कितने पौधे लगाए गए, इसकी स्टाकटेकिंग कभी सप्लाई से पहले की जाती है?

श्री बलदेवसिंह आर्य—

इसके लिए सूचना की आवश्यकता है।

*४-५—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—

[प्रश्नकर्ता से स्पष्टीकरण के हेतु हटा दिए गए।]

कानपुर के राशनिंग कर्मचारियों में हरिजन

*६—श्री मुरलीधर कुरील (जिला कानपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर नगर में राशनिंग व्यवस्था हेतु जो नियुक्तियां की गई हैं उन में हरिजनों की नियुक्तियों के संक्षिप्त अनुपात से नहीं की हुई हैं जबकि कानपुर रोजगार दफ्तर में काफी संख्या में हरिजन उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन करा कर नौकरी पाने की प्रतीक्षा में थे? यदि हां, तो कोटा पूरा करने हेतु अब क्या उपाय किये जा रहे हैं?

खाद्य मन्त्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)—

कानपुर नगर में राशनिंग व्यवस्था हेतु जो नियुक्तियां होनी थीं उनमें विभिन्न विभागों में आवश्यकता से अधिक घोषित किए गए कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना था। अतः हरिजनों के संरक्षित स्थानों का प्रश्न नहीं उठता। इस व्यवस्था के सम्बन्ध में कुछ नियुक्तियां बाहर से भी की गई थीं। इन बाहरी अभ्यर्थियों को भी सरकारी विभागों में अधिक घोषित किए गए कर्मचारियों द्वारा बदलने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

*७—श्री मुरलीधर कुरील (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि कानपुर नगर में राशनिंग व्यवस्था हेतु जो नियुक्तियां की गई हैं उनमें छटनी की जा रही है? यदि हां, तो किस आधार पर व कितनी?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

कानपुर राशनिंग व्यवस्था के लिए अब कितने कर्मचारियों की आवश्यकता होगी, इस पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

कानपुर में आटा चक्कियों की कथित हड़ताल

*८—श्री चन्द्रबलीसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कानपुर की आटा चक्कियों ने जून, १९६६ के प्रथम हफ्ते में हड़ताल कर दिया था? यदि हां, तो कारण क्या है?

खाद्य मन्त्री के सभा सचिव (श्री हरीदत्त काण्डपाल)—

जी नहीं।

श्री चन्द्रबलीसिंह—

कानपुर के बड़े-बड़े सरकारी अधिकारियों के गेहूं और दूसरी खाद्य सामग्रियों के सम्बन्ध में और उसके विरोध में ही यह हड़ताल चक्कियों ने की थी?

श्री हरीदत्त काण्डपाल—

पहले ही उत्तर दिया जा चुका है कि हड़ताल का सवाल नहीं उठता।

[५ दिसम्बर, १९६६ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

ट्रैक्टर ड्राइवर तथा देशनगर कृषि फार्म में क्लर्क की मुअत्तली

*१—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में कितने ट्रैक्टर ड्राइवर ऐसे हैं जिनको दस साल से ज्यादा सर्विस में हो गए और अब तक अस्थायी रहे हैं और जो लोग अब तक अस्थायी हैं उनके क्या कारण हैं?

*२—श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित)—क्या मन्त्री जी को यह मालूम है कि जिन ट्रैक्टर ड्राइवर को कन्फर्म किया गया है उनको सीनियारिटी के अनुसार नहीं किया गया है? यदि हां, तो ऐसा क्यों किया गया?

*३—श्री रियासत हुसैन (अनुपस्थित)—क्या मन्त्री को यह मालूम है कि देशनगर फार्म के किसी सीनियर क्लर्क को मुअत्तल किया गया? यदि हां, तो किस जुर्म में मुअत्तल किया गया और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री गेंदासिंह—

सूचना एकत्रित की जा रही है।

मथुरा नगरपालिका की चुंगी पर झगड़ा

*४—श्री केदारनाथ भार्गव (जिला मथुरा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मथुरा नगरपालिका की चुंगी चौकी बाग चैनसुख पर १५ अगस्त, १९६५ को कुछ व्यक्तियों द्वारा किये गये आक्रमण विषयक जांच पूरी हो चुकी या नहीं? यदि हां, तो घटना का पूर्ण विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चरणसिंह—

जांच पूरी हो चुकी है। घटना का पूर्ण विवरण संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५६० पर)

टेहरी-गढ़वाल एवं उत्तरकाशी जिलों के निवासियों को मुफ्त लकड़ी

*५—श्री कृष्ण सिंह (जिला टेहरी-गढ़वाल और उत्तर काशी) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टेहरी-गढ़वाल और उत्तर काशी जिलों में वहां के निवासियों को वन विभाग से फ्री ग्रान्ट में किस किस्म के पेड़ किस जनगणना के आधार पर दिए जाते हैं?

श्री चरणसिंह—

टेहरी-गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिलों के निवासियों को फ़्री ग्रान्ट में चीड़, कैल, रई, मोरिंडा इत्यादि वृक्ष और जहां ये उपलब्ध न हों वहां बान व अन्य कुकार के वृक्ष वन विभाग द्वारा दिए जाते हैं। ये वृक्ष सन् १९५१ की जन- गणना के आधार पर दिए जाते हैं।

*६—श्री कृष्णसिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि टेहरी-गढ़वाल और उत्तर काशी जिलों में वहां के जिन निवासियों के जब कभी मकान कतई जल जाते हैं उनको वन विभाग से रियायती कीमत पर देवदार, चीड़, केल के पेड़ मिलते हैं या नहीं? अगर नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री चरणसिंह—

टेहरी-गढ़वाल व उत्तरकाशी जिलों में जब किसी का मकान जल जाता है और उसका प्रार्थना-पत्र देवदार, चीड़, केल इत्यादि वृक्ष देने के बाबत उप-अरण्यपाल को प्राप्त होता है तो ऐसे व्यक्ति को यदि ऐसे वृक्ष वन विज्ञान आधार पर उपलब्ध हों, नियत रियायती दर पर दिए जाते हैं।

दहगवां की जन संख्या

*७—श्री उल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि टाउन एरिया बनने के लिए किसी स्थान की न्यूनतम आबादी कितनी अपेक्षित है तथा बदायूं जिले के ब्लाक दहगवां के ग्राम दहगवां की जन-संख्या क्या है?

श्री चरणसिंह—

किसी स्थान को टाउन एरिया बनाने के लिए टाउन एरिया ऐक्ट में न्यूनतम आबादी के सम्बन्ध में कोई प्राविधान नहीं है। ब्लाक दहगवां के ग्राम दहगवां की जन-संख्या इस समय ४,००० है।

कृषि बीमा योजना

*८—श्री बेदराम (जिला एटा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बतायेगी कि राज्य में कृषि बीमा योजना चलाने पर भारत सरकार ने कोई स्वीकृति दी है? यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं? तथा वह कब तक प्रारंभ कर दी जावेंगी

श्री गेंदासिंह—

जी नहीं।

कृषि उत्पादन के आंकड़े

*९—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उनके विभाग में कृषि उत्पादन के गेहूं, जौ, चना आदि के १९६५-६६ के आंकड़े किन-किन तारीखों में प्रसारित किए और वे क्या हैं?

श्री गेंदासिंह—

गेंहूं के उत्पादन के आंकड़े के अलावा कृषि विभाग ने और कोई आंकड़े प्रसारित नहीं किए। गेहूं के आंकड़े एक प्रेस कांफ्रेंस में १९ मई, १९६६ तारीख को दिए गए थे। इन आंकड़ों के मुताबिक गेंहूं का उत्पादन ४१.२१ लाख टन बताया गया था।

*१०—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि यह सही है कि आंकड़े गलत थे और गत वर्ष २१ लाख टन का उत्पादन कम हुआ है ?

श्री गेंदासिंह—

यह कहना ठीक नहीं है कि उपर्युक्त आंकड़े गलत थे। गेहूं के उत्पादन के ये उपर्युक्त आंकड़े वास्तविक क्राप कटिंग के परिणामों पर न निर्धारित हो कर फसल के आंखों देखे अनुमान पर, जो कि फसल के काटने से प्रायः एक दो मास पूर्व दिये जाते हैं, आधारित थे। कृषि उत्पादन के गेहूं, जौ, चना आदि के १९६५-६६ के प्रामाणिक अंतिम आंकड़े अभी तक उपलब्ध नहीं हैं जब तक ये आंकड़े तैयार नहीं हो पाते हैं यह नहीं कहा जा सकता कि गत वर्ष कितने लाख टन उत्पादन कम अथवा अधिक हुआ।

*११—श्री उग्रसेन (अनुपस्थित)—

क्या कृषि मंत्री ने इसकी जांच के लिये कोई एक्सपर्ट कमेटी बनाई है ? यदि हां, तो उसके कौन-कौन सदस्य हैं ?

श्री गेंदासिंह—

अकेले १९६५-६६ के आंकड़ों की जांच के लिए कोई कमेटी नहीं बनाई गई है। वरन् ११ सदस्यों की एक कमेटी कृषि सांख्यकीय आंकड़ों को एकत्रित करने की वर्तमान विधियों का अध्ययन करके उनमें सुधार करने के सुझाव देने के लिए बनाई गई है। इस कमेटी की सदस्य सूची संलग्न तालिका में दी गयी है।

(देखिए नत्थी "घ" आगे पृष्ठ ५६१ पर।)

स्थानीय निकायों का चुनाव तथा स्वायत्त शासन संस्थाओं में पदों का प्रान्तीयकरण

*१२—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने स्थानीय निकायों (टाउन एरिया, नगरपालिका, नोटीफाइड एरिया, नगरमहापालिका) के अध्यक्षों का चुनाव बालिग मताधिकार की सूची से कराने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो क्या आगामी चुनाव-काल में इस प्रथा को लागू किया जायगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है, परन्तु अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इस संबंध में निर्णय के अनुसार ही आगामी चुनाव में कार्यवाही की जायगी।

*१३—श्री रामकिशोर त्रिपाठी—

क्या यह बात सही है कि सरकार ने उक्त शासन संस्थाओं के उच्च पदों का प्रांतीयकरण करने का भी निश्चय कर लिया है ? यदि हां, तो वह कौन-कौन पद हैं और इस निश्चय को कब से लागू कर दिया जायगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

जी हां, सरकार ने केवल नगर महापालिकाओं एवं नगर पालिकाओं की १९ सेवाओं का प्रांतीयकरण ९ जुलाई, १९६६ से कर दिया है। इन सेवाओं में आने वाले पदों की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ङ.' आगे पृष्ठ ५६२-५६५ पर।)

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

इसके लिये कब तक निर्णय ले लिया जायगा ?

श्री चरण सिंह---

सन् १९६७ के आम चुनाव के बाद ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या सन् १९५४ में सीधे चुनाव होना निश्चित हुआ था अध्यक्षों का, लेकिन बहुत से जिलों में जब कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बन पाये, इसलिए ६ महीने बाद उस निश्चय को बदल दिया गया और आज फिर उसी निश्चय को लिया जा रहा है, तो इसका क्या कारण है ?

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, मेरे दोस्त ने जितनी बातें तथ्य से संबंधित कही हैं अर्थात् १९५४ में इस तरह का संशोधन किया गया था फिर बाद में कुछ दिनों के बाद बदल दिया यह सही है; लेकिन बाकी जितनी टिप्पणी है वह मुझे स्वीकार नहीं है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो १९ सेवाओं का प्रांतीयकरण किया गया है इसको कार्यान्वित कर दिया गया है ? यदि हां, तो कब से, यदि नहीं तो यह कब से लागू किया जायगा ?

श्री चरण सिंह---

यह तो जवाब में कहा गया है कि ९ जुलाई से वह कार्यान्वित हो चुका है ।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी---

यह सूचना है कि कुछ विभागीय कर्मचारियों ने प्रांतीयकरण को रोकने का प्रयास किया है और अदालत में भी गए हैं कि प्रांतीयकरण न किया जाय ? क्या यह बात सही है और सरकार इसको लागू करने का विचार कर रही है ?

श्री अध्यक्ष---

वह तो लागू कर दिया गया है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

मैं सरकार से यह मालूम करना चाहता हूं कि यह जो प्रांतीयकरण किया गया है यह प्रांतीयकरण है या केंद्रीयकरण है ? इन दोनों में अन्तर क्या है ?

श्री अध्यक्ष---

प्रांतीयकरण होने के बाद जो अधिकार होते हैं वही इनको भी हैं ।

अध्यक्ष नगरपालिका शिकोहाबाद क विरुद्ध आरोप

*१४---सर्वश्री रघुनाथ राम (जिला बलिया) (अनुपस्थित), ऊदल (जिला वाराणसी) तथा भीखालाल---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अध्यक्ष, नगरपालिका, शिकोहाबाद, जिला मैनपुरी के खिलाफ गंभीर आरोपों जैसे गबन, पावर का दुरुपयोग लगाते हुए श्री मंशाराम, एम० एल० ए० ने दिनांक ९ अप्रैल, १९६६ को एक प्रार्थना-पत्र कमिश्नर, आगरा डिवीजन को दिया था ? यदि हां, तो उसकी जांच किसके द्वारा कराई गयी और क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जी हां। आरोपों की जांच जिला मैजिस्ट्रेट, मैनपुरी के माध्यम से परगना मैजिस्ट्रेट, शिकोहाबाद द्वारा कराई गयी। आगामी कार्यवाही शासन के विचाराधीन है।

श्री भीखालाल---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि माननीय मन्शाराम जी ने अपने पत्र में जो आरोप लगाए थे अध्यक्ष के विरुद्ध वह सही पाये गये हैं या गलत ? अगर सही हैं तो किस अंश तक ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जो आरोप लगाये गये थे उनमें कुछ सत्य पाये गये हैं इसलिए विचाराधीन हैं।

श्री ऊदल---

यह रिपोर्ट कब आयी और इस पर निर्णय कब तक हो जायगा ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

आयुक्त ने ५ अगस्त, १९६६ को पत्र लिखा था कि जिलाधीश सरकारी वकीलों से राय लेकर अग्रिम कार्यवाही के लिए रिपोर्ट दें। यह लिखने के बाद जिलाधीश ने वह कानूनी सलाह लेकर रिपोर्ट नहीं भेजी है।

श्री जगदम्बा प्रसाद (जिला फैजाबाद)---

५ अगस्त, १९६६ को जिलाधीश को लिखे ३ महीने हो गये, जब चेयरमैन के खिलाफ इतने गंभीर आरोप हैं तो इतने विलम्ब करने का क्या कारण है ?

श्री चरणसिंह---

अब जिला मैजिस्ट्रेट को लिखा गया है कि क्यों नहीं जल्दी जवाब देते ?

झांसी नगरपालिका में सड़क निर्माण की योजना

*१५---श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

स्वायत्त शासन मंत्री कृपया बतलायेंगे कि क्या यह सत्य है कि नगरा पुलिस चौकी, झांसी के समीप से नगरा के मरघट तक नगरपालिका की ओर से कोई सड़क बनाये जाने का ठेका मार्च, १९६६ तक काम समाप्त करने के हेतु दिया गया ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि ठेकेदार द्वारा कुछ अधिकारियों से मिल कर सड़क का पूरा पेमेन्ट सड़क सम्पूर्ण बनाये जाने का दिखाकर ले लिया गया ? यदि हां, तो कितने रुपये का ठेका दिया गया व सड़क का पूर्ण हो जाना किस तारीख व माह में दिखाया गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल---

जी हां। स्थानीय अधिकारियों की रिपोर्टस से यह स्पष्ट हो गया है कि इस सड़क के बनाने का रुपया ठेकेदार को कार्य पूरा होने के पूर्व ही दे दिया गया था। ५,१८७.१७ रु० का ठेका दिया गया था। सड़क का पूर्ण हो जाना दिनांक २९ मार्च, १९६६ को दिखाया गया।

श्री लखपतराम शर्मा---

एक सड़क का बनाया जाना स्वीकार किया गया है जब कि इसके विपरीत उस इलाके में दो सड़कें बनाया जाना दिखाकर पेमेन्ट कर दिया गया है, क्या यह सही है या नहीं ?

श्री चरणसिंह---

जिस सड़क के मुताल्लिक सवाल था उसका उत्तर मौजूद है, उससे पहले और सड़कों का इसमें जिक्र नहीं है।

श्री लखपतराम शर्मा---

क्या यह सही है कि दो सड़कें एक साथ बनाये जाने के नाम पर पेमेन्ट कर दिया गया है १०,००० रुपया जब कि सड़कें बनी नहीं हैं ?

श्री चरणसिंह---

इसके लिए नोटिस की जरूरत होगी।

श्री लखपतराम शर्मा---

उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है कि सड़कें बनाये जाने के नाम पर पेमेन्ट कर दिया गया तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री जी इसे सी० आई० डी० को सुपुर्द करेंगे ताकि कानूनी कार्यवाही हो सके ?

श्री चरणसिंह---

शायद लखपतराम और दूसरे मित्रों को इस संबंध में कुछ इंडिगनेशन या गुस्सा है, लेकिन यह नगरपालिका की सड़क है, राजकर्मचारियों या विभाग की गलती नहीं है, और नगरपालिका जिस क्षमता से काम कर रही है वह हमें मालूम है। यह सारा मामला डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और कमिश्नर के जेरे-गौर है। सिटी मैजिस्ट्रेट को उन्होंने इंक्वायरी के लिए सुपुर्द किया था, उन्होंने रिपोर्ट दी कि यह फैक्ट है कि सड़क के पूरा होने के पहले पेमेन्ट कर दिया, लेकिन मेरी राय में यह इर्रेगुलरिटी है उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी ऐक्शन लिया जाय, लेकिन नीयत की खराबी नहीं है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट सिटी मैजिस्ट्रेट की राय से सहमत नहीं थे। और उन्होंने कमिश्नर को इस सिलसिले में लिखा है और इसके अलावा वहां के जो चेयरमैन हैं वह भी इनके खिलाफ हैं और कुछ कार्यवाही कर रहे हैं। मसलन एक इंजीनियर को सस्पेन्ड कर दिया है और दूसरे एक इंजीनियर से जवाब तलब किया है।

श्री लखपतराम शर्मा---

क्या यह सही है कि नगरपालिका झांसी के इंजीनियर तथा एल० एस० जी० डी० के अभियन्ता ने फर्जी सार्टिफिकेट इस तरह का दे दिया कि सड़क पूरी हो चुकी है ?

श्री चरणसिंह---

बजाहिर तो उनकी गलती मालूम होती है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

क्या माननीय मंत्री जी लोकल अधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारियों से इस केस की जांच कराने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह---

यह करीब एक फर्लांग की तो सड़क ही थी। सिटी मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट से यह तो जाहिर है कि पेमेन्ट में गलती हुई है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

अध्यक्ष महोदय, टेंडर होने के बाद ही पेमेन्ट हो गया और सड़क बनी नहीं और जो सार्टिफिकेट अधिकारियों ने दिये वे झूठे हैं इस प्रकार श्रीमन्, सड़क

बिलकुल बनी ही नहीं और पेमेन्ट ठेकेदार को कर दिया गया, तो मंत्री जी कृपया यह बतायें, सड़क पूरी बनी या नहीं ?

श्री चरणसिंह---

जो आपका प्रश्न था उसका उत्तर दे दिया गया। अब सड़क थोड़ी सी बनी या पूरी नहीं बनी, मैं कोई कमिटमेंट करने के लिए तैयार नहीं हूं। अगर ५० गज बनी है तब भी आदमी उतना ही दोषी है, अगर पूरी नहीं बनी है तब भी आदमी उतना ही दोषी है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर---

हमारा तो कहना है कि सड़क बनी ही नहीं है और सारी कार्यवाही फर्जी है और फर्जी होने पर पेमेन्ट कर दिया गया, आपका उत्तर जो आया है उसमें और इसमें बहुत फर्क है ?

श्री अध्यक्ष---

आपका प्रश्न हो गया। इसका उत्तर आया है कि इस बात की सूचना हमारे पास नहीं है कि वहां बिलकुल सड़क नहीं बनी।

श्री लखपतराम शर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को सही मानकर जांच करायेंगे कि जिस तारीख को नगरपालिका विभाग द्वारा पेमेन्ट कर दिया गया उस तारीख तक सड़क नहीं बनी थी और वह सड़क आज तक नहीं बनी है ? क्या इसकी गंभीरता को देखते हुए यह मामला सी० आई० डी० को सुपुर्द करने का विचार माननीय मंत्री जी रखते हैं ?

श्री चरण सिंह---

अध्यक्ष महोदय, हर छोटा मामला या हर मामला सी० आई० डी० के सुपुर्द करने से काम नहीं चलता है और उनके यहां से रिपोर्ट भी बहुत देर से आती है। केवल एक फर्लांग की सड़क है जिसको डी० एम० देख चुके हैं। यह मामला विचाराधीन है कि सी० आई० डी० को यह मामला दिया जाय। मैं माननीय लखपतराम शर्मा को पहले भी जवाब दे चुका हूं और वे मुझे मिल भी चुके हैं।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)---

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने अभी उत्तर में कहा है यह मामला केवल इर्रेगुलेरिटी का है और पेमेन्ट अर्ली हो गया। मैं जानना चाहूंगा कि जब वह सड़क बनी ही नहीं तो क्या यह इर्रेगुलर पेमेन्ट का प्रश्न है ? यह प्रश्न गबन का है, क्या मंत्री जी अपने विचार बदलेंगे कि यह इर्रेगुलैरिटी का प्रश्न नहीं बल्कि गबन का मामला है, और चीटिंग है, चाहे वे मामला सी० आई० डी० को न दें पर क्या इस मामले में वे स्वयंमेव कार्यवाही करेंगे ?

श्री चरणसिंह---

मैंने यह नहीं कहा कि यह मामला इर्रेगुलैरिटी का है। जहां तक सिटी मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट का सवाल है उनके अनुसार यह इर्रेगुलर है परन्तु डी० एम० इस राय से अपनी राय भिन्न रखते हैं।

आटा मैदा सूजी

*१६---श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आटा, मैदा, सूजी रोलिंग फ्लोर मिल्स में बनने की तारीख से (डेट आफ मिलिंग) से कितने दिन के अन्दर कन्ज्यूमर्स के पास पहुंच जाना चाहिए ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--

इसके लिए कोई अवधि निश्चित नहीं है पर प्रयत्न यही किया जाता है कि रोलर फ्लोर मिल्स में तैयार होने के पश्चात् शीघ्रातिशीघ्र आटा, मैदा तथा सूजी उपभोक्ताओं के पास पहुंच जाय ।

*१७--श्री भगवानसहाय (अनुपस्थित)--

क्या सरकार को कोई ऐसी सूचना है कि कन्ज्यूमर्स तक पहुंचते आटा, सूजी, मैदा सड़ गया अथवा इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहा ऐसी हालत में सरकार ने इसके संबंध में कोई कानून डिस्पोज आफ करने के बनाये हैं ? यदि हां, तो वह क्या हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी--

सरकार को इस प्रकार की सूचना मिली थी कि कहीं-कहीं आटा खराब हो गया था । इस संबंध में जो आदेश जारी किए गए उनका विवरण संलग्न सूची में अंकित है ।

(देखिए नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ५६६ पर ।)

बहजोई में सीमेंट, ईट और मिट्टी के तेल का भाव

*१८--श्री बिशन लाल यादव (जिला मुरादाबाद)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि कस्बा बहजोई, जिला मुरादाबाद में सीमेंट की दूकान करने वाले सीमेंट की प्रति बोरी २० रुपये (बीस रुपये) के मूल्य पर बेच रहे हैं और इस प्रकार से अनुचित धन एकत्रित कर रहे हैं ? क्या सरकार सीमेंट को उचित मूल्य पर बेचने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

जी नहीं । लिखित रूप में ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है ।

*१९--श्री बिशन लाल यादव--

क्या सरकार को ज्ञात है कि कस्बा बहजोई (जिला मुरादाबाद) में ईंट का दाम ५० रु० हजार चल रहा है ? क्या सरकार वहां के भट्टे वालों को ईंट उचित मूल्य पर बेचने की व्यवस्था करेगी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

बहजोई (जिला मुरादाबाद) में ईंट का दाम ५० रु० हजार नहीं चल रहा है । उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए ईंटों के उचित मूल्य पर बेचने की व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता ।

*२०--श्री बिशन लाल यादव--

क्या सरकार को ज्ञात है कि कस्बा बहजोई (मुरादाबाद) में मिट्टी के तेल के स्टाक वाले एक कनस्तर १८ रुपये तक बेच रहे हैं ? तथा जिन दूकान वालों और ट्रैक्टर वालों के परमिट डी० एस० ओ० साहब ने बना रक्खे हैं उनको भी तेल नहीं दे रहे हैं ? क्या सरकार इसकी उचित व्यवस्था करेगी ?

श्री हरीदत्त काण्डपाल--

शासन के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है । वास्तविकता यह है कि बहजोई में तेल बन्द कनस्तर में आया ही नहीं तथा उपभोक्ताओं को मिट्टी का तेल समुचित मात्रा में और नियंत्रित मूल्य पर उपलब्ध है ।

श्री बिशनलाल यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जब से मैंने लिखित रूप में दिया है तब से मंत्री जी ने क्या कार्यवाही की है, क्योंकि सीमेन्ट की बोरी अभी तक २० रु० थी और अब १६ रु० की हो गई है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

अध्यक्ष महोदय, वे खुद ही कह रहे हैं कि पहले बीस रुपये थी और अब १६ रुपये हो गई तो उनका फायदा ही हुआ है ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)—

क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना को आधार मानकर कि प्रदेश में प्रायः सीमेन्ट अधिक दामों में बेचा जाता है और इसी तरह से मिट्टी के तेल के दाम की ज्यादा वसूली की जाती है, कोई वृहद् रूप में जांच कराकर इसको रोकने की कोशिश करेंगे ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जहां तक सीमेन्ट का सवाल है यह डिकन्ट्रोल्ड कमोडिटी है और ऐसी शिकायतें निजी तौर पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के पास ली जाती हैं और अगर किसी खास व्यक्ति को पकड़ायें तो वे उसके खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार हैं । इसके अलावा वे स्टाकिस्ट के लाइसेन्स रद्द करने को लिख देंगे । यह काफी सजा होती है उसके खिलाफ ।

श्री रियासत हुसैन—

३१ दिसम्बर तक के लिये सरकार ने सीमेंट से कंट्रोल हटाया है । तो सीमेंट के मिलने में जो कठिनाइयां हो रही हैं उन्हें दूर करने के लिये सरकार ने क्या किया है ? क्या नीति निर्धारित की है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

यह तो नीति का प्रश्न केन्द्रीय सरकार का है । माननीय सदस्यगण कोई पक्की राय हमें बता दें वही हम केन्द्र को सलाह दे देंगे ।

श्री जगदम्बाप्रसाद—

क्या सीमेंट में कठिनाइयों को देखते हुये मूल्य अधिकरण अध्यादेश में सीमेंट को भी लेने की सरकार कृपा करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

यह सारा अधिकार केन्द्रीय सरकार को है ।

श्री चन्द्रबल सिंह—

जिलाधीश और सप्लाई अफसरों को परमिट काटने की आज्ञा क्यों सरकार ने दे रखी है जब कि उसका कंट्रोल नहीं है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

वे अब नहीं काटते हैं ।

श्री लखीसिंह—

क्या सरकार ट्रैक्टर वालों का मासिक कोटा निर्धारित करेगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

मिट्टी का तेल तो काफी मात्रा में आ रहा है। कोटे का प्रश्न नहीं उठता है। हम उसे और रिलेक्स करने जा रहे हैं।

श्री शिवराजसिंह—

यह देखते हुये कि प्रदेश में व्यापक रूप से सीमेंट का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है क्या सरकार इस प्रकार का आदेश जिलाधीशों और जिला सप्लाई अधिकारियों को देने की कृपा करेगी कि वे सरकार को हर सीमेंट डीलर के बारे में निश्चित अवधि में निश्चित रूप में रिपोर्ट दिया करें कि उसने किस भाव पर सीमेंट बेची है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

जिलाधिकारियों को पता ही नहीं है कि कितना माल आता है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्रीजी बता चुके हैं कि सीमेंट केन्द्र से निर्धारित होता है। उनके लिमिटेड अधिकारों को देखना चाहिये।

करनैलगंज नगरपालिका को अनुदान

*२१—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा) (अनुपस्थित) तथा श्री गंगा प्रसाद (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले की करनैलगंज नगरपालिका को तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में किस-किस माह में कितना-कितना रुपया कर्ज तथा अनदान दिया गया ?

श्री चरण सिंह—

सन् १९६१–६२ से १९६५–६६ तक के समय में कोई ऋण नहीं दिया गया। जहां तक अनदान का संबंध है, आवश्यक सूचना संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ ५६७ पर)

*२२—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (अनुपस्थित) तथा श्री गंगाप्रसाद (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त नगरपालिका में उक्त धन का उपयोग क्या ठीक मद में किया गया है ? यदि नहीं, तो इस दुरुपयोग के विरुद्ध सरकार कौन सी कार्यवाही कर रही है ?

श्री चरणसिंह—

सन् १९६५–६६ में दिये गये अनदान की रकम को छोड़ कर शेष रकम का उस मद में उपयोग नहीं किया गया, जिसके लिये यह दी गई थी। इस दुरुपयोग तथा अन्य अनियमितताओं के कारण सरकार ने इस नगरपालिका को नोटिस दे दिया है कि उसका अधिक्रमण क्यों न कर दिया जाय, यहां का स्पेशल आडिट भी कराने के आदेश दे दिये गये हैं।

मोहम्मदी सीतापुर तथा फैजाबाद नगरपालिकाओं के चुनाव

*२३—श्री मन्ना लाल (जिला खीरी) (अनुपस्थित)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मोहम्मदी, जिला खीरी, सीतापुर तथा फैजाबाद नगरपालिकाओं के जो चनाव आपतकालीन स्थिति के कारण स्थगित कर दिये गये थे वह अब कब कराये जायेंगे ?

श्री चरणसिंह—

मोहम्मदी तथा सीतापुर नगरपालिकाओं के चुनाव जून, १९६७ और फैजाबाद नगरपालिका का चुनाव दिसम्बर, १९६७ तक करा दिया जायगा ।

*२४—श्री मन्नालाल (अनुपस्थित)—

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न (१) में उल्लिखित चुनावों के लिये पुनः नाम प्रस्तावित होंगे अथवा जिनके नाम प्रस्तावित हो चुके थे वही प्रत्याशी चुनाव लड़ सकेंगे ?

श्री चरणसिंह—

नियमानुसार नाम प्रस्तावित होंगे ।

गोंडा जिले में मछली निकालने के ठेके

*२५—श्री शांतिचन्द्र शुक्ल (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में ऐसे कितने तालाब और नदियां हैं जहां मछली निकालने का ठेका दिया जाता है ? इससे किस-किस ग्राम सभा को और सरकार को दूसरी एवं तीसरी पंचवर्षीय योजना कार्य-काल में वर्षवार कितनी आय हुई है ?

श्री गेंदासिंह—

गोंडा जिले में मत्स्य विभाग के १३ जलाशयों तथा २ मध्यम जलालयों, जो कि सिंचाई विभाग द्वारा १९६४—६५ में मत्स्य विभाग को मत्स्य पालन हेतु हस्तान्तरित किये गये हैं, जिनमें मछली निकालने के ठेके मत्स्य विभाग द्वारा दिये गये ।

२—गोंडा जिले में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित ६ जलाशयों में भी मछली निकालने के ठेके सिंचाई विभाग द्वारा दिये गये ।

३—इन ठेकों से सरकार को द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में वर्षवार हुई आय का विवरण संलग्न तालिका "क" में दिया हुआ है ।

४—गोंडा जिले के तालाबों और नदियों में ग्राम सभाओं द्वारा दिये गये मछली निकालने के ठेके तथा उनसे ग्राम सभाओं को हुई आय की सूचना एकत्रित की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ ५६८ पर)

ब्लैक मार्केटियर्स के विरुद्ध कार्यवाही

*२६—श्री मोहम्मद रफी खां (जिला शाहजहांपुर) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार उत्तर प्रदेश में जल्द ही ब्लैक मार्केटियर्स तथा जखीरा करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री जगमोहनसिंह नेगी—

जी हां, जिलाधिकारियों द्वारा छापे मारे गये और पूरे डिवीजन में १०३ व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया ।

आंकड़ों में विभिन्नता की जांच

*२७—श्री टम्बेश्वर प्रसाद (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि राज्य सरकार ने आंकड़ों में भिन्नता के कारणों की जांच के लिये श्री रामसहाय, आयुक्त, लखनऊ प्रखन्ड की अध्यक्षता में जो जांच कमेटी नियुक्त की है उसने अब तक क्या कार्य किया है ? तथा उसका प्रतिवेदन कब तक आ जायगा ?

श्री गेंदा सिंह---

आंकड़ों में भिन्नता के कारणों की जांच के लिये श्री राम सहाय कमेटी ने उन सभी पहलुओं की विधिवत जांच पूरी कर ली है जिनके कारण विभिन्न अनुमान के आंकड़ों में समानता नहीं रहती।

कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन की सेवा में प्रेषित कर दी है।

विभिन्न पहलुओं पर विधिवत् विचार करने के उपरान्त आंकड़ों में अधिकतम समानता लाने हेतु समिति ने निम्न सुझाव दिये हैं:

(१) क्राप रिपोर्ट्स द्वारा रकबे के अनुमान लगाने की पद्धति को समाप्त कर दिया जाय और रकबे के पहले एस्टीमेट का आधार रेन्डम सेम्पल सर्वे पर आधारित हो।

(२) जिन फसलों में केवल दो एस्टीमेट ही दिये जाते हों तथा क्राप कटिंग नहीं होती, उनमें उपज का तखमीना निम्नस्तर के कर्मचारियों से न लेकर अधिक जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा लिया जाय।

(३) संयुक्त निदेशक (कृषि आंकड़ा) प्री-फाइनल एस्टीमेट के आंकड़े जो केवल अनुमान द्वारा दिये जाते हैं और सुधारने के उपाय निकालें व बर्तें।

(४) व्यक्ति विशेष अथवा विभागों द्वारा आंकड़ों की सही स्थिति समझने के लिये सम्भावित अन्तर, जो अनुमानित आंकड़ों व क्राप कटिंग द्वारा प्राप्त आंकड़ों में हो, आंकड़े देते समय विवरण अवश्य दिया जाय।

(५) जो क्षेत्र चकबन्दी में हो उसकी पड़ताल अवश्य कराई जाय।

(६) वर्तमान पड़ताल के रूप में पत्र में समस्त मिश्रित फसलों के अंकन की व्यवस्था की जाय। पड़ताल के समय भी आवश्यक परिवर्तन किये जायें, जिससे सभी फसलें जो सघन कृषि कार्यक्रमों के अन्तर्गत अब बोई जाने लगी हैं उनका अंकन भी संभव हो सके।

(७) जिले के ज्येष्ठ अधिकारी स्वयं देखें कि जिन्सवार समय से आंकड़े माल विभाग को भेज दिये जायं। साथ ही जिले में आंकड़े सही रूप में व समय से अंकित किये जायें।

(८) यह भी आवश्यक है कि माल विभाग विभिन्न वर्ग के अधिकारियों को क्राप कटिंग की देख-रेख के लिये आदेश दे और जो निरीक्षण की संख्या प्रस्तावित की गई है उसका पालन किया जाये।

(९) क्राप कटिंग के समय विकास विभाग के विभिन्न वर्गीय कर्मचारियों की निश्चित जिम्मेदारी रखी जाय जिनकी निगरानी में ही खेतों की कटाई हो।

(१०) इस बात के जांच के लिये कि तीनों फसलों के रकबे का सही इन्दराज किया गया है, जिले के अधिकारियों द्वारा निश्चित क्रम में जांच की जाने की व्यवस्था होनी चाहिये।

(११) क्राप कटिंग व एस्टीमेट लेने की पद्धति का पूरा ज्ञान सही ढंग से राजकीय कर्मचारियों व अधिकारियों को हो, आवश्यक है कि इसकी पूर्ण विधि का ब्योरा सभी श्रेणी के अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण काल में दिया जाय। बी० एस-सी० (एग्री०) कोर्स में भी इसे सम्मिलित किया जाये।

(१२) भारत सरकार के आंकड़ा विभाग द्वारा, प्रदेश में क्राप कटिंग की तकनीकी देख-रेख की निर्धारित सीमा में बढ़ोत्तरी की जाय।

सोरों में जच्चा बच्चा केन्द्र की आवश्यकता

*२८---श्री वेदराम (अनुपस्थित)---

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला एटा की नगरपालिका में कोई प्रस्ताव जिला स्वास्थ्य धिकारी के सामने दिनांक २० जनवरी, १९६४ को सोरों में जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने हेतु पारित किया था? यदि हां, तो अब तक भी वहां जच्चा-बच्चा केन्द्र न खुलने के क्या कारण हैं?

श्री चरणसिंह—

जनवरी, १९६४ को नगरपालिका सोरों द्वारा जच्चा-बच्चा केन्द्र खोलने निमित्त प्रस्ताव संख्या ११ पारित हुआ था। पालिका द्वारा २०-१-६४ को कोई प्रस्ताव नहीं पारित किया गया।

अध्यक्ष, नगरपालिका सोरों ने पहली बार शासन को अपने पत्र दिनांक २५-११-६६ द्वारा प्रस्तावित जच्चा बच्चा केन्द्र के लिये मिडवाइफ के वेतन के निमित्त अनुदान हेतु सचिव, स्वास्थ्य विभाग से प्रार्थना की है अतः जच्चा बच्चा केन्द्र की स्थापना अभी नहीं हो सकी है।

हाउसिंग स्कीम के अन्तर्गत इलाहाबाद में ऋण

*२९—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष १९६२-६३ तथा १९६३-६४ में विभाग द्वारा इलाहाबाद महापालिका क्षेत्रों में नागरिकों तथा संस्थाओं को कितना-कितना कर्ज हाउसिंग स्कीम में दिया गया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

इलाहाबाद महापालिका क्षेत्र में नगरमहापालिका, इलाहाबाद तथा उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव बैंक लि०, लखनऊ द्वारा अन्य आय वर्ग गृह निर्माण योजना तथा मध्यम आय वर्ग गृह निर्माण योजना के अन्तर्गत व्यक्तियों को मकान बनाने के लिये वर्ष १९६२-६३ में कुल रु० २,५९,७५० तथा १९६३-६४ में रु० १,००,८०० का ऋण दिया गया। इन वर्षों में किसी संस्था को कोई ऋण नहीं दिया गया।

श्री नाथूराम शिक्षक—

मेरी जानकारी है कि यह रुपया बाहर के लोगों को भी दिया गया जो स्वीकृत नहीं है। क्या सरकार को मालूम है कि जिनको रुपया दिया गया और जिन्होंने मकान बनवाये उन्होंने मकान किराये पर दिये हुये हैं ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

नोटिस चाहिये।

श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार बताएगी कि किन-किन लोगों को यह लोन दिया ?

श्रीमती तारा अग्रवाल—

बहुत बड़ी लिस्ट है, माननीय सदस्य कार्यालय में देख लें।

श्री सत्यनारायण पांडेय—

नगरपालिका इत्यादि को जो रुपया बैंकों के द्वारा दिया जाता है उसमें से अधिकतर खर्च नहीं हो पाता है, लैप्स कर जाता है। क्या यह सही है ?

श्री चरणसिंह—

मैं सवाल ठीक तरह से समझ नहीं पाया हूं। लेकिन मेरे मित्र अपनी कठिनाई मुझसे मिलकर बता दें तो मैं कोशिश करूंगा उनकी कठिनाई हल करने की क्योंकि सूचना महापालिका से मंगानी होगी।

*३०—श्री रघुवीर सहाय कैथवार—

[२-१२-६६ को प्रश्न संख्या ८१ के अन्तर्गत उत्तर दिया गया।]

मक्का का बीज तथा लखनऊ में कृषि कार्यालयों का किराया

*३१—श्री महेशसिंह (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—

उत्तर प्रदेश में १९६४–६५ में कितना संकर मक्का का बीज किसानों को उपलब्ध कराया गया इसमें कितना प्रदेश के बाहर से मंगाया था ?

श्री गेंदा सिंह—

उत्तर प्रदेश में १९६४–६५ में संकर मक्का का ५६० कुन्तल बीज किसानों को उपलब्ध कराया गया था। यह समस्त बीज नेशनल सीड कारपोरेशन से मंगाया गया था।

*३२—श्री महेशसिंह (अनुपस्थित)—

वर्तमान समय कितना संकर बीज प्रदेश सरकार के प्रयास से पैदा किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गेंदा सिंह—

१९६६–६७ में निम्नलिखित क्षेत्रफल में निम्नलिखित संकर बीज प्रदेश सरकार के प्रयास से पैदा किया जा रहा है :

बीज का नाम	क्षेत्रफल (एकड़ में)	अनुमानित उपज (कुन्तल में)
१—मक्का	२,८५०	१७,१००
२—ज्वार	२१५	८६०
३—बाजरा	२१३	६३९

*३३—श्री महेश सिंह (अनुपस्थित)—

कृषि विभाग के लखनऊ स्थित सभी कार्यालयों का कुल कितना मकान भाड़ा दिया जाता है ? क्या सरकार इसमें कुछ बचत करने का प्रयास करेगी ?

श्री गेंदा सिंह—

इस समय कृषि विभाग के जो अनभाग किराये के मकान में हैं उनका ३,६४० रु० ७५ पै० प्रतिमास किराया दिया जाता है। किराये में बचत के लिये कृषि भवन बनवाया गया है पर समस्त कार्यालय कृषि भवन में नहीं आ सके हैं। अतः कृषि भवन में अतिरिक्त निर्माण कराने की व्यवस्था की जा रही है।

*३४–३५—श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

[५वें शुक्रवार (१–१२–६६) को प्र० सं० ८२–८३ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

कृषि फार्म कर्मचारियों की छुट्टी

*३६—श्री जगन्नाथ राव (जिला जौनपुर) (अनुपस्थित) तथा श्री रक्षपाल सिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सही है कि सरकारी कृषि फार्मों पर काम करने वाले कर्मचारियों को साप्ताहिक छुट्टी सरकारी आदेश द्वारा बन्द कर दी गई है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गेंदा सिंह--

जी हां, लेकिन केवल आकस्मिक श्रमिकों (कैजुअल लेबरर्स) का अवकाश बन्द किया गया है चूंकि साप्ताहिक अवकाश की सुविधा कृषि कार्य में लगे आकस्मिक श्रमिकों पर लागू नहीं होती ।

झांसी जिले में बीज वितरण

*३७--श्री रक्षपालसिंह (अनुपस्थित)--

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में किसानों को खरीफ की फसल बोने के लिये बीज उपलब्ध नहीं हैं तथा जिन किसानों को कृषि गोदामों से बीज दिया जा रहा है उनके साथ खाद लिये जाने की शर्त लगाई जा रही है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री गेंदासिंह--

ऐसी कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है कि झांसी जिले में खरीफ की फसल बोने के लिये बीज उपलब्ध नहीं था । केवल संकर व अन्य अधिक उपज देने वाली जातियों के बीज के साथ यह प्रतिबन्ध था कि इन्हें उन कृषकों को दिया जायगा जिनके पास सिंचाई की उचित सुविधा होगी और निर्धारित उर्वरक की मात्रा का प्रयोग करेंगे क्योंकि बिना पर्याप्त खाद व पानी के मिले ये जातियां अधिक उपज नहीं दे सकतीं ।

झांसी तहसील में मिट्टी के तेल का वितरण

*३८--श्री लखपत राम शर्मा--

क्या खाद्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि झांसी तहसील से संबंधित सरकारी मिट्टी के तेल की ४० दूकानों के लिये १ लाख २० हजार लीटर का कोटा है, तो जून, १९६६ से ३१ जुलाई, १९६६ तक कितना तेल का कोटा तहसीलदार, झांसी को जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा दिया गया तथा उपरोक्त ४० दूकानों में कितने गांव सम्मिलित हैं ?

श्री हरीदत्त कान्डपाल--

इस समय झांसी तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में ५५ मिट्टी के तेल की दूकानें चल रही हैं । इन दूकानों के लिये कोई निर्धारित कोटा नहीं है, बल्कि तहसीलदार जितना तेल मांगते हैं उपलब्धि के आधार पर दिया जाता है उक्त तहसील को जून, १९६६ से ३१ जुलाई, १९६६ तक ४०,००० लीटर मिट्टी का तेल दिया गया । उपरोक्त ५५ दूकानों से १८३ ग्राम सम्बद्ध हैं ।

श्री लखपत राम शर्मा--

जून से जुलाई ६६ तक कितना कोटा मिट्टी के तेल का तहसीलदार द्वारा मांगा गया और कितना उनको दिया गया ?

श्री हरीदत्त कांडपाल--

जून जुलाई, १९६६ के प्रत्येक माह में भतारी के तहसीलदार को २०,००० लीटर मिट्टी का तेल दिया गया है । मांगने के साथ उपलब्धि का भी प्रश्न है ।

श्री लखपत राम शर्मा--

जून ६६ से २१ जुलाई, १९६६ में तहसीलदार द्वारा ग्रामीण जनता के लिये कितना तेल मांगा गया ?

श्री हरीदत्त कान्डपाल--

सूचना की आवश्यकता है ।

नोट--तारांकित प्रश्न संख्या ३८ के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

श्री रामसुन्दर पान्डेय—

जिले में फी दूकान तेल भेजने के लिये सरकार का क्या आधार है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

सैंट्रल गवर्नमेन्ट ने प्रदेश का कोटा ६३–६४ की खपत के ऊपर निर्धारित किया और कम्पनीज के रेकार्ड के अनुसार किया। उसी आधार पर हमने भी जिलों से आंकड़े जमा करने शुरू किये और जिलाधीशों से उनकी आवश्यकता पूछी। तत्पश्चात् हमने जिलेवार कोटा बांटा, तहसीलवार नहीं जैसा कि माननीय सदस्य कह रहे हैं। अब जो कोटा दिया जाता है वह उपलब्धि के हिसाब से दिया जाता है। यह जरूर है कि हम देहात में जहां बिजली नहीं, है वहां ज्यादा देते हैं।

श्री लखपत राम शर्मा—

श्रीमन्, इसमें साफ लिखा है कि झांसी जिले का कोटा १ लाख २० हजार लीटर का निर्धारित किया गया लेकिन केवल ४० हजार ही दिया गया।

श्री अध्यक्ष—

खाद्य मंत्री जी, माननीय शर्मा जी को समझा दीजिये।

कोड़ा जहानाबाद टाउन एरिया चेयरमैन, श्री राशिद हसन को जेल

*३९—श्री राम किशोर वर्मा—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री फतेहपुर जिले के कोड़ा जहानाबाद टाउन एरिया के चेयरमैन श्री राशिद हसन उर्फ हसन मियां के संबंध में कृपया बतायेंगे कि वह कौन सी विशेष परिस्थितियां थीं जिनकी वजह से उन्हें वर्ष १९६६ में पर्याप्त अवधि तक फतेहपुर जिला जेल में बन्द रहना पड़ा और कब से कब तक वह जेल में रहे ?

श्री चरण सिंह—

श्री राशिद हसन उर्फ हसन मियां फतेहपुर जेल में १३ अक्तूबर, १९६५ से २२ दिसम्बर १९६५ तक पाक नेशनल समझे जाने के कारण गिरफ्तार रहे।

वह १९६६ में किसी भी अवधि के लिये जेल में नहीं रहे।

*४०—श्री राम किशोर वर्मा—

क्या यह भी सही है कि शासन के पास उनके विरुद्ध अनियमितताओं, गबन, स्वेच्छाचारिता, सार्वजनिक संपत्ति और धन के दुरुपयोग, गुटबन्दी एवं साम्प्रदायिक भावना से भी काम करने की शिकायतें हैं ?

श्री चरण सिंह—

उनके विरुद्ध स्वेच्छाचारिता से काम करने की, नगर क्षेत्र भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने की, सड़क अनुदान के उपभोग संबंधी सूचना न देने की, तथा गुटबन्दी करने की शिकायतें हैं। गबन संबंधित तथा साम्प्रदायिक भावना से काम करने के बाबत कोई रिपोर्ट प्रकाश में नहीं आई।

छाता टाउन एरिया में टोल टैक्स लगाने का प्रस्ताव

*४१—श्री राम सुन्दर पान्डेय (जिला आजमगढ़)—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया छाता, जिला मथुरा की ओर टोल टैक्स लगाने का प्रस्ताव लगभग ४ माह पहले स्वीकृत होकर के आया है, परन्तु सरकार द्वारा उस पर अब तक निर्णय न लेने का क्या कारण है ?

श्री चरण सिंह—

जी नहीं। कोई ऐसा प्रस्ताव सरकार के पास नहीं आया है। अतएव सरकार के निर्णय का प्रश्न ही नहीं उठता।

जिला कृषि अधिकारी लखीमपुर के विरुद्ध शिकायत

*४२—श्री झारखन्डे राय तथा श्री विजयपाल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

क्या सरकार को पता है कि जो इस वक्त जिला लखीमपुर में एग्रीकल्चर आफिसर हैं जो आठ साल से विभिन्न पदों पर वही कार्य कर रहे हैं जब वह सीनियर जूट इंस्पेक्टर थे और उन्होंने वह सभी इनाम जो काश्तकारों को मिलना था फर्जी नाम चढ़ा कर खुद हजम कर लिया है? क्या सरकार इसकी जांच करा कर इनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी?

श्री गेंदा सिंह—

जांच कराने से पता लगा है कि जिला कृषि अधिकारी लखीमपुर निर्दोष है। उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

पूरनपुर तहसील में कथित वृक्षारोपण

*४३—श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)—

क्या वन मंत्री को ज्ञात है कि जिला पीलीभीत तहसील पूरनपुर में हजारा घाट-मेंहगापुर ग्राम खरहना के पास लगभग १४०० एकड़ का नया जंगल लगाया जा रहा है? यदि हां, तो उस नये जंगल के चारों तरफ आबादी कितनी-कितनी दूर है?

श्री चरण सिंह—

जिला पीलीभीत तहसील पूरनपुर, में हजाराघाट—मेंहगापुर ग्राम खरहना के पास १४०० एकड़ का कोई भी नया जंगल अभी हाल में नहीं लगाया जा रहा है। शेष प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश किरायेदार कल्याण परिषद् इलाहाबाद का स्मृति-पत्र

*४४—श्री झारखन्डे राय—

क्या खाद्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें उत्तर प्रदेश किरायेदार कल्याण परिषद्, इलाहाबाद की ओर से जुलाई, १९६६ के अन्त तक कोई स्मृति-पत्र प्राप्त हुआ है कि १९६० तक के बने हुए सभी मकानों को रेन्ट कन्ट्रोल ऐक्ट के मातहत माना जाय?

श्री जग मोहन सिंह नेगी—

जी हां, स्मृति-पत्र प्राप्त हुआ है।

*४५—श्री झारखन्डे राय—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस विषय में उसने अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

किरायेदार कल्याण परिषद् को समुचित उत्तर भेज दिया गया है।

पीलीभीत खीरी उपनिवेशन योजनान्तर्गत शिकमी जमीन

*४६—श्री शिव चरण लाल (जिला आगरा) तथा श्री मंगल देव—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पीलीभीत खीरी उपनिवेश योजना के अन्दर रहने वाले अनेक लोगों को इस आशय की शिकायत गत तीन महीनों से मिली है कि गत १०

वर्षों में या उससे पहले भी कुछ फर्जी और अनावश्यक रूप से जमीन एलाट करा लिये हैं और उस पर स्वयं खेती न करके वे खेती बराबर बटाई पर दे रहे हैं? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही हुई ?

श्री गेंदा सिंह—

जी हां। ऐसे पुनर्वासितों के संबंध में जांच करवाई जाती है और यदि जांच के पश्चात् शिकायत सही निकलती है तो उनके अनुदान को रद्द किये जाने की कार्यवाही की जाती है।

*४७—श्री शिव चरण लाल तथा श्री मंगलदेव—

क्या मंत्री उक्त प्रकार की शिकायतों की जांच के लिए कोई कमेटी बनाने की कृपा करेंगे ?

श्री गदा सिंह—

इसकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती क्योंकि ऐसे मामले शासन द्वारा बनाई गयी पीलीभीत उपनिवेशन योजना की प्रवरण समिति के सम्मुख भी रखे जा सकते हैं।

एटा में उचित मूल्य ग्रहण आदेश का पालन

*४८—श्री गंगा प्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

क्या खाद्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा में उचित मूल्य ग्रहण आदेश के अन्तर्गत कितने व्यापारी पकड़े गये ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—

कोई नहीं।

*४९—श्री शुकदेव प्रसाद—

[६ठे गुरुवार के लिये प्र० सं० ४२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

त्रिमिनीगंज लखनऊ में पानी की कमी

*५०—श्री रामकिशोर त्रिपाठी तथा श्री राम मूर्ति अंचल (जिला शाहजहांपुर)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि मुहल्ला त्रिमिनीगंज, वार्ड सआदतगंज, शहर लखनऊ में मार्च, १९६६ से पीने के पानी की अत्यन्त कमी है क्योंकि सुबह ७ बजे से सायंकाल ६ बजे तक नल्के सूखे पड़े रहते हैं जिससे वहां के निवासियों को दैनिक जीवन में अत्यन्त कष्ट उठाना पड़ रहा है ?

श्री चरण सिंह—

शहर के इस भाग में ३ इंच पाइप लाइन है जिससे पानी के कनेक्शन्स दिये गये हैं। इस कारण उन मकानों में जो ऊंचाई पर हैं, पानी की कमी है।

*५१—श्री रामकिशोर त्रिपाठी तथा श्री राममूर्ति अंचल—

क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि वहां के निवासियों ने इस बारे में जून मास १९६६ से लेकर अब तक सुपरिटेन्डेन्ट, वाटर वर्क्स को ऐडमिनिस्ट्रेटर, नगर महापालिका को तथा स्वायत्त शासन मंत्री को अनेक प्रार्थना पत्र दिये और उक्त सुपरिन्टेन्डेन्ट से लोगों ने इस बारे में साक्षात्कार भी किया मगर आज तक स्थिति में सुधार नहीं हुआ ?

श्री चरण सिंह—

इस संबंध में जिन नागरिकों ने नगर महापालिका अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किया था उनको नगर अभियन्ता (जल) ने सभी परिस्थितियों से पूरी तरह अवगत करा दिया था। एक प्रार्थना पत्र मेरे पास भी प्राप्त हुआ था जिसे प्रशासक को उचित कार्यवाही हेतु भेज दिया गया था।

*५२—श्री राम किशोर त्रिपाठी तथा श्री राम मूर्ति अंचल—

क्या सरकार विस्तारपूर्वक बताने की कृपा करेगी कि कौन-कौन अधिकारी इसके लिये उत्तरदायी हैं तथा किस निश्चित तारीख तक सरकार इतना पानी सप्लाई करेगी कि इस मुहल्ले के नलों में २४ घंटे पानी उपलब्ध हो सके ?

श्री चरण सिंह—

इस क्षेत्र में पानी की कमी के लिये कोई अधिकारी उत्तरदायी नहीं है। इस मुहल्ले में तथा नगर के विभिन्न भागों में २४ घंटे पानी उपलब्ध कराने के लिये नगर की जल सम्भरण पुनर्गठन योजना को कार्यान्वित करना होगा, जिसके लिये लगभग ३ करोड़ रुपये की आवश्यकता है और इस धनराशि की व्यवस्था होते ही कार्य आरम्भ किया जा सकता है पर जिसको पूरा करने में करीब ५ वर्ष का समय लगेगा।

देवरिया जिले में खाद

*५३—श्री चन्द्रबली सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि देवरिया जिला में रबी अभियान के समय तकावी पर खाद (फर्टिलाइजर) दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंदा सिंह—

जी हां।

प्रश्न के स्थगन पर आपत्ति

श्री सुखदेव प्रसाद (जिला गोंडा)—

अध्यक्ष जी, मेरा एक प्रश्न ४९ नम्बर पर है। यह कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं था। इसके उत्तर में इतनी देर लगने का सवाल नहीं था वह छठे गुरुवार को स्थानान्तरित कर दिया गया था। वह तो अब आ ही नहीं पायगा ?

श्री अध्यक्ष—

इसको मैं देखकर बता दूंगा।

श्री लखी सिंह (जिला मथुरा)—

नियम ५२ में मेरा नाम ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जाइये, मैं आपकी बात बाद में सुन लूंगा।

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, १९६६, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ है, सदन की मेज पर रखता हूं।

(देखिए नत्थी 'अ' आगे पृष्ठ ५६९–५७० पर)

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (प्रवृत रहने का) विधेयक, १९६६

सचिव, विधान सभा—

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा की स्वीकृति के लिये प्राप्त उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (संपत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (प्रवृत्त रहने का) विधेयक, १९६६, जैसा कि वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, सदन की मेज पर रखता हूं ।

(देखिए नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ ५७१ पर)

श्री सालिग्राम जैसवाल की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

गिरफ्तारी के संबंध में मेरे पास सूचनाएं आयी हैं—दिनांक २३-१२-६६ को श्री सालिग्राम जैसवाल धारा १८८ दंड विधान कानून के अन्तर्गत गिरफ्तार हुए और जेल में दाखिल हुए । यह सूचना सुपरिन्टेन्डेन्ट जेल की है—श्री सालिगराम जैसवाल, एम० एल० ए०, १८८ के अन्तर्गत इस कारागार में रात्रि में प्रविष्ट हुए । उसके बाद——

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, सभा करने की भी इजाजत नहीं मिलती—

श्री अध्यक्ष—

दूसरा यह फिर आया है कि श्री सालिग्राम जैसवाल, सदस्य, विधान सभा, मेजा, जिला इलाहाबाद, आज दिनांक २ दिसम्बर, १९६६, को ३-३० बजे दिन कस्बा मंझनपुर, इलाहाबाद, में धारा १८८ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत गिरफ्तार कर के नैनी जेल भेजे गये । निर्धारित रूप पत्र पर सूचना अलग विस्तृत रूप से भेजी जा रही है । दूसरा यह है कि श्री सालिग्राम जैसवाल, सदस्य, विधान सभा, निर्वाचन क्षेत्र मेजा, इलाहाबाद आज ९-२० बजे रात्रि धारा १८८ भारतीय दन्ड विधान के अपराध में १० दिन के रिमान्ड पर नैनी जेल भेजे गये। पुलिस रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने मंझनपुर बाजार में जिला मैजिस्ट्रेट के आदेश धारा १४४ भारतीय दन्ड विधान प्रक्रिया संहिता के विरुद्ध सार्वजनिक सभा की ।

प्रदेश के गैरसरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के आन्दोलन के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

यह एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव आया है—

श्री चन्द्र बली सिंह (जिला देवरिया)—

पहले विशेषाधिकार ले लें ।

श्री अध्यक्ष—

आप अभी बैठिये, उस संबंध में मैंने आपसे निवेदन किया था कि मैंने उस पर अपने आदेश दे दिये हैं ? उसी को आपने दोहराया है ।

श्री चन्द्र बली सिंह—

जो स्पष्टीकरण मैंने दूसरा दिया है उसमें भी मैंने दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

आप मुझ से बातचीत कर लें। मैंने आपको परसों भी आमंत्रित किया था, आप आ जायं हमें समझा दें, अभी तो आप बैठ जायं मैंने तो शुक्रवार को ही आपसे निवेदन कर दिया था ।

श्री चन्द्र बली सिंह—

आपने आदेश दिया था, उसके बाद जो स्पष्टीकरण मैंने दिया था उससे आप सन्तुष्ट थे, उस संबंध में आप उसे पढ़ लें।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, जो आदेश मैंने दिया था उसके संबंध में आपने स्पष्टीकरण दिया है, आप मुझ से मिल लें ताकि हम आप समझ लें।

अब यह एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी ने दिया है, यह एक महत्वपूर्ण विषय है परन्तु विलम्बित है ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, यह सारे प्रदेश के अध्यापकों से संबंध रखता है और यह उनके उपवास का ६१वां दिन है, सारे प्रदेश से तमाम अध्यापकगण आये हुए हैं, सारे विद्यालय बन्द हैं और शिक्षा का कार्य तमाम अस्त व्यस्त है, तो वह विलम्बी कैसे हैं ? इससे महत्वपूर्ण और विषय कैसे हो सकता है ? उनकी मांगें भी न्यायोचित हैं, इसको सरकार भी मानती है लेकिन वह विचार ही करती रह गई। यह अध्यापकों को श्रेय है कि वह बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांगों को रख रहे हैं लेकिन फिर भी सरकार उनकी बातों पर ध्यान नहीं देती। मेरा आग्रह है कि आज इसको स्वीकार करने की कृपा की जाय ।

श्री अध्यक्ष—

मैं निवेदन कर रहा था और जैसा कि माननीय नेता विरोधी दल ने स्वयं कहा कि ६१ दिन से उनका उपवास चल रहा है, तो उनकी मांगें तो ६१ दिन पहले प्रस्तुत हो चुकी थीं और यह मांगें ही आधार हैं उनके अनुवर्ती प्रदर्शन की, यह तो केवल उसका परिणाम है। मैंने इसीलिये इसको कामरोको का विषय न मानकर नियम ५२ में स्वीकार किया है और वह इस प्रकार है—

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

एक नियम ५२ में श्री गया प्रसाद जी ने भी दिया है, आप कृपया उस को भी पढ़ दें ।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जिला जौनपुर)—

मेरा निवेदन है कि आप ने जो कहा कि अपनी मांगों को लेकर उनका ६१ दिन से प्रदर्शन चल रहा है और नेता विरोधी दल का कामरोको प्रस्ताव आज आया है लेकिन अब इतने दिन के बाद एक संकट खड़ा हो गया है और इसके दुष्परिणाम हो सकते हैं। इसलिये इस पर आज वाद विवाद हो जाने दें। और मेरा आपसे अनुग्रह है कि मियर टैक्निकैलिटी के आधार पर इतने महत्वपूर्ण विषय पर वाद विवाद हो जाने दीजिये क्योंकि सार्वजनिक मामलों में दष्परिणाम तत्क्षण हो जाते हैं। इसलिए मेरा पुनः आग्रह है कि आप इसे कामरोको प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर लीजिए ।

श्री अध्यक्ष—

अभी जो मेरे पास प्रस्ताव आया है उसको पढ़े देता हूं ।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन्, कृपया माननीय गया प्रसाद जी वाला भी पढ़ दें।

श्री अध्यक्ष—

जब मैं न पढ़ूं तब आप कहिएगा।

दूसरा प्रस्ताव माननीय हिम्मत सिंह जी का है और तीसरा माननीय गया प्रसाद जी का है। माननीय त्रिपाठी जी का इस प्रकार है:—

"प्रदेश के गैरसरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक काफी दिनों से अपनी न्यायोचित मांगों के लिये आन्दोलन कर रहे हैं। उनके प्रतिनिधि राजधानी में गत ६१ दिनों से नित्य अनशन करते हैं। सरकारी तथा गैरसरकारी अध्यापकों के वेतन में समानता किये जाने के संबंध में उनकी मांग की सरकार द्वारा निरन्तर उपेक्षा किये जाने से प्रदेश का वातावरण तनावपूर्ण हो गया है। अध्यापकों में उत्तेजना फैल गयी है। आज संपूर्ण प्रदेश से अध्यापक राजधानी लखनऊ में आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। विद्यालयों में अध्यापकों की अनुपस्थिति से अध्यापन कार्य भी प्रभावित है।"

माननीय हिम्मत सिंह जी का प्रस्ताव इस प्रकार है :

'प्रदेश के गैरसरकारी मान्यता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापक काफी दिनों से अपनी न्यायोचित मांगों के लिये आन्दोलन कर रहे हैं। उनके प्रतिनिधि राजधानी में गत ६१ दिनों से नित्य अनशन करते हैं। सरकारी तथा गैरसरकारी अध्यापकों के वेतन में समानता किए जाने के संबंध में उनकी मांग की सरकार द्वारा निरन्तर उपेक्षा किये जाने से प्रदेश का वातावरण तनावपूर्ण हो गया है।'

यह इन शब्दों में है।

माननीय गया प्रसाद जी का प्रस्ताव इस प्रकार है :

"उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ द्वारा संचालित जत्थेदार शिक्षकों का अनशन करीब २ मास से चल रहा है। परन्तु सरकार ने उनके इस कार्य की ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। शिक्षकों के बार बार अनरोध किये जाने पर सरकार ने उनकी मांगों के संबंध में कोई विचार नहीं किया। इस प्रकार शिक्षकों के सामने अब और कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ता जिससे वे सरकार का ध्यान आकर्षित करें। और इसीलिए आज उनके संघ ने शिक्षकों का एक विशाल प्रदर्शन सरकार का ध्यान आकर्षित कर अपनी मांगों के विषय में विचार करने के लिए, करने का निश्चय किया है।"

मंत्री जी, इस पर कब बयान संभव होगा ?

शिक्षा उप मंत्री (डाक्टर रामनारायण पांडेय)—

श्रीमन्, शुक्रवार को दे देंगे।

श्री अध्यक्ष—

इतने दिनों में तो बहुत विलम्ब हो जायेगा।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

तो, श्रीमन्, बृहस्पतिवार को देंगे।

श्री उग्रसेन—

श्रीमन, मैं जानना चाहता हूं कि ये ६१ दिन से क्या करते रहे। कृपया इनसे पूछ लीजिए कि कुछ शख्स ६१ दिन से इनके घर के सामने तो अनशन करते रहे लेकिन अब भी यह कहा जाय कि हम उनकी मांगों को नहीं मानते हैं, यह कितना दुर्भाग्य है! आप ध्यान रखिए कि अब शिक्षा संस्थायें चल नहीं सकेंगी। मास्टर अब संघर्ष करेंगे, चाहे इसके चलते चाहे कुछ हो।

एक सदस्य—

आप तो मदद करेंगे ही।

श्री उग्रसेन—

हम ने तो किया था और मदद करेंगे भी।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मन्त्री जी, जरा माननीय सदस्यों की भावना को भी ध्यान में रखिए।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, यह तो बहुत पुराना सवाल है। कहीं से कोई सूचना मंगानी नहीं है। कृपया उनसे एक या दो दिन में ही बयान दिलवा दीजिए।

श्री अध्यक्ष—

मेरे कहने से एक दिन कम कर दिया है। अब आपके कहने से शायद कुछ और कम कर दें।

डाक्टर रामनारायण पांडेय—

श्रीमन्, कुछ समय हमें परिषद् में भी देना होता है इसलिए बृहस्पतिवार को ही देने दीजिए।

श्री सालिग्राम जैसवाल की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय सत्यनारायण और माननीय कल्याण चन्द मोहिले ने एक नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना दी है श्री जैसवाल की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में। उनका कहना यह है कि इलाहाबाद जिले में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी की चुनाव सभा में भाषण करते हुए मंझनपुर में प्रदेशीय संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष, श्री सालिग्राम जैसवाल, सदस्य विधान सभा, को गत दो दिसम्बर को गिरफ्तार कर लिया गया।

इसमें विशेष बात यह है कि उनका कहना यह है कि वह चुनाव सम्बन्धी सभा कर रहे थे और चुनाव के सम्बन्ध में भाषण करते हुए गिरफ्तारी की गयी है। मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से एक वक्तव्य आ जाय।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

वक्तव्य की बात क्या है? सूचना उनके पास आयी हुई है।

श्री अध्यक्ष—

जो सूचना आयी थी वह तो हमने आपको पढ़ कर सुना दी।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

सरकार को भी जानकारी है।

श्री यादवेन्द्र दत्त (जिला जौनपुर)—

सम्बन्धित मंत्री तो हैं नहीं, मंत्रि मंडल का यह हाल है। उत्तर कौन देगा?

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री सब को रिप्रेजेन्ट करती हैं।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

बुधवार को दे दूंगी।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय मुख्य मंत्री मौजूद हैं। सालिग्राम जैसवाल की जो खबर हम को मिली है उससे एक बात के बारे में मुझे बड़ी शंका है। अब चुनाव का समय आ गया है, समय समय पर सभायें होंगी। क्या सरकार की यही नीति है कि किसी दूसरे बहाने दफा १४४ लगा कर गिरफ्तार किया जायगा, या छूट दी जायगी, ताकि अपने विचार प्रकट कर सकें।

श्री अध्यक्ष—

आप तो यह परसों भी कह सकते हैं।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

एक नीति सम्बन्धी चीज है, इसको स्पष्ट करना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

मैंने इसीलिये कहा कि विशेष बात यह है कि चुनाव सम्बन्धी सभा में ऐसी बात हुई। यह एक विशेष बात है।

श्री सत्य नारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

परसों वक्तव्य दिला रहे हैं, हम प्रश्न नहीं पूछ सकेंगे। तो प्रश्न पूछने की हमें अनुमति दें।

श्री अध्यक्ष—

परसों देखेंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

आज इस समय वक्तव्य देने में क्या दिक्कत है? १४४ की उन को जानकारी है, फिर विलम्ब क्यों हो रहा है? यह तो हमको मौलिक अधिकार मिला हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है आप कृपया बैठें।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

तुरन्त बात कहते हैं तो सच होती है।

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुख्य मंत्री, जल्दी से जल्दी कब वक्तव्य दे सकती हैं?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

जल्दी से जल्दी बुधवार को। एक दिन लगेगा समाचार लेने में।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

माननीय मुख्य मंत्री हंसती हैं। यह बात सही है कि विरोधी दल के हम लोग हैं, लेकिन उन को ऐलान करना चाहिये इस चुनाव के सिलसिले में कहीं मारपीट होने वाली हो वहां १४४ लगायें। लेकिन विरोधी दल के लोगों को चुनाव सभा में इस प्रकार गिरफ्तार करना, और वह

[श्री रामसुन्दर पांडेय--]
भी संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी का प्रदेशीय जो नेता है उसको गिरफ्तार किया तथा सभा न होने दी, जाय इस प्रकार की कार्यवाही से कैसे काम चलेगा ?

श्री अध्यक्ष—

आप बैठ जायं ।

आपने एक बात कही कि चुनाव सम्बन्धी यह सभा थी। मैंने भी कहा कि इसका महत्व इसी में है। उसी को आप दोहरा रहे हैं। मैं कहता हूं कि महत्व की बात है ।

जिला उन्नाव के कुछ ग्रामों के किसानों पर कानपुर के कुछ लोगों द्वारा आक्रमण के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष—

एक नियम ५२ के अन्तर्गत माननीय जियाउर्रहमान की सूचना है। इसको मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है। कानपुर व उन्नाव जिले के बीच में सीमा गंगा नदी की गहरी धारा निर्धारित करती है। इधर कुछ समय से गंगा नदी की धारा फट कर उन्नाव जिले में आ रही है। वहां पर कुछ जमीन निकली है। जमीन उन्नाव जिले के काश्तकारों की जोत में है और इस पर उनका कब्जा है। लेकिन कानपुर के कुछ लोग गुंडों, लाठी, कांता और भाला लेकर गंगा की धारा पार करके उक्त गांव की जमीन पर घुस आये और उस पर कब्जा कर रहे हैं और पुलिस उनका साथ दे रही है। मंत्री जी, इस पर वक्तव्य कब देंगे ?

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री रामकुमार शास्त्री)—

इस पर ८ तारीख को वक्तव्य देंगे।

श्री सालिग्राम जैसवाल की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे और आपके द्वारा माननीया मुख्य मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जब माननीय सालिग्राम जैसवाल जैसे व्यक्ति की गिरफ्तारी करने में हिचकती नहीं है और आज भी यह कहने के लिये तैयार नहीं है कि चुनाव सभायें जो उत्तर प्रदेश में होंगी तो किसी प्रकार की राजनीतिक गिरफ्तारियां नहीं होंगी, तो मैं समझता हूं कि सरकार द्वारा हम लोगों के खिलाफ दूषित हथकंडे अपनाये जा रहे हैं। मैं इसके विरोध में दस मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

श्रीमन्, जब दफा १४४ लगे तो ये लोग भी गिरफ्तार किये जायं। कहीं-कहीं मंत्री गिरफ्तार रक लिये जायं, माननीय बनारसीदास गिरफ्तार किये जायं, तब मजा आयेगा। हम सभा करेंगे तो १४४ लग जायगी और ये सभा करेंगे तो हटा दी जायगी !

श्री अध्यक्ष—

आप बाहर से बोल रहे हैं या अन्दर से ।

श्री उग्रसेन—

मैं तो बाहर जा रहा हूं, जाते समय बोल रहा हूं ।

(श्री चन्द्रबली सिंह के अतिरिक्त संयुक्त सोशलिस्ट दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ अन्य सूचनायें

श्री अध्यक्ष—

अब हमारे पास माननीय राजेन्द्र सिंह और माननीय रामकिशोर त्रिपाठी की नियम ५२ की सूचनाएं आयी हैं। माननीय राजेन्द्र सिंह कहते हैं कि प्रदेश में पम्पिंग सेट नहीं मिल रहे हैं। और माननीय रामकिशोर जी का कहना है कि शारदा कैनाल चल नहीं रही है। ये दोनों विशेष ध्यान हेतु माननीय सिंचाई मंत्री के पास हम भेज रहे हैं।

भूतपूर्व सदस्य, श्री गंगा सहाय, चौबे के निधन पर शोकोद्गार

*मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

अध्यक्ष जी, मुझे आज सदन के सामने एक शोक समाचार रखना है। हमारे उत्तर प्रदेश के सर्व परिचित, बहुत पुराने साथी, श्री गंगा सहाय चौबे, का परसों सुबह अस्पताल में निधन हो गया है। वह इस सदन के १९४६ से १९५२ तक सदस्य रहे। इसके अलावा उनकी सेवाओं से सारा प्रान्त भली भांति परिचित है। सन् १९२१ से उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भाग लेना शुरू किया था और तब से उनकी सारी जिन्दगी त्याग और तपस्या में गुजरी। कभी कोई आराम उन्होंने नहीं पाया। किसी कष्ट को उन्होंने कष्ट नहीं समझा। वे कानपुर में मजदूरों के बहुत बड़े नेता माने जाते थे और चाहे किसी पार्टी में रहें, हर पार्टी के लोगों के साथ उनका प्रेम भाव रहता था और हर शख्स से उनकी हार्दिक मित्रता रहती थी। आज से दो महीने पहले जब वे बीमार पड़े तो यकायक पता चला कि उनको कैन्सर है। इतनी भयंकर बीमारी होते हुये जब मैं उनको देखने गयी तो मैंने देखा वे बड़े साहस और हिम्मत से उस कष्ट को बर्दाश्त कर रहे थे। तब भी वे अपनी बीमारी की बात नहीं कर रहे थे। वे यही बात करते थे कि हम अच्छे हो जायेंगे और एलेक्शन लड़ेंगे। हम लोगों ने उनको काफी समझाया मगर उनको एक मिनट के लिये भी कोई चिन्ता नहीं, कोई दुःख नहीं और कभी अपनी तकलीफ बतायी नहीं। इतना कर्मठ व्यक्ति हमारे बीच से चला गया। हम सब अपनी समवेदना उनके दुखी परिवार तक भेजते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उस महान् आत्मा को शान्ति दे।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, श्री गंगा सहायजी के स्वर्गवास होने का समाचार अभी प्राप्त हुआ। उनके संबंध में जो भावनायें माननीया मुख्य मंत्री ने प्रकट की हैं, उनसे हम अपने को और अपने दल को संबद्ध करते हैं। श्री गंगा सहाय जी बहुत बड़े समाज सेवी थे और मजदूर दल के बड़े भारी नेता थे। सारा जीवन उन्होंने समाज और देश के हित में लगाया। जैसा कि अभी माननीया मुख्य मंत्री जी ने कहा है, हम सब उनके निधन से बड़े दुखी हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब की समवेदना उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

अध्यक्ष महोदय, माननीया मुख्य मंत्री ने श्री गंगा सहाय चौबे के निधन पर जो विचार व्यक्त किये हैं उनसे मैं अपने को तथा अपने दल को सम्बद्ध करता हूं। स्वर्गीय चौबे जी कानपुर के जाने माने मजदूर नेता थे और उनके निधन से मजदूर जगत को बहुत ही नुकसान पहुंचा है। आज मजदूरों का एक सच्चा मित्र, सहयोगी और नेता उनके बीच से उठ गया है जिस से हम सब को बहुत क्लेश है। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे विचार और हमारी समवेदना उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)—

अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय चौबे जी के साथ मुझे एक वर्ष तक फतेहगढ़ सेंट्रल जेल में रहने का सौभाग्य सन् १९४१–४२ में प्राप्त हुआ था। उनके निजी जीवन के अन्दर जितनी सादगी थी, जितनी सरलता और जितना प्यार साथियों के प्रति था, उसे मैंने हमेशा याद रखा है और उससे मैं बड़ा प्रभावित हूं। आज उनका हमारे बीच से उठ जाना पड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है प्रदेश के लिये, समाज के लिये और कानपुर नगर के लिये भी। श्रीमन्, उनके संबंध में यहां जो विचार प्रकट किये गये हैं उनके साथ में अपने को और अपने निर्दलीय साथियों को संबद्ध करता हूं और आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारी समवेदना उनके संतप्त परिवार तक पहुंचाने की कृपा करें।

*श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

अध्यक्ष महोदय, आज माननीय चौबे जी के देहावसान की अफसोसनाक खबर सुन कर बेहद दुख हुआ, खासकर इसलिये कि श्री गंगा सहाय चौबे जी के साथ काफी दिनों तक हमें पी० एस० पी० में रहने का मौका मिला और वे हमारे लीडर रहे। उनके सारे जीवन के अन्दर जो सादगी थी और उनके काम करने का जो ढंग था उससे हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। खास तौर से कानपुर शहर के मजदूरों को और तमाम प्रदेश के मजदूरों को उनके निधन से बड़ा भारी दुख और नुकसान हुआ। मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से माननीया मुख्य मंत्री के इस प्रस्ताव से अपने को सम्बद्ध करता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि श्री गंगा सहाय जी के परिवार तक हमारी हमदर्दी भिजवा दें।

श्री अध्यक्ष—

इस सदन द्वारा व्यक्त की गयी भावनाओं के साथ अपने आपको संबद्ध करते हुए मुझे यह कहना है कि मजदूर समुदाय के नेतृत्व में क्षति दुखदायी और शोकप्रद होती है। दीर्घकाल पर्यन्त हमारा मजदूर वर्ग उपेक्षित रहा है और यद्यपि श्री गंगा सहाय चौबे काफी वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके थे तो भी उनका निर्देशन, उनका नेतृत्व और उत्साह मजदूरों के लिये एक सहारा और आसरा था जिनसे आज वह वंचित हो गया है। हम मजदूरों के साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं और उस परिवार के प्रति अपनी समवेदना अवश्य प्रकट करना चाहते हैं। अब हम सब एक मिनट के लिये खड़े हो जायं और दिवंगत आत्मा की शान्ति के लिये ईश्वर से प्रार्थना करें।

(सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर एक मिनट के लिये खड़े हो गये।)

श्री अवैद्यनाथ एवं श्री लोकपाल सिंह द्वारा विधान सभा की सदस्यता से त्याग–पत्र

श्री अध्यक्ष—

अब मुझे एक सूचना देनी है। बाबा अवैद्यनाथ, गोरखपुर जो हमारे साथी हैं, उन्होंने आज मेरे हाथ में इस विधान सभा से त्याग-पत्र रखा है, जो इस प्रकार है :—

"निवेदन है कि यद्यपि मैं विरोधी दल हिन्दू महा सभा से सदस्य, विधान सभा, हूं। परन्तु फिर भी हूं उसी विशाल यंत्र का एक पुर्जा जो कि उत्तर प्रदेश प्रशासन का भार वहन करता है। चूंकि आज उत्तर प्रदेश सरकार गो हत्या निरोधक अभियान के सूत्रधार परम पूज्य महात्माओं और महा मनीषियों की प्राणरक्षा हेतु कोई सक्रिय कदम न उठा सकी और न भारत सरकार के समक्ष कोई प्रभावी सुझाव ही प्रस्तुत कर सकी, अपितु उन महान् विभूतियों को हरिद्वार, मथुरा तथा अयोध्या आदि स्थानों से पकड़ पकड़ कर कारागार में ठूंस रही है और उनके जीवन से खिलवाड़ कर रही है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अतः मैं सरकार के अयोग्य कृत्यों से अत्यन्त क्षुब्ध होकर उसकी दुर्नीति की भर्त्सना करते हुये अपने विधान सभा सदस्य के नपुंसक पद से त्याग-पत्र प्रस्तुत करता हूं। मैं बलवती आशा करता हूं कि मेरा यह कृत्य सरकार की धूमिल आंखों में ममीरा का काम करेगा और मेरे साथियों को अपनी संस्कृति की रक्षा हेतु प्रोत्साहित करेगा।"

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)---

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जो व्यक्ति इस सदन से इस्तीफा देता है और कारण देना चाहता है तो वह नहीं दे सकता है। इसके सम्बन्ध में अभी लोक सभा में एक रूलिंग हो चुकी है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि जो त्यागपत्र के कारण दिये गये हैं उनको प्रोसीडिंग्स से निकाल दिया जाय।

श्री लोकपाल सिंह (जिला एटा)---

श्रीमन्, मुझे भी दो मिनट के लिये समय दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

अब जरा आप बैठ जाइये। उनकी सूचना आई है। यह तो सूचना देते ही प्रभावी हो जाती है और माननीय सदस्य अब विधान सभा के सदस्य नहीं रहे। उनकी सदस्यता से त्यागपत्र मेरे हाथ में आने पर तुरन्त ही समाप्त हो जाती है। आज कोई बयान देने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, मैं बैरिस्टर साहब की बात का जवाब देना चाहता हूं इसलिये हमें एक मिनट का समय दिया जाय। जैसा कि मंत्रियों को अधिकार है हमें अधिकार नहीं है। लेकिन हम अपनी बात रख सकते हैं। लोक सभा वाली बात उन्होंने गलत बताई है।

श्री अध्यक्ष---

अब कोई प्रश्न नहीं है।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश में गोवध बहुत सालों से बन्द है और इस परिस्थिति में इस तरह का इस्तीफा देना, खैर कोई दे सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन नजदीक था, इसलिये यहां आया है। जो काम उत्तर प्रदेश ने सब से पहले किया है और दूसरे प्रान्तों को रास्ता दिखाया है, उसी प्रान्त में उसको बदनाम करने के लिये यह बात की जाती है। मैं समझती हूं कि यह बहुत खराब है।

श्री लोकपाल सिंह---

श्रीमन्, मुझे बोलने की इजाजत दी जाय।

श्री अध्यक्ष---

आपने तो मुझे इस्तीफा दे दिया है, इसलिये अब आप सदस्य नहीं रहे।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

श्रीमन्, त्यागपत्र पढ़ दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---

शब्द वही हैं जो माननीय अवैद्यनाथ जी के थे। वह इस प्रकार है :---

[श्री अध्यक्ष—]

"निवेदन है कि यद्यपि मैं विरोधी दल विधान सभा का सदस्य हूं परन्तु फिर भी हूं उसी विशाल यंत्र का एक पुर्जा जो कि उत्तर प्रदेश प्रशासन का भार वहन करता है। चूंकि आज उत्तर प्रदेश सरकार गो हत्या निरोधक अभियान के सूत्रधार परम पूज्य महात्माओं और महा-मनीषियों की प्राण रक्षा हेतु कोई सक्रिय कदम न उठा सकी और न भारत सरकार के समक्ष कोई प्रभावी सुझाव ही प्रस्तुत कर सकी, अपितु उन महान् विभूतियों को हरिद्वार, मथुरा तथा अयोध्या आदि स्थानों से पकड़ पकड़ कर कारागार में ठूंस रही है और उनके जीवन से खिलवाड़ कर रही है।

अतः मैं सरकार के अयोग्य कृत्यों से अत्यन्त क्षुब्ध होकर उसकी दुर्नीति की भर्त्सना करते हुये अपने विधान सभा के नपुंसक पद से त्यागपत्र प्रस्तुत करता हूं।"

वही है बिल्कुल।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपने एक माननीय सदस्य का इस्तीफा पढ़ा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको कैसे पता लग गया कि उन्हीं का इस्तीफा है या किसी दूसरे माननीय सदस्य ने लिख कर दे दिया है। आप वेरिफाई तो करते।

श्री अध्यक्ष—

अगर आप यह कहते कि जो त्यागपत्र दिया गया है वह उस व्यक्ति का नहीं है जिसका नीचे नाम लिखा हुआ है तो मैं सुनता। मैं संतुष्ट होकर कह रहा हूं कि उन्हीं का है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय मुख्य मंत्री ने एक वाक्य कहा जिसको सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ जब आपने त्यागपत्र पढ़ा। माननीय मुख्य मंत्री ने यह कहा कि 'चुनाव स्टंट है। अगर चुनाव स्टंट करना होता तो सभी करते। इतने गम्भीर प्रश्न पर इतने हल्के तरीके से व्यवहार किया जाय, यह बड़े खेद की बात है। ब्रह्मचारी जी या अन्य महान् व्यक्ति हैं जिनके प्राण संकट में हैं उनके प्रति इस प्रकार का व्यवहार करें और यह कहें चुनाव स्टंट कर रहे हैं, इस आक्षेप के विरोध में हम दो मिनट के लिए सदन का त्याग करते हैं।

(जन संघ दल के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

१ अगस्त, १९६६, के तारांकित प्रश्न १—२ के अनुपूरक प्रश्न के उत्तर का शोधन

श्री अध्यक्ष—

अब खाद्य मंत्री का वक्तव्य है। अगर सदन अनुमति दे तो यह बहुत लम्बा है इसको पढ़ा समझा जाय।

इसके ऊपर अनुपूरक प्रश्न नहीं होंगे। इसको पढ़ा हुआ माना जाय।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

अगर सदन में वक्तव्य होगा तो अनुपूरक सवाल करेंगे।

श्री अध्यक्ष—

यह अनुपूरक प्रश्न पर है। अनुपूरक पर प्रश्न नहीं होते।

(आपत्ति नहीं की गयी।)

१ अगस्त, १९६६ के तारांकित प्रश्न १–२ से संबंधित अनुपूरक प्रश्नोत्तर में संशोधन

श्री जगमोहनसिंह नेगी (खाद्य मंत्री)—

अध्यक्ष महोदय,

दिनांक १ अगस्त, १९६६, को श्री शिवनाथ सिंह, सदस्य, विधान सभा, द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १–२ के सम्बन्ध में श्री उग्रसेन व श्री भीखालाल द्वारा निम्नांकित अनुपूरक प्रश्न पूछे गये थे :—

१—श्री उग्रसेन—क्या सरकार को मालूम है कि यू० पी० के गांवों में विद्युतीकरण कम हुआ है, तो इस बात को देखते हुये मिटटी के तेल का कोटा कम क्यों है ? इस कारण यह ज्यादा मिलना चाहिये।

२—श्री भीखालाल—क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि देहातों में मिट्टी का तेल सरकार अपने नियंत्रण में दूकानदारों के जरिये से इतना कम भिजवाती है जो लोगों को पूरी मात्रा में नहीं मिल पाता है, अधिक मात्रा मे ब्लैक में तेल वहां पर मिलता है? तो क्या सरकार की वितरण की व्यवस्था में कोई दोष है जिससे यह ब्लैक में पहुंच जाता है या कोई ऐसा तेल होता है जो सरकारी नियंत्रण के बाहर है जिसको कम्पनी अपने मनमाने ढंग से बेचती है ? इसको कृपया स्पष्ट कर दें।

३—श्री भीखालाल—क्या यह सही है कि इंडियन आयल कारपोरेशन ही पब्लिक सेक्टर में है उसके द्वारा जो तेल आता है उस पर ही सरकार का नियंत्रण है और जो प्राइवेट सेक्टर में बरमा शैल या कालटेक्स की कम्पनियां हैं वह सरकार के नियंत्रण के बाहर हैं ? तो वह मनमाने ढंग से अपना तेल बेंचती हैं ?

उस समय सदन में उक्त अनुपूरक प्रश्नों के क्रमबद्ध निम्नलिखित उत्तर दिये गये थे:

(१) मैं खुद उस मीटिंग में गया था और मैंने इस बात को दोहराया था जिसको माननीय सदस्य कह रहे हैं मगर उन्होंने यह कहा कि हम १९६५ के अनुपात के आधार पर ही देंगे, इससे ज्यादा नहीं देंगे। यद्यपि हमने बहुत जोर दिया कि हमारे यहां पहाड़ी स्थान है वहां के लिये टिन मिलना चाहिये और बहुत कोशिश की तो अब १७ हजार टन से २२, २३ हजार टन के करीब आ रहा है।

(२) हमारे तरीके पर इस किरोसिन आयल पर कोई कन्ट्रोल नहीं है। इन कम्पनियों के साथ बात कर के केन्द्रीय सरकार ने यह कह दिया है कि वह वितरण में मदद करे और हम लोगों ने केवल इतना ही किया है कि कुछ अंश रिटेलर्स के द्वारा हम बंटवाते हैं और कुछ उनके अपने पुराने एजेन्ट काम करते हैं इसके लिये और यह निश्चित मात्रा नहीं है कि उत्तर प्रदेश का जितना कोटा बंधा हुआ है वह सारा मिल ही जाय। और अगर वह आता भी है तो कभी किसी कम्पनी के पास आता है कभी किसी के पास, वह भी हमारे अधिकार में नहीं है। हमने यह भी कहा कि एक कम्पनी का माल दूसरी कम्पनी को न दिया जाय लेकिन वह कहते हैं कि हम कानूनी तौर से ऐसी कोई पावर तुमको नहीं दे सकते। इसलिये हम जितना कर सकते हैं ग्रामों में सही तौर से तेल बंटवाने की वह करते हैं। जहां बिजली नहीं है वहां ज्यादा देते हैं जहां है वहां कम देते हैं। यह कोशिश हमने की है कि देहात में कोटा ऐसे आदमी के पास जाय कि जो सही तौर से तेल बांट दे, मगर हम जानते हैं कि हमारी जरूरत ज्यादा है, तेल कम है फिर भी अगर जैसी माननीय सदस्य की सूचना है वह सही हो, हम इसकी जानकारी करने की कोशिश करेंगे।

---

*सदन में पढ़ा हुआ माना गया।

श्री जगमोहन सिंह नेगी]

(३) वैसे काम तो ८० परसेन्ट दूसरी कम्पनियां ही तेल की बाबत करती हैं और अब सब काम उसको ही करना है और वह उसके लिये कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह ठीक है कि अभी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन पहले हमको १७ हजार लीटर मिलता था अब वह २२ या २३ हजार लीटर हो गया है और अगर ४० हजार हो जायगा तो हमारा काम चल जायगा।

उक्त उत्तर ठीक नहीं थे जिसका बाद में पता चला।

सही उत्तर क्रमशः इस प्रकार हैः

१--वास्तव में केन्द्रीय सरकार ने १९६४ की खपत के आधार पर इस प्रदेश को मिट्टी के तेल का कोटा देने को कहा था न कि १९६५ की खपत के आधार पर। हमारे बहुत जोर देने पर प्रदेश का उक्त कोटा २१,००० कि० ली० के बजाय उस समय २३,००० कि० ली० प्रति मास निर्धारित हुआ था।

२--उक्त कोटे के अन्तर्गत प्रदेश को प्राप्त मिट्टी के तेल पर यू० पी० केरोसिन कन्ट्रोल आर्डर, १९६२, तथा केरोसिन (प्राइस कन्ट्रोल) आर्डर, १९६६, के अन्तर्गत शासन का उसके वितरण मूल्य व लाइसेंस पर पूर्ण नियंत्रण है। यह नियन्त्रण प्रत्येक कम्पनी के लाये हुये तेल पर है चाहे वह आई० ओ० सी० का हो या बर्मा शेल, कालटैक्स अथवा एसो का हो।

३--राज्य को मिट्टी के तेल की मासिक आवश्यकता ४०,००० कि० ली० है न कि ४०,००० लीटर जैसा, कि पहले कहा गया था।

मूल प्रश्न तथा उनके उत्तर संलग्न हैं।

(विधान सभा के द्वितीय सत्र १९६६ के तृतीय सोमवार के लिये निर्धारित श्री शिवनाथ सिंह के प्रश्न संख्या १ व २ के उत्तर)

प्रश्न	उत्तर
१--क्या खाद्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के अन्तर्गत मिट्टी के तेल की खपत प्रतिमाह कितनी है तथा १ सितम्बर, १९६५, से प्रति मास कितना तेल दिया जा रहा है ?	१--कानपुर जिले को मिट्टी के तेल की औसत आवश्यकता प्रति मास १२ लाख लीटर है। १ सितम्बर, १९६५, से निम्नलिखित मात्रा में कानपुर जिले को मिट्टी का तेल प्राप्त हुआ :

सितम्बर, १९६५	४,०७,८०० लीटर
अक्तूबर, १९६५	३,९६,२८५ ,,
नवम्बर, १९६५	४,०८,१९५ ,,
दिसम्बर, १९६५	४,५०,२०५ ,,
जनवरी, १९६६	५,६५,१९४ ,,
फरवरी, १९६६	४,९९,४५९ ,,
मार्च, १९६६	५,०३,१७१ ,,
अप्रैल, १९६६	५,३९,००० ,,
मई, १९६६	५,८८,००० ,,
जून, १९६६	६,१७,००० ,,

२--क्या खाद्य मन्त्री बतलायेंगे कि जिले में प्राप्त मिट्टी का तेल वितरण-व्यवस्था का क्या आधार है तथा शहर व जिले की प्रत्येक तहसील को १ सितम्बर, १९६५, से	२--शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों की मांग को ध्यान में रख कर तेल का वितरण इन क्षेत्रों में आयात के अनुपात के आधार पर किया जाता है। शहरी क्षेत्र में मिट्टी के

प्रश्नोत्तर देते समय तक प्रति माह कितना-कितना तेल दिया गया ?

तेल का वितरण कार्ड पर सीमित है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम प्रधान की पर्चियों पर विवाह तथा अन्य सामाजिक अवसरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में तहसीलदार द्वारा तथा शहरी क्षेत्रों में जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा विशेष परमिट दिये जाते हैं। औद्योगिक एवं कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति भी जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा विशेष परमिट दिये जाते हैं। औद्योगिक एवं कृषि आवश्यकताओं की पूर्ति भी जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा होती है।

१ सितम्बर, १९६५, में कानपुर शहर व प्रत्येक तहसील को दिये गये तेल की मात्रा संलग्न सूची में अंकित है।

सूची

कानपुर शहर व प्रत्येक तहसीलों को १ सितम्बर, १९६५, से ३० जून, १९६६, तक दिये गये मिट्टी के तेल की मात्रा लीटर में

स्थान	सितम्बर, १९६५	अक्तूबर, १९६५	नवम्बर १९६५	दिसम्बर १९६५	जनवरी १९६६
शहर ..	२,६९,६३२	१,८६,५४६	२,५६,६०८	२,५२,४०७	३,८८,४६२
बिल्हौर ..	४१,६००	४१,६००	४०,८००	४०,८००	५१,०००
घाटमपुर	१७,६००	१९,६३७	१९,६६७	१७,६००	२४,०००
डेरापुर	२६,६००	२९,७००	२९,७३५	२५,८००	३३,६००
कानपुर	१७,६००	१९,०००	२१,१३५	१७,६३५	२५,२००
भोगनीपुर	२५,१३३	२७,२४४	२७,५९३	२३,५००	२६,२९५
अकबरपुर	३५,२००	३५,२००	३५,२००	३६,१७६	४३,२००

स्थान	फरवरी १९६६	मार्च १९६६	अप्रैल १९६६	मई १९६६	जून १९६६
शहर	२,४८,०३८	२,९७,१४९	३,९९,०००	३,८६,०००	४,२२,०००
बिल्हौर	५०,४०८	४५,०००	१७,०००	२०,०००	२०,०००
घाटमपुर	२४,०००	२०,०००	३१,०००	३५,०००	२०,०००
डेरापुर	३२,४००	२७,५००	३७,०००	२०,०००	२०,०००
कानपुर	२५,२००	२१,०००	२३,०००	२०,०००	२०,०००
भोगनीपुर	२४,१९१	२२,५१६	२२,०००	४१,०००	२६,०००
अकबरपुर	४०,२८०	३८,०००	३१,०००	२०,०००	२०,०००

गन्ने का मूल्य निर्धारण करने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रबली सिंह द्वारा अभिसूचित प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष—

अब चन्द्रबलीसिंह जी ने एक प्रस्ताव के अन्तर्गत यह लिख कर दिया है कि सदन का निश्चित मत है कि गन्ने का दाम साढ़े तीन रुपये कर दिया जाय वरना पूरे प्रदेश के लगभग ३० चीनी मिलों का चीनी उद्योग चौपट हो जायगा तथा ४५ हजार मजदूरों और ३ लाख १५ हजार उनके आश्रितों के सामने रोजी रोटी का प्रश्न खड़ा हो जायगा ।

माननीय चन्द्रबली सिंह, गन्ने का दाम तो केंद्र से निर्धारित होता है । उनको अपनी सिफारिश भेजते हैं । सिफारिश के रूप में कोई चीज जाय तो वह संकल्प के रूप में आ सकती है जैसा कि नियम ९१-९२ में है । प्रस्ताव के रूप में नहीं जा सकता क्योंकि हम उस दाम को निर्धारित नहीं करते । तो जो आप का प्रस्ताव है वह हमारे अधिकार के अन्दर नहीं है । आप सिफारिश के रूप में देते तो विचार करते ।

श्री चन्द्रबलीसिंह (जिला देवरिया)—

माननीय अध्यक्ष जी, प्रक्रिया नियमावली के कुछ नियमों को हटा कर, इतने लोकमहत्व के सवाल को आने दीजिए । ७५ फी सदी गन्ना पिछले साल दो रुपये दाम होने . . .

श्री अध्यक्ष—

आप प्रस्ताव के गुण-दोष पर कह रहे हैं । आप हमारी कठिनाई को तो कुछ समझिए ।

श्री चन्द्रबली सिंह—

यह लोक महत्व का इतना बड़ा सवाल है, जिसका ३ लाख आश्रितों, ४५ लाख मजदूरों और ३—३ चीनी मीलों के बन्द होने से संबंध है । इसलिए नियमावली को स्थगित करके आज आप मेरे प्रस्ताव को लें ।

श्री अध्यक्ष—

यदि आप लिखकर दे दें तो, अच्छा, देखूंगा ।

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

यों तो इस विषय में मेरे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपकी सूचना के लिए बताना चाहती हूं कि इस बारे में उत्तर प्रदेश की सरकार ने बिहार की सरकार के साथ केंद्रीय सरकार के पास रेकमेंड किया है कि गन्ने की प्राइस बढ़ना चाहिए । यह प्रस्ताव उसके विचाराधीन है, इसलिए इस पर प्रस्ताव लाने की आवयकता नहीं है । हम अपनी तरफ से स्वतः प्रयत्न कर रहे हैं ।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

इस सरकार ने अपनी सरकार और बिहार की सरकार की तरफ से जो सिफारिश भिजवाई उसको केंद्रीय सरकार ने नहीं माना है और उन्हें उसी पुराने भाव से यानी २ रुपये मन के हिसाब से आज भी दिया जा रहा है । ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि यदि १५ दिसम्बर तक गन्ने का भाव बढ़ाकर साढ़े तीन रुपये मन नहीं कर दिया जायगा तो वहां के किसान चीनी मिलों को गन्ना देना बन्द कर देंगे । इससे बहुत बड़ा संकट उत्पन्न होने वाला है, अतः सरकार इस पर तुरन्त ध्यान दे और यहां पर इस पर विचार करे ।

श्री चन्द्रबली सिंह—

अध्यक्ष महोदय, उसको संकल्प के रूप में ही ले लिया जाय । इसको संशोधित करके भी ले लें । दुबारा देने की क्या आवश्यकता है ? संशोधित करके ले लेने का तो आपको अधिकार ही है । इस प्रस्ताव का संकल्प कर दिया जाय और ले लिया जाय ।

श्री अध्यक्ष—

मैं उसे संकल्प का रूप देने का प्रयत्न करूंगा ।

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अध्यादेश, १९६६

श्री अध्यक्ष—

अब मद संख्या १० (श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट के खड़े होने पर) कृपया आप जरा नियम देखिए। "विधेयक भार-साधक सदस्य" का तात्पर्य सरकारी विधेयक के संबंध में किसी मंत्री से और अन्य विधेयकों के संबंध में उस सदस्य से है जिसने विधेयक पुरःस्थापित किया हो या उस सदस्य से है जो किसी ऐसे सदस्य द्वारा उसकी ओर से कार्य करने के लिए लिखित रूप से प्राधिकृत किया गया हो ।"— तो एक तो माननीय टम्बेश्वर प्रसाद जी द्वारा कोई प्राधिकार आया नहीं न आपने दिया है ।। दूसरी बात यह निवेदन कर दूं कि आप उसके नीचे देखेंगे "संकल्प अथवा प्रस्ताव के संबंध में भारसाधक सदस्य का तात्पर्य उससे है जिसने ऐसा संकल्प या प्रस्ताव प्रस्तुत किया हो ।" इससे मालूम होता है कि प्रस्तावक किसी को अधिकृत नहीं कर सकता या प्रत्यायोजन का अधिकार नहीं है । तो दोनों सूरत में अनियमित है । उनका लिखा हुआ भी कुछ नहीं है —

*श्री हरिनाथ तिवारी ऐडवोकेट (जिला फैजाबाद)—

मैं सचेतक हूं, उन्होंने मुझको लिखकर दिया है ।

श्री अध्यक्ष—

उन्होंने मुझको तो लिखकर नहीं दिया है, मुझे देते तो मैं स्वीकार कर लेता । अच्छा, अब मद संख्या १० समाप्त हुआ, अब उस पर कोई विवाद नहीं ।

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण विधेयक, १९६६

विद्युत उप मंत्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण विधेयक, १९६६, पर विचार किया जाय ।

श्रीमन्, जैसा कि आपको ज्ञात है कि यह सरकार, विधान सभा, गवर्नमेंट के मेम्बर्स और सरकारी कर्मचारियों से मिलकर बनती है । हमारा यह प्रयास रहा है कि सरकारी कर्मचारी, मंत्रीगण सब मिल जुलकर काम करें । हमने इस बात का भी प्रयास किया है कि हमारे प्रदेश की सभी योजनायें सरकारी कर्मचारियों द्वारा बना करती हैं उनको उनसे पूर्ण संतोष हो । बहुत दिनों से लोग कहा करते थे कि यह सरकार अधिकतर अपने कर्मचारियों पर अधिक भरोसा करती है, गवर्नमेंट के मेंबर्स तो केवल उनकी राय को वीटो ही करते हैं, यह बात नहीं है । यह बात जरूर है कि हम अपने कर्मचारियों को कांफिडेंस में लिया करते थे । हमने यह देखा कि किस तरह से सरकार का काम सुचारु रूप से चले और इसके लिए हमने एक आर्गेनाइजेशन एण्ड मेथड्स डिवीजन का निर्माण चीफ सेक्रेटरी, के० के० दास साहब, की अध्यक्षता में किया, जिस में कम से कम खर्च में अच्छे से अच्छा काम चल सके । हमने यह भी प्रयास किया कि हम अपने कर्मचारियों की दिक्कतों को मिल करके दूर करें और उसके लिए हमने स्टाफ कौंसिल्स का निर्माण किया । इसमें पहले चीफ सेक्रेटरी, फाइनेंस सेक्रेटरी आदि हुआ करते थे, हमने इसमें डिफरेंट स्टाफ असोसियेशन्स के आदमियों को उसमें बैठाया और यह समझने का प्रयास किया कि उनकी क्या दिक्कतें हैं और उनको दूर कर सकें । हम जानते हैं कि हमारे प्रदेश में जो तनख्वाहें हैं, हो सकता है उनसे कर्मचारियों को असंतोष हो लेकिन आप देखेंगे कि करीब-करीब साढ़े ५ लाख सरकार के कर्मचारी हैं । उसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[शान्ति प्रपन्न शर्मा]

साथ साथ हमारी लोकल बाडीज के करीब साढ़े ३ लाख कर्मचारी हैं, ऐलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के कर्मचारी है, दूसरे तरह के भी हैं। हम कोई बात ऐसी नहीं कर सकते हैं कि यहां सरकारी कर्मचारियों को दे दें और दूसरे लोगों को न दे सकें। आप देखें कि सन् ४७-४८ में १३.५० करोड़ रुपये वेजेज पर खर्च होते थे, ६२-६३ में ५५.८७ करोड़ वह हुआ और अब ६६-६७ में वह ७९.१९ करोड़ है। इतना बड़ा वेज बिल है जब कि बजट सिर्फ २९२ करोड़ का है। सरकारी कर्मचारियों के लिए हमें यह देखना है कि हम उसके लिए धन का इंतजाम कहां से करें। उसका इन्तजाम करने के लिए हमें कहीं से रुपया ढूंढना पड़ेगा। दो तरीके हैं या तो और दूसरे टैक्स लगाकर कहीं से कुछ रुपया लावें और अगर यह नहीं कर सकते हैं तो कुछ आदमियों को निकालकर जितने आदमी रह जावें उनमें बचे हुए धन को बांटे। तीसरी तरकीब है नहीं। तो जहां हमने इस बात का प्रयास किया कि कुछ छटनी करें वहां कभी तो रिट लग जाती है और अगर रिट नहीं लगी तो कर्मचारियों की असोसियेशंस कहती हैं कि तुम ऐसा कर नहीं सकते हो। अगर यह भी हो जाय कि कुछ लोग वालन्टरी रिटायर कर जायं। वह भी होता नहीं। हम इस बात के लिए कृतज्ञ होंगे अगर शुक्ल जी वगैरह लिखकर दे दें कि हम लिस्ट देते हैं यह ५ लाख आदमी हैं इनमें से २ लाख आदमी वालन्टरी रिटायर कर जायेंगे, तो हम बचा हुआ वेतन सब में बांट दें। हम मान जायेंगे। लेकिन यह नहीं करते, मीटिंगें बुलाकर ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिनकी कोई इन्तिहा नहीं है। मेरे पास पशुपतिनाथ शुक्ल जी का एक पैम्फलेट है। हमारी प्रदेशीय सरकार की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

यह बिलकुल सही है।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अगर आप यह समझते हैं तो इससे प्रदेश का हित होने वाला नहीं है। यही नहीं, बल्कि मेरे पास और भी पैम्फलेट हैं जिनमें और बहुत सी बातें कही गई हैं। अगर उग्रसेन जी इस बात को सही समझते हैं तो उसके पीछे एक ही भावना है और वह राजनीति की भावना है। हमारे सरकारी कर्मचारी बहुत दिनों से, जैसा मैंने कहा कि सरकार में काम करते हैं और जो भी स्कीम चलाते हैं वह उनकी मारफत ही चलाते हैं। यह समझकर हमने उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। वह तनख्वाह बढ़ाने के बाद आज फिर उन्होंने यह आवाज उठाई है कि हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाय और बैठकर बात नहीं कर सकते हैं। वह हमारे साथ बैठकर बात भी करने के लिए तैयार नहीं हैं। वह कहते हैं कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम विद्यार्थी आन्दोलन के साथ सहानुभूति प्रकट करेंगे और टीचरों के साथ भी हमारी सहानुभूति है। अगर ऐसी बात है तो उग्रसेन जी ने उस बात को साफ कर दिया और उसका एक ही लक्ष्य है और वह यह कि चुनाव नजदीक होने जा रहे हैं। राजनैतिक पार्टी इस अवसर का लाभ उठाना चाहती हैं, नहीं तो एक वर्ष पहले तक कोई आवाज नहीं थी। जब ज्यादा से ज्यादा सहूलियत हमने तनख्वाह के बढ़ाने में दे दी; तो फिर आज यह मांग हमारे सामने रखी गई है....

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

राजनीति में आपको कोई समझ नहीं है। राजनैतिक समस्याओं को हल करने के लिए आपके पास अक्ल का दिवाला है।

श्री उग्रसेन—

अगर आप मेरी कोई चिट्ठी दिखा देंगे तो मैं मान लूंगा। उन्होंने अपनी मांग सरकार के पास भेजी है और हम यह जानते हैं कि उनकी मांग को यह सरकार नहीं मानेगी। अगर उनकी मांग स्वीकार नहीं होगी तो वह इस सरकार को उलट देंगे। अगर ऐसा होगा तो हम उनके गले में माला पहनायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

जो माननीय सदस्य बगैर अध्यक्ष के बुलाए बोलता है तो वह सदन का सदस्य नहीं रह जाता ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैं कह रहा था कि यह सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करना चाहती है । मैं यह भी जानता हूं कि हमारे कर्मचारी जो भी सरकार में आते हैं उनको एक इकरार नामा करना होता है सरकारी नौकरी में आने का । उसके कुछ नियम होते हैं सरकारी नौकरी मे आने के । एक चरित्र संहिता का उनको पालन करना होता है । यह नहीं कि जो चाहे सरकार को गाली दे । उनकी तनख्वाहों को बढ़ाने का प्रश्न भी बार बार हल नहीं किया जाता है । सरकार सोच समझकर अपनी परिस्थिति और स्थिति को देखकर अपने सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाया करती है । जो प्राइवेट सेक्टर हैं; वे ज्यादा से ज्यादा तनख्वाह बढ़ाया करते हैं लेकिन सरकारी नौकरी में आने के कुछ और भी कारण हुआ करते हैं जिनके प्रलोभन से लोग इस नौकरी में आते हैं । प्राइवेट नौकरी में अधिक तनख्वाह पर लोग जाना पसन्द नहीं करते । सरकारी नौकरी में स्थायित्व होता है और पेंन्शन का भी प्रलोभन हुआ करता है ..

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, आप कृपया माननीय मंत्री जी से कहें कि वह आप से और हम लोगों से बात करें । वह राममूर्ति जी और रामकुमार जी शास्त्री से ही बातें करते हैं ।

श्री अध्यक्ष—

कभी कभी वह इधर उधर देख लेते हैं कि कहीं बहक तो नहीं रहा हूं ।

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि सरकारी कर्मचारी जब सरकारी नौकरी में आता है तो वह यह समझ सोचकर आता है कि मुझे कुछ नियमों के अनुसार सरकार में काम करना पड़ेगा और अपने ऊपर कुछ जिम्मेवारी होती है और एक कोड आफ कंडक्ट हुआ करता है । पचासों चीजें कानफिडेंशियल नेचर की हैं जिनको बताया नहीं जा सकता, लेकिन आज सरकारी कर्मचारियों पर हम विश्वास करते हैं इसलिए कोड आफ कंडक्ट को सामने रखना जरूरी है । वह ट्रेड यूनियन की तरह से नहीं है । अगर किसी को मजदूरी न मिले तो वह सड़क पर लाठी लेकर घूमने लगेगा, लेकिन सरकारी कर्मचारी नौकरी में न रहे तो पेंशन मिलेगी, यहां अपील कर सकता है, हाई कोर्ट में जा सकता है । तो सरकारी कर्मचारी और प्राइवेट नौकर में जमीन आसमान का फर्क है । फिर भी हमने उनको ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं देने का प्रयास किया । एक कमेटी बैठी, उसमें कहा गया कि हम आकर आपस में बात कर लें, क्योंकि हम और वह अलग अलग नहीं हैं । उनकी ओर से उद्दंडता हुई तो मुख्य मंत्री तो बड़ी कृपालु हैं, दयालु स्त्री हैं, उन्होंने कह दिया कि आज तक का किया सब माफ, लेकिन कम से कम आगे के लिए आप आ करके काम करें और यह हमको बताएं कि क्या करना है । हमने कई कनसेशंस दिये लेकिन फिर भी उग्रसेन जी के कहने में आकर चुनाव के पहले उन्होंने यह मूवमेंट चलाया है । मैं यह मानता हूं कि वह बुरी कम्पनी में फंस गये (व्यवधान) उनको पता होना चाहिए कि चुनाव के बाद तो उग्रसेन या उनको गलत सलाह देने वाले रहेंगे नहीं, इसलिए वह हमारी सलाह को मानकर अपने कर्तव्य-पालन करें और ऐसी गलत कम्पनी में न जायं ।

श्री उग्रसेन—

राज्य कर्मचारियों की मांग मान लीजिए, वह हमसे हट जायंगे ।

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

हमने हमेशा महसूस किया कि इनकी दशा में परिवर्तन होना चाहिए और यही सोच कर १-४-६६ से ढाई रुपये से लेकर साढ़े पांच रुपये तक रेज किया और वेरियस कैटेगरीज की पे बढ़ायी। फिर सन् ६५ में ५ रुपये बढ़ाया था और इंटरिम रिलीफ दिया। पे रेशनलाइजेशन कमेटी ने कुछ तनख्वाहें बढ़ायीं और बहुत सी सुविधाएं दीं जिनकी एक बड़ी लम्बी लिस्ट है। हमारी स्टेट को देखना है कि तनख्वाहों में करीब ९० करोड़ हमको देना पड़ता है। अगर इससे ज्यादा हमें देना पड़े और उग्रसेन जी तो चाहते हैं कि तीन सौ करोड़ में से ३०० करोड़ ही उनको दे दीजिए लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। हमारे सामने भूख का विषय है, चारों तरफ भुखमरी है, सूखा पड़ा हुआ है। उस जमाने में जहां यह आवश्यकता थी कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आकर रास्ता बतायें और उपाय सोचें, उसके बदले उन्होंने हड़ताल कर दी। हमने जो बिल इन्ट्रोड्यूस किया है वह इसीलिए है कि राज्य कर्मचारी ईमानदारी के साथ, नियमों के साथ कार्य करें और अगर उनकी कोई मांगें हैं तो वे उनको भी नियमों के अनुसार, अपने एसोसिएशन के द्वारा सरकार के सामने रखें। आज जो उनकी धमकी है कि हम काम बन्द कर देंगे, कोई भी सरकार इसको टालरेट नहीं कर सकती कि लोगों का दैनिक जीवन खतरे में पड़ जाय और सरकार का काम सुचारु रूप से चलना बन्द हो जाय। इसलिये इस बिल में यह है कि कोई आदमी स्ट्राइक न कर सके, जो यह कार्य करेगा, या किसी को उत्साहित करेगा उसके लिये उसको ६ महीने की सजा होगी या ५०० रुपये का जुर्माना होगा। मैं माननीय उग्रसेन जी से कहूंगा कि उनको सलाह दें कि वे ऐसा न करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको भी जेल में बन्द कर दिया जायेगा . . .

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

माननीय शर्माजी ने अभी माननीय उग्रसेन जी को यह चुनौती दी है कि अगर वे ऐसी सलाह देंगे तो उनको भी बन्द कर देंगे जेल में, क्या वे सदन में ऐसा कह सकते हैं ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

पांडेय जी, उग्रसेन जी हमारे परम मित्र हैं, उनसे तो हम कह सकते हैं, और उनको कोई एतराज नहीं है, यह तो प्रेम के नाते हमने कहा है, कोई चुनौती नहीं है। (हंसी)

श्री अध्यक्ष—

मैं यह जरूर चाहूंगा कि आपका उनका जो प्रेम है वह बना रहे लेकिन उसका इजहार यहां सदन में न करें। (हंसी)

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

तो मैं यह कह रहा था कि अगर कोई आदमी किसी को हड़ताल के लिये उकसायेगा तो वह भी नहीं बच सकेगा। अगर कोई उस कार्य के लिये रुपये देगा तो वह भी ठीक न होगा। यह सब इसलिये किया गया है कि सरकार का काम सुचारु रूप से चले। इन शब्दों के साथ मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि सदन इस पर विचार करे।

*श्री चन्द्रबली सिंह—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण विधेयक, १९६६, को जनमत संग्रह के लिये ४ माह तक प्रदेश भर में घुमाया जाय।

अध्यक्ष महोदय, अभी तक मर्दों के डंडे द्वारा स्टेट की जनता को हांकने की व्यवस्था थी, आज औरत के नाम पर, उसके डंड द्वारा सरकारी कर्मचारियों को घुमाने की व्यवस्था की जा रही है। जब माननीया मुख्य मंत्री ने अपने इस आसन को ग्रहण किया और उसके कुछ दिन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाद जब श्रीमती इंन्दिरा गांधी प्रधान मंत्री बनी, तो हर जगह यह सुनने में आया कि औरत सर पर बैठ गयी, (व्यवधान) किसी ने यह भी कहा परन्तु मुझे झक मार कर तारीफ करनी पड़ी कि औरत की सरकार न कहो, मां की

(इस समय १ बजकर ४ मिनट पर अधिष्ठाता श्री जगदीश प्रसाद, पीठासीन हुए।) सरकार कहो परन्तु दुःख साथ के कहना पड़ता है कि अब तक तो सुनते आये थे कि कुपुत्रो जायतुक्वचिदपि कुमाता न भवछति' लेकिन इतिहास के पन्नों में मालूम हुआ कि एक ऐसी भी मां होती है जिसने अपने बच्चों को अपने वर्ग की स्वार्थ रक्षा के लिये जहर देकर मार डाला है। आज मुख्य मंत्री भी उसी मां का पार्ट अदा कर रही हैं। मैंने जिस पहिली मां का जिक्र किया उसके बारे में कहा जाता है कि तिब्बत का एक उदार राजा था जिसने अपने देश की जायदाद को दो बार सारी जनता में बांट दिया था। तीसरी बार जब वह बांटने को तैयार हुआ तो उसी समय उसकी मां ने जहर देकर मार डाला। तो आज मुख्य मंत्री ने एक ऐसा जहर सरकारी कर्मचारियों को देने को प्रस्तुत कर दिया है कि जिसके जरिये से वे अपने भूखे बच्चों, अपनी भूखी औरत व अपने तमाम वारिसों के लिये जो पेट दिखा रहे हैं उनको वाजिब मजदूरी दें ताकि वे ठीक तरह से रह सकें। पंचायत राज में सभी लोगों की तरह से, चाहे वे छोटे कर्मचारी हों या बड़े हों, जब जनतंत्र के कर्मचारी हैं वे छोटे कर्मचारी यह भी चाहते हैं कि उनके बच्चे भी अफसरों के बच्चों की तरह स्कूल जांय। छोटे और बड़े कर्मचारियों यानी दोनों के कपड़े, रहन सहन, खानपान में जो फर्क दिखाई दे रहा है, वह उनके दिलों को कचोट रहा है। जब वे अर्ज करते हैं तो आप डंडा बना लें, कानून बना रहे हैं कि जो हड़ताल करेंगे उसको थाने में डाल देंगे।

यह निश्चित तौर पर काला कानून है और सबसे बड़ी दुःख की बात यह है कि यह काला कानून उस मां के हाथों बना है जो इस समय उत्तर प्रदेश की हुकूमत में बैठी हुई हैं और मां के पवित्र नाम को भी कलंकित कर रही हैं केवल अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिये और अपनी हुकूमत को बनाये रखने के लिये। इस विधेयक के उद्देश्यों में लिखा है कि कुछ दिनों से राज्य सरकार के तथा स्थानीय निकायें और शिक्षा संस्थाओं से कर्मचारियों द्वारा आन्दोलन किये जा रहे हैं। पिछली अगस्त में सरकारी कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने की भी आशंका हो गई थी। उक्त आन्दोलनों की स्थिति को देखते हुए कर्मचारियों द्वारा हड़ताल किये जाने की संभावना है। सरकारी कर्मचारियों को सेवा सम्बन्धी सुरक्षा के लिये संवैधानिक गारन्टी प्राप्त है और राज्य के अधिनियमों के अधीन ऐसी ही कानूनी गारंटी अध्यापकों और स्थानीय निकायें के कर्मचारियों को भी प्राप्त है। ऐसी सेवाओं द्वारा किसी प्रकार की हड़ताल से व्यवस्थित समाज में गम्भीर गड़बड़ी होना और शान्ति तथा व्यवस्था पर व्यापक प्रभाव पड़ना आवश्यम्भावी है। इस बात को देखते हुए कि आम जनता को असुविधा होने की आशंका है, यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अध्यादेश, १९६६ के उपबन्धों को कायम रखा जाय। परन्तु मैं पूछना चाहता हूं कि एक तरफ हमको आप संविधान के जरिये अधिकार देते हैं कि हम संगठन कर सकें, शांतिपूर्वक सम्मेलन करना, संस्थायें बनाना हमारे अधिकार में है तो हमने अपनी मांगों के लिये जिसके लिये संगठन बनाये हैं उन्हीं संगठनों के द्वारा ही तो हम अपने दुखों के इजहार के लिये आपके पास आयेंगे। आप नहीं सुनेंगे तो हम निश्चित तौर पर आपके पास बच्चों की तरह आयेंगे और बच्चे अगर मांग को लेकर मां के सामने हड़ताल करें और चलें तो आप डंडा मारने का अधिकार विधान सभा से लेना चाहती हैं। इस तरह से आप अधिकार लेकर निश्चित तौर पर जो संविधान की मंशा है, उस मंशा के विरुद्ध जा रही है।

जिन लोगों ने संविधान को बनाया था वे सचमुच में ईमानदार थे, जनतंत्र की सच्ची भावना से ओतप्रोत थे। लेकिन आज इस काले कानून से उस भावना को मिटाना चाहते हैं। आपके ये बड़े कर्मचारी छोटे कर्मचारियों के साथ बुरा व्यवहार करते हैं, अपने निजी नौकरों जैसा व्यवहार करते हैं। न जाने कौन से कानून से उनकी तनख्वाहों को ४–४ महीने तक रोक देते हैं।

[श्री चन्द्रबली सिंह—]

लेकिन इसकी आपको कोई परवाह नहीं है । छोटी तनख्वाह वालों को ८ घंटे काम बड़ी तनख्वाह वालों को कोई धंधा नहीं । कागजों पर दस्तखत किये, दो घंटे काम करके लंच को चले गये । घर पर अगर जाइये तो कभी गुलखाने में हैं, कभी पूजा में हैं । इनको आप लंबी-लंबी तनख्वाह देते हैं । इनके एक एक परिवार के १०—१० सदस्य सरकार की बड़ी बड़ी नौकरियों में हैं और ६—६ हजार रुपया मासिक तक तनख्वाह ले रहे हैं । वे अपने दूसरे रिश्तेदारों को भी भर रहे हैं । आप कहते हैं कि ये लोग अपनी मरजी से छोड़ना चाहें तो छोड़ दें । आपकी गरज थी तो आपने उनको रखा था । लेकिन उनको आप भूखा नहीं मार सकते । इस काले कानून के खिलाफ उठने पर आप उनको जेल में डाल सकते हैं, उकसाने वालों को जेल में डाल सकते हैं, चन्दा देने वालों को जेल में डाल सकते हैं लेकिन इस काले कानून को कर्मचारिगण तोड़ने के लिए मजबूर हैं । 'बुभुक्षिण किं न करोति पापं' । भूखा क्या नहीं करता है । जब आप उनकी मांगों को नहीं मानेंगे, जब आप शांतिपूर्ण उनकी बातों को नहीं सुनेंगे, उनसे बात नहीं करेंगे तो उसके पास और रास्ता ही क्या रह जाता है । वे चाहते हैं कि आप लोक कल्याणकारी भावनीति को चलायें जिससे लोगों को ठीक दर पर सामान मिल सके, मजदूरों को ठीक मजदूरी मिल सके और किसानों को अपनी उपज का ठीक मूल्य मिल सके । जब सरकार अपनी मांगों को लेकर सामने आयेगी तो समाज उनका साथ देगा । आप कहते हैं कि मदद करने वालों और चन्दा देने वालों को जेल में बन्द कर देंगे । अंग्रेजी सरकार ने भी बन्द किया था और जवाहरलाल जी की माला एक एक लाख रुपये में नीलाम होती थी और वह किसी को दबा नहीं पायी । इसीलिये अपने इस काले कानून को आप वापस लीजिये, कर्मचारियों की मांगों की पूर्ति कीजिये । और उनकी मांगों की पूर्ति का तरीका यह है कि आप एक कानून बनायें कि ३०० से नीचे तनख्वाह पाने वालों को मुफ्त दवा दी जायगी और उससे ऊपर पाने वाले अपने खर्चे पर दवा करायेंगे । यह नहीं कि बड़े कर्मचारियों और एम०एल० ए० के परचे पर चाहे जितनी दवा इस तरह मिल जाती है मानों वही डाक्टर हो । प्राइमरी स्कूलों में ऊंचे बड़े सबके लड़के बराबर बराबर पढ़ें । यह नहीं कि एक गरीब का लड़का तो बोरा लेकर पढ़ने जाय और अमीर अफसरों के बच्चे सवारियों पर जायं । यह गलत भावना उन के मन में पैदा की जा रही है, गरीबों के लड़के भी जनतंत्र में पैदा हुये हैं और अफसरों के भी हुये हैं, लेकिन एक वर्ग के बच्चे सुख भोगते हैं और दूसरे वंचित रख जाते हैं, दुख भोगते हैं । गरीब बच्चे बोरा लेकर स्कूल जाते हैं और अमीर अफसरों के सवारियों पर जाते हैं । क्या अच्छा होता कि इस भावना को समाप्त किया जाता और सबके लिए एक ही प्रकार की ऊपर की शिक्षा न भी सही तो कम से कम प्राइमरी शिक्षा तो एक ही प्रकार की ही सब के लिए होती, शिक्षा में समानता लाते और दवा, पुस्तक आदि की व्यवस्था उन के लिये होती, पढ़ाई के सारे साधन उन के लिये भी होते । अफसरों के लम्बे लम्बे वेतन की जगह अगर इस प्रकार की व्यवस्था होती तो कोई दिक्कत न होती ।

महात्मा गांधी कहते थे कि समाज में एक आदमी का काम झाड़ देने का होता है तो दूसरे का व्यवस्था करने का भी होता है लेकिन उन दोनों व्यक्तियों के कार्य एक दूसरे के पूरक होते हैं । झाड़ू देने वाला अपना काम बन्द कर दे तो व्यवस्था करने वाले का काम नहीं चल सकता और अगर व्यवस्था करने वाला अपना काम बन्द कर दे तो झाड़ू देने वाले का काम भी अव्यवस्थित हो जायगा । समाज के कार्य के लिये दोनों की आवश्यकता है इसलिये दोनों सहयोग से कार्य करें और तभी वह भगवान के दरबार में सम्मानित पद के अधिकारी हो सकेंगे लेकिन यहां क्या हो रहा है, हम झाड़ू क्लर्की करें और छोटे सेवा के कार्य करें और आज गेहूं और जिन्दगी की जरूरी चीजों से महरूम रहें लेकिन अफसर ३ हजार, ५ हजार, १४००, १६०० रुपया जितना चाहें लें, उनके पास अधिकार हैं, जो कुछ काम नहीं करते उन को हम अधिकार देते चले गये इन बीसों सालों में और दबाते चले गये छोटे लोगों को । वह कहते हैं कि हम गांधी जी के अनुयायी हैं, सुचेता जी भी गांधी जी के साथ रही हैं, वह नोआखाली भी उन के साथ गई थीं लेकिन आज वही सुचेता जी छोटे कर्मचारियों के पेट पर लात मारने के लिये यह काला कानून

लाई हैं जिसको उठाकर कूड़े में हमें फेंक देना चाहिये और सदन को इसे पास नहीं करना चाहिये। जो अपनी जायज मांगों के लिये लड़ना चाहते थे शांतिपूर्ण तरीके से उन के लिये यह हथियार तैयार किया जा रहा है। मैं आप से और माननीया मुख्य मंत्री जी से उन के लीडर की हैसियत से कहना चाहता हूं कि आप इस काले कानून को वापस ले लें और औरत होकर गद्दी पर बैठने के बाद अपने बच्चों और कर्मचारियों के मन में यह भावना न पैदा होने दें कि एक औरत मुख्य मंत्री इतनी निर्दयी आई कि वह ऐसा कानून बनाकर चली गई। जनतंत्र में शांति पूर्ण हड़ताल करना, प्रदर्शन करना एक जन्मसिद्ध कानूनी अधिकार है लेकिन उसका गला दबाकर आपने अपने बच्चों को ही मारने के लिये यह काला कानून रख दिया। मेरा कहना है कि इसको वापस किया जाय।

श्री यादवेंद्रदत्त (जिला जौनपुर)--

श्रीमन्, मेरा निवदन है कि अस्वस्थ होने के कारण मुझे बैठकर बोलने की अनुमति देने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता--

जी हां, ठीक है।

*श्री यादवेन्द्रदत्त--

अधिष्ठाता महोदय, मैं मंत्री महोदय का भाषण बड़े ध्यान से सुन रहा था और सोच रहा था कि शायद प्रशासन के मामले में जो २० वर्ष से प्रशासन करते आते हैं उनको अभी तक कुछ अक्ल आ गई होगी कि कैसे प्रशासन चलाया जाता है, क्या उसके फैक्टर्स होते हैं और उस का तंत्र किस कुशलता के साथ शासन को संतुष्ट पुष्ट और कर्त्तव्य परायण बनाता है लेकिन हमें दुख है कि गौर से सुनने के बाद हमने इन तीनों गुणों का नाम भी नहीं पाया, उन के तंत्र और उनके प्रशासन में और इसी वास्ते यह प्रस्ताव मैं रख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण विधेयक, १९६६ को सदन की प्रवर समिति को सुपुर्द किया जाय जिसे विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो तथा जो अपनी रिपोर्ट १५ दिन के भीतर दे दे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे।)

अधिष्ठाता महोदय, प्रश्न यों होता है। माननीय शांति प्रपन्न शर्मा जी ने बड़े ओजपूर्ण ढंग से अन आर्गूएबिल केस को आर्गू करना आरम्भ किया है। यह फोड़ा फूट गया। यह पुलिस द्वारा बन्द नहीं हो सकता है। श्रीमन्, शासन का गुण क्या है? परमावश्यक गुण यह है कि वह कुशल शासक हो क्योंकि सारे शासन की सफलता और उसकी असफलता उसके प्रभावित तंत्र पर आधारित है। यदि वह ही चरमरा उठा तो उतना ही असंतोष होगा, ये कितने भी वृहस्पति हों। क्या कभी इन लोगों ने यह विचार कि यह किया कि फोड़ा हुआ ही क्यों और वह डंडा मारने से, सिर तोड़ने से, जेल में पैंसलीन का इंजेक्शन लगाने से समाप्त हो जायगा और निकलेगा नहीं? वह बढ़ेगा ही और बढ़ते ही बढ़ते एक दिन वह समय आयेगा जब कि वह विस्फोट का रूप धारण कर लेगा। एक सर्वमान्य बात है कि किसी प्रकार के विचार, किसी प्रकार की असंतुष्टता किसी प्रकार का विद्वेष दमन से नहीं जाते हैं। कुछ समय और कुछ क्षण की मार-काट भले ही कुछ समय के लिये शांति कर दे लेकिन अन्दर की जो अग्नि भभकती है, वह अन्दर ही अन्दर भभकेगी और एक दिन विस्फोट अवश्य पैदा कर देगी उनका (कांग्रेसियों का) का भी यही इतिहास रहा है। जलियांन वाले बाग से इनका दमन आरम्भ हुआ और जितना ही दमन हुआ उतनी आग भड़की। आज उसी दमन को सहन करके ही ये लोग कुर्सियों पर बैठ हुये हैं। आखिर यह असंतोष क्या तत्क्षण हुआ? क्या इसकी पृष्ठभूमि प्वाइंट बाई प्वाइंट बिल्ड अप नहीं हुयी? क्या उसके कारण हैं, वे क्या कारण हैं जो इसके अन्दर निहित हैं? क्या उन पर भी हमारे मंत्रि मंडल ने विचार किया है?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री यादवेन्ददत्त---]

जहां तक लीगल पहलू का सबंध है, मैं संविधान के प्राविधान की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसमें यह स्पष्ट दिया हुआ है (प्रिएम्बिल में) कि

"We, the People of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign Democratic Republic and to secure to all its citizens, liberty of thought, expression, belief, faith.....".

प्रश्न यह उठता है कि इस कानून के मुताबिक एक वर्ग, जो कि हमारे सरकारी कर्मचारियों के नाम से प्रसिद्ध है, जो सरकारी, या अर्ध सरकारी के नाम से है, उसको आपने "लिबर्टी आफ थाट" दिया। क्या आप स्वतंत्र विचारों को कहने का हनन कर रहे हैं या नहीं ? यदि इस कानून की चुनौती हो गयी और यह होगी, मुझे विश्वास है, और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने यह कहा कि यह संविधान की प्रमुख धाराओं के विरुद्ध, है, अल्टा वायरस है तो इस सरकार की क्या प्रतिष्ठा होगी ? तब इसे यही कहना पड़ेगा कि ऐक्शन इन हेस्ट रिपेंटेड ऐट लेजर। हमारी माननीया मुख्य मंत्री सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भूल गयी, शायद गुटबाजी के चक्कर में, कि जो एमेंडमेंट उन्होंने किया अधिकारियों के चरित्र के कारण, यह कौन सा कानून है। और आज उसी का परिणाम कि देश की जो भावना है जो एक अन्तरात्मा है, यह कहना कि धरती और धेनु इस देश में अलग है, यह गलत बात है, तो वह अन्तरात्मा एक आन्दोलन के रूप में खड़ी हुई और उस को मानना पड़ेगा। जो अन्तरात्मा है मानव मात्र की हमारे विचारों की स्वतंत्रता हो और उन को स्वतंत्रतापूर्वक कह सकें, केवल सरकारी कर्मचारी या अर्ध सरकारी कर्मचारी के विशेष मात्र लग जाने से उस का यह अधिकार छिन गया और वह मानव से भी नीचे चला गया और जिस तंत्र के आधार पर यह चलना चाहते हैं उसी तंत्र के लोगों को मानवता से नीचे गिरा कर चलाने में तो इनका तंत्र खंड़ विखंड हो जायगा। तो आप इस कानून से केवल ४ शब्दों के विशेषण के कारण जो उन का मूलभूत अधिकार है, स्वतंत्र विचार और ऐक्सप्रेशन की स्वतंत्रता उस का आप हनन कर रहे हैं। आप जिस गणतंत्र का नारा लगाते हैं और जिस की दुहाई माननीय शर्मा जी ने भी दी क्या उस के हनन का यह प्रथम पग नहीं है ? आप आज विचार स्वातंत्र्य का हनन कर सकते हैं और अगर देशवासी इस बात के लिये अकस्टम्ड होंगे, तो कल जो दूसरी सरकार आती है, जिस दल के अन्दर टोटेलिटेरियन विचारधारा होगी वह बाकी स्वतंत्रता का हनन करती है तो देश में वह स्वाभिमान नहीं रहेगा, आप के कर्मचारी में वह स्वाभिमान नहीं रहेगा, दे विल बी मैन आफ ब्रोकेन बैक' और देश तानाशाही के गड्ढे में जायगा। आप विचार करें, आप के कानून का परिणाम कहां जाता है। इसलिए कृपा कर के इतिहास में आप अपने को यह मत लिखवाइये कि आपने पहला कदम देश की स्वतंत्रता और गणतंत्र की पद्धति के हनन का आपने पहला कदम उठाया।

जहां तक मैं समझ पाया कि शासन का जो तंत्र चरमरा उठता है, जब कि उसके कर्मचारियों में विशेषतः यह बात आ जाती है कि उनके अन्दर नैराश्य है और यह नैराश्य आया, यह १,२ दिन की बात नहीं है, यह धीरे धीरे घटना के बाद घटनायें होती चली गयीं और उस के कारण नैराश्य बढ़ा क्यों ? यह प्रश्न उठता है। आखिर सरकारी कर्मचारी वही हैं जो आज से १०-२० वर्ष पहले थे और इस के लिये कहा जाता था कि मोस्ट डोसाइल एलीमेंट इन दी सोसायटी, आज यह क्यों विद्रोह के रूप में आया ? तो पहला कारण है कि उन के मन के अन्दर असंतोष आया, नैराश्य आया और उस का कारण इनकी नीतियां, स्नौबरी और नेपोटिज्म है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं मंत्रियों का जो लखनऊ प्रसिद्ध क्लीव सेना का दल है, मैं काम नहीं लेता, परन्तु आप जानते हैं कि एक विभाग के डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर ऐसे लोग बनाये गये जो एक बार नहीं, कई बार सुपरसीड हुये। और वह इसलिये कि इनकी इंटेग्रिटी डाउटफुल थी। चूंकि एक मंत्री हैं, उन के यहां दरबारदारी अधिक की, बटरिंग की, उन के सारे काले कारनामे भुला कर डिपार्टमेंट ने ऊपर बढ़ाया। क्यों ? आज जो छोटा कर्मचारी उन के नीचे क्या उससे उन की करतूतें छिपी हुई हैं ? वह भी जानता है कि यह अपात्र है परन्तु खुशामद से बढ़ा है। तो उसके मन में क्रोध और निराशा दोनों आयेंगे।

वह भी सोचता है कि इसके माने हैं कि ईमानदारी से काम नहीं निकलने वाला है। यह तो वही कहावत है कि "डिसआनेस्टी ऐट ए प्रीमियम ऐंड आनेस्टी ऐट ए डिस्काउन्ट"। आडिटर जनरल की रिपोर्ट आज छपी है कि १९ परसेंट डिफाल्केशन आपके यहां बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि लोगों के मन में यह विश्वास हो गया है कि प्रमाणिकता से काम कर के कोई आगे बढ़ने वाला नहीं है, अप्रमाणिकता से काम कर के आगे बढ़ो। यह तो जाबरी की बात हुई।

अब नैपोटिज्म का उदाहरण देता हूं। आपके लेबर ट्रिब्यूनल, कानपुर, में ८,९ महीने से पोस्ट खाली पड़ी है। आप कहेंगे कि उसके लिये सूटेबिल आदमी नहीं मिला। बाहरी यह सरकार, ९-९ महीने से इनको उपयुक्त आदमी नहीं मिला। वह जगहें इस लिये खाली पड़ी हैं कि इनके कुछ प्रतिष्ठित सरकारी, कर्मचारी, जिनसे सौदेबाजी हुई मैं नाम नहीं लूंगा उनको ८ महीने रिटायर होने को बाकी हैं। वह रिटायर होने के बाद इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के जज नियुक्त कर दिये जायेंगे। तो या तो इसका अर्थ है कि वह जगहें जो खाली पड़ी हैं, वह निरर्थक हैं। अगर ऐसा है तो उनको खत्म कीजिये इस एकोनामी के जमाने में। और यदि निरर्थक नहीं हैं और अपने पिट्ठुओं के लिये बचा के रखी हैं तो इससे बड़ा नेपोटिज्म का उदाहरण और क्या होगा। ऐसी हालत में यह निःश्चित है कि आपके कर्मचारियों के अन्दर एक विद्वेष की भावना खड़ी हो कि हमने २५, ३०, ४० वर्ष नौकरी की मगर हमारे लिये प्रगति नहीं है। हम तो सारी जिन्दगी यहां पड़े रह जायेंगे। हम बाबू के बाबू रह गये, न असिस्टेंट सेक्रेटरी हुये, न एडिशनल हुये, न डिप्टी सेक्रेटरी हो पाये। जब मनुष्य में प्रगति की आशा समाप्त हो जाती है तो स्वभावतः उसकी कार्य शक्ति घटती है, प्रशासन में शैथिलय आता है। और जब शासकवर्ग उसके सामने इस प्रकार के घृणित उदाहरण रखता है कि अयोग्य व्यक्ति अपनी खुशामद के बल पर आगे बढ़ाया जाय तो वह निराश होता है और उसमें इसके प्रति एक विद्वेश खड़ा होता है।

इसके साथ-साथ, मैं एक तीसरा उदाहरण देता हूं। आपके यहां ऊपर से नीचे तक गुटबाजी चलती है, चाहे सरकार हो या सेक्रेटेरियट हो। मैं नाम नहीं लेता, मुख्य मंत्री समझ जायंगी। दो-दो अधिकारियों को आठ-आठ महीने बिठाल कर तनख्वाह दिलवाई गयी, कोई ड्यूटी नहीं दी गयी। क्यों? उनकी कार्य शक्ति में कोई खराबी नहीं। अगर उनकी ऐंटीग्रेटी खराब थी तो क्यों नहीं मुकदमा चलाया गया? ८ महीने क्यों बिठाल कर खाली तनख्वाह दी? इसलिये कि आपके सेक्रेटेरियट की जो धुरी है, चीफ सेक्रेटरी महोदय, उनकी खुशामद में वह लोग नहीं थे। सीनियर इतने थे, ईमानदार इतने थे कि उनके प्रति चार्ज शीट तो हो ही नहीं सकती थी। तो निकम्मे कर के बिठाल दिये गये और ८ महीने तक तनख्वाह दी गयी, यह आपका कृत्य जब कर्मचारी देखता है तो क्या आपके प्रति उसके मन में सद्भाव खड़ा होगा? क्या प्रशासन के प्रति उसके मन में विश्वास और आदर खड़ा होगा या उसके प्रति उसके अन्दर धीरे धीरे विद्रोह की अग्नि सुलगेगी?

अधिष्ठाता महोदय, शांतिप्रपन्न जी ने बड़ा हल्ला किया कि हमने ५ यह दिये, ५ वह दिये, जहां तक मैं समझ पाया, शायद १५ हुये।

सामुदायिक विकास मंत्री (श्री राममूर्ति)---

ज्यादा दिये।

श्री यादवेंद्रदत्त---

कितने दिये, बताइये न, राममूर्ति जी? यह गोल-मोल क्यों बात करते हैं?

मुख्य मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

३० और ४२।

श्री यादवेंद्रदत्त---

और तीन हजार पाने वाले को?

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

हमने कुछ नहीं दिया ।

श्री यादवेन्द्रदत्त—

कहते हैं कि हम नहीं देते, गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया देती है । मैं पूछता हूं कि क्या वह पाकिस्तान की सरकार है ? क्या वह अमेरिका का पैसा है ? वह हमारा ही पैसा है । फिर एक प्रश्न उठता है कि प्रशासन में यह आवश्यक होता है कि जो चोटी का प्रशासक है वह एक आदर्श रखे, एक अपनत्व और सहानुभूति नीचे के प्रशासकों के साथ रखें । यह आप नहीं कह सकते कि तीन हजार पाने वालों को गवर्नमेंन्ट आफ इंडिया महंगाई भत्ता देती है । वास्तव में आज ९० रु० पाने वाला, ६० और १०० रुपये पाने वाला ही महंगाई से भूखों मर रहा है । आपको कहना चाहिये था कि जब तक हम उनकी मांग पूरी नहीं करते, हम ऊपर वालों को डियरनेस एलाउन्स नहीं दे सकेंगे । कहा किसी ने और क्या इस सरकार ने लिख कर दिया ? मैं इसको मानने के लिये तैयार नहीं हूं । अगर यही मान लें कि हमारे छोटे कर्मचारियों के प्रति प्रेम है, अपनत्व है तो कर्त्तव्य करके उसे दिखलाते, फैक्ट के विपरीत चलने की आवश्यकता नहीं थी कि ३ हजार पाने वालों को तो आप ३०० रु० तक महंगाई भत्ता देते हैं और ९०,१०० और १५० रु० पाने वालों के लिये आपके पास पैसे ही नहीं हैं जो आज कर्ज से दबे हुये हैं । उदाहरण के लिये मैं आपको बतलाऊं कि आपके सेक्रेटेरियेट में ही अधिकांश बाबू लोग चपरासियों के कर्जमन्द हैं । आप कह सकते हैं कि कैसे । वह इस तरह से कि चपरासी कोआपरेटिव सोसाइटी से कर्जा लेते हैं और फिर चपरासी अपने बाबू लोगों को कर्जा देते हैं । बाबू लोगों के पास पैसा बचता नहीं कि वे कर्जा वापस करें, तब चपरासी रोता घूमता है कि हमारा रुपया वापस नहीं हुआ, उसे दिलाया जाय । बाबू कहता है कि मेरे पास खाने को नहीं है, हम कहां से पैसे लायें। अब प्रशासन में एक छोटी सी बात फिर खड़ी होती है और यह चेन चपरासी और बाबू के बीच में ही नहीं है बल्कि ऊपर से नीचे तक है । अगर माननीय सुचेता जी कहेंगी तो मैं नाम भी बतला दूंगा । अगर सुपरिंटेंन्डेन्ट अपने अपर डिवीजन क्लर्क का कर्जमन्द है तो क्या इस तरह से अनुशासन रह सकता है और कार्य चल सकता है ? मुझे अच्छी तरह से याद है कि अंग्रेजों के प्रशासन में इस बात का बड़ा सख्त कड़ा आर्डर था कि जिसने, चपरासी हो या कोई भी हो, कर्जा लिया तो उसे नौकरी छोड़नी होगी । लेकिन आज इसमें ढिलाई हो गयी है ।

आप लोग इतने कर्जमन्द क्यों हैं, इसका कारण यही है कि महंगाई सुरसा की तरह से बराबर बढ़ती ही जा रही है । अधिष्ठाता महोदय, एक छोटा कर्मचारी है जिसे सवा रुपये में एक किलो गेहूं मिलता है । उसके बच्चे हैं, स्त्री है, परिवार है । अब आप विचार करें कि राशन कार्ड पर उसे कितना गेहूं मिलेगा, उससे क्या महीने भर तक उसका पेट भर सकता है ? इसके लिये उसे ब्लैक में जाना पड़ता है । तीन हजार पाने वाले को ब्लक में जाने में कोई दिक्कत नहीं है । वह भी उतना ही गेहूं, आटा, चावल और दाल खाता है और कपड़े पहनता है, परन्तु नीचे के कर्मचारियों को ३० रुपये और ऊपर वालों को ३०० रु० महंगाई भत्ता क्यों ? उसने अपना लीविंग आफ स्टैन्डर्ड बढ़ा लिया है । उसे पहनने के लिये टेरिलिन का सूट चाहिये, उनकी वेशभूषा पूर्णतया अंग्रेजों की है । वे धोती कुर्त्ता नहीं पहन सकते, क्या उनको इसे पहनने में लाज आती है ? उनको बैठने के लिये सोफा सेट चाहिये, क्या वे तख्त पर गद्दा बिछा कर नहीं बैठ सकते ? उनमें अंग्रेजों की नकल व्याप्त है और उस नकल में पागल होकर वे अपने नीचे के अधिकारियों के साथ असहिष्णु हो कर मनुष्यता के विपरीत बात करते हैं ।

अब आप फिर यह विचार करें कि आपके ऊपर कमिश्नर, दर कमिश्नर ये छछूंदरों के खानदान हैं । आप देखें कि उत्तर प्रदेश में जितने भी सीनियर आफिसर्स हैं, वे सब कमिश्नर, कम-कमिश्नर के रूप में विद्यमान हैं । आखिर इतने कमिश्नर क्यों ? इकोनोमी की बड़ी बात है लेकिन आज बहुत से कमिश्नर्स भरे हुये हैं जैसे कमिश्नर कम फाइनेन्स और गौड नोज व्हाट एल्स । यदि नार्मल प्रशासन चला होता तो एस० डी० ओ० केराकत या एस० डी० ओ० मसिहाबाद हो गये होते और इस पर रिटायर हो गये होते । इसमें अधिकांश पी० सी० एस०

हैं और वे हैं जो आई० ए० एस० में जबरदस्ती घुसेड़े गये हैं और कैसे उनका प्रमोशन हुआ इसको आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं । केवल भावनाओं के आधार पर ही हुए थे । केवल एक ही उदाहरण दिये देता हूं । अभी कुछ दिन पूर्व पी० ए० सी० की रिपोर्ट सदन में पेश हुई थी जिसमें लिखा हुआ था कि एक स्टेनों को एक पोजीशन दे दी गई । उसमें एक टांग और लगा दी कि इसको मैं पसन्द करता हूं और उसको अकेले कर दिया गया । इसलिये मेरा आदमी और तेरा आदमी की भरमार कर दी गई है । इससे प्रशासन में एक विद्वेष खड़ा हो गया है । अपात्र आज बढ़ता चला आया है उसी का यह परिणाम है ।

यह बात सब जानते हैं । किसी विभाग की आज दो हजार फाइल्स ली जायं और देखा जाय कि किस ने फाइल का डिसपोजल्स ज्यादा किया है । तो मालूम होगा कि उसने जिसको आज भी जेल में पेट के कारण बंद करना चाहते हैं और आपके ये आई० ए० एस० की स्थिति यह है कि वह आजकल १२ बजे तक तो पूजा ही करता है और एक बजे आकर लंच पर चला जाता है । इससे स्पष्ट है कि किस का आउट पुट ज्यादा है । मैं व्यक्तिगत अनुभव पर यह कह रहा हूं । यदि आप चाहेंगे तो मैं नाम भी बता दूंगा । मैंने ८ बजे फोन किया तो मालूम हुआ कि पूजा कर रहे हैं, ९ बजे फोन किया तो वही जवाब मिला, दस बजे फोन करने पर मालूम हुआ कि बाथ रूम गये हैं । १२ बजे फोन किया तो तो मालूम हुआ कि पूजा करके घर से आये थे और एक मीटिंग में चले गये हैं । एक बजे मालूम हुआ कि वे लंच पर चले गये हैं । यहां तो एक बजे से लेकर ४ बजे तक लंच होता है । अंग्रेज एक बजे से ढाई बजे तक लंच करता था । लेकिन ये लोग चार बजे तक लंच मारते हैं । मैं जानता हूं और मेरे कई सेक्रेटरीज साथियों ने एडमिट किया है जो मेरे क्लास फैलो रह चुके हैं । मैंने पूछा कि आप नोट कैसे लिखते हैं । तो उन्होंने कहा कि मैं मिनिस्टर का मिजाजे आलिया जान लेता हूं । मिजाजे आलिया ने कहा बैंगन बुरा है तो उन्होंने कहा कि बहुत खराब है जभी इसको बेगुन कहते हैं, मिजाजे आलिया ने कहा कि बैंगन बहुत अच्छा है तो उन्होंने कहा कि जी हां, जभी तो इसके सिर के ऊपर हरी टोपी लगी हुई है ।

श्री राममूर्ति--

राजा साहब अपनी पुरानी आदतों का जिक्र कर रहे हैं ।

श्री यादवेन्द्रदत्त--

जी नहीं, मेरी तो आदतें छूट गई हैं और आपने बहुत-सी सीख ली हैं । भूतलिंगम के मामले ने आप लोगों की सारी पोल खोलकर रख दी । बोलिये सुचेता जी, आपके एक डिपार्टमेंट की फाइल में एक मिनिस्टर के ऊपर चार्ज लगा है । उसमें क्या लिखा है ? दिस इज ए क्लीअर केस आफ चीटिंग" इसका जबाब है आप के पास ? इसका कोई जबाब नहीं है । क्लीअर कट फाइल में लिखा हुआ है। वह भी जानती हैं और मैं भी जानता हूं। यह चीज बोल नहीं पाते हैं, इनकी हिम्मत नहीं है । उन्हीं के एक मिनिस्टर के ऊपर इसी सदन में आरोप लगाये गये थे । उसका कुछ नहीं हुआ । आप कहें तो मैं सिंचाई मंत्री की बात कहूं, कहिये तो मुजफ्फर हुसेन जी की बात कहें । मुजफ्फर हुसन जी के बारे में क्यों नहीं जांच कराई ? क्यों चुप बैठे हुये हैं ? यह सब गुटबाजी के कारण है । आपकी गुटबाजी रंग ला रही है ।

(व्यवधान)

अधिष्ठाता महोदय, आपके कर्मचारियों में लैक आफ प्रोमोशनल अपारचुनीटीज के कारण असंतोष है । सेक्रेटरिएट में बीस बीस वर्ष काम करने के बाद अधिक से अधिक असिस्टेंट सेक्रेटरी, ऐडीशनल सेक्रेटरी हो पाता है लेकिन आई० ए० एस० और आई० सी० एस० जिसने छः साल काम किया प्राइज पोस्ट पा जाता है । मैं मानता हूं उनको मिलना चाहिये । लेकिन मैंडेटरी क्यों किया ? मेरे नाम में आई० ए० एस० या आई० सी० एस० लग गया तो क्या

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

मेरी बुद्धि विकसित हो गयी ? एग्जामिनेशन फ्रीक मात्र है । एक आदमी ने रट लिया, दूसरा नहीं रट पाया, लेकिन क्या उसकी बुद्धि कम हो गयी ? मैंने जिन्दगी भर रगड़ा, रिटायर होने के आये तब असिस्टेंट सेक्रेटरी या ऐडीशनल सेक्रेटरी बने और दूसरे आदमी ने छः साल काम किया उसको सेक्रेटरी की पोस्ट मिल गयी चूंकि आई० ए० एस० है या आई० सी० एस० हैं । हमारे लिए विकास का कहीं अवसर नहीं । तो हार्ट बर्निंग नहीं होगी तो क्या होगा ? (व्यवधान) घूंघट में क्यों बोलते हैं ? घूंघट खोल कर बोलिए । यह तो आप जानते हैं कि हम लोग घूंघट खोलने की खूबी जानते हैं ।

जो तत्क्षण कारण है असंतोष का, वह मंहगाई है । आप कैसे आशा करते हैं, सौ, डेढ़ सौ, तीन सौ रुपये में इस मंहगाई में कोई आदमी खा सकता है ? राशन परमिट का बड़ा हल्ला है लेकिन जितना राशन आप देते हैं उससे किसी परिवार का खाना चल सकता है ? उसको झक मार का ब्लैक मार्केट में जाना पड़ता है । इतनी कम तनख्वाह पाने वाला ब्लैक मार्केट में कहां चल पायेगा ? यह मंहगाई उनकी नीतियों के कारण बढ़ी है । अगर कोई सब्जी न खाये तो कम से कम रोटी दाल तो खाये । लेकिन अगर वह रोटी मांगता है तो आप डंडा और गोली देते हैं और यह कहते हैं कि विरोधी दल हंगामा मचाये हुए हैं । आंध्र में स्टील प्लांट पर क्या विरोधी दल ने हंगामा मचाया ? मैसूर और महाराष्ट्र में क्या विरोधी दल ने आग लगायी या कांग्रेस ने ? आपने विद्वेष पैदा होने दिया, वह राग द्वेष भर गया । नीतियां ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्वेष पैदा होने का अवसर न मिले । जब दुष्परिणाम सामने आता है उस वक्त उसका निराकरण करने की सोचते हैं । पहले से कदम नहीं उठाते । जब घर फुंक रहा है तब कुंआं खोदने की बात करते हैं । कोई भीख नहीं मांगता है यहां, जो उसका अधिकार है वह मांगता है । उसको जो जीवित रहने का अधिकार है, खाने का अधिकार है, उसके लिये वह आपसे मांग करता है । वह मांग करता है और आप मदान्ध होकर उस पर गोली और लाठी बरसाते हैं !

उस दिन माननीय बनारसीदास जी ने जो भाषण दिया, हालांकि मैं उस दिन उपस्थित नहीं था, लेकिन उस दिन के इस सदन में उनके दिये गये भाषण को पढ़कर मुझे बड़ा दुख: हुआ । उन्होंने जो वाक्य कहा कि बाहर बोलो तो जबान खींच लूं, यह उनकी मनोवृत्ति का द्योतक है । बोलो जो जबान खींच लूंगा, यह किस तन्त्र की बात है, यह तो आप सोचें, एक तन्त्र में, बहुत तन्त्र में, निरंकुशतन्त्र में या जनतन्त्र में किस तन्त्र में यह बात कही गयी, इसे आप सोचें । और जब यह बात इस प्रकार से कहीं गयी उसका नतीजा क्या हुआ । कहने वालों के नाम और निशान इतिहास से मिट गये इसको न भूलें । इस प्रकार की बातें आज से २ सौ, ३ सौ वर्ष पुराने समय की बातें हैं, लेकिन अब वह जमाना गुजर गया है । मैं इसके लिये बनारसीदास जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इसके लिये क्षमायाचना कर ली और कहा कि यह उनके मुख से आवेश में निकल गया । किन्तु यह भी मालूम होना चाहिये कि जोश में जो बात निकलती है वह सही होती है और वह अन्तरात्मा की पुकार होती है---यह मानव स्वभाव है । जोश में विवेक नहीं रह जाता है और दिल की सही सही बात मुंह से निकल जाती है । उनके मुंह से इस सरकार की अन्तरात्मा बोल उठी कि बाहर बोलो तो जबान खींच लूं । इतिहास इसका साक्षी है कि जबान खींचने वाले चले गये, उनका नाम चला गया, उनकी आत्मा चली गयी । और ऐसे चले गये कि वे इतिहास के पन्नों से ही चले गये, उनका कोई नाम लेने वाला तक न रहा । यह तानाशाही तन्त्र का शासन नहीं चलेगा और उस तानाशाही मनोवृत्ति की कड़ी में यह कानून है कि तुमको बोलने का अधिकार नहीं, जबान खोलने का अधिकार नहीं, भूख की व्यथा कहने का अधिकार नहीं और फिर भी बोलोगे, भूखों नहीं मरोगे तो हम तुम्हें जेलों में बन्द कर देंगे । कंस और आपमें क्या फर्क है वह भी अत्याचारी और अन्यायी शासक था और वहीं यह सरकार कर रही है । आपमें और दुर्योधन में भी क्या अन्तर है, उसने भी अत्याचार किये, बर्बर अत्याचार किये, लेकिन उसने सही बात कह दी---जानाम् धर्म्मं न च: में प्रकृति । उसने तो कहा कि

वह धर्म समझता है, यह समझता है कि क्या उचित है और क्या अनुचित है, फिर भी वह रूचि न होने के कारण धर्म का पालन नहीं कर सकता । लेकिन आपने इतना भी हिम्मत नहीं कि आप सही-सही बात कह सकें ।

आज आपके कर्मचारियों में अनसरटेन्टी है, उनमें स्टैबिली नहीं है । रोज सेवा विमुक्त के नियम बदलते रहते हैं, कभी ५५ तो कभी ५८ तो फिर ५५, यह रोज रोज की उलट फेर क्या है ? क्या इससे स्थिरता बनी रह सकती है ? कब कौन और कितने कर्मचारी भर गये, गिर गये कोई कुछ किसी को पता नहीं । शासन को बड़े स्टेब्लिटी की जरूरत है । श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा जी चले गये, उन्होंने बड़ा नारा लगाया है कि सरकारी नौकरी में कोई क्यों आता है कि उसमें उसे यहां सरटेनिटी है . . .

श्री उग्रसेन---

शान्तिप्रपन्न जी चले गये, लेकिन बनारसीदास जी तो आ गये ।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

मुझे उनकी ह. जरूरत हैं । मेरा उनका दूसरा भी सम्बन्ध है जिसे 'वल्लभ' कहते हैं---पति पत्नी में जो होता है । आपकी सर्विसेज में जो आदमी आता है उसकी ही स्टेब्लिटी नहीं है कि उसे यही पता नहीं कि वह कब तक सर्विस करेगा, कब रिटायर होगा या कब मरेगा । या तो आप एक बात साफ कह दें कि जब तक उसका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, उसको सर्विस में रखा जायगा, तो छोड़िये इन ५५-५८ के विवाद को । नहीं तो एक निश्चित आयु निश्चित कर दीजिये एक बार सोच समझकर और फिर उसमें बार-बार परिवर्तन न लाइये ।

एक तमाशा इनके यहां और होता है कि जो इनके खास पिट्ठू हैं उनके साथ दूसरा व्यवहार और अन्य के साथ दूसरा व्यवहार । पिट्ठू जो होते हैं, उनके साथ यह होता है कि यदि किसी सज्जन को ३ जुलाई को रिटायर होना है और वह रिटायरमेंट के पहले ४ मार्च को दरख्वास्त देता है कि उसे प्री रिटायरमेन्ट लीव दे दी जाये, तो उनकी लीव रेजेक्ट कर दी जाती है, दिखाने क लिये लेकिन उसमें उसका लाभ करना निहित रहता है, क्योंकि फिर उसे दो जुलाई से विद फुल छट्टी दे देदी जाती है । जो फेवरेट नहीं है और उसने ४ महीने की छट्टी मांगी तो उससे कहा अच्छा जाओ । कम्पलसरी रिटायरमेन्ट का सिलसिला भी अब शुरू हो गया है । यह होना चाहिये, लेकिन वहां होना चाहिये जहां आदमी असमर्थ हो, इन्काम्पीटेन्ट हो, लेकिन कम्पलसरी रिटायरमेन्ट वहां नहीं होना चाहिये जहां मसला मंत्री महोदय की झक का हो और अफसर की मनमानी का हो, कि अफसर के, मंत्री के झक आ गयी कि यह आदमी जाये तो उसे जाने दिया जाय । सर्विसेज को अपनी बात ईमानदारी के साथ मंत्रिमंडल के सामने रखना चाहिये । सर्विसेज को अपनी बात ईमानदारी से कहने देने में आपने असमर्थ रखा है चाहे उनकी राय आपके अनुरूप या खिलाफ हो और जो मंत्रिमंडल चाहे उसको एक्जीक्यूट करो, न करो तो नाराजगी, यहां की झक न मानो तो हटो । और उस हटाने में आपके प्रिय पात्रों को ४ महीने की तनख्वाह मिले और जो ईमानदारी से खड़ा हुआ हो, वह बेचारा मारा गया ।

अब एक नीति और रिइम्पलाय करने की । यह भी शुरू से आखिर तक गड़बड़ी का कारण है । दुनिया में कहीं नहीं होता सिवाय रायल कमीशन के जहां जजेज को रिएम्प्लायमेंट मिलता हो । जज आपका फारेन मिनिस्टर बन जाता है, कभी क्या हो सकता है, वह ये समझता है और बुढ़ापे में पैसा उसका बेटा, बेटी सब होता है और इसके लिये रिइम्प्लायमेन्ट चाहिये । और रिइम्प्लायमेंट मिलेगा आपसे इसलिये आपकी खुशामद करना चाहिये । जितना अधिक खुशामद करेगा उतना ही जल्दी रिइम्प्लायमन्ट मिलेगा । इसका परिणाम यह होगा कि पात्र हो चाहे अपात्र कोई नहीं देखता । पात्र और गुण खुशामद के वक्त देखा नहीं जाता, गुणी व्यक्ति रिइम्प्लायनेन्ट नहीं पाता, वह मुंह ताकता है और उसका असर छोटे बड़े सभी पर पड़ता है, किसी से बात छिपती नहीं है ।

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

अब एक्सटेन्शन का प्रश्न है । नान टेकनिकल को मैं लेता हूं । टेकनिकल की बात तो हो सकती है कि आदमी न मिलता हो लेकिन नान टेकनिकल आदमी को एक्सटेंन्शन हों, क्यों ? एक एक्सटेंन्शन का मतलब है दूसरो का रास्ता बन्द । एक ओर हमारे सामने बेकारी बढ़ रही है और दूसरी ओर एक्सटेंन्शन, इसके परिणामस्वरूप अविश्वास कर्मचारियों में आ गया है। भ्रष्टाचार का नारा आपने मारा है । वह अब शिष्टाचार बन गया है । मैं फिर दोषारोपण करता हूं । २० वर्ष पहले सीनियर सर्विसेज के लोग अपने अहलमद, अपने चपरासी और अपने पेशकार से घूस ले ले, ऐसे दृष्टान्त ढूंढ़ से नहीं मिलते थे लेकिन आज अपने अहलमद, चपरासी और पेशकार से सरकारी, घर का घी, अनाज मंगवाना शिष्टाचार बन गया है, मिनिस्टर से लेकर नीचे तक । उसका परिणाम यह है कि मेम साहब ने फरमाया कि चपरासी तरकारी ले आवे, पेशकार साहब जरा घर के लिये गेहूं भिजवा दो तब पेशकार अगर ४ रुपये की घूस के लिये पकड़े गये तो वे सोचते हैं कि यह सैकड़ों रुपये महीने तो मुझसे लेता है, घूस मैंने ली है मेरा क्या करेगा । चोर चोर को पनिश करे यह कभी समझ ही नहीं सकता । इसलिये आपने एक ऐसा क्राइसिस आफ कान्फीडेन्स खड़ा कर दिया है ।

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक दोषारोपण और करता हूं । बनारसीदास जी को मालूम होगा कि गवर्नमेन्ट आफ इंडिया का एक जी० ओ० आया था जिस समय युद्ध हो रहा था कि ऐसी स्थिति आ गया है कि जब जिन लोगों के सम्बन्धी, सगे बेटे, भाई, भतीजे आदि पाकिस्तान में या चीन में हों उनको किसी की पोस्ट (Key post) पर न रखा जाय । क्या आपने उस जी० ओ० का पालन किया । मैं यह जानना चाहता हूं कि आपके चीफ सेक्रटरी के भाई बलरामदास जी पाकिस्तान में एयर वाइस मार्शल हैं । इसकी आपने जानकारी की ? जब इस प्रकार के आपके कृत्य होंगे तो छोटे कर्मचारियों से यह बात छिपी रहेगी ? मैं नहीं जानता हूं कि मेरी यह बात सही या गलत है । अगर मेरी बात सही होगी तो मुझे बड़ा दुख होगा परन्तु मेरी जानकारी में यह बात आई तो मैंने इसको सदन के सामने रखा । यह भी कहा जा सकता है कि हमने उनकी प्रापर्टी ले ली लेकिन कांग्रेस के आन्दोलन के जमाने में बहुत लोगों ने ऐसा किया था कि अपनी जायदाद को भाई भतीजे और लड़कों के नाम पर कर दिया था । इसलिये ब्लड इज थिकर दैन वाटर । मेरी जानकारी थी इसलिये मैं इस बात को कह रहा हूं ।

एक तरफ आप कहते हैं कि पैसा नहीं है और दूसरी तरफ फारेस्ट, और दूसरी सर्विसेज को आल इंडिया करते जाते हैं । इसके लिये कहां से पैसा आयगा । आपके पास भूखों को देने के लिये, छोटे कर्मचारियों के लिये पैसा नहीं है लेकिन आल इंडिया सर्विस करने के लिये आपके पास पैसा है । यह बिलकुल फैक्ट्स के विपरीत है । कौन इस पर विश्वास करेगा ? परिणाम यही होगा जो आज सामने दिखाई दे रहा है । जो लोग २० साल से यहां पर काम करते रहे उनको आल इंडिया सर्विस में ले लिया गया । उनके अन्दर जो दोष थे वह सब दूर हो गये, उनकी तनख्वाह भी बढ़ गई और गुण भी बढ़ गये । आपकी अधीनस्थ न होकर वे गवर्नमेन्ट आफ इंडिया में चले गये। अब आप उनका कुछ नहीं कर सकते हैं। आप उनके विरुद्ध कोई चार्जशीट भी नहीं लगा सकते । वह होम मिनिस्ट्री से उनके पास कोई जवाब तलब हो सकता है। आप निकाल भी उनको नहीं सकते हैं । वे मनमानी तानाशाही करेंगे और आपके निम्न वर्ग के कर्मचारियों का दमन करेंगे । आप उनको रोक नहीं सकते हैं । मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं । मेरे एक मित्र हैं आइ० सी० एस० । वह मेरे साथ पढ़ते थे। यहीं पर सेक्रेटरियट में काम करते हैं । उनके शब्दों में तो मैं नहीं कहना चाहता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने कहा कि भाई, ये मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं, जिस दिन मेरा प्रमोशन आयेगा मैं यहां से चला जाऊंगा और झक मारेगी गवर्नमेन्ट आफ इंडिया, मेरा प्रमोशन देगी। उनके द्वारा यहां पर दमन किया जा रहा है और आप उनका कुछ कर नहीं सकते हैं। आपने देखा, उनकी तनख्वाह बढ़ गई लेकिन भुखमरों के लिये और छोटे कर्मचारियों का पेट पालने के लिये आपके पास पैसा नहीं है । जो सरकार इस प्रकार से सच्चाई के विपरीत काम करती हो उसका कौन

विश्वास करेगा ? इससे शासन पर प्रभाव पड़ता है और इसी प्रकार के परिणाम होते हैं जो आज देखने में आते हैं । जो लोग यहां पर बड़े अफसर सेक्रेटरियट में काम करते हैं, वह यहां से जाना भी पसन्द नहीं करते हैं । वह यहां बने रहना चाहते हैं । और ९० फीसदी लोग ऐसे हैं जो यहीं पर बने रहना चाहते हैं । बहुत से लोगों के फार्म हैं लखनऊ में । चिनहट में फार्म हैं । मकान यहीं पर हैं तो उसके रख रखाव के लिये भी उनका इन्टरेस्ट रहता है । सरकार से भी उनको कई तरह से मदद मिलती है । अच्छा खाद और बीज उनको अपने फार्म के लिये मिलता है । ये सब गेन यहां पर मिलते हैं । इसलिये वे यहां से जाना नहीं चाहते हैं। छोटा कर्मचारी अगर कोई मकान बना लेता है तो उसके ऊपर आप डंडा लेकर पिल पड़ते हैं । प्रशासन के अन्दर जो इस प्रकार से साधारण और छोटे कर्मचारी हैं उनकी श्रेणी को भी आपको देखना चाहिये । अगर छोटी श्रेणी के कर्मचारियों को एक आंख से आप देखेंगे और दूसरी श्रेणी को दूसरी आंख से देखेंगे तो इससे विद्वेश की भावना बढ़ेगी और उसका परिणाम यही होगा जो विघटन के रूप में आज सामने रहा है।

भ्रष्टाचार की बात कही गई। मैं एक बात जरूर बनारसी दास जी से कहना चाहता हूं कि यह आरोप लगाया गया है कितने सेक्रेटरियट में अफसर हैं जिनको फियट के परमिट दिये गये हैं। और कितने ने पुरानी फियेट २०,००० में बेची हैं और कितनों ने नयी १८,००० में खरीदीं। यह दो हजार का मुनाफा कैसे हुआ ? यह क्या डिक्लेयर्ड प्रापर्टी है ? जब छोटा बाबू अपने बाप की जायदाद बेचता है, जैसा कि एक जुडीश्यल आफिसर का केस है, तो उस पर तरह तरह के सवाल किये जाते हैं कि वह कहां से आयी ? बाप ने, दादा ने कहीं से कैसे कमायी और उसको चार्ज शीट कर देते हो। जरा इन बड़े-बड़े महानुभाओं से भी पूछिये कि २-२ हजार पर फियेट कमाया, उसकी अकाउंटिंग कहां पर है ? आपके ही बंदरिया बाग में हमारा महमूदाबाद की २,३ एकड़ जमीन थी जो कि पाकिस्तानी होनी चाहिये थी, उसको ७५,००० में ले लिया। सरकारी ट्रक इस्तेमाल की गयी सामान लाने में, क्या कुछ बिगाड़ सके आप उनका ? चपरासी को तो फांसी पर लटका देते, जरा सेक्रेटरीज को पकड़ो तो जानें। आज कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कोई गवर्नमेंट आफ इंडिया में सेक्रेटरी है, उनका आप क्या कर सके ? छोटे लोगों पर जुल्म करोगे तो निश्चय ही विद्रोह होगा। जरा बड़ों को भी पकड़ो। एक रावण के मारने से लंका में शान्ति हो गयी। भगवान राम ने राक्षसवंश का नाश नहीं किया। ४ सेक्रेटरीज को मारो, देखो कितनी शान्ति होती है ।

एक सदस्य---कलम से ।

श्री यादवेन्द्रदत्त---

मेरा मतलब मारने से, कलम से है, अहिंसावादी कलम और रोशनाई से मारिये।

अधिष्ठाता महोदय, इस सब का परिणाम यह हुआ कि यह जो संघर्ष खड़ा हो गया, यह जो डिमांस्ट्रेशन हो रहे हैं यह संघर्ष की छोटी छोटी बूंदे मिलकर एक महान बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गयी है और अगर मैं एक शब्द में कहूं तो प्रशासन के ढांचे के अन्दर क्लास कंफ्लिक्ट का रूप आ गया है। बड़ा साहब, छोटा साहब, मंझला साहब। बड़ा बाबू, छोटा बाबू, चपरासी--यह क्लास कंफ्लिक्ट का रूप खड़ा हो गया है।

आप दोष देते हैं कि ये विद्यार्थियों से मिल गये। जब क्लास कंफ्लिक्ट की बूंदें बढ़ेंगी तो नदी का पानी जहां जा सकता है, जायगा ही। ये उनसे मिले तो यह आपकी ही बुद्धिमानी का द्योतक है ।

अधिष्ठाता महोदय, इस ऐक्ट को देखिये कि आपने कैसी बुद्धिशून्यता दिखलाई। दुनियां की किसी जुरिस्प्रूडेंस में नहीं मिलेगा कि ऐबेटर आफ दि क्राइम को दूनी सजा दी जाय। सेक्रेटरी महोदय भी डिस्ट्रिक्ट जज रहे हैं, यह कभी सजा नहीं दी होगी कि एक मुजरिम को एक बार फांसी के बजाय दो बार फांसी दी जाय। . यह कौनसी लीगल मारेलिटी है ? अबेटर

[श्री यादवेन्द्रदत्त]

को दूनी सजा दे रहे हैं, यह नयी जुरिस्प्रुडेंस बना रहे हैं। यह तो वही होगा कि बनाने चले थे गणेश और बन गया बन्दर ! इसमें देखो, " कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति जिस पर यह संदेह करने का उचित कारण हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किया है, वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है।" अधिष्ठाता महोदय, यह कानून का भी हनन है---अरेस्ट विदाउट वारंट ! इतिहास में फ्रांस के लुई के राज्यकाल में जरूर था कि लोग पकड़-पकड़ कर बैस्टील में बन्द किये जाते थे। इतिहास साक्षी है कि बैस्टील में बन्द करने के परिणामस्वरूप लुई के वंश का नाम-निशान नहीं रह गया। फ्रांस में एक भीषण राज्यक्रान्ति हुई। रूस से भी उदाहरण लो। किस प्रकार वहां सेंट पिटर और सेंट पाल में लोग बन्द किये जाते थे। उसके परिणामस्वरूप सन् १७ में वहां ऐसी रक्त-रंजित क्रान्ति हुई कि जार और जार के बेटे और उसके साथियों का नाम नहीं है। तुम देश को किस ओर लिये जा रहे हो ? आपके प्रशासन ने आज कर्मचारियों को बाध्य कर दिया कि प्रशासन और उसके अन्दर विद्वेष की अग्नि भड़क उठी और विद्रोह की भावना पैदा हो गयी। आज आप प्रदेश को एक काली क्रान्ति की ओर ले जा रहे हैं। और जिस प्रशासन का तंत्र और उसके कर्मचारी क्रांति की ओर गये, तो वहां विद्रोह हो गया। वहां फ्रांस और रूस की सी क्रांति हो गयी। कुशल शासन के लिये आवश्यक है कि वह अन्तर्मुखी हो, उसका काम यह नहीं होता कि वह डंडे के बल पर राज्य करे।

मान्यवर, इस विधेयक में पुलिस को इतना बड़ा अधिकार दिया गया है कि वह अपने विवेक पर, जिसके विवेक की हालत यह है कि उसने प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के वक्तव्य को झूंठा बना कर और यह कह कर कि वह विद्रोह का नारा लगा रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया, जब कि मैंने उनके वक्तव्य को पढ़ा, उसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं थी। उन्होंने अपने लिये ही कहा कि मैं अपनी जान दे दूंगा आदि, उस पुलिस को यह अधिकार इस विधेयक द्वारा दिया जा रहा है कि वह बिना वारन्ट किसी भी उस कर्मचारी को पकड़ सकती है जिस पर उसे संदेह हो कि उसने इस विधेयक के खिलाफ कार्य किया हो। सरकार ने पुलिस को इतना बड़ा अधिकार देकर राज्य कर्मचारियों को भेड़िये के मुंह फेंक दिया है। मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप घर फूंक तमाशा मत देखिये। आप अपनी नीतियों को सम्भालिये। वरना यह घर ध्वस्त हो जायेगा। भगवान के लिये आप मुहम्मद तुगलक मत बनिये। आप कृपया गलतियों से सीख लीजिये, समाज को भ्रष्ट मत बनाइये। इन शब्दों के साथ मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को वापस ले।

*सहकारिता मंत्री (श्री बनारसीदास)---

अधिष्ठाता महोदय, मुझे माननीय दुबे जी का भाषण सुन कर बड़ा आश्चर्य हुआ। जब मैं उनका भाषण सुन रहा था तो ऐसा मालूम पड़ रहा था कि वे इस बिल के गुण दोषों पर नहीं बल्कि एक आम भाषण दे रहे थे, या किसी चुनाव की मीटिंग में आडियन्स को सम्बोधित कर रहे हों। बेहतर यह होता कि वे इस विषय पर अपने विचार रखते कि विधेयक की आवश्यकता है या नहीं। सवाल यह है कि क्या आप इन सर्विसेज को ट्रेड यूनियन का अधिकार देना चाहते हैं या नहीं। ट्रेड यूनियन का सिद्धान्त, वर्ग संघर्ष का सिद्धान्त यह है कि एक वर्ग का हित दूसरे वर्ग के हितों के साथ टकराता है। इसलिये कमजोर वर्ग को कलेक्टिव बारगेनिंग का अधिकार प्राप्त होता है जिससे कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग करके अपने अधिकारों की रक्षा कर सके।

श्रीमन्, आज सर्विसेज को अगर हम ट्रेड यूनियन बनाने का, हड़ताल करने का राईट देते हैं, आखिर एक वर्ग तो सर्विस का हुआ दूसरा वर्ग कौन है ? क्या दूसरा वर्ग इस प्रदेश की विधान परिषद् है या दूसरा वर्ग जिसके विरुद्ध अधिकारों का यह जो संघर्ष है, क्या यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मंत्रि—परिषद् है या इसका जो दूसरा पक्ष है, इस तरफ के बैठने वाले लोग हैं ? श्रीमन्, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सत्य कभी-कभी अनिच्छा से भी मुंह से निकलता है। जिस संविधान को हमने बनाया, जिस संविधान के लिये हमने बलिदान किया आज उसी संविधान के अन्दर भाषण की स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति और संगठन की स्वतंत्रता का अभी माननीय दुबे जी रैफरेन्स कर रहे थे। गांधी जी ने कहा था शासकों के लिये, सबके लिये—"रूल आव् अदर्स विदाउट दि रूल आव् वनसैल्फ इज डिसहैप्पी एज एन अर्दस मैंगों व्हिच लुक्स ब्युटीफुल टु लुक एट बट इज एम्प्टी एन्ड हालो फ्राम विदिन" शासन करने का अधिकार उस व्यक्ति को है जो अपने ऊपर पहिले नियन्त्रण करता है। जो व्यक्ति दूसरों पर शासन करना चाहता है अपने ऊपर नियन्त्रण नहीं करता वह एक मिट्टी के आम के समान है जिसमें रस नहीं होता, जिसमें केवल एक सुन्दरता होती है। हमने जो अपना संविधान बनाया हमें इस बात का गौरव है कि हमने उसमें चार्ट आव् राईट्स दिये। लेकिन यह मानकर राईट्स दिये जाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्त्तव्य का पालन करेगा। श्रीमन्, आज जैसे तीन महीने चुनाव का समय रह गया है, आज हमारी मुख्य मंत्री जी जिनके पीछे इतना भारी दल है यदि आज हम जनता को धोखा दें या उसके साथ खिलवाड़ करना चाहें, पांच लाख सरकारी कर्मचारी जिसका मतलब २५ लाख जो कुल व्यक्ति होते हैं, इस प्रदेश का जो तीन अरब रुपयों का बजट है उसमें से एक करोड़ रुपये के बजट के साथ यदि हम इन्ड्यूस करने के लिये जुआ खेलना चाहें तो कोई हमारी शिकायत नहीं कर सकता।

मुझे बड़ी खुशी है कि माननीय तिवारी जी वकील जरूर हैं परन्तु कभी-कभी व्यक्ति अपने ही तर्कों का शिकार स्वयं बन जाता है। एक तरफ यह है कि हम उनकी न्यायोचित मांग को नहीं मान रहे हैं। अनुचित मांग को मानने का मतलब यह है कि प्रशासन के व्यय को बढ़ा दिया जाय। मांग की जाती है कि एक सौ रुपये वेतन की जगह तीन सौ बढ़ा दिये जायं। माननीया सुचेता जी का कुछ बिगड़ता नहीं। पचास करोड़ भार पड़ता है तो पड़ने दिया जाय ताकि सरकारी कर्मचारी जयजयकार करें। मैं पूछना चाहता हूं कि जन संघ के घोषणा—पत्र के अन्दर कम से कम कितने वेतन की घोषणा की गई है। मैं जानना चाहता हूं राजा जौनपुर से कि व्यक्तिगत कर्मचारियों के लिये उन्होंने क्या योजनायें बनाई हैं ? क्योंकि वे क्रान्ति के प्रवर्तक हैं। उन्होंने लुई फिशर के जीवन को पढ़ा है और फ्रांस की क्रांन्ति की प्रेरणा लेकर। इन १५—१६ वर्षों में मंत्रिपद की हैसियत से क्या मैं कहना चाहता हूं कि मैंने इन हाथों में हथकड़ियां और बेड़िया भी पहिनी हैं। मैं नहीं जानता जिन्होंने क्रांन्ति की और क्रांन्ति का इतिहास पढ़ा। क्या उनके नौकर को कोई बोनस मिलता है ? क्या उनके कर्मचारियों को कोई ग्रेचुटी मिलती है ? उनके कर्मचारियों को कोई पेन्शन मिलती है ? उनके बच्चों के पढ़ने लिखने के लिये कोई व्यवस्था की गई है ? मैं यह आशा करता हूं कि विरोधी पक्ष की तरफ से एक इस तरह की मांग पेश की जाय जो न्यायोचित हो।

श्रीमन्, हमारे इस प्रदेश के अन्दर सन् ५० में सरकारी कर्मचारियों की संख्या २,४९,४३६ थी वही आज ५,०६,००० हैं। श्रीमन्, प्राइमरी अध्यापकों की संख्या ४० हजार के करीब थी जो अब १,६७ हजार हो गयीं हैं, ८ हजार सैकेंडरी और हाईस्कल के अध्यापक थे जो अब ३५ हजार हो गये हैं और इनमें हर साल ३ हजार का इजाफा हो रहा है। इस प्रदेश का सन् ४७ में कुल बजट ३८ करोड़ ७३ लाख था। और आज केवल शिक्षा पर हम ५ करोड़ रुपया व्यय कर रहे हैं। श्रीमन्, आग लगाना आसान काम है, लोगों को उत्तेजित करना बहुत आसान काम है बिना यह देखे कि इसका आगे चलकर क्या होगा। अब तक बहुत सी स्टेट्स ने ओवर ड्राफ्टिंग किया अगर कोई स्टेट ओवर ड्राफ्टिंग करती चली जाय तो एक दिन ऐसा आ सकता है कि रिजर्व बैंक उस बिल को ही नामंजूर कर दे। अगर उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी कर्मचारियों का वेतन बढ़ाती चली जाय तो उनके परिवार वालों के साथ ही अन्याय होगा क्योंकि इलेक्शन के बाद रिजर्व बैंक उस पे बिल को नामंजूर कर देगा। मैंने हिन्दुस्तान के हर प्रान्त के टैक्सेशन के फिगर्स को देखा, बिहार, जम्मू काश्मीर और उड़ीसा में कम हैं

जहां ९.८ है। शेष प्रान्त में हमसे ज्यादा टैक्सेशन है। सबसे ज्यादा समृद्धशाली प्रान्त है, महाराष्ट्र उसमें परकैपिटा टैक्सेशन है २५.४, मद्रास में २०.४, केरल में १९.४, और हमारे प्रदेश में १०.५ और राजस्थान में १५ रुपया है। आप क्या चाहते हैं? आप मांग करते हैं कि भूमि भवन कर हटा दिया जाय। इसलिये कि उसका ताल्लुक शहरी वोटरों से है। लगान माफ कर दिया जाय, इसलिये कि किसानों का वोट आप चाहते हैं। एक तरफ यह मांग की जाती है कि कर्मचारियों की छटनी न की जाय, उनके वेतन को बढ़ा दिया जाय। मैं पूछना चाहता हूं कि यह एक बड़ी प्रतिष्ठित सभा है। हम यहां निर्माण करने के लिये बैठे हुए हैं वहां पर इस प्रकार बातें करना जिनकी कोई संगति न हो, कहां तक ठीक है। आप कहते हैं कि सरकारी कर्मचारियों को स्ट्राइक करने का राइट दिया जाय, पुलिस को भी स्ट्राइक करने का अधिकार हो और मिलिट्री को भी हो। तब उन लोगों को वेतन क्या मिले, इसका निर्णय माननीय उग्रसेन जी और यह सभा न कर पायेगी। वह तो होगा कर्मचारी संघ की बैठक में और हिन्दुस्तान की मिलिट्री यह तय करेगी कि उसका पे बिल क्या हो। फिर सावरेन यह सभा होगी या कर्मचारी संघ? यह सभा तो फिर केवल एक रबर स्टाम्प लगाने वाली हो जायगी। और उसकी एक स्वाभाविक रेल यह होगी कि इस असेम्बली को क्यों न भंग कर दिया जाय, संसद को भंग कर दिया जाय। जब राजा साहब जौनपुर का शासन था तो एकतंत्रीय राज्य था....

श्री यादवेन्द्र दत्त—

श्रीमन्, इनके बाद मुझे पर्सनल एक्सप्लेनेशन का मौका दिया जाय क्योंकि मेरा नाम लिया जा रहा है।

श्री बनारसीदास—

राजा साहेब बहुत पन्ने पर पन्ने उलटते चले गये जिसका इस बिल से कोई वास्ता नहीं था। करप्शन का जिक्र किया, बड़े-बड़े कर्मचारियों का जिक्र आया। श्रीमन्, जूस्सप्रूडेंस का का भी यह उसूल है कि किसी व्यक्ति को दंडित करने से पहले उसे सफाई का मौका देना चाहिये। जो सरकारी कर्मचारी अपनी सफाई नहीं दे सकता यहां आकर, उस पर सदन में दोषारोपण करना मैं इस सदन की मर्यादा और प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझता हूं। इंग्लैन्ड में अमेरी भारत का मंत्री था। उसका लड़का जर्मनी में उनका राजदूत था, उसे फांसी दे दी गई। यदि राजा साहब की अनालाजी को माना जाय तो अमेरी को हटा देना चाहिये था। हिन्दुस्तान के बहुत से लोग ईस्ट पाकिस्तान में हैं। इसके माने यह है कि वे सबके सब पाकिस्तान के नेशनल नहीं हैं, उनको बुला लिया जाय।

जिस सरकुलर का जिक्र हुआ, हिन्दुस्तान में अब्दुल हमीद जैसे लोगों को कोई स्थान नहीं है क्या यही उनका मतलब है कि हिन्दुस्तान का प्रत्येक नागरिक जो हिन्दू नहीं है उसकी ईमानदारी संदिग्ध है? इसका मतलब है कि यदि कोई कर्मचारी यहां है और उसका भाई पाकिस्तान में है तो उसकी निष्ठा, ईमानदारी और देशभक्ति में हमको सन्देह करना चाहिये। ऐसे कितने व्यक्ति हैं? मैं जानता हूं आज स्वर्गीय इतिजाहुसेन यहां नहीं हैं। उनके सारे संबंधी पाकिस्तान में हैं और उन्होंने कभी अपनी बहन को एक चिट्ठी तक नहीं लिखी। जितने लोग यहां बैठे हुए हैं सब जानते हैं कि श्री इतिजाहुसेन की देशभक्ति किसी से कम नहीं थी; उन्होंने जुडिशल सर्विस से इस्तीफा दिया। जिस समय उनका जनाजा निकला तो बुलन्दशहर का एक एक हिन्दू और मुसलमान रोता था। क्या यह कहा जा सकता है कि चूंकि उनके संबंधी पाकिस्तान चले गये तो उनकी देशभक्ति में कोई सन्देह है?

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे शर्म आती है कि बहुत सी पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने हिंसा की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया, चाहे महाराष्ट्र की बात हो या मैसूर की हो। जहां भी होता है पानी में पौटजियन पैदा होता है। यह नहीं है कि अच्छे लोग बच जाते हैं। महाराष्ट्र में

जो विद्यार्थियों का आन्दोलन हुआ स्टील प्लान्ट के लिये, वह हिन्दुस्तान की इंटीग्रिटी पर एक हमला था। इसका मतलब यह हुआ कि लोगों में यह प्रवृत्ति हुई कि हम हिंसा के जरिये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और जनतंत्र की प्रणालियों पर प्रहार करने से सफलता प्राप्त हो सकती है, यद्यपि कुछ लोग हैं जो संविधान का नाम लेते हैं चाहे वे सिर्फ नाम-मात्र ही हों। यदि जनसंघ दल को हिन्दुस्तान का संविधान बनाने का सौभाग्य प्राप्त होता तो शायद भाषण स्वतंत्रता का उसमें कोई स्थान नहीं होता। हम चाहते हैं कि किसी के भाषण की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध न लगावें। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि उत्तर प्रदेश में एक मुख्य मंत्री होगा या कोई दूसरा भी होगा ? प्रश्न यह पैदा होता है कि उत्तर प्रदेश में मुख्य सचिव एक होगा या कोई दूसरा व्यक्ति भी होगा ? यह इस प्रदेश की जनता के साथ न्याय नहीं है जैसे कुछ लोग गलियों में रहते हैं, अज्ञात हैं, जैसे पी० एन० शुक्ल के बयान निकलते हैं। पेपर्स में आपने देखा होगा। इस तरह से एसेंशल सर्विसेज आर्डिनेंस का विरोध करने का मतलब है कि सोसेंज आफ एनार्की, कालेज आफ डिसइंटीग्रेशन। जरा गम्भीता के साथ विचार करें कि साव-रैनिटी कहां है। वह सदन में या सर्विसेज में है। मैंने बहुत सुना है कि सर्विसेज करप्ट हैं। मैंने सुना है कि यह नौकरशाही है। एक विद्वान ने कहा है कि जिस भाषा को कोई शख्स प्रयोग करता है यदि वह उसका अर्थ भी समझें तो बहुत सी समस्या आसानी से हल हो सकती है। इससे बहुत सी कंट्रोवर्सी खत्म हो सकती है। वेतन का निर्धारण करने का अधिकार कमचारियों को होगा या इस माननीय सदन को होगा ? जनता के प्रतिनिधियों को होगा ?

श्री उग्रसेन—

यह सवाल कहां है ? विषय पर बुलवाइये।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, आखिर प्रश्न क्या है ? स्ट्राइक होगी और पे-बिल रिफ्यूज किया जायगा ? स्ट्राइक का नोटिस इसलिये होगा कि हमारी मांगें नहीं मानी गईं ? मांगों के माने हैं महंगाई भत्ता और वेतन। मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि जिस लक्ष्य की ओर हमने कदम उठाया है हम उस ओर बड़ी मुस्तैदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमने कहा कि हम डिस्पैरिटी को दूर करेंगे। हमने शपथ ली कि हम इस बीच की खाई को पाटेंगे। आई० सी० एस० और आई० ए० एस० अफसरों की जो लोग निंदा करते हैं जरा उनको देखिये। (श्री उग्रसेन के कुछ कहने पर) म माननीय उग्रसेन जी से आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि वह उग्रता छोड़कर जरा शान्ति के साथ सुनें।

श्रीमन्, अंग्रेजों के जमाने में सीनयर आई० ए० एस० का स्केल १०००-२२५० रु० था। जूनियर का ८०० से १८००रु० तक था। महंगाई बढ़ी लेकिन हमने स्केल ९००-१८००रु० किया और हमारे लोएस्ट कर्मचारी को जहां अंग्रेजों के जमाने में २५ रुपया मिलता था उसे हमने बढ़ा कर कम से कम ७५ किया। महंगाई भत्ता अलग से। मैं उग्रसेन जी से सहमत हूं कि २ रुपये सेर गेहूं और २२५० रुपया एक अफसर को मिले, यह उचित नहीं था। हमने कहा कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो आई० ए० एस० का वेतन नहीं बढ़ेगा ताकि बीच की खाई कम हो। (श्री भगवानसहाय के कुछ कहने पर) भगवानसहाय जी मेरे दोस्त हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानता हूं। वह समझदार व्यक्ति हैं मगर कभी-कभी जानबूझ कर वह अपना नाम ऐसी पंक्ति में लिखा लेते हैं जहां नहीं होना चाहिये।

श्रीमन्, बुनियादी प्रश्न यह है कि सावरैनिटी कहां है। क्या एट दी प्वाइंट आफ बेयो-नैट यह तय होगा ? कुछ ही दिन हुए हमने पे रैशनैलाइजेशन कमेटी बैठाई। २३ करोड़ रुपये साल का वेतन बढ़ा। उसके बाद हमने उन्हें महंगाई भत्ता बढ़ाया। मैं जानता हूं कि इस महंगाई के जमाने में उनकी परेशानियां हैं। मैं चाहता हूं कि बहुत जल्द ऐसा अवसर आवे जब कि हम सारे कर्मचारियों को उनके अनुरूप वेतन दे सकें। हमने उस सड़क पर कदम रखा है जो कि समाजवाद की तरफ ले जाती है जो कि लोगों के जीवन में असमानता है,

[श्री बनारसीदास]

उनकी कठिनाईयां हैं, उनकी मुसीबतें हैं उनको हम दूर करने की तरफ अग्रसर हैं। हमारे दोस्तों का कहना है कि कैन्सर का मरीज है और वह डाक्टर निकम्मा है उनकी नजर में जो उसको एक दिन में ठीक न कर दे।

कुछ लोग गांधी जी का नाम लेते हैं। जिस वक्त देश में स्वतन्त्रता आई महात्मा गांधी ने कहा था कि आज जब कि हमारे जीवन का स्वप्न पूरा होने जा रहा है मुझे अफसोस है कि आज देश को गरीबों की फौज और मारल लीपर्स की कौम बनाकर छोड़ा गया है। हमारे यहां मारल आजादी, आर्थिक आजादी और सामाजिक आजादी होनी चाहिये। कोई भी समाजवाद, कोई भी मार्क्सवाद हो और जिसने सोवियट रूस का और चीन का इतिहास पढ़ा है वह दावा नहीं करता कि वहां समाजवाद का नारा लगाने से ही समाजवाद आ गया और किसी को कोई काम नहीं करना पड़ा। आज यहां क्या होता है। शनिवार की छुट्टी होगी, ५ घंटे काम करेंगे क्या तुक है इसकी जब गरीब हमारी कौम है? तमाम त्याहारों की छुट्टियां हैं, किसी की मृत्यु हो गई सारे काम बन्द हो जायेंगे, बात-बात में छुट्टी होती है। हमें तो संकल्प करना चाहिये कि जब गरीबी है, जब कि हमारे यहां सब शिक्षित नहीं है तब शनिवार की छुट्टी हमारे देश के लिये अपराध है और कोई कारण नहीं है कि यह संकल्प न करें कि हम एक एक दिन में दस दस बारह बारह घंटे काम करेंगे। मैं अर्ज करूंगा कि एक निजी स्वार्थ होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भद्दे स्वार्थ को ही सामने रख कर स्वयं उसके शिकार बन जाते हैं। खलीफा जिबराल ने कहा कि सुन्दरता और कुरूपता जब नहाने गई तो कुरूपता पहले नहा कर आ गई और सुन्दरता बाद में आई, उसने शर्म की वजह से कुरूपता के कपड़े पहन लिये। इसी तरह विवेकहीन व्यक्ति कुरूपता को प्यार करते हैं लेकिन उधर के लोग सुन्दरता को कुरूपता के कपड़ों में देखकर धोखा खाते हैं और इधर के लोग इस तरह के धोखे में नहीं आते।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, बनारसीदास जी को जरा दर्पण दे दिया जाय।

श्री बनारसीदास—

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि २ तरह के नियंत्रण होते हैं जैसा कि विनोबा जी ने कहा है कि एक आत्म नियंत्रण होता है और एक वाह्य नियंत्रण, उसी को गांधी जी ने भी कहा कंट्रोल विधइन और कंट्रोल विदआउट। उसी को आदर्श स्थिति कहते हैं। प्रश्न यह है कि इस अध्यादेश की जरूरत क्यों हुई। सेक्रेटेरिएट में प्रदर्शन हो, आज हम लोग एक डाक में खड़े हैं और बड़ी शर्म के साथ हमारी गर्दन झुकती है इस से,एक दोस्त कहते हैं कि दूध ठीक नहीं मिलता क्योंकि सेनिटरी इन्सपेक्टर ठीक से चेक नहीं करता, सेल्स टैक्स में इवेजन हैं क्योंकि जिला कर्मचारी काम ठीक नहीं करते, मिसिल में देरी होती है क्योंकि अहलकार खराब हैं, तो एक तरफ तो भर्त्सना है कि जो सरकारी कर्मचारी है, जो मेशीनरी है उसमें लीकेज है और दूसरी तरफ चूंकि हम जानते हैं चुनाव नजदीक हैं कोई छटनी न हो, चाहें काम हो या न हो। आज कार्यक्षमता का आडिट हो, वह बढ़े, मैंने जनता की सभा में कहा और अब कहता हूं जो भीरु बन गये हैं। जनतंत्र के अन्दर हारना कोई गुनाह नहीं है। सिद्धान्तों को लेकर जनता के सामने जाना और हार जाना एक शान की बात है बजाय इसके कि जैसा कि श्री राजगोपालाचार्य जी ने केरला में कहा है कि मोहक का रूप धारण करके वोटों को मांगना यह कायरता है। याद रखिए कि कांग्रेस के लोग कायरता के शिकार होने वाले नहीं है। (हरिनाथ तिवारी के कुछ कहने पर)। मैं जानता हूं कि माननीय हरिनाथ तिवारीजी ने वकालत एक ऐसे मामले में ले ली है जो कि आ गई करने योग्य नहीं है, इसलिये उनको परेशानी हो रही है। मैं समझता हूं कि एक बिरला है, एक प्राइवेट मिल है। मैं यह भी समझता हूं कि हमारी गवर्नमेंट एक सैक्टर है। दोनों के इन्टैरेस्ट टकराते हैं, एक एम्प्लाई है और एक एम्प्लायर है। हम चाहते हैं कि दोनों के बीच में एक एजुडिकेशन की एक मशीनरी हो लेकिन एक तरफ तो मुख्य मंत्री हो

और एक तरफ उनका पी० ए० यदि स्ट्राइक करे तो क्या होगा । यदि इस सेक्रेटेरियेट की एक स्टेनों की फाइल या एसिस्टैन्ट जो कि स्ट्राइक के अन्दर हिस्सा लेता है, उसकी फाइल यदि उग्रसेन जी के पास आये तो उसका क्या होगा । तो आप समझ लीजिए कि यह एक खतरे की घंटी है । तो इस चुनाव के समय पर आप शायद अपनी वोटों के लेने के तरीके कर रहे हैं लेकिन आप याद रखिए कि आप जनतंत्र का एक जनाजा निकालने जा रहे हैं ।

कर्तव्य के बाद अधिकार की बात आती है । विहटले कौंसिल बनी । गजेन्द्र गडकर कमीशन बना । अभी यहां पर अध्यापकों की बात कही गयी कि उनके वेतन समान हों । हम भी मानते हैं कि उनके वेतन समान हों लेकिन क्या आप चाहते हैं कि जो हमारे चपरासी हैं, और एक राजा जौनपुर का चपरासी है, उनके उस चपरासी को वेतन देने के लिए हम यहां पर बिल लाये हैं ।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हल कोई डोमैस्टिक नौकरों के लिए यहां पर बिल लाते हैं । अगर मिल मालिक नहीं देगें तो सरकार देगी । इस प्रदेश में कितने करोड़ खेतिहर मजदूर हैं, उनकी मिनिमम वेजेज के लिए, उनकी मजदूरी के लिए हमने निश्चय किया । उनको २ रुपये मजदूरी मिले । आज यहां पर उनकी मजदूरी के लिये ४ रुपये का प्रतिपादन करने वाला कौन है ? माननीय उग्रसेन जी या माननीय राजा जौनपुर जी कुछ करें । क्या इधर के अकिंचन लोगों के ही जिम्मे है । यहां पर बड़े-बड़े फार्म वाले लोग हैं जैसे माननीय दीपनारायण जी हैं, भानुप्रताप सिंह जी हैं और माननीय बलवानसिंह जी हैं जिनके हजारों एकड़ के फार्म हैं । यदि उनके दिलों में गरीबों की बात है तो क्या वे कम से कम अपने मजदूरों को ४ रुपये के हिसाब से पे करेंगे ?

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

जितनी हम सब लोग मिल कर जमीन जोते हैं उतनी अकेले माननीय गिरधारीलाल जोते हैं ।

श्री बनारसीदास—

जो गलती माननीय दुबे जी ने की है मैं नहीं करूंगा । परमिट किसको ज्यादा मिले जांच की जाय, कोटा भी विरोधी दल के लोगों को ज्यादा मिला ।

कुछ सदस्य—

जांच करवा लीजिये ।

श्री बनारसीदास—

सिद्ध हस्त हैं कुछ लोग । असेम्बली के अन्दर वह जानते हैं कि यहां की भाषा दूसरी है, लेकिन कमरे से निकल जाने के बाद जितनी अफसर को माला पहनाते हैं जितना उसका सम्मान करते हैं जो कला वह जानते हैं वह हम १८ साल के अन्दर नहीं सीख पाये हैं, जिसके अन्दर दुबे जी सिद्धहस्त हैं ।

मैं अपील करना चाहता हूं कि इस बिल का एक ही मंशा है कि शान्ति रहे । मेरा सर श्रद्धा से पुलिस वालों के प्रति झुक जाता है कि उन्होंने अपने सरों पर गोली का वार सह कर किस निष्ठा के साथ आप के जानमाल की रक्षा की । यह प्रदेश ऋणी रहेगा । आखिर आप चाहते क्या हैं ? विरोधी दल मालूम होता है कि प्रत्येक उस वर्ग को जिसमें उत्तेजना आप पैदा कर सकें, असंतोष पैदा कर सकें, उसी को उभाड़ता है । जैसे दादा धर्माधिकारी थे, एक साहब ने कहा कि जनता के अन्दर असंतोष की ज्वाला जल रही है, तो उन्होंने कहा कि आप उसके अन्दर अपनी रोटी सेंक लीजिये । उसी तरह विरोधी दल वाले अपनी रोटी सेंकना चाहते हैं । यह कहते हैं कि प्रदेश में मंहगाई बढ़ी है । प्रदेश में पहले १० लाख टन

[श्री बनारसीदास]

चीनी बनती थी, आज ४५ लाख टन बनती है। यह कहां जाती है। माना कि विलायत केवल ५ लाख टन ही जाती है, ज्यादा नहीं . . . . .

श्री उग्रसेन—

बड़े-बड़े अफसरों के कुत्ते शरबत पीते हैं।

श्री बनारसीदास—

बिजली के पंखों का उत्पादन बढ़ गया, सीमेंट का उत्पादन १० गुना बढ़ गया, रेलों के अन्दर यात्रियों की संख्या ढाई गुनी हो गयी। यह मैंने माना कि मंहगाई बढ़ी है, जो हर अन्डर डेवलप्ड कंट्री में होता है जिसकी मिसाल इंडोनेशिया और जर्मनी है। जो अन्डर डेवलप्ड कंट्री होता है उसमें इनफ्लेशन लाजिमी होता है। आप बार-बार कहते हैं कि कोई कर न हो। अगर प्रत्येक मांग को माना जाय तो मतलब यह है कि वोट के लिये अपनी तरफ से हम कर माफ कर दें, केवल करेन्सी का सहारा लें जिसको कोई रोक नहीं सकता। हम करेन्सी के सहारे सारे करों को माफ करके इस देश को चलायें। नतीजा क्या होगा? इन्फ्लेशन बढ़ जायगा। आप जहां यह कहेंगे कि कर बढ़ गये, मंहगाई बढ़ गयी, लखनऊ में गेहूं ४० रुपये मन बिकता है, यह सरकार निकम्मी है, प्रोक्योरमेंट करती है, वहां हम कहेंगे कि आज अगर किसान को जिन्दा रखना है तो गेहूं का दाम ३० रुपये मन से किसी भी सूरत में कम नहीं होना चाहिये। दुबे जी ने कहा कि पूरा राशन नहीं देते हैं। अरे, हम ने तो आजादी के लिये खून दिया, क्या आप चाहते हैं कि जानसन के साथ आजादी का सौदा किया जाय? या आप यह चाहते हैं प्रोक्योरमेंट किया जाय. . . . .

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

बिना सौदा किये अगर मिनिस्ट्री मिल जाय तो फिर क्या पूछना है।

श्री बनारसीदास—

यह तो काबिलियत पर निर्भर है, लेकिन कुछ लोग अगर सौदा करना चाहें तब भी उनको मिल सकती है। पांडेय जी नेता रह चुके हैं, उन्हें थोड़ी वफादारी बरतनी चाहिये। बहुत से लोग लम्बे क्यू में लगना चाहते हैं फिर भी टिकट नहीं मिलता है। यह आर्डिनेंस जिसको मेरे एक दोस्त ने कहा काला कानून, तो काला रंग तो उनका भी है और काले की ही निन्दा। अगर रंग की ही बात है तो मैं मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि अबकी मर्तबा यह बिल पीला करके बंटवा दीजिये। लेकिन यह बिल किसी की आजादी पर प्रहार नहीं है। यह बिल लोगों को कर्त्तव्यपरायण बनाने के लिये है। आखिर संविधान के अन्दर क्यों नहीं आपने मिलिटरी को यूनियन बनाने का हक दिया। यह नैसर्गिक नियम है कि जहां पर ताकत होती है उसका दुरुपयोग हो सकता है। संगठन के साथ में कोई तर्क नहीं होता। आजकल मैंने देखा, वर्षा नहीं हुई, नहरें बहती चली जाती हैं, नहर को इलाहाबाद तक पहुंचाना है, किसान लोग बीच में ही पानी काट कर अपने खेत में दे लें। इस प्रदेश में साढ़े ५ लाख कर्मचारी और ३५ हजार टीचर्स हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि क्योंकि हम संगठित हैं, सरकार को हम चलाते हैं तो यह जो राष्ट्र का जल का चैनेल बहता है उस पर हम बांध लगा दें। ८ करोड़ जनता इस प्रदेश में रहती है। आप उस ८ करोड़ जनता की बात कहते। अगर आप वेतन बढ़ाना चाहते हैं तो आपने कोई सर्वे कराया। आप लखनऊ का सर्वे कीजिये उसके बाद कहिये कि मिनिमम वेतन क्या हो। आप तो केवल जबानी हमदर्दी करते हैं। हम बराबर प्रयास करेंगे कि सरकारी कर्मचारियों की कठिनाइयां दूर हों, उनको सस्ते मकान मिलें, उनको सस्ती चीजें मिले, उनके बच्चों को तालीम मिले, लेकिन जिस तरह आजादी की एक कीमत होती है, एमिनिटीज के लिये भी एक कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसलिये इस आर्डिनेंस का विरोध करना अराजकता को प्रोत्साहन देना है। मीटिंगों पर प्रतिबन्ध नहीं है लेकिन मीटिंगों

के माने लाइसेंस नहीं है। आज सरकारी कर्मचारी को कोई रुकावट नहीं है मुख्य मंत्री से एक डेपुटेशन में मिलने की। आखिर बजट वे लोग बनाते हैं, हम सिर्फ सलाह उनसे लेते हैं।

मैं अपने विरोधी पक्ष के साथियों से पूछना चाहता हूं कि जब थान पिल्ले की सरकार केरल में बनी थी तो क्या उस सरकार ने इस प्रकार का कोई राइट स्ट्राक करने का गवर्नमेंट सर्वेन्टस को दिया था? क्या कम्युनिस्ट सरकार ने गवर्नमेंट सर्वेन्टस को यह राइट दिया था? सोवियट रूस के अन्दर या चीन के अन्दर क्या गवर्नमेंट सर्वेन्टस को राइट आफ स्ट्राइक है? मैं पूछना चाहता हूं कि इस्टर्न कम्युनिस्ट डेमोक्रेसी के अन्दर क्या गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स को स्ट्राइक करने का राइट है? आज की स्थिति के अन्दर मुल्क के अन्दर सबसे जरूरी जिस बात की जरूरत है वह है उत्पादनवाद। यह सबसे जरूरी है कि यहां उपभोग्य वस्तुओं की प्रचुरता हो। सोशलिज्म कोई क्रीड आफ स्केयरसिटी नहीं है जिसमें गरीबी बांटनी हो। एक खान था जो साबुन को कलाकन्द समझ कर खाने लगा और बाद में थूकने लगा। तो उसी तरह से कहीं आप भी साबुन को कलाकन्द समझ कर न खाने लगें जिससे आपका दिल व दिमाग भी खराब हो। इसलिये मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि वे अपने इस संकल्प को वापस लें और इस आर्डिनेंस को पारित करने के प्रस्ताव का समर्थन करें।

श्री अधिष्ठाता—

बोलने वाले अधिक सदस्य मालूम होते हैं, इसलिये सदन की राय हो तो मैं उसके लिये समय नियत कर दूं।

(किसी के आपत्ति न करने पर)

तो १५ मिनट सदस्यों के लिये और २० मिनट नेताओं के लिये रहा।

*श्री बालोजी अग्रवाल (जिला आगरा)—

माननीय चन्द्रबलीसिंह जी ने जो संकल्प रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। हमारे सहकारिता मंत्री महोदय ने बोलते हुए और इस विधेयक का समर्थन करते हुए सबसे अधिक बल इस बात पर दिया कि यह विधेयक ८ करोड़ जनता के हित में है और इसलिये इस विधेयक को पारित किया जाना चाहिये। माननीय चन्द्रबलीसिंह का जो संकल्प है वह यह है कि इस विधेयक को जनमत संग्रह के लिये ८ करोड़ जनता में घुमाया जाय। यदि सहकारिता मंत्री का तर्क उचित और ठीक है तो इस संकल्प द्वारा ८ करोड़ जनता का मत इस पक्ष में आयेगा कि यह विधेयक पारित होना चाहिये और यदि यह विधेयक जनता के हित में नहीं है तो जनता इस पक्ष में अपना मत देगी कि इस विधेयक को पारित नहीं होना चाहिये।

अधिष्ठाता महोदय, जुलाई में जब अधिवेशन चल रहा था और जिस समय राजकर्मचारियों की हड़ताल चालू थी उस समय सरकारी पक्ष द्वारा समझौते की वार्ता एक ओर चल रही थी और अविश्वास के प्रस्ताव पर जब कि राजकर्मचारियों की हड़ताल पर अधिक विवाद था, उस समय सरकारी पक्ष के सभी मेम्बर कहते थे कि राजकर्मचारियों में हमारे भी बेटे हैं, हमारे भी भाई हैं, हमारे रिश्तेदार और नातेदार हैं और हम उनकी मांगों पर अवश्य विचार करेंगे। और एक समझौता मुख्य मंत्री और राजकर्मचारियों में हुआ तब जाकर हड़ताल टूटी। लेकिन समझौते द्वारा—उस समझौते में जो आश्वासन दिये गये थे, जिन बातों को कहा गया था, उन सारी बातों का पालन नहीं किया गया।

आज जिस प्रकार इस राज्य के अन्दर और देश के अन्दर मंहगाई बढ़ती जा रही है, जीवन यापन सम्बन्धी जितनी वस्तुएं हैं उनकी कीमतें बढ़ती जा रही हैं, उनको यदि हम देखें तो राज्य कर्मचारी क्या, अध्यापक, लोकलबाडीज के कर्मचारी, और जितने कर्मचारी ह या मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं, वे अपने परिवार का लालन पालन उचित रूप से नहीं कर पाते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बालोजी अग्रवाल]

इन कारणों से राज्य कर्मचारियों, अध्यापकों, स्वायत्त शासन के कर्मचारियों ने अपने मंहगाई भत्ते की मांग को लेकर एक कदम उठाया है और राज्य कर्मचारियों ने कहा है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के समान मंहगाई भत्ता किया जाय, अध्यापकों ने कहा है कि सरकारी स्कूल के अध्यापकों के समान उनका वेतन किया जाय जिससे उनमें समानता आ सके तथा स्वायत्त शासन कर्मचारियों की मांग है कि उनका वेतन बढ़ाया जाय जिससे वे अपना जीवन यापन सुगमतापूर्वक कर सकें। सरकार या तो इस बात को कहे कि उनकी मांगें उचित नहीं हैं और वह उनको मानने के लिये तैयार नहीं है। लेकिन जब सरकार कहती है कि उनकी मांगें उचित हैं तो उनको पूरा क्यों नहीं करती है? फिर क्यों दुराग्रह सरकार करती है कि उनकी मांगें नहीं मानी जायेंगी।

अधिष्ठाता महोदय, जब पांडव और कौरवों का युद्ध हुआ था तो युद्ध से पहले पांडवों ने सभी साधन अपनाये कि किसी तरह से युद्ध न हो और आपस में समझौता हो जाय। उन्होंने कृष्ण जी को कौरवों के पास भेज कर कहलाया कि हम को रहने को केवल ५ गांव दे दिये जायं। इस पर दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोंक के बराबर भी भूमि नहीं देंगे। जब सारे रास्ते समझौते के कौरवों द्वारा अवरुद्ध कर दिये गये तो कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध हुआ। उसी तरह से आज भी सरकार ने राज्य कर्मचारियों, अध्यापकों तथा स्वायत्त शासन के कर्मचारियों के लिये समझौते के सारे रास्ते अवरुद्ध कर दिये हैं जिसके कारण उनको अन्तिम निर्णय लेना पड़ा है कि यदि सरकार हमारी मांगों पर विचार नहीं करती है और वेतन तथा मंहगाई भत्ता नहीं बढ़ाती है तो हमको विवश होकर हड़ताल करनी पड़ेगी। यह राज्य कर्मचारियों ने, अध्यापकों ने तथा स्वायत्त शासन के कर्मचारियों ने अपना अंतिम निर्णय लिया है। मैं जानना चाहता हूं कि आज अध्यापकों को अनशन करते हुये इतने दिन हो गये लेकिन क्या सरकार के कानों पर जूं रेंगी? नहीं रेंगी। अध्यापकों ने प्रदर्शन किया, राज्य कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया तथा सभायें करके, प्रस्ताव पास करके सरकार के पास भेजे, लेकिन सरकार ने उनके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया। राज्य कर्मचारियों ने देखा कि समझौते के सारे मार्ग सरकार ने बन्द कर दिये हैं तो विवश होकर उन्होंने अपना अन्तिम निर्णय लिया और हड़ताल करने का निश्चय किया है।

मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ही कोई रास्ता बताये कि उनकी मांगें जो न्यायोचित हैं उनको मनवाने के लिये राज्य कर्मचारी तथा अध्यापक लोग कौन-सा कदम उठायें जिससे सरकार उनको माने। अधिष्ठाता महोदय, आज देश के सौभाग्य से या दुर्भाग्य से कांग्रेस सरकार ने १८ साल में इस तरह का देश में वातावरण पैदा किया है कि आज हर व्यक्ति इस बात को महसूस करता है कि अगर सरकार से अपनी न्यायोचित मांगों को मंगवाना हो तो वह प्रदर्शन से सुनने वाली नहीं, अनशनों से सुनने वाली नहीं है, सभाओं से, प्रस्तावों से सुनने वाली नहीं है, आज सरकार तभी सुनती है जब कोई उग्र कदम उठाया जाय। इस प्रकार का विश्वास जनता ने अपने आचरण से पैदा किया है। सरकार ने जितनी बातें मानी हैं, चाहे भाषा की बात हो, चाहे पंजाबी सूबा बनाने की बात हो, चाहे बम्बई राष्ट्र में महाराष्ट्र में मिलाने की बात हो, सरकार ने तभी कबूल किया है जबकि जनता ने उग्र आन्दोलन किया है और यह विश्वास आज जनता की बीच में पैदा हो गया है। जब सरकारी कर्मचारी या अध्यापक जब आज इस बात का निर्णय लेता है कि वह हड़ताल करेगा तो इसलिये कि इसके अलावा उनके पास अपनी मांगों को मनवाने के लिये कोई भी चारा शेष नहीं रह गया है।

माननीय बनारसी दास अभी पुलिस और सेना की बात कह रहे थे। क्या दिल्ली में पुलिस ने अपनी यूनियन नहीं बनायी? उसको रोकने के लिये लोक सभा में विधेयक नहीं पारित किया गया? पुलिस ने तब यूनियन बनायी जब उन्होंने अनुभव किया कि हमारी बातों को सरकार मानने के लिये तब तक तैयार नहीं है जब तक यूनियन बना कर कोई ठोस कदम न उठाया जाय। जिस सेना की बात आज माननीय बनारसीदास कहते हैं सेना ने यूनियन नहीं

बनायी लेकिन सेना भी आपसे असंतुष्ट है। १९४२ के अन्दोलन के कारण नेवी के सैनिकों ने प्रदर्शन किये उसके बाद ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिली। सेना आपके कार्यों से संतुष्ट नहीं है, लेकिन इस बात की चर्चा करने की यहां आवश्यकता नहीं है। जो आपकी नीतियां हैं, जिस मरघट के चौहारे पर आपने १८ वर्षों में जनता को लाकर खड़ा कर दिया है, वहां जनता और सरकारी कर्मचारी आज करवट बदल रहे हैं। जब वह आगे जाना चाहते हैं तो आप इस प्रकार का विधेयक लाते हैं कि उनको हड़ताल नहीं करने दिया जायगा। जो आज क्रान्ति की लहर देश में आ रही है उसको आप दबा नहीं सकते हैं। जितना आप दमन करेंगे उतना ही ऊभर कर आयेगी। बेंत को जितना अधिक जोर से मारेंगे उतना ही अधिक उछलेगा जो दमन का तरीका आप अख्तियार कर रहे हैं वह कुर्सियों को अधिक दिनों तक संरक्षण नहीं दे सकता। वह अपनी मांगों को लेकर आगे जायेंगे। आप कहते हैं कि सुकुल मारे मारे फिर रहे हैं। उनको अन्डरग्राउन्ड जाना चाहिये और जाकर अपने कार्य को संगठित करना चाहिये। आपने कभी इससे पहले सुकुल या घोष को बुला कर, उनके नेताओं से, बातचीत की? आप नागालैण्ड वालों से बात करते हैं जो आपको चुनौती दे रहे हैं, जो रोजाना तोड़-फोड़ करते हैं, नेताओं को बुलाकर इन्द्रा गांधी बात करती हैं पाकिस्तान से बात कर सकते हैं, मीजो लोगों से बात कर सकते हैं लेकिन जिन को आप कहते हैं कि हमारे बेटे, भाई और रिश्तेदार हैं उनको बुला कर बातचीत नहीं कर सकते। आप अध्यापकों को बुला कर बातचीत नहीं कर सकते, आप राजकर्मचारियों को बुलाकर बातचीत नहीं कर सकते और ऐसे देशद्रोहियों से बात कर सकते हैं जो इस देश को नेस्तनाबूद करने की बात करना चाहते हैं, जो इस देश के राष्ट्रभक्त और देशभक्त नहीं हैं। आप कर्मचारियों और उनके प्रतिनिधियों से बात नहीं करना चाहते हैं—इस तरह से उनको दबाया नहीं जा सकता है। उग्रसेन और चन्द्रबली जी ने जो कहा कि वह हड़ताल करेंगे उन्होंने ठीक ही कहा है। वे हड़ताल करेंगे और आप उन्हें उनके हड़ताल करने के अधिकार से रोक नहीं सकते हैं। वे हड़ताल करेंगे यदि आप उनकी मांगों को नहीं मानेंगे। यदि आप यह घोषणा नहीं करेंगे कि हम उनकी मांगों को मानते हैं, वे हड़ताल करेंगे और आपको उनके सामने झुकना पड़ेगा और आपको तो हमेशा झुकना पड़ा है और झुकते रहेंगे। कौन सी ऐसी घटना है कौन सी ऐसी मांग है कि जिसके सामने आप नहीं झुके हैं। १८ साल का इतिहास यह बताता है कि आप हर मांग के सामने झुके हैं, जिसमें आपको डंडे से झुकाया जाता है। लेकिन आप झुकेंगे जब, जब इस राज्य में एक बड़ी हड़ताल हो जायगी।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, अभी तो मेरा समय होगा। तो मैं कह रहा था कि आप जब झुकेंगे जब आपको एक धक्का लगेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप समय रहते चेतिये और यह जो ज्वालामुखी की चिनगारियां फूटना चाहती हैं उनको आप फूटने से पहले और सब कुछ जला कर खाक करने के पहिले जागिये और सोचिये समझिये तथा सोच समझकर कदम उठाइये।

अभी हमारे बनारसीदास जी ने कहा है कि विधान सभा सर्वोपरि है और वह सारी बातों का निर्णय करेगी। इस बात से कोई मतभेद नहीं रखता कि विधान सभा सर्वोच्च और सर्वोपरि नहीं है। विधान सभा ही इस सबका निर्णय करेगी; लेकिन आप अपनी तरफ से वह स्थिति तो पैदा कीजिये जिससे शान्तिमय वातावरण में हम सब लोग इस पर बैठ कर विचार कर सकें।

चुनाव की बात आप करते हैं, कि चुनाव के कारण से हम ऐसी बात करते हैं। मान लीजिये कि चुनाव के कारण ही हम उनको भड़का रहे हैं, लेकिन आपकी बुद्धिमानी किस चीज में है, यह तो विचार कीजिये। आपकी बुद्धिमानी तो इसी में है कि आप उनकी मांगों को मान जाइये, उनको सन्तुष्ट कर दीजिये, जिससे कि हम उनको न भड़का सकें और हम उनको आगे करके चुनाव न जीत सकें। हम उनकी मांगों का समर्थन और इस प्रकार की बातें चुनाव के कारण नहीं करते हैं, बल्कि इस कारण करते हैं कि हम उनकी मांगों को उचित और न्यायोचित समझते हैं, इस देश के और इस प्रदेश के हित में समझते हैं और देश की ८ करोड़ जनता के हित में समझते हैं। इसलिये मैं कहता हूं कि उनकी मांगों को माना जाना चाहिये और

[श्री बालोजी अग्रवाल]

इस विधेयक को वापस ले लिया जाना चाहिये। आप हड़ताल पर रोक लगाकर हड़ताल पर जाने के उनके जनतन्त्रीय अधिकारों को छीन नहीं सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं माननीय चन्द्रबली सिंह जी द्वारा प्रस्तुत अननुमोदन के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वास्तव में तो मेरी इच्छा थी कि मैं माननीय उग्रसेन जी का भाषण सुन लूं तो उसके बाद बोलूं। क्योंकि मेरा विश्वास था कि अब तक विरोधी दल के सदस्यों के जो भाषण हुये हैं उनमें मुख्य विषय पर ही ध्यान की कमी रही है। श्रीमन्, मैं चन्द्रबलीसिंह जी और दुबे जी के भाषणों को बड़े गौर से सुन रहा था। उन लोगों ने बड़े योग्यतापूर्ण ढंग से उन दो कठिनाइयों की चर्चा की जिसमें आज सरकारी कर्मचारी विशेष रूप से कम तनख्वाह पाने वाले फंस गये हैं। श्रीमन्, इसमें कोई विवाद नहीं हो सकता है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता कि हमारे प्रदेश में जिस प्रकार की मंहगाई चल रही है, उस समाज की हर मध्यम श्रेणी के लोग, जिनकी आमदनी, आय और वेतन तीन सौ या चार सौ रुपयों से कम है उन्हें अपने पारिवारिक बजट को संतुलित करने में बड़ी कठिनाइयां होती हैं मेरी समझ से उत्तर प्रदेश की सरकार या इस सदन का कोई भी सदस्य इस बात से इंकार नहीं कर सकता कि ऐसी स्थिति में इनके सामने विषम कठिनाइयां आ गयी हैं। जब आर्थिक कठिनाइयां आ गयी हैं तो उनका यह अधिकार भी है कि वे अपनी आर्थिक कठिनाई को सरकार के सामने रखें और सदन के माननीय प्रतिनिधियों के सामने रखें। अभी श्री चन्द्रबलीसिंह जी ने ठीक ही कहा कि उन्हें संविधान के अन्तर्गत जो यूनियन बनाने का अधिकार मिला है, यदि वे उसका उपभोग नहीं कर सकते हैं तो क्या यह अधिकार उनको घास काटने के लिये मिला हुआ है? इन बातों में कोई भी दो रायें नहीं हो सकती हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार का कोई भी प्रतिनिधि इससे इंकार नहीं कर सकता कि उत्तर प्रदेश में मंहगाई के कारण कम तनख्वाह वालों को भारी मुसीबत है। और उनको इस बात का हक है कि वे अपनी मांगें सरकार या जनप्रतिनिधियों के सामने रखें। परन्तु हम यह तो यहां पर इस विधेयक को विचार करने के लिये बैठे हुये हैं। इस विधेयक में कहीं लिखा हुआ है कि सरकारी कर्मचारी अपनी बात नहीं कह सकते हैं। यह कहां लिखा हुआ है कि उनको अधिकार नहीं है कि वे अपनी मांग न रखें, लेकिन एक विशेष परिस्थिति हमारे प्रदेश में विशेष करके और देश में आम तौर से पैदा हो गयी है कि जिसकी मिसाल डेमोक्रेटिक कंट्रीज के इतिहास में ढूढ़ने से भी नहीं मिलेगी। श्रीमन्, एक दिन मैं पुस्तकें तलाश कर रहा था चीन और रूस की, जहां आप जानते हैं उग्रसेन जी, कि सरकारी कर्मचारी तो दूर आप जैसे बुद्धिमान नेता भी अपनी बात कहें तो आपको गोली से उड़ा दिया जायगा।

श्री उग्रसेन—

आपने लेनिन को पढ़ा है।

श्री कृष्णानन्द राय—

लेनिन ने कुछ लिखा हो लेकिन जो व्यवस्थायें आज चीन और रूस में चल रही हैं, उससे आपका वही हाल होगा जैसा मैंने कहा है। तो मैं अमेरिका और इंग्लैंड जहां थोड़ा बहुत डेमोक्रेटिक सेट अप है उसमें गवर्नमेंट पर्सोनेल को किस प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं उसका लिटरेचर तलाश कर रहा था। तो मुझे जो भी लिटरेचर देखने को मिला उसमें सब जगह एक ही कंट्रोवर्सी तो मिली कि पब्लिक वर्सस सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोवर्सी तो है, यह तो है कि पब्लिक के अधिकारों का कितना हनन हो रहा है लेकिन इस तरह का इतिहास देखने को नहीं मिला जहां सिविल सर्विसेज ने अपनी सरकार के विरुद्ध विरोधात्मक या विद्रोहात्मक रुख अख्तियार

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर लिया हो। इंग्लैंड में हि्वर्टिले कमीशन मुकर्रर किया गया था। वहां पर कोई एजीटेशन नहीं हुआ था लेकिन वहां पर जो सरकारी या दूसरे जितने भी प्रकार के कर्मचारी थे, उनको इम्प्लायर्स और ईम्प्लाईज के बीच क्या सम्बन्ध हो उसके लिये चीफ जस्टिस हि्वर्टिले की अध्यक्षता में एक कमीशन बनाया गया। उसकी रिपोर्ट देखने का अवसर हुआ। उसमें क्लियर डिस्टिंकशन कर दिया गया है दो प्रकार के सरकारी कर्मचारी हैं। एक तो पब्लिक यूटिलिटी के और दूसरे जो केवल सिविल ऐडमिनिस्ट्रेशन के हैं। जो पब्लिक यूटिलिटी के कर्मचारी हैं, जैसे इंडस्ट्रियल कन्सर्न में वैसे ही गवर्नमेंट डिपार्टमेंटस के लिये कमीशन ने लिखा है कि चूंकि वे उत्पादन के काम में लगे हुये हैं और उनके कार्यों से लाभ होता है इसलिये उनको हक होता है कि वे अपनी मांगों के लिये ऐजीटेशन करें लेकिन जो प्योर ऐडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के हैं उनके और उनके इम्प्लायर्स के बीच एक विशेष रिश्ता है, ओथ आफ सीक्रेसी का रास्ता है, ओथ आफ गुड ऐडमिनिस्ट्रेशन का रिश्ता है, उनके लिये किसी भी हालत में प्रोडक्शन सेन्टर्स में लगे हुये जो लोग हैं उनकी भांति अपनी मांग रखें, यह उनको बिलकुल अधिकार नहीं है।

श्रीमन्, आज हमारे देश में विचित्र परिस्थिति पैदा हो गई है। विशेषरूप से हमारे उत्तर प्रदेश की बात कही जाती है। मैंने पहले निवेदन किया कि सरकारी कर्मचारियों को, जो आर्थिक कठिनाई वतन क्रम और मंहगाई के कारण हो गई है, उसके लिये उनकी मांग में औचित्य नहीं है यह मैं कहने के लिये तैयार नहीं हूं। उनकी मांग जायज है। मैं यह कहने के लिये तैयार हूं कि उनकी बहुत सी मांगों में औचित्य है और उनकी मांग जायज है। इसीलिए कई बार कैबिनेट की मीटिंग में इस पर विचार हुआ है। वे लोग कहते हैं कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट के अनुसार उनको मंहगाई भत्ता मिलना चाहिये। यू० पी० सरकार कहती है कि इसमें ३० करोड़ रुपया और चाहिये। पे कमेटी की सिफारिशों के अनुसार १५ करोड़ रुपया दे चुके हैं। अब अगर सेन्ट्रल गवर्नमेंट के बराबर महंगाई भत्ता देते हैं तो उसके लिये ३० करोड़ रुपया और चाहिये और ९० करोड़ रुपया उनके वेतन पर खर्च किया जाता है। बजट का ३० परसेन्ट उन पर खर्च होता है। तो एडीशनल जो यह ४५ करोड़ रुपया होगा यह कहां से आयेगा। यू० पी सरकार इसको बरदाश्त नहीं कर सकती है। जो आर्थिक कठिनाई है वह यह है। सरकार इसको मानती है। सरकार और उसके कर्मचारियों के बीच संघर्ष है जो विवाद है वह किसी सिद्धान्त पर नहीं है। वह केवल कुछ आंकड़ों का विवाद है। वह कहते हैं कि हमको इतना मिलना चाहिये वह सरकार कहती है कि जो तुम्हारी मांग है वह उचित है, जो आर्थिक कठिनाई है उसको सरकार स्वीकार करती है लेकिन आज सरकार इस स्थिति में नहीं है कि इतना रुपया दे सके। यह चीज है। यह केवल घरेलू विवाद है। यह झगड़ा राउन्ड टेबिल पर बैठकर तय किया जा सकता है।

मैं उग्रसेन जी को धन्यवाद दूंगा अगर वह इस मामले को लेकर सरकार के पास आयें और इसको तय कराने का प्रयत्न करें या फिर इस प्रश्न का समाधन करने के लिये कैबिनट के पास बुद्धि आजाय कि वह कर्मचारियों के नेताओं को बुलाकर उससे बातचीत करके तय करके और साथ ही कर्मचारियों को भी बुद्धि आजाय कि वह किसी शर्त पर बात करें और बतलायें कि उनका कितना जस्ट केस है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि यह झगड़ा तय हो सकता है अगर समारे विरोधीदल के नेतागण चाहें सरकार और कर्मचारियों के विवाद में सारी परिस्थितियों को समझकर इसको तय करा सकते है। या सरकारी कर्मचारियों के दिमाग में यह बात आ जाय तो वह इस प्रश्न को लेकर स्वतः सरकार से बात करें। किसी भी इन्टरमिडियेशन के सहारे से इस प्रश्न का समाधान हो सकता है। सरकार के रिसोर्जेज कितने हैं और उनकी मांग है वह कहां तक और किस रूप में पूरी की जा सकती है इन सब बातों पर विचार करके इसका समाधान निकाला जा सकता है। इन बातों पर ठंडे दिल से विचार करने की जरूरत है कि कहां तक उनको पूरा कर सकते हैं और कहां तक नहीं कर सकते हैं।

हमारे लायक दोस्त ने कहा कि यह काला कानून है और उसको वापस लिया जाय। शान्तिप्रपन्न जी ने हंसते हुए एक शान्त वातावरण में इस विधेयक को यहां पर रखा है जिसमें

[श्री कृष्णानन्द राय]

हड़ताल करने की मनाही की गई है और जेल की सजा की बात रखी है। कभी भी कोई सरकार इस प्रकार का यत्न नहीं कर सकती कि वह अपने ही कर्मचारियों को जेल भेजने की कोई व्यवस्था करे, लेकिन किन परिस्थितियों में ऐसा रखा गया है इस पर उग्रसेन जी ने ध्यान नहीं दिया। आप जानते हैं कि··· (व्यवधान)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

एक माननीय सदस्य को भी उन्होंने जेल भेजने के लिए कहा था और माननीय अध्यक्ष की व्यवस्था हो चुकी है उस पर ।

श्री अधिष्ठाता---

आप मुझे संबोधित करते हुए कहें।

श्री कृष्णानन्द राय---

मैं निवेदन कर रहा था कि यह जो ऐक्ट है वह कड़ा ऐक्ट है, लेकिन किन परिस्थितियों में इसको लागू किया गया है ? इस प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक सब को विचार करना है। आज हमारा दुर्भाग्य है कि जनता असेम्बली को एक इर्रिलीवेंट टापिक समझने लगी है। सरकारी कर्मचारियों ने एक नोटिस दिया है कि ६ दिसम्बर को वह सारे प्रदेश के जिला हैडक्वार्टर्स पर बृहत प्रदर्शन करेंगे और एक नोटिस देंगे कि अगर एक महीने के अन्दर उनकी मांगों को नहीं मान लिया गया तो ६ जनवरी से वह सदैव के लिए इस सरकार के काम को ठप कर देंगे और जो कि एक कांस्टीट्यूशनल राइट है पीपिल का कि फरवरी में इलेक्शन होने वाला है उसमें भी वह हाथ नहीं बटायेंगे। तो अजीब-सा प्रश्न पैदा होता है कि जिन सरकारी कर्मचारियों पर सरकार को चलाने का दायित्व है और सारी सरकार उनके हाथ में है, वह कहते है कि सरकार को ही ठप कर देंगे अगर हमारी मांगों को नहीं पूरा किया जायगा, इससे बढ़कर कोअरसिव, हृदयहीन और अनडिमोक्रैटिक कोई मांग नहीं हो सकती हलांकि मांग वह सही है और उचित है, लेकिन उसको मनवाने का डिमाक्रैटिक तरीका अपनाना चाहिये। ऐसी अवस्था में ऐसा ऐक्ट आवे, और कोई तरीका नहीं है।

श्री उग्रसेन---

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं बहुत खामोशी के साथ जो माननीय चन्द्रबली का प्रस्ताव है कि ४ महीने के लिए यह विधेयक जन-जन में घुमाया जाय के विषय पर अपने लायक दोस्त बनारसीदास और साथी कृष्णानन्द राय को सुन रहा था। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जो चन्द्रबलीसिंह का है और बाबू बनारसीदास जो कहते हैं कि हम लोग कर्मचारों को भड़का रहे हैं, तो इसका जवाब देना भी अपनी शान के खिलाफ समझता हूं। उनका ध्यान एक ऐतिहासिक तथ्य की ओर ले जाना चाहता हूं। पाश्चात्य देश के लोगों के नागरिक अधिकारियों के लिए एक थीरो नामक दार्शनिक लड़े थे, उनको जेल में ठूंस दिया गया। उनके दोस्त उनसे मिलने के लिए गये और थीरो से पूछा कि तुम जेल के अन्दर क्यों हो ? थीरो ने जवाब दिया कि बताओ, तुम बाहर क्यों हो ? तो वह चुप हो गये। मैं भी माननीय बनारसीदास से पूछता हूं कि तुम ने अभी कहा कि आजादी की लड़ाई लड़ने वाले रहे हो, जेल काटी है, हथकड़ी काटी है, जेल का तसला मांजा है, वरधा में गांधी जी के पास रहे हो तो अगर यह नाचीज, खाकसार उग्रसेन उनको भड़काता है तो तुम क्यों नहीं भड़काते हो ? अगर तुम उन कर्मचारियों को इस राजसत्ता के खिलाफ नहीं भड़काते हो तो तुम सबसे महान और जघन्य अपराध कर रहे हो और तुम श्रम मंत्री नहीं, बेशरम मंत्री होकर इस काले कानून के पोषक बन रहे हो। आज साथी चन्द्रबली का नाम इस विधान सभा के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से लिखा जायगा जिन्होंने इसे काला कानून कहा है। यह काला कानून है। यह जनतंत्रीय, संसदीय, न्याय और किस सही बात की हत्या नहीं कर रहा है, यह मैं आप से पूछना चाहता हूं।

श्रीमन्, राज्य कर्मचारियों ने १२ दिन तक हड़ताल की। प्रदेश के ५–६ लाख कर्मचारियों ने हड़ताल की। एशिया में कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा कि जिस देश के कर्मचारियों ने १२ दिन तक हड़ताल की हो वहां का शासन न उलटा हो। मैं बर्मा गया था, और तो कहीं विदेश जाने का अवसर मिला नहीं। वहां मैंने देखा कि जब आजादी की लड़ाई वहां लड़ी गयी, वहां की ट्रेड यूनियन ने ७ दिन तक हड़ताल की, और उसका नतीजा यह हुआ कि अंग्रेजों की राज्य सत्ता उलट गयी। यहां १२ दिन में सत्ता नहीं उलटी? ऐसा क्यों हुआ? राज्य सभा से उस समय माननीय राजनारायण को निकाला गया, मुझे सदन से निकाला गया, कई माननीय सदस्यों को निकला गया। मुझे शुकुल मिले, मैंने उनसे कहा कि हड़ताल कोई खेल नहीं है, यह एक क्रान्ति की लपट है, एक क्रान्ति है। उसकी हृदय की विशालता की मैं तारीफ करता हूं। जेल और हथकड़ियों की सीमा को उलांघकर वह माननीय मुख्य मंत्री से मिलते रहे। जब शुकुल जी मिलने गये तो सुचेता जी ने पूछा अरे बेटे इतने दिन कहां रहे, तुम्हारी दाढ़ी कितनी बढ़ गयी है। उसी प्रकार पूछा जैसे सुदामा से कृष्ण ने पूछा था कहा था, इतने दिन भाई तुम कहां रहे, तुम्हारी क्या दशा हो गयी है। उस समय तो बड़ा बड़ा प्रेमालाप हुआ, कहा सब तुम्हारी मांग दे दूंगी। मगर क्या हुआ, उन्होंने कोई आश्वासन लिखित नहीं लिया। उग्रसेन जैसा आदमी तमतमा उठा। जांच कराने की बात स्वीकार हुई, बाद को कहा कि हम पूरे मामले की जांच करायेंगे, सबकी जांच करायेंगे। पे कमेटी ने सिफारिश की कि राज्यों में महंगायी बढ़ेगी, उसके अनुसार मंहगायी भत्ता बढ़ाया जाये, सरकार ने उसे भी नहीं माना। जो भी उस समय आश्वासन दिये गये, सरकार ने पूरे नहीं किये। गलती भारी यह हुई कि शुकुल जी ने आश्वासन लिखित नहीं लिये। पे कमेटी ने जो भी नार्म्स बनाये महंगायी भत्ते के बारे में, सरकार ने उसे भी नहीं माना।

मान्यवर, सरकार ने कहा कि हम छटनी नहीं करेंगे। मैंने इसी सदन में कहा है कि ३६ हजार कर्मचारी निकाले जाने वाले हैं। मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि ३६ हजार में से १४–१५ हजार निकाल दिये गये। मैं परिवार नियोजन की बात करता हूं। क्या यही सरकार परिवार नियोजित करेगी? यह भखों मारेगी। देवरिया में किसान परिवारों के बच्चे दानों के लिये बिलख रहे हैं कोई नामलेवा नहीं है उनका। राज्यकर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, डेपुटेशन माननीया मुख्य मंत्री से मिलने के लिये गया और उन्हें अपने सम्मेलन में इसलिये बुलाया कि आप हमारे सम्मेलन का उद्घाटन कीजिये हमारी मांगों के विषय में कहिये परन्तु माननीया जी नहीं गई और चीफ सैक्रेटरी ने उसमें यह पुछल्ला लगा दिया कि आप न जाइये वहां झगड़ा हो रहा है। जिस समय राज्यकर्मचारी बेचारे अपने मांगों के लिये दिल्ली जा रहे थे उस समय भी मैं उनको बिदाई दे रहा था जैसे जब गान्धी जी राउन्ड टेबुल कान्फ्रेन्स में भाग लेने के

(इस समय ३ बजकर २९ मिनट पर अधिष्ठाता श्री कृष्णानन्द राय पीठासीन हुए)

लिये विदेश जा रहे थे तो उस समय के लोगों ने उन्हें बिदाई दी थी। इनकी मांगों के लिये केन्द्र ने भी कहा कि हम करेंगे खुलासा कर दिया परन्तु जब लौटकर वहां से आये तो कुछ निर्णय नहीं हुआ। इनकी आल इण्डिया की जो बैठक हुई उसमें भी यही इन्होंने निर्णय लिया है कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं देगी तो हम लड़ेंगे और भिड़ेंगे। अभी हड़ताल शुरू नहीं की है। ४२ नेताओं का वारन्ट है।

माननीय अधिष्ठाता जी, आप यहां बैठे थे और बोल रहे थे तो जनतन्त्र की बात कर रहे थे। शर्मा जी और बनारसीदास जी ने भी की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि २० हजार मास्टर इस शहर में आये हैं और जलुस निकाल रहे हैं। पचासों मास्टर गिरफ्तार हो गये प्रोफसर हरीरामसिंह जी भी गिरफ्तार हो गये हैं। वह आपसे क्या खुराफात मांग रहे हैं। उनका तो यह कहना है कि समान काम और समान वेतन का नारा उनका है। गवर्नमेंट कालेज में जो पढ़ाते हैं क्या वे ज्यादा हिसाब पढ़ा लेते हैं। आपकी शिक्षा की क्या नीति है। अगर शिक्षा की नीति होती तो मैं कहता हूं ४४ करोड़ रुपये से वह शिक्षा हो जाती "जिसको माननीय

[श्री उग्रसेन]

चन्द्रबलीसिंह मानते हैं। चीफ सेक्रेटरी के बच्चे तो सैन्ट मेरीज और लारेंटो कानवैन्ट में शिक्षा लें और गरीबों के बच्चे अपना-अपना बोरा लेकर पढ़ें। जब बच्चे पढ़कर बोरा वापिस लेने को तैयार होते हैं तो मास्टर कहता है कि बच्चों बोरा रख दो। उनके घर से बच्चों को यह कहा जाता है कि बोरा घर लेकर आना क्योंकि उसी से रात ओढ़कर ही काटी जायेगी। तो क्या किया। तो राज्य कर्मचारी भी बेचारे आज इस स्तर पर आ गये हैं और इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी माननीया सुचेता कृपालानी की सरकार की है। यह हमेशा लटकाती रही है, इनको लटकाये रखने में ही मजा आता है। ये समस्या वीर हैं और यह सरकार समाधान कायर है इस बात को याद रखियेगा। इनसे १९ सालों में भी किसी समस्या का समाधान नहीं निकला। मेहतर बोलता है कि हम सौ से कम वेतन नहीं लेंगे। दारोगा जी का घोड़ा घास खाने के लिये पांच रुपये पाये और पुलिस वाला डेढ़ रुपया किसी न किसी तरह पा जायेगा। यहां तो हर जगह यही हिसाब है कि टके सेर भाजी टके सेर खाजा, अन्धेर नगरी और चौपट राजा।

मुझे याद है जब माननीया सुचेता जी दिल्ली में थीं तो ये कई संगठनों में थीं। और जब ये श्रम मंत्री थीं तो जेनेवा गई थीं। मैं मुख्य मंत्री और बनारसीदास जी से पूछना चाहता हूं कि जनसंगठन जितने हैं क्या हड़ताल करना उनका औचित्य नहीं है? क्या उनका अन्तिम शस्त्र या हथियार यह नहीं माना गया है? अगर उनका यह हथियार नहीं है तो मैं इसके बारे में सुप्रीमकोर्ट का फैसला बताऊं। एक फैसला जोजेफ के बारे में सुप्रीमकोर्ट ने दिया है कि हड़ताल करना जायज और प्रदर्शन करना भी जायज है। तब ये जो मास्टर प्रदर्शन कर रहे हैं तो अपने इन पचास मास्टरों को क्यों मरवाया। आप कानून और व्यवस्थ को नहीं मानते, मारने की बात कहते हैं। क्योंकि वहां जनव्यवस्था का सवाल है देश की आजादी को आंच न आये, इसमें यूनियनबाजी नहीं है। हम भी एम० एल ०ए० बने हैं। इसी तरह और भी गन्ना कर्मचारी संघ और गन्ना काम र अपने हकों के लिये लड़े, जेल गये, मेरे कमरे से, यह क्या मेरा गुनाह हुआ? वह गुनाह करने के लिये मैं तैयार हूं जब तक मैं जिन्दा हूं और मैंने व्रत लिया है कि जो रोजी-रोटी के लिये लड़ेगा उसको तब तक लड़ाऊंगा जब तक सिर न फूट जायगा। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से रोटी मांगी और उन्होंने उनको पत्थर मारे लेकिन आज हम रोटी मांग रहे हैं तो सुचेता कृपालानी की सरकार ३०३ की गोली मार रही है। क्या जनतंत्र का यही न्याय है? महात्मा गांधी और पैगम्बरों की मिसाल दी जाती है। अब्दुल हमीद की बात कही जाती है। पैगम्बर कहता था कि इंसानियत को आबाद करो, हक के साथ रहो, नाहक के खिलाफ हाथ-पैर से लड़ो अब्दुल हमीद मर गया क्योंकि वह मुस्लिम ईमान था। अयूब खां ने नाहक के लिये लड़ा और चार टैंकों को तोड़ कर अपनी जान को खत्म कर दिया। यह सरकार नाहक के काम कर रही है इसलिये जो, प्रदेश की जनता इस नाहक के काम से रोक दे।

हिवटले कौंसिल की बहुत बात कही गयी। यह क्या है? यह पूंजीपतियों की चोचलेबाजी है। अमेरिका में कैसा ट्रेड यूनियन है? मिल मालिक और मजदूरों के नेता किसी होटल में बैठ जाते हैं और चाय पीते हैं। क्या मजाक है ट्रेड यूनियनिज्म का। आपने जो श्रम कानून बनाये हैं, गलत बनाये है, जो एक दूसरे को काटते हैं। गन्ना कामदारों की तनख्वाह ४-४ महीने न मिले लेकिन उसकी आपको कोई परवाह नहीं है। लक्ष्मी रतन काटन मिल में ७ महीने तक न मिले तो आपको उसकी कोई परवाह नहीं है। बोनस का करोड़ों रुपया मजदूरों का बकाया है। सीमेंट फैक्ट्री और प्रैसीजन इंस्ट्रूमेंट फैक्ट्री के मजदूरों ने हड़ताल की उनको तो बोनस मिल गया लेकिन रोडवेज वालों को आज तक आप नहीं देते, वेज बोर्ड का रिलीफ उनको नही मिला। मिल मालिकों के सामने आपका कोई कानून चलता है। अगर कानून चलता तो आज यह अराजकता न होती। लेकिन जब वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिये कुछ कहते हैं तो आप कहते हैं दफा १४४ है, ३०३ की गोली है।

चौथी पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा नाम की एक पुस्तिका है उसमें आप ही ने आंकड़े दिये हैं कि पिछली तीन योजनाओं में आपने कितना खर्च किया और केन्द्र से क्या मिला तथा अन्य राज्यों में क्या खर्च हुआ, वह इस प्रकार है :

	प्रति व्यक्ति राज्य में	योजना पर व्यय अन्य राज्यों में	प्रति व्यक्ति राज्य में	केन्द्रीय सहायता अन्य राज्यों में
पहली योजना ..	२४	४०	१४	२५
दूसरी योजना ..	३४	५२	१८	२७
तीसरी योजना ..	६८	९२	४७	५६

आपने खर्चा कम क्यों किया ? क्या रामसुन्दर पांडेय ने आपको चिट्ठी लिख दी थी ? मैं सुझाव देता हूं कि मास्टरों की मांगों को स्वीकार कर लिया जाय, ५ लाख कर्मचारियों की मांगों को माना जाय, उनका महंगाई-भत्ता केन्द्र के बराबर किया जाय, प्राइमरी स्कूल के कर्मचारियों और मेहतरों का वेतन कम से कम १०० रुपया किया जाय। और पाकिस्तान की लड़ाई के बाद जो आई० ए० एस० का बढ़ाया है उसको काटा जाय। ऊपर वालों की मोटी-मोटी तनख्वाहों को कम किया जाय। मगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं मुश्किल यह है। इन शब्दों के साथ मैं श्री चन्द्रबलीसिंह के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और सरकार को चेतावनी देता हूं कि आग भड़क रही है, हमें बदनाम न करो जाते जाते वर्ना तुम स्वयं ही आग में भस्म हो जाओगे।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। जिस समय यहां माननीय उग्रसेन जी बोल रहे थे उस समय मैं इस परेशानी में था कि यह संसोपा के नेता जी बोल रहे हैं या कोई गवर्नमेंट एम्पलाई जो एजीटेशन के लिये बाहर निकला है उसका यहां भाषण हो रहा है। मैं यह सच समझता था कि जब हड़ताल चल रही थी तो यहां के राजनैतिक दलों ने कहा था कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है लेकिन आज जब यहां माननीय उग्रसेन जी ने कहा कि हम रोटी मांगते हैं और श्रीमती कृपालानी जी हमें पत्थर देती हैं। मैं नहीं समझता कि ऐसा कब हुआ लेकिन अगर उन्होंने आज अपने को उनके साथ आइडेन्टिफाई किया तो साबित हो गया कि उस एजीटेशन में खुला या बन्द हाथ विरोधी दलों का था। यह बात साफ हो गई और अब सच्चाई सामने आ गई। माननीय काशीनाथ जी भी इसकी ताईद कर रहे हैं। प्रश्न आज यह है कि यह जो बिल आया है मैं नहीं समझता कि इससे क्या परेशानी हो गई, इस को तरह-तरह की संज्ञा दी गई काला कानून' और 'लोक तंत्र की हत्या' और फंडामेंटल राइट्स पर हमला करने वाला और न जाने क्या-क्या कहा गया। इसमें कहां लिखा है कि सरकारी कर्मचारियों को अपना संगठन करने का अधिकार नहीं है या उन्हें अपनी जायज और कानूनी मांगें पेश करने का अधिकार नहीं है और कहां यह लिखा है कि उनको कानूनी ढंग से प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है ? इसमें केवल इतना है कि सरकारी कर्मचारी को इस बात का अधिकार न होगा कि वह हड़ताल करे और सारी सरकारी मशीनरी को पेरेलाइज करके स्टैंडस्टिल कर दे और समाज का जीवन अस्त-व्यस्त कर दे। इस तरह की दशा को कोई भी सभ्य सरकार बरदाश्त नहीं कर सकती।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---

और सरकार ही जीवन को अस्तव्यस्त कर दे तब क्या हो ?

श्री नवलकिशोर—

अगर किसी के दिमाग में कोई भ्रम हो तो मैं उसके लिये क्या कर सकता हूं ? जैसा कि उग्रसेन जी ने कहा मैं इस बात को मानता हूं कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों और स्टेट के कर्मचारियों का महंगाई-भत्ता एक होना चाहिये। सिद्धान्त में कई बार कह चुका हूं और आज भी मानता हू कि यह जो डिसक्रिमिनेशन सेन्टर के और स्टेट के डी० ए० में है वह समाप्त होना चाहिये। लेकिन इसमें हमारी आर्थिक कठिनाई है । आज अगर यूनिटरी गवर्नमेंट सेन्टर में होती तब चाह सरकारी कर्मचारियों की संख्या कम होती मगर सब का वेतन व डी० ए० एक सा होता। लेकिन फेडरल स्ट्रक्चर होने के यह माने नहीं हैं कि सेन्टर और स्टेट के मंहगाई भत्ते में यह अन्तर हो। यह भी सही है कि प्रदेश की सरकार इसके लिये बराबर केन्द्रीय सरकार से संघर्ष करती रही है और मैं यह भी मानता हूं कि केन्द्रीय सरकार की मारल जिम्मेदारी है कि वह स्टेटस् को फाइनेंस करे और पे स्केल्स यथासम्भव सब के एक हों । लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। जहां यह मांगें सही हैं वहां इसका एक दूसरा पहलू यह भी है कि यहां की पर-कैपिटा आय २६२ रुपया सालाना है । यह तो सही है कि केन्द्र के मुकाबले में यहां का डी० ए० कम है लेकिन यह भी सही है कि साढ़े सात करोड़ आदमियों के जनजीवन के स्तर के मुकाबले में सरकारी कर्मचारी एक प्रिविलेज्ड पोजीशन में है। हमें इन दोनों पहलुओं को देखना चाहिये। ख्वाहिश होते हुए भी उन की मांगें पूरी करने में सरकार की कुछ मजबूरी है लेकिन उग्रसेन जी, कृष्णानन्द राय जी की तो राय थी कि वह कम पढ़े लिखे हैं और कम पढ़ते हैं लेकिन मेरी राय है उनके बारे में कि वह पढ़ते तो जरूर हैं लेकिन उसको वह उल्टा समझते हैं ।

मान्यवर, आप अन्दाज कीजिये कि जो आंकड़े मेरे पास हैं उससे जाहिर होता है कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा १९४८ में १३ १/२ करोड़ के लगभग था । माननीय उग्रसेन जी बजट के समय तर्क देते हुये कहते हैं कि यह खर्चा, जो इस समय का है वह बहुत ज्यादा है लेकिन अगर और खर्चा बढ़ाया जाय तो यह खर्चा और भी बढ़ जायगा । जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा १९४७–४८ में १३ १/२ करोड़ था वह १९६६ में ९० करोड़ हो गया । इससे अन्दाजा कीजिये कि यह ही खर्चा इस समय ७ गुना हो गया है।

अभी जो पी० आर० सी० की रिपोर्ट आयी है, उसमें १५ करोड़ का खर्चा इस साल और बढ़ गया है अगले ५ वर्षों में ८५ करोड़ के लगभग हो जायगा और ३२ १/२ करोड़ रुपया टीचर्स के खर्चे से बढ़ेगा जबकि फाइनेंस कमीशन ने केवल ८४–८५ करोड़ रुपया देने का वायदा किया है । इस प्रकार से हमें ३३ करोड़ रुपया हमको नये साधनों से जुटाना पड़ेगा । चतुर्थ योजना का प्रारूप १२७ करोड़ रुपये का है जिसमें से ४९५ करोड़ से अधिक केन्द्र हमको नहीं देगा, यानी हमको अपने ढंग से ४३१ करोड़ रु० का एडिशनल टैक्सेशन लगाना पड़ेगा। माननीय रामसुन्दर पांडेय भी यह कहते हैं कि टैक्सेशन अब सेचुरेशन प्वाइंट पर पहुंच गया है । लेकिन अगर हमें अपनी चौथी प्लान चलाना होगा तो निश्चित रूप से हमें ४३१ करोड़ रुपये का एडिशनल टैक्सेशन करना ही पड़ेगा । फिर ३४ करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग से लाना होगा । मान्यवर, इसलिये हमारे सामने यह बड़ी दिक्कत की बात आती है ।

माननीय उग्रसेन जी ने अभी कहा कि माननीया सुचेता कृपालानी ने श्री शुक्ल के प्रति बड़ी शराफत दिखायी और बड़ी शराफत की बातें कीं उन्होंने उससे कहा कि तुम्हारी दाढ़ी बढ़ गयी है और शक्ल बिगड़ गई है। तो माननीय उग्रसेन जी आपको तो सचमुच में प्रसन्नता होनी चाहिये। यह श्रीमती कृपालानी ही हैं जिन्होंने गवर्नमेंट सरवेंट्स की बेहूदी से बेहूदी बातों को सुनकर भी अपना सन्तुलन नहीं खोया जिन शब्दों का श्री शुक्ल ने अपने स्टेटमेंट में प्रयोग किया है, उनसे शर्म लगती है । उसके बावजूद भी माननीया सुचेता जी ने उनके साथ मां और बहन का बर्ताव किया । यह उनकी उदारता की बात है । कुछ लोगों ने कहा है कि यह सरकार वायलेंस और कोअर्शन की बात समझती है । लेकिन बावजूद माननीय उग्रसेन जी के भड़काने के सरकार ने शराफत बरती । मैं माननीय उग्रसेन जी से दरख्वास्त करूंगा कि वह इस आग

के अंगारे को छू न लें वरना उनके हाथ झुलस सकते हैं। उग्रसेन जी इसको ठंडा अंगारा न समझ बैठें। जब हमारी सरकार ने यह समझ लिया कि अब वह वक्त आ गया है कि या तो हुकूमत करनी है वर्ना पैरेलाइज होने का खतरा हो सकता है। तो यह कदम उठाना पड़ा है। हम तो यह समझते हैं कि यह स्टूडैन्टस का एजिटेशन, अध्यापकों का एजिटेशन, आपका घेरा डालो आन्दोलन" और बन्द " वगैरः सब का एक ही उदेश्य है कि सरकार को पैरेलाइज किया जाय।

जब आपने बर्मा की बात कही कि वहां पर ७ दिन की स्ट्राइक में ब्रिटिश सरकार फेल हो गयी तो यह तो संतोष की बात है कि यू० पी० की सरकार १२ दिन की स्ट्राइक में भी फेल नहीं हुयी। बर्मा में विदेशी सरकार थी इसलिये फेल हो गई मगर यहां यह इस प्रदेश की जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। माननीय उग्रसेन को शिकायत है कि इन का बंध बेकार, घेरा डालो बेकार, ऐम्प्लाईज को भड़काना बेकार साबित हुआ और यह जनता की चुनी हुई सरकार को हिला नहीं पाये। अगर यह सोचते या चाहते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स की स्ट्राइक से सरकार पैरेलाइज हो जाय तो याद रखिये कि डेमोक्रेसी की हत्या करने पर आप आमादा हैं। मगर इसका मौका आप को नहीं दिया जायगा।

सरकारी कर्मचारी जब नौकरी में आता है तो उस का एक कोड आफ कंडक्ट होता है, सेल्फ इम्पोज्ड डिसिप्लिन उस के ऊपर होता है। माननीय उग्रसेन जी जब बोल रहे थे, तो मालूम होता था कि किसी कारखाने के मजदूरों की वकालत कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों का मुकाबला फैक्ट्री के ऐमप्लाईज से नहीं कर सकते। ये सरकार की स्टेट पालिसी में हिस्सा लेते हैं, उसमें उनका हाथ होता है, उस पालिसी को चलाने की इनकी जिम्मेदारी होती है। उस का मुकाबला आप करते हैं मजदूर आन्दोलन से और ट्रेड यूनियन से। यह बात नहीं हो सकती। श्रीमन्, अगर मेरे हाथ में ताकत होती, तो माननीय उग्रसेन जी को बच्चा-सक्का की तरह २४ घंटे के लिये हुकूमत दे देता।

श्री उग्रसेन--

हम माननीय गेंदा सिंह थोड़े ही हैं जो उधर चले जायेंगे।

श्री नवल किशोर--

बच्चा-सक्का तो कामयाब भी हुआ लेकिन माननीय उग्रसेन जी अगर बन जाते तो सबसे पहले इसी कानून को पेश करते।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मैंने सवाल किया था कि जब सरकार जनजीवन को अस्तव्यस्त करे तो जनता क्या करे ?

श्री नवल किशोर--

मेरा जवाब यह है कि यह सरकार जनजीवन को अस्तव्यस्त नहीं कर रही है, बल्कि विरोधी दल जो इस तरफ चेष्टा कर रहा है बड़ी नम्रता के साथ उस का मुकाबला करने में लगी लगी हुई है।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

मैं माननीय नवल किशोर को स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू के शब्द याद दिलाऊं "जब सरकार जनजीवन को अस्त-व्यस्त करे तो उसको उलट देना चाहिये"।

श्री नवलकिशोर--

श्रीमन्, एक इंग:लश कैरेक्टर है डान क्विक्जोट (Don Quixo) जिसको हर चीज ज्वाइंट दिखाई देती थी और ऐंटी फोर्सेज और वह लड़ जाता था। तो माननीय राम सुन्दर जी इस समय राजनीति में उसका पार्ट प्ले कर रहे हैं।

[श्री नवलकिशोर]

मैं यह कह रहा था कि सरकारी कर्मचारी पढा लिखा होता है, कम्पटीशन से आता है, हम उस से मौब मेंटैलिटी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं ।

इन्होंने विटले काउन्सिल की बात कही । एक ज्वाइंट कन्सलटेटिव कमेटी बन जाय जिस में ५ नुमाइंदे कर्मचारियों के हों । उस एक्सपेरीमेंट को करने में क्या दिक्कत थी । लोगों ने उस का फायदा नहीं उठाया । यह जो विधेयक है यह केवल सरकार को इस बात की पावर देता है कि यह जो इंडिसिप्लिन बढ़ता जाता है इस को किस प्रकार रोका जाय । आम चुनाव होगा, अगर तमाम सरकारी कर्मचारी स्ट्राइक कर दें, तो माननीय उग्रसेन जी तो सोचते हैं कि जीतना है नहीं, अच्छा है चुनाव टल जाय । लेकिन हम नहीं चाहते कि इस तरह की बात हो । इसलिये माननीय उग्रसेन जी के मन में जो भ्रम हो वह उसको निकाल दें । इस विधेयक के द्वारा गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स अपनी बात कह सकते हैं, हमारी पूरी हमदर्दी उन के साथ है । अब तक पिछले सालों में ढाई गुना वेतन और महंगाई भत्ते में बढोत्तरी हुई है । वेतन विषमता में भी कमी आई है १:८० से घटकर १:२९ रह गई है । आगे भी ज्यों-ज्यों गवर्नमेंट की पर्स एलाउ करेगी गवर्नमेंट की यह पहली ड्यूटी होगी कि उनकी सहायता करे । लेकिन अगर आप यह चाहें कि जन-जीवन को अस्तव्यस्त किया जाय तो वह नहीं करने दिया जायगा ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय चन्द्रबली सिंह (कुछ सदस्यों के बोलने के लिये खड़े होने पर) दो व्यक्तियों का प्रस्ताव है और ५ बजे इसे खत्म होना है । वे दोनों बोलेंगे, मुख्य मंत्री जी को बोलना पड़ेगा ।

*श्री चन्द्रबलीसिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने आज नवलकिशोर जी के भाषण को गौर से सुना । मैं समझता था कि वे बहुत तर्कपूर्ण बातें विधेयकों के पक्ष में कहा करते हैं । लेकिन आज उनको सुनने के बाद ऐसा लगा कि सचमुच वे थोथी बातें ज्यादा करते हैं और लम्बे अर्से तक करते हैं जिससे लगे कि उसमें कुछ विद्वतापूर्ण बात है । उन्होंने कहा कि हमारे कर्मचारियों की जो तनख्वाह है वह गांव और नगरों में जो समान जनता है उसकी आमदनी से अधिक है फिर भी वे हड़ताल वगैरह की बातें करते हैं । तो मैं आपके द्वारा उनको बतलाना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों में दो तबके हैं । एक तबका तो अमरीकी जीवन बिता रहा है और दूसरा तबका नर्क में गोते लगा रहा है । मिसाल के तौर पर आज उत्तर प्रदेश में खेत मजदूर ३० रुपये महीना पा रहा है और प्राइमरी शिक्षा का मास्टर १००, १२५ रुपये के आसपास हो गया है । इसी तरह से जो कलेक्टर और उससे ऊपर के हाकिम हैं वह ६ हजार से ऊपर तनख्वाह पाते हैं अगर आप उनके बंगला, चपरासी, उनके लिये जो संतरी वगैरह की व्यवस्था होती है उस सब को जोड़ें । अमरीका में खेत मजदूर ८००, ९०० रुपये महीना, प्राइमरी शिक्षक १२, १३ सौ रुपये महीना और कलेक्टर जैसा हाकिम ६ हजार रुपये से ऊपर पाता है । तो हिन्दुस्तान का कलेक्टर जैसा हाकिम अमरीकी जीवन व्यतीत कर रहा है और आम जनता नारकीय जीवन व्यतीत कर रही है । आप उनको नीचे उतारिये । आप ३० रुपये के अनुपात में लाइये । ८०० और ६ हजार का अनुपात अमरीका में है । यहां आप ३० के अनुपात में कलेक्टर की तनख्वाह लाइये । फिर देखिये अगर उत्तर प्रदेश का कर्मचारी कुछ भी बोलता है । लेकिन एक तरफ तो आप अपने पिल्लों पर तीन-तीन सौ रुपये महीने में खर्च करते हैं और गरीब का बच्चा दाने-दाने के लिये बेहाल है और आप कहते हैं कि वह तनख्वाह के लिये मचलें न । दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि सामान्य प्रशासन के बजट में उग्रसेन जी कहते हैं कि बढ़ोत्तरी होती चली जा रही है । बढ़ तो रहा है लेकिन काम करने वालों पर नहीं

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बढ़ रहा है। आपने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि तीन भेड़, तेरह भेड़हार। एक ग्राम सेवक है। उसके ऊपर एक बी०डी० ओ०, १३ ए०डी०ओ० और आप कहते हैं कि प्रशासन में खर्च ग्राम कर्मचारियों पर बढ़ रहा है।

अभी-अभी आपने दो तर्क दिये हैं। पहला तर्क यह है कि सारे सरकारी कर्मचारियों ने उनकी मांगें पूरी न होने पर सरकारी काम को ठप करने का जो एलान किया है वह एक क्रूरता का प्रस्ताव है, यानी यह क्रूर है कि अपना संगठन बना कर उसका नाजायज फायदा उठा कर सरकार को उलट देने की बात कहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार उस कुर्सी पर बैठ कर उसका नाजायज फायदा नहीं उठा रही है ? वह क्यों सोचती है कि सरकारी कर्मचारी उसकी बात मान कर उसके सामने घुटने टेक दें और चुपचाप पड़े रहें ? क्या कर्मचारी अपने पेट पर कपड़ा बांध कर बैठ जाय ? यदि वह ऐसा नहीं करता तो आप उसको डंडा मारते हैं, जेलखाने भेजने की बात करते हैं और अपनी मनमानी करते हैं। क्या इस तरह से आप नाजायज फायदा नहीं उठाते हैं ? सरकारी कर्मचारियों को सरकार को बदलने का हक है। जब उसे खाना नहीं मिलता, जब आपकी व्यवस्था अच्छी नहीं है तो उसे सरकार को उलट देना चाहिये।

माननीय कृष्णानन्द राय जी ने अमेरिका और इंगलैन्ड की रपट का हवाला देते हुए किसी जज की रपट के बारे में बतलाया कि उसने कहा है कि यदि सरकारी कर्मचारी उत्पादक कामों में लगे हों तो भी उनको हड़ताल करने का हक है। तो ऐसी सूरत में आपसे मैं कहूं कि सरकारी कर्मचारियों के अलावा अध्यापक, जो शिक्षा के काम में लगे हैं, जो रोडवेज में लगे हैं, जो बिजली के काम में लगे हैं, स्वास्थ्य के कामों में लगे हैं, म्युनिसिपैलिटी या लोक कल्याण संबंधी कामों में लगे हैं उनके लिये भी हड़ताल पर रोक है तो ऐसी सूरत में शुबहा का फल इस काले कानून द्वारा औरों को भी भुगतना होगा। आपने जो तर्क दिया उससे साफ हुआ कि प्राइमरी व माध्यमिक स्कूल के मास्टरों, बिजली, रोडवेज, शिक्षा व लोक कल्याण संबंधी कामों में लगे हुये कर्मचारियों पर भी लागू होगा। तो इस शुबहा की दृष्टि से भी इस कानून में संशोधन किया जाना चाहिये। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप इस काले कानून को वापस लें और कोई दूसरा बिल लावें।

श्री यादवेन्द्र दत्त--

अधिष्ठाता महोदय, मैं समझता हूं कि उत्तर देने की कोई खास बात है नहीं। जितनी बातें मैंने कहीं, उनका कोई समुचित उत्तर हमें सरकार से मिला नहीं है। माननीय बनारसी दास जी ने व्यक्तिशः कई आरोप मेरे ऊपर किये और उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने अपने कर्मचारियों के लिए क्या किया ? शायद उनको मालूम नहीं है, मैं बतला दूं, फ्री एजुकेशन, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट, घर बनाने के लिये फ्री सहायता, लड़की की शादी में फ्री सहायता, उनमें कोई कर्जमन्द नहीं है। तो इस संबंध में मेरी इतनी ही प्रार्थना है कि शायद बनारसी दास को यह पता नहीं था तो अज्ञानता और अनभिज्ञता को तर्क का आधार न बनाया जाय।

सारा भाषण जो मैंने सुना, उनमें केवल दो बातें ही सरकार की ओर से कही गयीं और सरकार दो बात भी दो जबान से बोलती हैं। एक तो यह कि सरकार को बड़ी सहानुभूति है। तो कोरी सहानुभूति से किसी का दुख दर्द नहीं जाता, आपने क्या किया ? सहानुभूति को पूर्ण करने की दृष्टि से आपने क्या पग उठाया ? माननीय सुचेता जी ने कहा कि हमने इतना बढ़ाया, इतना बढ़ाया। तो महंगाई भी किसने बढ़ाई। आपकी ही फाइनेंशियल पालिसी है जिससे महंगाई बढ़ी। हमारे माननीय नवलकिशोर जी ने आंसू बहाया और कहा कि यह मांग सही है कि प्रांतीय सरकार और भारत सरकार के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में अन्तर नहीं होना चाहिये। यह तो सब कहते हैं लेकिन उस अन्तर को कम करने के लिये आपने क्या किया ? यह तो वही एल्डरसन ऐंड दि बंडरलैंड की बात हुई कि जब वह घोंघों को खाने चला तो कहा कि तुम्हें खाने में मुझे बड़ी वेदना होती है। इस तरह से वह आंसू

[श्री यादवेन्द्र दत्त]

बहाते हुये रोता जाता था और खाता भी जाता था । इससे प्रशासन नहीं चलेगा । मिथ्या आंसू बहाकर यदि आपने-अपने कर्त्तव्य का पालन नहीं किया तो आपका प्रशासन नष्ट होगा ।

दूसरी बात कही गई कि यह चुनाव का काल है । मैं नहीं जानता कि चुनाव काल से और प्रशासन से क्या संबंध है । प्रशासन के विचार में मत भिन्न होना एलेक्शन से क्या मतलब है ? इसमें इलेक्शन की कोई तुक नहीं है । चूंकि इलेक्शन तो सिद्धांतों पर लड़ा जायेगा, आप किस सिद्धांत पर राज्य चलाना चाहते हैं, अन्यान्य दल किन सिद्धांतों पर चलायेंगे, यह चीज इलेक्शन में आयेगी । इसके अतिरिक्त २० वर्ष का आपकी असफलता का इतिहास प्रत्यक्ष रूप से जनता के सामने रहेगा । मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं बल्कि उनके पतिदेव की बात कह रहा हूं । उन्होंने कहा है कि इस कांग्रेस सरकार ने इन २० वर्षों में देश को भ्रष्ट कर दिया है । यह मैं नहीं जानता कि उनकी म्यूचुअल अन्डरस्टैंडिंग है या भिन्न चीज है यह कसौटी इलेक्शन में रहेगी और जो लोगों के सिर पर बीती है वह सामने रहेगी । इसलिये इन चीजों से काम नहीं चलता है ।

तीसरी बात चीफ सेक्रेटरी के आरोप के बारे में कही गई । एमरी का लड़का पकड़ा गया या नहीं ? फिर आप एमरी और उसकी वाइफ के करैक्टर को देखिये । उनके लड़के को फांसी दे दी गई लेकिन वे उसकी लाश तक लेने नहीं गये । लेकिन आसाम में पाकिस्तान के द्वारा इंफिलट्रेशन का कौन जिम्मेदार है ? इसके लिये क्या चीफ सेक्रेटरी, आई० जी० और आपके नेता जिम्मेदार हैं या नहीं ? थोथे आदर्शवाद से काम नहीं चलेगा जरा व्यवहारिकवाद को भी लीजिये । वितंडावाद यहां नहीं फैला होता तो बहुत अच्छा रहा होता । इसको आप छोड़कर प्रशासन की समस्याओं पर गम्भीरता से विचार करें । आपका एसेंशियल सरविसेज ऐक्ट मौजूद है उसके अन्दर अगर कोई सरकारी कर्मचारी आपकी उचित आज्ञा नहीं मानता है तो आप उसको दंड दे सकते हैं । इसके रहते हुये फिर काले कानून के लाने की क्या आवश्यकता है ? फिर भी इसको लाना तानाशाही मनोवृत्ति और प्रवृत्ति की द्योतक है । जो नारा केरल में लगा था । वन पार्टी, वन लीडर, यही हिटलर का भी नारा था । आप इस पर न जाइये और काला कानून मत लाइये ।

*श्री शांतिप्रपन्न शर्मा--

अधिष्ठाता महोदय, मैंने बड़े ध्यान से राजा साहब तथा अन्य माननीय सदस्यों के भाषण सुने । उनमें विधेयक के सिलसिले में कोई चीज नहीं थी । हमारा साधारण सा विधेयक है कि गवर्नमेंट सरवेंट हड़ताल नहीं कर सकेंगे । लेकिन जहां तक फंडामेंटल राइट्स का सवाल है वे एसोसियेशन बना सकते हैं, अपनी मांगें रख सकते हैं । सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी है कि अधिकारों में स्ट्राइक करना नहीं है । यही हम चाहते हैं कि वे स्ट्राइक न कर सकें । हमारी सहानुभूति राज्य कर्मचारियों के साथ आज भी है । मैं जा रहा था । रास्ते में एक मकान पर छप्पर नहीं था । मैंने कहा कि छप्पर बनवा लो । उसने कहा कि रुपये नहीं हैं । बच्चे भी खिलाने पड़ते हैं तथा सारे काम करने पड़ते हैं । कहां से रुपया लायें ? यही हाल हमारा है । कर्मचारियों को जरूर मिलना चाहिये । लेकिन हमारी सीमित आमदनी है और हमें यह भी देखना पड़ता है कि कहीं अकाल है, कहीं सूखा है उसका भी इंतजाम करना पड़ता है । कालेज और अस्पतालों को भी देखना पड़ता है । माननीय उग्रसेन और राजा साहब मिल कर अगर बैठ कर कोई ऐसी स्कीम बनाएं जिससे यह काम चल सके, थोड़ी ही सहायता दे दें, डेवलपमेंट काम भी चल सके, कमेटी में बैठ कर या बाहर कोई ऐसी स्कीम बना कर दें तो उस पर विचार किया जा सकता है । कम्प्लीट सुझाव दें । पहले हमने १५ करोड़ बढ़ाया और उसके बाद तीन

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया ।

करोड़ और बढ़ा दिया। उसके बाद बजट के भाषणों में आप ने यह भी कहा कि टाप हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन है। खर्चा कम कीजिये। खर्चा कैसे कम हो? या बढ़ाएं नहीं या निकाल। उग्रसेन जी कहते हैं कि निकालें भी नहीं। निकालें भी नहीं, खर्चा भी न बढ़े टैक्स भी न लगाएं और सहायता भी दे यह कभी नहीं हो सकता। हमें आशा है कि वह स्ट्राइक करेंगे नहीं, हम पकड़ेंगे भी नहीं। अबेटर्स के लिए हमने लागू नहीं किया है। कोई रास्ता निकल सकता हो तो बैठ कर सोच लेगें। अगर हमारे फाइनेंसेज अलाउ करेंगे तो उसको बढ़ायगे लेकिन उसका इस विधेयक से सम्बन्ध नहीं। साधारण विधेयक है। वह पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण विधेयक, १९६६ का जनमत संग्रह के लिए ४ माह तक प्रदेश भर में घुमाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठात।--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण विधेयक, १९६६ को सदन की प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो तथा जो अपनी रिपोर्ट १५ दिन के भीतर दे दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता--

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अत्याश्वयक सेवाओं का अनुरक्षण विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

व्यवस्था का प्रश्न है। आपने कहा कि प्रश्न यह है कि इस पर विचार किया जाय। आप की तरफ से विचार करने के लिये प्रश्न प्रस्तुत किया जायगा अथवा माननीय मंत्री विचार करने का प्रस्ताव करेंगे तब आप प्रश्न उपस्थित करेंगे?

श्री अधिष्ठाता--

माननीय पांडेय जी, पांच वर्ष हो गये आप को यह पता नहीं चला। आलरेडी वह रख चुके हैं।

केशरीप्रसाद पांडेय--

आपको पता नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

इस पर विचार किया जाय यह माननीय मंत्री जी प्रस्ताव कर चुके थे। शायद उस समय आप नहीं थे।

माननीय रक्षपाल सिंह, स्थिति यह है कि यह आपने संशोधन देर से भेजा है। मंत्री जी यदि विरोध करें तो संशोधन फिर नहीं ला सकते। लेकिन फिर भी मैं आप को हताश नहीं करना चाहता। आप दो तीन मिनट में संशोधन रख दें। खंड तीन में जो आपने संशोधन रखा है कि उपखंड (६) निकाल दिया जाय वह निगेटिव है इस लिए मैं उसको अलाऊ नहीं करता। खंड ४ में जो संशोधन है यह भी बिलकुल निगेटिव है। धारा के बिलकुल खिलाफ है, इसलिये इसको भी मैं एलाउ नहीं करता। केवल खंड २ में दोनों के बारे में एक साथ उन्हें रख कर आप २/३ मिनट तक बोलें।

खंड २—९

परिभाषाएं

२—जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) "अत्यावश्यक सेवा" का तात्पर्य

(१) उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यों से सम्बद्ध किसी लोक सेवा,

(२) शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा या उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडिएट एजूकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था के अधीन, किसी सेवा अथवा किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन निगमित किसी विश्वविद्यालय के अधीन सेवा;

(३) किसी स्थानीय प्राधिकारी के अधीन किसी सेवा; से है।

(ख) "हड़ताल" का तात्पर्य किसी अत्यावश्यक सेवा में सेवायोजित व्यक्तियों के समूह द्वारा मिल कर कार्य बन्द कर देने से [जिसके अन्तर्गत कार्य से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहना भी है] अथवा किन्हीं ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो कार्य करते रहने के लिये इस प्रकार सेवायोजित हों या किये गये हों सम्मिलित रूप से या आपसी समझौते के अन्तर्गत इंकार कर देने से , है।

कतिपय सेवा योजनों में हड़ताल निषिद्ध करने का अधिकार

३—(१) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो वह, सामान्य या विशेष] आदेश द्वारा, आदेश में उल्लिखित किसी भी अत्यावश्यक सेवा में हड़ताल निषिद्ध कर सकती है।

(२) उपधारा (१) के अधीन दिया गया कोई आदेश ऐसी रीति से प्रकाशित किया जायगा जिसे राज्य सरकार आदेश द्वारा प्रभावित व्यक्तियों की सूचना के लिये सर्वोत्तम समझे।

(३) उपधारा (१) के अधीन दिया गया कोई आदेश केवल छः माह के लिए प्रवृत्त रहेगा, किन्तु राज्य सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है, उसे छः माह से अनधिक अवधि के लिए उसी प्रकार के आदेश द्वारा बढ़ा सकती है।

(४) उपधारा (१) के अधीन किसी आदेश के प्रवृत्त रहने की अवधि में, किसी ऐसी अत्यावश्यक सेवा में जिसके संबंध में आदेश हों, सेवायोजित व्यक्तियों द्वारा, चाहे आदेश के प्रवर्तन के पूर्व या पश्चात्, घोषित या प्रारम्भ की गयी कोई भी हड़ताल अवैध होगी।

अवैध हड़तालों के लिए शास्ति

४—कोई व्यक्ति जो ऐसी हड़ताल प्रारम्भ करता है जो इस अधिनियम के अधीन अवैध हो अथवा किसी ऐसी हड़ताल पर जाता है या रहता है अथवा अन्य प्रकार से उसमें भाग लेता है, उसे कारावास का दण्ड दिया जायगा जो छः माह तक हो सकता है अथवा उसे अर्थ दण्ड दिया जायगा जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है अथवा दोनों दण्ड दिए जायेंगे।

उकसाने आदि के लिए शास्ति

५—कोई व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों को किसी ऐसी हड़ताल में भाग लेने के लिए जो इस अधिनियम के अधीन अवैध हो अथवा होगी, उकसाता है, या भड़काता है अथवा उसे फैलाने के लिये अन्य प्रकार से कार्य करता है, उसे कारावास का दण्ड दिया जायगा जो एक वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थ दण्ड दिया जायगा जो एक हजार रुपए तक हो सकता है अथवा दोनों दण्ड दिए जायेंगे।

६—कोई व्यक्ति जो किसी ऐसी हड़ताल को फैलाने में या उसका समर्थन करने में जो इस अधिनियम के अधीन अवैध हो या होगी, जानबूझ कर कोई धन व्यय करता है, उसे कारावास का दण्ड दिया जायगा जो एक वर्ष तक हो सकता है अथवा अर्थ दण्ड दिया जायगा जो एक हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों दण्ड दिए जायेंगे। अवैध हड़तालों को वित्तीय सहायता देने के लिए शास्ति

७—कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जिस पर यह संदेह करने का उचित कारण हो कि उसने इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया है, वारन्ट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। वारंट के बिना गिरफ्तार करने का अधिकार

८—इस अधिनियम और तद्धीन जारी किये गये किसी आदेश के उपबन्ध तत्समय प्रवृत्त किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम में किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे। अधिनियम अन्य उत्तर प्रदेश अधिनियमों को अभिभूत करेगा

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ६, १९६६

९—(१) उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण अधिनियम, १९६६, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। निरसन तथा अपवाद

(२) इस निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गयी कोई कार्यवाही, इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायेगी, मानों यह अधिनियम २८ अगस्त, १९६६ को प्रारम्भ हो गया हो।

*श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

मैं आप की आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड २ के भाग (क) के उपखण्ड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"(२) शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा या उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इण्टरमीडिएट एजूकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी सरकारी शिक्षा संस्था के अधीन किसी सेवा" तथा

खण्ड २ के भाग (क) का उपखण्ड (३) निकाल दिया जाय।

श्रीमान् अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत संक्षेप में आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यद्यपि मैं इस बात का समर्थक नहीं हूं कि सरकारी कर्मचारियों पर किसी प्रकार की रोक लगाई जाए इसका भी विरोधी हूं। सरकारी कर्मचारी से भिन्न और दो प्रकार के कर्मचारी प्रदेश में हैं, जिन पर सरकारी कर्मचारी की तरह या उनके लिये कानून बनाने के नाम पर उन्हें भी आप अपनी लपेट में ले लेना चाहते हैं। इसमें लिखा है—"शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा या उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इंटरमीडिएट एजूकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शिक्षा संस्था के अधीन, किसी सेवा अथवा किसी उत्तर प्रदेश अधिनियम द्वारा अथवा उसके अधीन नियमित किसी विश्वविद्यालय के अधीन सेवा- तो जिन्हें न आप कोई पैसा देते हैं या अनुदान देते हैं, केवल इसलिये कि आप से उनको मान्यता प्राप्त है आप उन पर यह अध्यादेश लागू करने जा रहे हैं। उनकी मांग यह है कि उनकी भी सरकारी कर्मचारियों की भांति सेवाएं कर दी जाएं। किन्तु आप उनकी मांग मानने के लिए यानी उन्हें सरकारी कर्मचारियों की भांति सुविधाएं देने के लिये तैयार नहीं हैं, फिर भी आप उन पर सरकारी कर्मचारियों वाली पाबन्दियां लगाने जा रहे हैं। इस तरह से प्रदेश में जो मान्यता प्राप्त शिक्षा संस्थाएं हैं यह उन सब पर लागू होगा। इस प्रकार की पाबन्दियां लगाने की बात एक बार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रक्षपाल सिंह–]
उनके विषय में तो किस हद तक सोची जा सकती है जिनको सरकार से अनुदान मिलता है, पैसा मिलता है किन्तु ऐसे शिक्षा संस्थाओं के बारे में जिनको न कोई अनुदान मिलता है, उनका मैनेजमेंट अलग, उनकी व्यवस्था अलग उस पर लगाने की बात का औचित्य मेरी समझ से परे है। इसलिये ऐसी शिक्षा संस्थाओं को उससे निकालना चाहिये। जो विश्वविद्यालय हैं, आटोनामस बाडीज हैं उनको भी इसमें शामिल कर लिया जाना उपयुक्त नहीं है, उसको भी निकाल देना चाहिये।

यही नहीं यह स्थानीय निकायों के कर्मचारियों पर भी लागू होने वाला है। स्थानीय निकाय में महानगरपालिकाएं, नगरपालिकाएं, टाउन एरिया कमेटियां और यहां तक गांव सभा और विकास खण्ड भी उसकी परिभाषा म शामिल हैं। इनमें भी काम करने वाले जिनको भी आप पैसा नहीं देते हैं, आप उन को कोई भी सुविधा सरकारी कर्मचारियों की तरह नहीं देते हैं, उसपर भी किसी प्रकार की पाबन्दियां नहीं लागू होनी चाहिये। इसलिये गैर सरकारी संस्थाओं और स्थानीय निकाय शब्दों को इसमें से निकाल दिया जाए।

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा––

मैं इसका विरोध करता हूं। स्कूल कालेज में बच्चे पढ़ते हैं और उनके हड़ताल पर जाने से सभी बच्चों की पढ़ाई का बड़ा नुक्सान हो सकता है उनका अमूल्य समय नष्ट हो सकता है। इसलिये मैं तो समझता हूं किसी को भी इसका विरोध नहीं करना चाहिये।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि खण्ड २ के भाग (क) के उपखण्ड (२) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय––

(२) शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा या उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ हाई स्कूल एण्ड इंटरमीडिएट एजूकेशन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी सरकारी शिक्षा संस्था के अधीन किसी सेवा

तथा खण्ड (२) के भाग (क) के उपखंड (३) को निकाल दिया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि खण्ड २, ३, ४, ५, ६, ७, ८ व ९ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना और खंड १

उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण विधेयक, १९६६

उत्तर प्रदेश में कतिपय अत्यावश्यक सेवाओं के अनुरक्षण और उससे सम्बद्ध विषयों के निमित्त व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:––

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ

१––(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनरक्षण अधिनियम, १९६६ कहलायेगा।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।

श्री अधिष्ठाता––

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा---

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं, कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण विधेयक, १९६६ पारित किया जाय ।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता---

आप को मौका मिलेगा, पहले मुख्य मन्त्री जी को अपनी बात कह लेने दीजिये ।

*मुख्य मन्त्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---

अधिष्ठाता महोदय, मुझे आज ज्यादा बोलना नहीं है। मेरे पूर्व बनारसी दास जी, नवलकिशोर जी और अन्य व्यक्ति सरकार का व्यूप्वायंट आपके सामने रख चुके हैं । बहुत सी बातें कही गयीं हैं जो इस बिल से सम्बन्ध नहीं रखतीं। जैसे जनरल बजट डिबेट होता या गवर्नर का ऐड्रेस होता है उस पर बातें कहीं जाती हैं वैसी ही बातें कही गयीं हैं तो उनका तो बार-बार जवाब दिया जा चुका है, मैं अब उनको दोहराना नहीं चाहती। मैं केवल इस बिल के विषय पर ही अपना विचार व्यक्त करूंगी। जैसा आप जानते हैं साल भर से गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट्स की तरफ से आन्दोलन चल रहा है, किस्म-किस्म के आन्दोलन चले। जब तक कोड आफ कंडक्ट के अन्दर थे तब तक कुछ नहीं था, जब कोड के बाहर हो गये, जब उन्होंने प्राहिबिटरी आर्डर्स तोड़े और स्ट्राइक कोई न कोई सूरत से की और जब उन्होंने ऐसा व्यवहार किया जो कोड आफ कंडक्ट के खिलाफ था और अशोभनीय भद्दी-भद्दी बातें गवर्नमेन्ट और हर एक के खिलाफ कहीं, गयी उनके भाषण हमारे पास हैं, एम० एल०एज० के खिलाफ कही गयीं कि उनकी तनख्वाह क्यों बढ़ा दी गयी, हर एक को, किसी को छोड़ा नहीं गया तब भी हम लोगों ने जहां तक हो सका, धीरज के साथ उनसे व्यवहार करने की कोशिश की। और अगर कोई कहे कि हमदर्दी नहीं है तो बहुत बार पहले कह चुकी हूं और कहा जा चुका है फिर भी मैं याद दिलाना चाहती हूं, कि सरकार की तरफ से पिछले साल में कम से कम ५ दफा चाहे डी० ए० हो, चाहे तनख्वाह ही बढ़ाया गया। १-४-६०, १-४-६४, १-५-६५ को और फिर जब पी० आर० सी० की रिपोर्ट आई तो पहले जो डी० ए० बढ़ा था उसको मर्ज करके दोबारा डी० ए० दिया गया, १-३ ६५ से और फिर जब आन्दोलन चलाया गया उस समय १-८-६६ से पांचवीं बार फिर डी०ए० बढ़ाया। हमने उनके लिये एक पे रेशनलाइजेशन कमेटी बनायी और उसके कारण हमारे बजट पर जितना बोझ पड़ा वह अच्छी तरह से जानते हैं। अगर हम लोगों की हमदर्दी उनके साथ न होती तो ५ साल में ५ दफा तनख्वाह न बढ़ाते। फिर हमारी औसत आमदनी पर कैपिटा क्या है। २६२ रुपया। हालांकि जो बडी और छोटी तन्ख्वाहों में डिस्पेरटी है वह है। लेकिन उसको हमने नहीं बढ़ाया है। वह एक सिस्टम इन्हेरिटेड है। उसको रेवोल्यूशनरी तरीके से तोड़ा जा सकता था लेकिन हमने तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस एडाप्ट किया है और उसके द्वारा जो गैप है उसको धीरे धीरे ब्रिज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बतलाना चाहती हूं कि पहले १ और ८० का जो फासला था वह अब घट कर १ और २८ का फासला रह गया है। अवाड़ी कांग्रेस में यह रिजोल्यूशन पास किया गया था उसमें जो आइडियल रखा गया था वह यही था कि बड़ी तनख्वाहों में और छोटी तनख्वाहों में गैप १ और ३० का होना चाहिये और यहां तो हम १ और २८ पर पहुंच गये।

उग्रसेन जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के लिये पैसा सेन्टर से क्यों नहीं लाया गया। उग्रसेन जी को नहीं मालूम है कि दिल्ली जाकर किस-किस चीज के लिये किस-किस तरीके से कितना जोर डाल कर पैसा लाये हैं। हम को कम मिलता है इसके बहुत से कारण हैं। एक कारण यह भी है

---

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी--]

कि हमारा साइज बड़ा है, हमारे प्राब्लम्स बड़े हैं और ८ करोड़ का नाम सुनकर ही इतना पैसा देना पड़ता है जिसको सुनकर वे उतनी रकम आसानी से निकाल नहीं पाते हैं। हमारी स्टेट का डेवलपमेन्ट पिछले प्लान से कोई खास नहीं हुआ है। तीसरे में कुछ हुआ है। यही कारण है कि हम गरीब हैं। हमारी आमदनी कम है और डेवलपमेंट कम हुआ है। एक तबके के लिये बहुत ज्यादा पैसा निकालना हमारे लिये मुश्किल है। तब भी अगर हमारे दिल में गवर्नमेंट सर्वेन्टस के लिये जगह न होती तो हम उनकी पे को न बढ़ाते और न पी० आर० सी० को बैठाते। हमारे लोगों ने उसमें बहुत वक्त लगाया और उत्तर प्रदेश में सब लोगों की तनख्वाह का विश्लेषण किया गया है कि उनकी तनख्वाह बढ़नी चाहिये या नहीं बढ़नी चाहिये। उस कमेटी को बिठा कर बुनियादी ढंग से पे स्ट्रक्चर को ठीक करने का प्रयास किया गया है जिसके लिये बड़ा भारी बोझ हमारे बजट पर आकर पड़ा है। जो मंहगाई है वह जरूर है। लोगों को तकलीफ है।

दुबे जी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने मंहगाई को बढ़ाया है। वही इसके लिये जिम्मेदार है। हम मानते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है। इसको पहले सोचा नहीं था कि ऐसा होगा लेकिन जब से हमारा देश आजाद हुआ है तब से हम इस देश के डेवलपमेंट के लिये प्रयास कर रहे हैं। करोड़ों रुपया उसके लिये खर्च हो रहा है। अगर कोई यह कहता है कि कोई काम नहीं हुआ है तो मैं समझता हूं आंख बन्द करके देखता है। वह जाकर बाहर देखे कि क्या हुआ है। तब उसको मालूम हो जायगा कि क्या काम हुआ है। जो हमने सोचा नहीं था उसका ही यह प्रभाव है। करोड़ों रुपया खर्च होता है। उस खर्च करने का नतीजा यह जरूर होता है कि मंहगाई बढ़ती है। उस मंहगाई को रोकने का हम प्रयास करते हैं। किस्म-किस्म के तरीके इसके लिये अपनाये जाते हैं। उनकी तनख्वाहों को बढ़ाया जाता है। पी० आर० सी० ने भी जिस बात की तरफ ध्यान दिलाया है उसके लिये भी सरकार ने कदम उठाया है। उस कमेटी ने कहा था कि २, ४ रुपया बढ़ा देने से यह समस्या हल नहीं होती तो उन्होंने कुछ अमेनिटीज देने की बात कही थी। उस पर हमने अमल किया है। उन्होंने कहा है कि :

> "On the other hand it is essential to ensure that Government servants are not subjected to recurring harassment and a sense of insecurity by a constant increase in the cost of living. Subsidized fair price shops which can supply primary requirements of the family budget is a more satisfactory method of dealing with such a situation".

जो हमारी इकोनामी की हालत है उसमें यहां पर मंहगाई रोज बढ़ रही है। वह ऊपर से दिखाई नहीं दे रही है लेकिन जब वह बढ़ रही है तो रोज हम वेतन नहीं बढ़ा सकते। उसके लिये बेहतर तरीका यही है कि हम कोशिश करें कि लोगों को सस्ते भाव पर चीजें मिले। इसके लिये जिलों में जबरदस्त प्रयास किया गया है कि गवर्नमेंट सर्वेन्टस को हम कुछ अमेनिटीज दें। अमेनिटीज देने के लिये दुकानें खोली गई हैं। उनके लिये कोआपरेटिव स्टोर चल रहे हैं। उनके लिये कैफेटेरिया भी चल रहा है। दूसरे स्थानों पर भी हम खोलने जा रहे हैं ताकि सस्ते दामों पर उनको सब चीज मिल सकें, रोजाना इस्तेमाल में आने वाली चीजें उनको सस्ते दाम पर प्राप्त हो सकें। इस तरह की बहुत सी चीजें की गई। हैं। इस समय मैं उनकी डिटेल में जाना नहीं चाहती हूं। उनके लिये सिटी कम्पन्सेटरी अलाउन्स, उनके लिये लिबरलाइज्ड किया गया है। उनके लिये हाउस रेन्ट अलाउन्स भी लिबरलाइज्ड किया गया है। गवर्नमेंट सर्वेन्टस की फैमिली के लिये भी पेन्शन बेनिफिट दिये गये है। जो टैम्पोरेरी गवर्नमेंट सर्वेन्टस होते थे उनको फेमिली पेन्शन का कोई प्राविजन पहले नहीं था लेकिन अब उनको भी फैमिली पेन्शन का बेनेफिट दिया गया है। लीव को भी लिबरलाइज्ड किया गया है। उनको बीमारी के समय में अस्पताल की दवाइयों का भी

लाभ दिया गया है। उनके लिये प्रमोशन के लिये अपारचुनिटी बढ़ाई गई है। ३७ सुपरिटेन्डेन्ट की संख्या को बढ़ाया गया है। असिस्टेंट्स को प्रमोशन के चान्सेज ज्यादा दिये गये हैं। स्टेनोग्राफर के लिये ग्रेड बढ़ाया गया है जो अब पी० ए० कहलाते हैं।

हम लोग क्यों इस आर्डिनेंस को लाने के लिये मजबूर हुये हैं वह मैं निवेदन करना चाहती हूं। गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स के साथ बातचीत की गई। उनको बार-बार समझाया गया। उनको समझाओ तो गलती और न समझाओ तो गलती। अगर उनके साथ एफेक्शनेट व्यवहार किया जाय तो भी गलती है और न किया जाय तो भी गलती है। एक कहावत है कि जिसको नुक्ताचीनी करनी है तो अगर कोई पीछे कदम ले तो गलती, आगे कदम ले तो खराबी है। आगे कदम लो, अच्छा बर्ताव करो तो कमजोरी है और पीछे कदम लो तो सख्ती की। तो जिनका दृष्टिकोण यह बना हुआ है कि हर हालत में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेंगे, उनकी बात दूसरी है।

आपको याद है, जुलाई में हमने सेटिलमेंट कराया और जो कुछ उन्होंने गलतियां की थीं वह माफ किया, जून में भी माफ किया था। उसके बाद भी जब फिर धमकियां देने लग और १० अगस्त को उनकी मीटिंग हुई इलाहाबाद में और जो लैंगुएज इस्तेमाल की, वह बहुत खराब किस्म की लैंगुएज है, जो कि किसी गवर्नमेंट सर्वेन्ट से एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। १८ तारीख को नोटिस दिया, अल्टीमेटम दिया कि स्ट्राइक करेंगे। स्ट्राइक कोई गवर्नमेंट सर्वेन्ट कर नहीं सकता। लेकिन वह समझने लगे कि गवर्नमेंट तो कुछ कहेगी नहीं, हम जो चाहें करें और चाहे जैसा अनहर्ड आफ बिहेवियर करते जायं। तो यह सोचा गया कि दिस फार ऐंड नो फर्दर" और यह आर्डिनेंस लाया गया।

श्री उग्रसेन—

उन्होंने सम्मेलन में बुलाया था, आप गयीं नहीं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

मैं उन लोगों से बहुत दफा मिली हूं जितना आप भी नहीं मिले होंगे। वह मेरे कमरे में आकर बात कर गये हैं। चीफ सेक्रेटरी से कर गये है, दूसरे लोगों से की हैं। मैं सम्मेलन में जरूर नहीं गयी, मगर मैं बहुत खफा हूं, क्योंकि जितनी हम नर मई दिखा रहे है वह सर पर चढ़े आ रहे हैं।

श्री उग्रसेन—

उनकी मांग मान लीजिये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी—

हमने तो ५ साल में ५ दफा तनख्वाह बढ़ायी, उसके अलावा लाखों रुपया खर्च करके उनको अमेनिटीज दी गयी है। कोई गवर्नमेंट नहीं चाहती कि हमारे गवर्नमेंट सर्वेन्ट दुखी रहें और संघर्ष करते रहें। मुझे खेद है कि ज्यादातर गवर्नमेंट सर्वेन्टस स्ट्राइक करना नहीं चाहते है, लेकिन वह ऐसी परिस्थिति में, नाट में बंध गये हैं, ऐसी लीडरशिप से बंध गये हैं जो कि गलत लीडरशिप है। मैं उनसे अपील करूंगी कि उनकी और ट्रेड यूनियन के लेबर की पोजीशन अलग है। ट्रेड यूनियन वाले एक दफा गैरजिम्मेदारी दिखा सकते है, मगर गवर्नमेंट सर्वेंट जो गवर्नमेंट चला रहा है, वह नहीं। आज उनके और हमारे बीच में एम्पलाई और एम्पलायर का रिश्ता नहीं है। वह भाई है, साथ बैठ कर काम करते है। कोई इस कुर्सी पर, कोई दूसरी कुर्सी पर, हम लोग मिलकर एक गवर्नमेंट चला रहे हैं। गवर्नमेंट सर्वेन्टस तो सारे देश की रीढ़ है। पब्लिक सर्विस से क्या मतलब है? यही कि हमारे द्वारा पब्लिक की सहूलियत और सुविधा पहुंचायी जाय। वही स्ट्रक्चर अगर ढीला हो जाय तो उसे रहने का कोई कारण नहीं है, इसीलिये गवर्नमेंट सर्वेन्टस पर इतनी पाबन्दी लगायी गयी है। उनको फेसिलिटीज भी दी गईं, पेंशन और दूसरे बेनीफिट्स दिये गये।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

बनारसी दास जी ने कहा कि लोग गवर्नमेंट सर्विस ज्यादा पसन्द करते है बनिस्बत प्राइवेट सर्विस के, क्योंकि उसके साथ प्रेस्टिज और दूसरी फैसिलिटीज हैं और अमैनिटीज है। तो अगर हम गवर्नमेंट सर्वेन्टस को फैसिलिटीज देते है तो वह इसलिये कि उनसे एक बड़ी जिम्मेदारी एक्सपेक्ट की जाती है और वह जिम्मेदारी को चला तभी सकते है जब कानून के अन्दर रहें। अगर कानून के बाहर जायं तो कितना हमें दुख हो भी, हमें उनके साथ सख्ती करनी पड़ेगी और हमें बड़ी से बड़ी सख्ती करनी चाहिये। गवर्नमेंट सर्वेन्टस हमसे शान्ति के साथ बैठ कर काम कर सकते है। अगर गवर्नमेंट सर्वेन्ट अव्यावहारिक हैं, अगर असंयत हैं, अगर वह समझता है कि कोअर्स करके गवर्नमेंट को अपने नीज पर लायेगा, अगर वह समझते है कि हम गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर सकते है तो उसे कोई गवर्नमेंट बरदाश्त नहीं कर सकती और न करना चाहिये। मैं तो विरोधी दल के नेतागण से कहूंगी कि वह सोचें कि इस इलेक्शन के बाद शायद हम लोग न आयें और उनको कहीं सरकार चलाने का मौका मिले, तब आपको गवर्नमेंट सर्वेन्टस से वही डिसिप्लिन एक्सपेक्ट करना पड़ेगा जो हम कर रहे है। चाहे डेमाक्रेटिक गवर्नमेंट हो या टोटलिटेरियन गवर्नमेंट हो, कोई चल नहीं सकती जब तक कि गवर्नमेंट के सर्वेन्टस जो कि पार्ट आफ दि ऐडमिनिस्ट्रेशन हैं वह डिसिप्लिन में न चलें। इसलिये मैं गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स से निवेदन करूंगी कि सरकार को उनके प्रति पूरी हमदर्दी है और हम बारबार उसको जाहिर कर चुके है, मगर वे यह न समझें कि हम पिस्टल रख कर सरकार को दबा लेंगे। उनका ऐसा सोचना बिलकुल गलत है। मैंने तो यह भी सुना है वे स्पोयंर हैड आफ दि रिवोल्यूशन इन इंडिया बनने की सोच रहे है। हमारा भी इसका बहुत काफी तजुर्बा है। अगर उनकी यही करना है तो वे गवर्नमेंट सर्विस छोड़ दें, तब रैवोलूशनरी एक्टीविटीज करें। हम चाहते हैं उनकी मदद करें, मगर अगर वे इनडिसिप्लिन्ड रहेंगे तो उसको हम बरदाश्त नहीं करेंगे। आज मजबूर हो कर हमें इस बिल को लाना पड़ा है, जब हमारे धीरज की सीमा टूट गयी, तब आर्डिनेन्स लाना पड़ा।

*श्री भीखालाल (जिला उन्नाव)—

अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक में बहुत से दोष है, इसलिये इसे पास नहीं होना चाहिये। इस विधेयक को देखने से सरकार के कानून विभाग का दिवालियापन नजर आता है। इस विधेयक की तीसरी धारा में हड़ताल न करने का अधिकार लिया गया है, चौथी धारा में हड़ताल करने वालों के लिये दंड का प्राविजन है, ५ वीं धारा में जो व्यक्ति इसके लिये उकसायेगा उसके लिये सजा है, ६ टी धारा में जो व्यक्ति धन से इसके लिये सहायता करेगा उसके लिये सजा का प्राविजन है, ७ वीं धारा में पुलिस को अधिकार दिया गया है कि वह जिस किसी में संदेह करे उसे बिना वारेन्ट गिरफ्तार कर ले, मगर श्रीमन्, इस विधेयक में यह कहीं नहीं दिया है कि गिरफ्तार करके उसको कहां पेश किया जायेगा, आई० जी० या डी० आइ० जी० के सामने उसे पेश किया जायेगा, किस कोर्ट में उस पर केस चलेगा, उसको अपील करने का भी अधिकार होगा या नहीं, कौन सा उसका प्रोसीजर होगा, इन सब बातों का इस विधेयक में कोई जिक्र नहीं है।

इसके अलावा धारा ५ में जो उकसाने वाले के लिये सजा का प्राविधान किया गया है, इसमें उसकी कहीं परिभाषा नहीं की है। आपने देखा होगा कि जहां कहीं एबेटमेंट के लिये सजा रखी गयी है वहां उसकी परिभाषा भी रखी गयी है। अब अगर कोई कर्मचारी पकड़ जाता है, कोई वकील उसका दोस्त है, वह उसका मुकदमा ही कर देता है, तो वह भी धन से उसकी सहायता करता है, और धारा ६ के अनुसार उसको भी सरकार सजा दे सकती है।

इसके अतिरिक्त इस विधेयक में सरकार को नियम आदि बनाने का भी अधिकार नहीं दिया गया है। आखिर होगा क्या? यह सब खामियां इस विधेयक में ऐसी हैं कि इस विधेयक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

को हमें पास नहीं करना चाहिये। जल्दबाजी में अगर हमने पास किया तो यह चैलेन्ज हो जायेगा और विधान सभा को शरमिन्दगी उठानी पड़ेगी, आपको भी शर्मिन्दा होना पड़ेगा। इस विधान सभा के लिये बड़ी शरमिन्दगी की यह चीज होगी। इस कानून के क्लाजेज को देखें। इन चीजों को लाना चाहते है तो ठीक ढंग से पेश करें। हम इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि आपका यह गलत कानून कहीं अदालत में चैलेन्ज न हो जाय।

*श्री काशीनाथ मिश्र---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय भीखालाल जी की भावनाओं से शतप्रतिशत सहमत हूं और जिस तरह से यह विधेयक लाया जा रहा है माननीय नवलकिशोर जी ने कहा और माननीया सुचेता कृपालानी ने भी कहा कि हम हर तरह का अधिकार कर्मचारियों को देना चाहते हैं। मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहूंगा कि सुचेता जी जिन्होंने गांधी जी के चरणों में सत्य और अहिंसा की शिक्षा ली है, जिसे वे बार-बार कहती है, ठंडे दिल से सोचें कि यह जो पांच-छः या सात धाराओं का विधेयक पेश किया जा रहा है इससे मौलिक अधिकारों का क्या हनन नहीं होता है? इसमें आपने लिखा है कि जो उकसायेगा, उसे आप दंडित करेंगे। उकसाने की परिभाषा आपने नहीं की। अगर हमें उकसाना होगा तो क्या कोई डंडा लाठी लेकर जायेगा। भाषण करने के लिये प्रतिबन्ध लगाया जाता है। क्या भाषण और सभा पर प्रतिबन्ध आप लगायेंगे? यह तो संविधान की धारा १९ की अवहेलना है। उसमें भाषण का स्वातन्त्रय हिन्दुस्तान और प्रदेश के नागरिकों को मिला हुआ है। उसके बाद इसमें आप क्या कहते है कि अगर पुलिस अधिकारी को आभास हो जाय तो वह बिना वारेन्ट के गिरफ्तार कर सकता है।

अधिष्ठाता महोदय, यह अध्यादेश टूट चुका है। यह २८ अगस्त को तोड़ा गया सितम्बर और अक्तूबर में विश्वविद्यालय में हड़ताल हुई। आपकी सरकार क्या थी? इस हिजड़ी सरकार का अध्यादेश चल नहीं सकता। मैं कर्मचारियों को आवाहन करना चाहता हूं और यह कह सकता हूं कि जब प्रदेश के पांच लाख कर्मचारी संगठित होकर अपनी रोटी रोजी की लड़ाई पर जायेंगे तो इस हुकूमत के एक अध्यादेश क्या सैकड़ों अध्यादेश टूट जायेंगे। आपका अध्यादेश चल नहीं सकता है और सरकारी कर्मचारी इसे ६ और ७ तारीख को मजबूती के साथ तोड़ेंगे।

*श्री हरीनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)---

अधिष्ठाता महोदय, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बताया है, यह विधेयक जो आया है यह बिल्कुल दोषपूर्ण है और इससे सरकार की बुद्धि का दिवालियापन जाहिर होता है। आपने इसमें उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का संरक्षण किया है लेकिन आपकी यह शास्ति का प्रश्न क्या है। जब किसी व्यक्ति को जहां चाहें पकड़ लें फिर जैसा कि माननीय भीखालाल जी ने कहा कि उसे फिर आप कहां पेश करेंगे, किस अदालत में ले जायेंगे। जहां तक यह प्रश्न है कि आपने सेवाओं का संरक्षण किया है इसमें जहां लिखा है कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़ ले अगर वह किसी को उकसाता है या पैसा देता है---इसमें किसी व्यक्ति को आप क्यों शामिल कर लेते हैं। इन्डियन पिनल कोड में अबैटर्स के लिये १०७ से ११८ धारा है। उसमें लिखा है कि आखिर अबैटर के लिये कितना पनिशमेंट हो सकता है और भी कई क्लौजेज है। एक चौथाई या आधा होना चाहिये परन्तु इसमें पनिशमेंट डबुल कर दिया आपने। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इस विधेयक को वापिस लें लें।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)---

मैं इस आदरणीय सदन के सामने कहना चाहता हूं कि जनतन्त्रीय सरकार की पालिसी जनतन्त्र को मजबूत और कायम करने की होती है। अगर आप इस अध्यादेश का अध्ययन करें

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री लखपत राम शर्मा]

तो मैं समझता हूं कि इसके बनाने वालों ने स्वयं कानून की कब्र खोदी है। प्रदेश के ५ १/२ लाख राज्य कर्मचारी अपने लिये रोटी मांगते हैं, इसलिये इस अध्यादेश की जरूरत पड़ी और जेल का दरवाजा उनके लिये खोला गया है। माननीय मुख्य मंत्री का सिर्फ एक बात की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अंग्रेजों के जमाने में जिस समय हिन्दुस्तान की आजादी की लड़ाई चल रही थी जिसमें वह भी अग्रसर थीं, उस समय राज्य कर्मचारी आपके साथ थे या नहीं। पी० सी० एस० और आई० सी० एस० ने उसमें हिस्सा लिया। हर तबके का राज्य कर्मचारी आपके साथ था। उन्होंने तरह तरह की यातनायें भी सहीं और जेल के दरवाजे भी देखे। अगर यह असंगत था तो आपने उस समय राज्य कर्मचारियों का सहारा क्यों लिया ? आज वह रोटी मांगता है तो उसके लिये इस प्रकार का कानून बनाना बड़े शर्म की बात है।

माननीय नवल किशोर जी ने और दूसरे साथियों ने जैसा कहा कि आज के जमाने में इस संकट को टालने के लिये सरकार के पास पैसा नहीं है। सरकार की माली हालत अच्छी नहीं है। लेकिन इस बारे में मैं कहूंगा कि क्या कभी उन्होंने दिल्ली की सरकार से सिफारिश की कि बैंकों का, आटा मिलों का या सीमेंट के कारखानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। काश ऐसा किया गया होता तो आज आपके पास भी करोड़ों रुपया होता और साधनों की कमी न रहती। अब जुल्मों के कानून के बल पर अग्रसर न होकर कर्मचारियों तथा अध्यापकों के मसलों पर गौर करें।

श्री शांति प्रपन्न शर्मा--

भीखालाल जी का एतराज था कि यह बिल अधूरा है क्योंकि अगर इसमें औफेंस किया भी तो सजा नहीं दे सकेंगे। सी० आर० पी० सी० की धारा है अगर आप कहें तो मैं उसे पढ़ कर सुना दूं जिसमें यह है...

कुछ सदस्य--

ठीक है। कहिये आगे।

श्री शांति प्रपन्न शर्मा--

तो उसके पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं मानता हूं कि कुछ ऐसे गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स थे जिन्होंने हमारे राजनैतिक आन्दोलन में हिस्सा लिया लेकिन उन्होंने उसके पहले नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और उनका हम आदर भी करते हैं। हमारे यहां तो पोलिटीकल पेंशन भी है, चाहे आप उसे पसन्द न करें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने बहुत सफर किया है तो उसका केस देखा जा सकता है। लेकिन यह तो सीधा सा विधेयक है। मुख्य मंत्री जी कह चुकी हैं कि हम किसी गवर्नमेंट सर्वेन्ट को सजा देना नहीं चाहते हैं.....

श्री उग्रसेन--

अधिष्ठाता महोदय, माननीय भीखालाल जी का एतराज कुछ था और जवाब कुछ और है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय शर्मा जी ने जवाब दे दिया है। आप समझ नहीं पा रहे हैं।

श्री शांति प्रपन्न शर्मा--

भीखा लाल जी तो मेरी बात से सन्तुष्ट हो गये हैं।

श्री अधिष्ठाता--

उग्रसेन जी, मैं आपको बता दूं कि जाब्ता फौजदारी में यह किया जा सकता है, इसलिये इसमें लाने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शांति प्रपन्न शर्मा---

हमारा विधेयक तो केवल इसलिये है कि लोग स्ट्राइक न करें। स्ट्राइक के बारे में सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट हो गया है कि वह फंडामेंटल राइट नहीं है। जहां तक दूसरे रास्ते का ताल्लुक है, मैंने सुबह भी और अब भी मैं यह कहता हूं कि हमने एक कमेटी बैठा दी है और जो भी उनकी समुचित मांगे होंगी उनको मुख्य मंत्री जी अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के अनुसार स्वीकार कर लेंगी। लेकिन यह धमकी देना कि स्ट्राइक करके काम बंद कर देंगे और प्रदेश की सरकार का सारा काम अस्तव्यस्त हो जायगा, यह नहीं हो पायेगा। मुझे विश्वास है कि अगर अपोजीशन पार्टीज हमारे कर्मचारियों को बहकायें न, तो उनमें अवश्य ही सुबुद्धि आयेगी और वे हड़ताल से दूर रहेंगे। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अत्यावश्यक सेवाओं का अनुरक्षण विधेयक, १९६६ पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री काशीनाथ मिश्र---

व्यवस्था का प्रश्न। जब हमने विभाजन की मांग की थी तो आपने विभाजन क्यों नहीं दिया ?

श्री अधिष्ठाता---

उस समय प्रश्न स्वीकृत हो चुका था। अगला बिल बहुत महत्वपूर्ण है उस पर आपको बोलने का मौका मिलेगा।

श्री काशीनाथ मिश्र---

इसमें लिखा है कि पांच बजे के उपरान्त दूसरा विषय लिया जायगा, अभी पांच नहीं बजे हैं।

श्री अधिष्ठाता---

५ बजे का मतलब यह है कि पहली कार्यवाही के बाद और इसमें शब्द लिखे हैं 'आवश्यकतानुसार'।

श्री चन्द्रबली सिंह---

आपने जो विभाजन नहीं कराया है, उसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री चन्द्र बली सिंह ने सदन का त्याग किया।)

उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९६६

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री चरण सिंह)---

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय।

अधिष्ठाता महोदय, जो विधेयक मैंने माननीय सदस्यों के विचार के लिये पेश किया है इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। तीन चार ऐक्ट हैं---टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, कारपोरेशन ऐक्ट म्युनिसपल ऐक्ट, तथा हाउसिंग डवलपमेंट, बोर्ड ऐक्ट, इन सब एक्टों में बहुत छोटे-छोटे संशोधन किये जा रहे हैं। उनमें जो कठिनाई पैदा हुई उनको दूर करने के लिये ये संशोधन पेश किये जा रहे हैं।

[श्री चरणसिंह]

मैं तफसील से अर्ज करूंगा। इसमें जो एक बड़ा संशोधन कहा जा सकता है वह यह है कि जो नगर पालिकाओं की सेवा में है उनका प्रदेशीयकरण, (न प्रान्तीयकरण और न केन्द्रीयकरण) किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में एक आध्यादेश सरकार को जारी करना पड़ा था, उसको जो प्राविजन्स है वह सब इस बिल में शामिल है। इसके जो मुख्य २ खंड है मैं माननीय सदस्यो की सहूलियत के लिये संकेत रूप से उनकी व्याख्या में प्रस्तुत करना चाहता हूं। यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ जो था उसका एक संशोधन ऐक्ट या एडेप्टेशन ऐक्ट सन् ४८ में यहां पास हुआ था। उसको मनसा यह थी कि यह जो संशोधन किये जा रहे है वे टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट में आज से शामिल न समझे जायेंगे बल्कि जब सरकार चाहे या जिस संशोधन को जब कभी भी जहां चाहे वहां लागू कर सकेगी। उस एडेप्टेशन ऐक्ट के हमने टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट में उसके सब संशोधन कर दिये। अब पीस मील, लेजिस्लेशन की जरूरत नहीं है बल्कि हमेशा के लिये वह टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट का अंग बन जायगा। तो सब से पहले इस खंड २ की मनशा तो केवल इतनी ही थी।

अब खंड ३ की मनशा यह है कि टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट में धारा २३ से २४ तक एक चेम्पटर में जिक्र है उन स्कीम का जो इम्प्रूवमेंट कर सकता है. यह ६—७ तरह की स्कीम्स हैं उनका नोटिफिकेशन होता है, उनकी स्वीकृत होती है और उसका एक प्रोसिजर दिया है और नोटीफिकेशन के बाद यह मान लिया जाता है कि लैंड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा ४ की जो मनशा है और जो उसके कानूनी असरात होते हैं वह उससे गाइड होते हैं और उसके बाद लैंड एक्जीविशन ऐक्ट की दूसरी धारायें लागू होती है लेकिन एक जगह इम्प्रूवमेन्ट ट्रस्ट ने यह किया कि जो प्रोसीजर टाउन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ऐक्ट के मातहत था उसने लैंड एक्वीजिशन ऐक्ट द्वारा जमीन हस्तगत की और प्लान्स बनाये और स्टेट गवर्नमेंट ने उनको मंजूर किया था, वह मंजूर हुये। एक केस गाजियाबाद का कोर्ट में इस पर गया, उन्होंने उसमें फैसला तो खिलाफ नहीं किया लेकिन कुछ आबजर वेशन्स किये और उसमें कहा कि यह सिस्टम गलत है। होना यह चाहिये कि पहले प्लान्स बनाई जायं और जनता के सामने आयें और वह प्लान्स मंजूर हों और उसके बाद जमीन एक्वायर की जाय, बजाय इसके कि जमीन पहले एक्वायर कर ली जाय। तो वह एक था आबिटरडिक्टा है। अब हमारे कानूनी सलाहकारों का मशवरा यह है कि यह संशोधन कर ही देना चाहिए और हाईकोर्ट की यह राय सही मालूम होती है। अब जमीन बाद में एक्वायर की जायगी, पहले प्लान्स बनेगी और वे जनता के सामने जायंगी। यह संशोधन हम खंड ३ के द्वारा इसमें कर रहे हैं।

इसके अलावा खंड ४ की मनसा यह है कि ट्रस्ट की निधि से व्यय की अनुज्ञा देने का सरकार का अधिकार है और धारा ५ में इंडियन स्टाम्प ऐक्ट के मातहत जो ड्यूटी ली जाती है उसके अलावा म्युनिसिपल ऐक्ट में, टाउन इम्प्रूवमेंट एक्ट में और कारपोरेशन ऐक्ट के मातहत भी उनका खर्च चलाने के लिये या आय बढ़ाने के लिये यह प्राविजन पहले से है, सेन्कशन है कि जो जायजाद ट्रान्सफर हो रही है, उसका कीमत पर २ रुपया प्रतिशत के हिसाब से इम्प्रूवमेंट ड्यूटी लगा सकते हैं। स्टाम्प ऐक्ट के अन्दर जो स्टाम्प ड्यूटी होती है वह तो स्टेट गवर्नमेंट को चली जाती है लेकिन यह २ रुपया प्रतिशत ही केवल दूसरे निकायों को जाता है। जिस तरह से बैनामे में डबल ट्रांसफर हो जाता है, मालिक हो जाता है तो लीज में ट्रांसफर तो हो जाता है लेकिन लीज एक टैम्पोरेरी परपज के लिए है। सारी प्रोपराइटरशिप लीजी के अन्दर वेस्टेड रहती है, कन्टीन्यू करती है तो उस जायदाद के ऊपर २ रुपया प्रतिशत एड वौलेरम ड्यूटी लेना मुनासिब है। इसलिए यह एमेंडमेंट इसमें किया गया है, खंड ५ में। यह एमेंडमेंट जो है, अधिष्ठाता महोदय, मेरे दोस्त देखेंगे जैसा कि चैप्टर २ में है, वह यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, १९१९ का है। उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ का जो संशोधन है वह चेप्टर ३ में दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैटीज ऐक्ट १९१६ का संशोधन चेप्टर ४ में है, आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, १९६५ का संशोधन चैप्टर ५

में दिया हुआ है। हर चैप्टर में खंड ५ का संशोधन है जो टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट में किया गया है वह सब में किया गया है।

नगर महापालिका अधिनियम में पहले से यह दिया हुआ है कि किसी भी सर्विसेज, जो कि सब महापालिकाओं में कौमन है, यह पालिकाओं में कौमन हैं, उनको सरकार सेन्ट्रलाइज कर सकती है। उस सिलसिले में चैप्टर ३ में संशोधन किया गया है, वे सिर्फ शाब्दिक हैं।

अधिष्ठाता महोदय, जब हमने रुल्स बनाये हैं उनमें जो सेक्शन्स दिये हुए हैं केन्द्रीयकरण, प्रदेशीयकरण के, उनमें कुछ नुख्स रह गये थे तो सरकार ने उनको भी ठीक कर दिया है। तो उनका समावेश भी खंड ८ में हो गया है।

म्युनिसिपेलिटीज ऐक्ट की धारा ६ में संशोधन किया गया है। उसमें ५७-५९, ६५ से ६८, ६९, ६९ ए, ७१, ७४, ७९ और ८० के बावजूद इन धाराओं में जो कुछ लिखा हुआ है उसके लिए सरकार से नियम के जरिए उनकी सेवाओं का केन्द्रीकरण या सेन्ट्रेलाइजेशन कर सकती है।

धारा ११ जो है उसमें इंडियन स्टाम्प ऐक्ट जो है उसके सम्बन्ध मे संशोधन किया गया है।

चैप्टर ५ के अन्दर जो खंड १२ है उस में वही है जो इंडियन स्टाम्प्स ऐक्ट, नगरपालिका ऐक्ट, टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, महापालिका ऐक्ट में किया है।

खंड १३ में यह दिया हुआ कि उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम १९५९ का अध्याय १३ और १७८-१८६ जो दफायें हैं म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट की, लेकिन टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट, यू०पी० क्षेत्र समिति और जिला परिषद् अधिनियम के जो करस्पोंडिंग सेक्शन्स हैं उनका जिक्र नहीं था। लिहाजा उन सेक्शन्स का भी जिक्र इस में कर दिया गया है। इसी तरह से उत्तर प्रदेश रेगुलेशन आफ बिल्डिंग्स औपरेशन ऐक्ट में रेगुलेटेड एरिया का पहले यह था जिस के सिलसिले में डिक्लेरेशन किया गया हो। लेकिन उसमें एक कमी यह आती थी कि जो डिक्लेरेशन एक बार हो गया उस में संशोधन नहीं हो सकता था। इसलिये खंड १४ में भी शाब्दिक संशोधन किया गया है।

अन्त में खंड १७ और १८ इस वजह से करने पड़े हैं कि दो टाउन एरियाज हैं, एक जसवन्त नगर और एक है रेवती। रेवती टाउन एरिया का चुनाव हुआ १९६४ में और एक फरीक चला गया हाईकोर्ट में, उस को स्टे आर्डर दे दिया कि चुनाव हो जाय लेकिन नतीजा अभी अनाउन्स न किया जाय। १९६४ से वह स्टे आर्डर कायम है, दो साल हो गये। गवर्नमेंट की तरफ से हाई कोर्ट को एक आध दरख्वास्त दी जा चुकी है कि जल्दी इस मामले को तय कर दिया जाय। लेकिन हाई कोर्ट ने तय नहीं किया इसलिये चुनाव नहीं हो सका। तो वह चुनाव एक तरह से जो १९६४ में हुआ था वह कमप्लीट नहीं हुआ। तो उसकी मियाद बढ़ाने के लिये हमने रखा है, ३० जून, १९६७ इस उम्मीद में कि हाई कोर्ट का स्टे आर्डर वैकेट हो जाय। जो कुछ भी फैसला हाई कोर्ट का हो जाय वह ३० जून, १९६७ तक हो जाय।

जसवन्त नगर का जो है उसमें मियाद थी चुनाव कराने की ३१ दिसम्बर, १९६६ तक, लेकिन वह चुनाव किसी वजह से नहीं किया जा सकता, किया नहीं जा सका। पहले तो पाकिस्तान का ऐग्रेशन हुआ उस वक्त तय किया सरकार ने कि आम चुनाव न किये जायं, कोई बाई इलेक्शन हो या इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रेसीडेंट या चेयरमैन का हो वह किया जाय। इस बजह से रुका हुआ था। अब जनरल इलेक्श आ रहा है। तो आम तौर पर डी० एम० और कमिश्नर्स की राय यह है कि इस में इतना काम बढ़ जायगा कि कोई चुनाव ड्यू भी हो तो वह जनरल इलेक्शन के बाद कराना चाहिये। तो जसवन्तनगर का इस वजह से रुका है। लेकिन मैं स्वीकार करूंगा कि इसमें कुछ हमारी तरफ से कोताही हुई है। जसवन्तनगर का चुनाव शायद पहले किया जा सकता था। तो वह गलती हो गई उस को बढ़ाना अब जरूरी है। इसलिये ६ महीने की मियाद उसकी भी बढ़ानी है।

इन शब्दों के साथ मैं दरख्वास्त करूंगा, वैसे उनको अधिकार है, अमेंडमेंट दिया हुआ है सर्कुलेशन के लिये या सेलेक्शन कमेटी के सुपुर्द किया जाय जिस की १० दिन के अन्दर

[श्री चरणसिंह]

रिपोर्ट आये । तो १० दिन के अन्दर रिपोर्ट आयेगी तो सदन फिर बैठेगा जब कि कोई सब्सटेंस का अमेंडमेंट नहीं है, टेक्नीकल है । बस इस के अन्दर जो रूल्स हमने बनाये हैं और उनमें कुछ खराबी रह गयी थी जो ऐक्ट की वजह से थी तो उस ऐक्ट का संशोधन भी अध्यादेश के जरिये किया, उसे इस प्रकार से सब्सटेंस का कह सकते हैं, वैसे वह भी टेक्नीकल है । इसलिये इस बात को दृष्टि में रखते हुए मेरे माननीय मित्रों ने जो अमेंडमेंट रखा है कि यह सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जाय उस पर आग्रह न करें ।

*श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९६६ को सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जिसे विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का अधिकार हो तथा जो अपनी रिपोर्ट १० दिन के भीतर दे दे । (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायंगे ।)

श्रीमन्, जैसा कि माननीय स्वायत्त शासन मंत्री ने कहा, वास्तव में इसमें कुछ तो संशोधन अत्यन्त आवश्यक थे और उनकी आवश्यकता से इनकार नहीं किया जा सकता । उनके बिना काम चलना भी कुछ असंभव ही था और कुछ काम की दुरूहता को कम करने के लिये भी यह संशोधन किये गये । फिर भी मैंने जो संशोधन रखा है वह इसलिये रखा है कि अभी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनका संशोधन होना था, जिनके विषय में नियम और बनने थे और उनका इस ऐक्ट में कहीं न कहीं प्राविजन होना चाहिये था परन्तु वह नहीं किया गया । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब ३–३, ४–४ ऐक्ट्स का संशोधन एक ही में किया जाता है तो उससे बड़ी कठिनाई उत्पन्न होती है इसलिये अगर हर ऐक्ट का अलग-अलग संशोधन किया जाय तो वह अधिक अच्छा होगा जनता की दृष्टि में भी और अधिकारियों की दृष्टि में भी । मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि भविष्य में जब कभी ऐसा संशोधन लायें तो अलग-अलग लायें तो अधिक अच्छा हो ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं जैसा कि गाजियाबाद का मास्टर प्लान चल रहा है यह माननीय मंत्री जी ने बड़ा अच्छा किया, चाहिये तो यह था कि पहले ही हम लोगों की बातें मान लेते कि पहले प्लान बनायी जाय फिर लैंड एक्वीजीशन किया जाय परन्तु हाई कोर्ट के आब्जर्वेशन के बाद अगर आपको अक्ल आ गयी है तो मैं समझता हूं कि नुकसान तो काफी हो गया परन्तु फिर भी अच्छा है । गाजियाबाद का जो मास्टर प्लान है उसमें अभी कोई काम नहीं हुआ । कितने वर्षों से जमीन ली हुई पड़ी है और जो लाखों टन अनाज उससे हम पैदा करते उससे बंचित रह गये । मंत्री जी का ध्यान केवल इन शाब्दिक संशोधनों की तरफ न जाय बल्कि जहां-जहां भूमि उन्होंने ग्रहण कर ली है उनका डेवलपमेंट वास्तव में किया जाय अन्यथा ऐसे समय में जबकि देश में दुर्भिक्ष है इस प्रकार जमीन लेकर हम डालते रहे तो उससे भला नहीं होगा बल्कि उल्टे बुरा होगा । मैं समझता हूं कि मंत्री जी कुछ इस प्रकार का भी कानून बनायें कि जहां हम जमीन एक्वायर करते हैं वहां एक निश्चित अवधि के अन्दर वह काम हो जायगा अभी तक ऐक्ट में इस प्रकार का कोई प्राविजन नहीं है । एक लैंड एक्वीजीशन की बात नहीं कहता बल्कि जहां-जहां सरकार ने लैंड एक्वायर की है, जैसे बरेली में इंडस्ट्रियल इस्टेट बनाने के लिये पांच वर्ष पहले जमीन ली गयी और डेढ़ साल हुआ जब उस पर काम शुरू हुआ और इमारतें बनीं । तो मैं समझता हूं कि यह भी प्राविजन आप करें कि जो काम आप करना चाहते हैं वह एक निश्चित अवधि के अन्दर पूरा हो जायगा और अगर पूरा नहीं होता है तो देखें कि किस आफिसर की गलती है । अगर हम इस ओर ध्यान दें तो लाखों टन अनाज जिसकी कमी अकारण हो जाती है, अगर किसी कारण से हो तो भी कोई बात है, उसमें बहुत कुछ मदद कर सकते हैं । दूसरी बात यह है जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा इसमें कोई बहुत ज्यादा बात कहने की जरूरत मैं समझता भी नहीं हूं । म्युनिसिपैलिटियों

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

के अन्दर आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया है। हम लोग भी चाहते थे कि म्युनिसिपैलिटीज के अन्दर बहुत से ऐसे कर्मचारी जो ऊंचे पद पर बैठे हुये हैं, एक तरीके से वे वहां के सम्राट बने हुये हैं और वे वहां की म्युनिसिपैलिटी को ही नहीं बल्कि सारे नगर की राजनीति को अपने हाथ में रखते है। जैसे एक्जीक्यूटिव आफिसर ऐसा आदमी था जो सारे नगर की राजनीति को अपने हाथ में रखता है, जैसा चाहे उसको घुमाता है अपने पद के आधार पर। तो यह आपने बहुत ही अच्छा किया जो उसकी सेवाओं का प्रदेशीयकरण कर दिया। साथ ही आपने सेनेटरी इंसपेक्टरों के पदों का भी प्रदेशीयकण कर दिया, यह बड़ा अच्छा किया। लेकिन कुछ कमी रह गयी है। अभी भी वहां लाइटिंग सुपरिंटेंडेंट और चुंगी सुपरिंटेंडेंट के ये दो पद ऐसे हैं जो एक जगह पर २६–२७ और २८ साल से आदमी चले आ रहे हैं। मैं तो आपको बरेली का उदाहरण दे सकता हूं कि वहां के पेशकार की आमदनी का अन्दाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अपनी लड़की की शादी में दहेज के रूप में उसने अम्बेसडर कार दिया और शादी में लाखों रुपया खर्च किया। सुपरिंटेंडेंट ने अपनी बिल्डिंग बना ली वह अलग। यह तो भला हो हमारे वर्तमान चेयरमैन का जिन्होंने उस पद को आपस में बदल दिया जिस पर नगर में काफी बावेला मचा लेकिन एक ठोस कदम उन्होंने उठाया जिससे उस नगर की तरक्की हुई और आमदनी भी बढ़ी और इसकी वजह से म्युनिसिपैलिटी के ऊपर जो कर्जा था उसे भी उन्होंने अदा किया। तो मैं सरकार का ध्यान इस तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं कि वह सर्विसेज के बारे में भी सोचें। जहां आप सेनेटरी इन्सपेक्टरों और एक्जीक्यूटिव आफिसर के पदों का प्रदेशीयकरण कर चुके हैं वहां लाइटिंग सुपरिंडेंटेंट और चुंगी सुपरिंटेंडेंट के पदों का भी प्रदेशीयकरण करने का प्राविजन करें क्योंकि वे पद भी पैसे के हैं जिससे उन पदों का दुरुपयोग होता है।

एक निवेदन यह करना है कि हमारे यहां कई सालों से नगरपालिकाओं, जिला परिषदों पंचायतों, ब्लाक्स, टाउन एरियाज या नोटिफाइड एरियाज के चुनावों को आगे बढ़ाने की प्रवृत्ति रही है और इस तरह से उनका कार्यकाल बढ़ाया जाता रहा है, इस सरकार के पांच वर्ष के शासन में। जिला परिषदों का चुनाव तो १४–१५ और १८ साल से नहीं हो पाया था। इसी प्रकार से कई नगरपालिकाओं का चुनाव आप नहीं करा पाये हैं और देर होने की बात स्वयं सरकार ने स्वीकार की है। जसवंत नगर जिला इटावा के टाउन एरिया का चुनाव जैसा कि आपने कहा हो जाना चाहिये था लेकिन नहीं हुआ, और आपने कहा कि यह गलती हुई। तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर क्यों नहीं चुनाव कराया गया और किस अधिकारी की इसमें लापरवाही रही। केवल इस बात को कह कर कि चुनाव नहीं हुआ और गलती हो गयी इससे हम अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकते। मैं तो इस प्वाइंट पर जोर देना चाहता हूं कि किस अधिकारी की गलती से यह हुआ उसके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की। चुनाव जो हैं वे जनतंत्र की रीढ हैं। इसलिये बिना किसी वजह के किसी चुनाव को रोकने से जनता का विश्वास प्रजातंत्र से उठ जायगा।

(इस समय ५ बजकर २४ मिनट पर अधिष्ठाता श्री जगदीश प्रसाद, पीठासीन हुए।)

सामान्य निर्वाचन की बात जब हम कहते हैं तो लोग कहते हैं कि शायद चुनाव स्थगित हो जाय। मैं समझता हूं कि चुनाव का स्थगित होना वास्तव में प्रजातंत्र के लिये दुर्भाग्यपूर्ण है, देश के लिये तो दुर्भाग्यपूर्ण है ही। इसलिये आप जैसे ईमानदार और इस मंत्रिमंडल में सबसे कठोर मंत्री से मैं आशा करता हूं कि आपके इस पद पर रहते हुए किसी कमेटी का कोई चुनाव बिना किसी वजह के स्थगित नहीं किया जायगा। एक बात तो मैं मान सकता हूं कि हाई कोर्ट की वजह से टाउन एरिया रेवती का चुनाव होने में देर हुई लेकिन जसवंतनगर टाउन एरिया कमेटी का चुनाव क्यों नहीं हुआ इसकी आप जांच कराने की कृपा करें। जहां म्युनिसिपैलिटी के चुनाव बढ़ गये, नगर महापालिका के चुनाव टाल दिये तो इस तरह की बात बराबर हो रही है। जसवंतनगर की बात आप कह सकते हैं, लेकिन यह नहीं कह सकते हैं कि लखनऊ वाराणसी, कानपुर और आगरा के चुनाव क्यों रोक दिये? ऐसा कौन सा वातावरण था। जब चीन

[श्री हरीशकुमार गंगवार--]

के हमले के बाद प्रदेश में बाइइलेक्शन करा सकते हैं तो इन महापालिकाओं के चुनाव कराने में कौन सी दिक्कत थी। यह ऐसा सवाल है जिसको मंत्री जी को सोचना चाहिये। कभी कभी हमारे मंत्री जी भी राजनीतिक प्रवाह में बह जाते हैं। वह भी ठीक तरह से अपनी बुद्धि से समझ नहीं पाते हैं और जो दल के हित में बात हो सकती है उसी को वे प्रोत्साहन दे देते हैं। उस समय न्याय की बात उनके सामने नहीं रह पाती है। मैं समझता हूं कि मंत्री जी इस चीज को दूर करेंगे। इस तरह से और जो संशोधन आने चाहिये उनको भी लायेंगे और उनके साथ इसको प्रस्तुत करेंगे।

*श्री गिरधारीलाल (जिला वाराणसी)--

अधिष्ठाता महोदय, बड़ी प्रसन्नता की बात है और बधाई है मंत्री जी को कि उन्होंने महापालिकाओं और नगरपालिकाओं से संबंधित जरूरी संशोधन को उपस्थित किया है। सरविसों का केंद्रीयकरण करके जो प्रदेशीय स्तर पर लाये हैं वह बहुत अच्छा है। लेकिन इसके साथ ही साथ जब से सरकार ने इनको अपने नियंत्रण में लिया है तब से सरकार के ऊपर शंकायें और आक्षेप भी हुये हैं। सरकार का उद्देश्य तो कहने को यह है कि विकेंद्रीकरण करना है लेकिन दिनों दिन केंद्रीकरण करती चली जा रही है। आज सरकार अपने हाथ में अधिकार लेती चली जा रही है। स्वाभाविक है कि लोगों के हृदय में इस तरह की भावना उत्पन्न हो।

नियम इत्यादि के बनाने की बात ठीक है। सरकार को यह काम अपने हाथ में लेना चाहिये। लेकिन इसका वास्तविक प्रतिफल क्या हो रहा है। आज महापालिकाओं के अन्दर एक असंतोष व्याप्त है, जमीन एक्वायर करने के लिये जो नियम बने हुये हैं उसके संबंध में मंत्री महोदय को आये दिन शिकायतें होती होंगी। जो सरकारी रेट निर्धारित है उसमें तथा प्राइवेट रेट में कितना बड़ा अन्तर है। जो जमीन आप लेते हैं उसका मूल्य मुश्किल से २००/३०० या ५०० बीघा देते हैं और जो जमीन आप नीलाम से बेंचते हैं तो ९ हजार प्रति बिस्वा बेंचते हैं।

श्री चरण सिंह--

अधिष्ठाता महोदय मैं वैधानिक आपत्ति पेश करना चाहता हूं। मेरे मित्र, चुनाव नहीं हुये और गवर्नमेंट ने अपने हाथ में उनको ले लिया, उससे क्या खराबी हुई, उसका जिक्र कर रहे हैं। तो जो विधेयक मैंने पेश किया है उससे इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय सदस्य इसी विधेयक तक अपने को सीमित रखें।

श्री गिरधारीलाल--

बहुत अच्छा। महापालिकाओं को नियंत्रण में लेने के बाद हमारी समझ में नहीं आया कि उसका असेसमेंट प्रारम्भ कर दिया। असेसमेंट जिस देखरेख में हो रहा है, खुले आम घूसखोरी का बाजार है।

श्री अधिष्ठाता--

जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है विधेयक तक आप अपने को सीमित रखिये।

श्री हरीशकुमार गंगवार--

स्वायत्त शासन के संबंध में कहा जा सकता है।

श्री गिरधारीलाल--

मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। चूंकि एक मौका आया था, नगरपालिका के संबंध में अधिकार ले रहे हैं, इसलिये कहना चाहता था। जितनी अच्छाइयां हैं मैं कह चुका हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सूरजलाल गुप्त वकील (जिला गोंडा)—

अधिष्ठाता महोदय, जो गंगवार साहब ने प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं। मुझे केवल एक बात कहनी है कि जहां सैनिटरी इंस्पेक्टर और सुपरिंटेंडेंट आक्ट्राय की पोस्ट्स को प्राविंशलाइज करने जा रहे हैं वहां हेडक्लर्क की पोस्ट को भी प्राविंशलाइज किया जाय क्योंकि वह एक इम्पारटेंट पोस्ट है।

*श्री तेज सिंह (जिला मेरठ)—

अधिष्ठाता महोदय, चौधरी साहब ने जो संशोधन रखा है जिसे लगाकर इन ऐक्टो को पढ़ कर कठिनाइयों को दूर किया उसके लिये वह बधाई के पात्र हैं। उनका सेकंड नेचर है कि जो काम करते हैं वह थारों करते हैं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि जो कठिनाइयां अधिकारियों को होती है वह जल्दी ऐक्ट में आ जाती है लेकिन जो लोगों को तकलीफ होती है उस पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता। गाजियाबाद का जिक्र हुआ। गाजियाबाद की जमीन ली गयी, ठीक या गलत हुआ, १९६० में जमीन ली गयी, १९६२ में कब्जा ले लिया लेकिन उन लोगों को पूरा मुआविजा नहीं दिया। अधिकारी कहते हैं कि आज रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन छुट्टी पर हैं, वहां क्लर्क नहीं है, हमारे पास इतना स्टाफ नहीं है कि लाखों करोड़ों रुपया बाट दें। यह कमियां चौधरी साहब जल्द से जल्द दूर नहीं करते। यह विभाग कितने दिन आये हुये उनके पास हो गये लेकिन उसी रफ्तार पर चल रहा है। पता नहीं फाइलें कहां चली जाती हैं। कहते हैं कि मुआवजे की फाइलें बना कर लखनऊ भेज दी हैं। वह कहते हैं कि रेवेन्य बोर्ड में गयी हैं। रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन कहीं छुट्टी पर चले जाते हैं। क्यों फाइलें एक्सपेडाइट नहीं होतीं ? मैं उनसे अदब से कहूंगा कि वह इसमें भी संशोधन करवायें कि कब्जा मिलने पर फौरन किसानों को मुआवजा मिल जाये। चौधरी साहब अपनी आंखों देख आये हैं। जिनको राजा कह सकते थे आज रिक्शा चला रहे हैं। गाजियाबाद में मिट्टी ढो रहे हैं। लेकिन मुआविजा उनको अभी तक नहीं मिला। चौधरी साहब ने बहुत काम किया है वह इधर भी ध्यान दें उनको जल्दी से जल्दी मुआविजा दिलायें।

*श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)—

संशोधन विधेयक में कई बातें अच्छी अछूती हैं कुछ बातें ऐसी हैं जिनका विरोध करना आवश्यक है कई स्थानों पर यह बात थी कि वहां के अधिकारियों को हटाना सम्भव नहीं था। मनमाने ढंग से वह काम कर रहे थे। वह एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाये जा सकेंगे। यह अच्छी बात है। लेकिन कुछ बातें उल्लख करना आवश्यक है। जब ऐसा कर्मचारी जो कि स्थानीय इकाई के अन्तर्गत नियुक्त किया गया था तब उनकी नियुक्ति की शर्तें जो थी वह यह थीं कि वे एक स्थान पर यानी अपने घर पर रहेंगे और वहीं रहकर नौकरी करेंगे। किन्तु इस व्यवस्था के अन्तर्गत अब जब उन्हें दूसरे स्थान पर भेजा जाए तो उनके निवास आवास की तथा अन्य सुविधाओं पर भी ध्यान रखा जाना चाहिये।

दूसरी बात इसमें यह दी गयी है कि जिन अधिनियमों के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क लगाने का अधिकार नहीं था, अब उनमें सभी में व्यवस्था कर ली गयी है। वैसे भी भूमि भवन कर एक अतिरिक्त कर लगा हुआ है और उसके साथ साथ स्टाम्प शुल्क और बढ़ा देना पर किसी प्रकार भी नागरिक जीवन के साथ न्याय नहीं कहा जा सकता है। एक बात चुनाव के बारे में कही गयी, ३ बार यह चुनाव का समय बढ़ा चुके है। यह बात तो सही है कि हाई कोर्ट में उनके केस पेंडिंग हैं, लेकिन उसके साथ साथ यह भी सही है कि यह अवधि समाप्त हो गयी है और अब यह इनफ्रेक्चअस हो जाता है। अगर उनका कार्यकाल समाप्त हो गया है तो वह अपने आप समाप्त

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रक्षपाल सिंह—]

हो गया है, उनकी हाईकोर्ट की रिट समाप्त हो गयी है, लेकिन फिर भी उनको बनाए रखा गया है, इसका फालो नहीं किया गया है, इसमें सरकार की नियत साफ नहीं है ।

चुनाव के सम्बन्ध में अभी जैसा कि हमारे कांग्रेसी सदस्य ने कहा कि चुनाव कराये जाएं या न कराये जाएं, यह बात भी इस विषय से सम्बन्ध रखती है और इस पर चर्चा होनी ही चाहिये । सरकार ने जो चुनाव नहीं कराये हैं, यह प्रजातान्त्रिक व्यवस्था ही का द्योतक नहीं है । जिन नगरमहापालिकाओं में विरोधी पक्ष के लोग चुनकर आए थे, उन्हें सरकार ने मनमानी करके जब्त कर लिया है । प्रदेश की पांच नगरमहापालिकाओं में से ४ नगरमहापालिकाओं में विरोधी दलों का बहुमत था केवल कानपुर में कांग्रेस का पक्ष मजबूत था, इसलिये उन्हें सुपरसीड कर दिया गया है, यह भी कोई अच्छी बात नहीं है । यह घटना जनतन्त्र को चुनौती देने वाली है । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं ।

*श्री चरणसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, श्री हरीशकुमार गंगवार हमारे मित्र ने संशोधन पेश किया है कि इसे सेलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए । उन्होंने दो तीन बातें कहीं, मैं उनका जवाब देना चाहता हूं । उन्होंने कहा कि कई एक संशोधन एक विधेयक के जरिये नहीं लाने चाहिये, मैं उनकी इत्तिला के लिये बताना चाहता हूं कि यह एक पुराना तरीका है । इस प्रकार का ढंग ओम्नीबस ऐक्ट कहलाता है । ऐसा ही सन् १९३० में सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने किया था और अभी पिछले साल रेवेन्यु डिपार्टमेंट की तरफ से ऐसा ही बिल आया था और सदन ने उसे पास किया था । हर एक के लिये अलग-अलग संशोधन विधेयक लाए जाएं, इससे अनावश्यक रूप से सदन का समय खराब होता है, इससे बचने के लिये यह व्यवस्था अपनायी गयी है । शायद मैं इस बात को कहना भूल गया और वही बात हमारे हरीशकुमार गंगवार ने कही वह जो अमेन्डमेंट हमने किया है टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट में कि जमीन एक्वायर पहले कर ली जाती है और प्लान इम्प्रूवमेंट का बाद में बनाया जाता है, इसको वेलिडेट अब किया गया है । यह तो इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की गलती थी, उसको हमने वेलिडेट किया है ।

मेरे मित्र गिरधारीलाल जी जो वाराणसी से तशरीफ लाये हैं उन्होंने महापालिका के प्रशासन का इस मौके पर जिक्र किया कि उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारियों में भ्रष्टाचार है । आज तक उन्होंने कभी मुझे नहीं बताया कि फलां कर्मचारी रिश्वत लेते है ताकि उसके विरूद्ध कार्यवाही की जा सके । अब वे अगर मुझे बतलायेंगे तो मैं फौरन कार्यवाही करूंगा ।

माननीय रक्षपाल सिंह जी की एक बात का उत्तर देना मैं चाहता था लेकिन मैं नोट करना भूल गया, याद आने से उत्तर देने की कोशिश करूंगा । माननीय तेजा सिंह जी ने एक बात कही कि अफिसरान की गलती जो होती है उनको ठीक करने के लिये तो बिल जल्दी आ जाता है लेकिन जनता के कष्ट के सिलसिले में कार्यवाही में देर होती है । और इस सिलसिले में उन्होंने कम्पेंशेसन का जिक्र किया । कोई गवर्नमेंट, अधिष्ठाता महोदय, आइसोलेशन में काम नहीं कर सकती । एक चीज का सम्बन्ध कई डिपार्टमेंट से होता है । मसलन् कम्पेंसेशन की बात है । यह बोर्ड आफ रेवेन्यू के हाथ की बात है । जमीन ऐक्वायर कर लेता है एजूकेशन इंडस्ट्रीज, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और दीगर डिपार्टमेंट्स लेकिन रेट आफ कम्पेंसेशन क्या होगा इसको तय करता है बोर्ड आफ रेवेन्यू । उनके नियम है और उसके हिसाब से उन्हें तय करना होता है ।

डैमोक्रेसी में जहां कानून के जरिये सब चीजें होती है बाकायदा ऐक्ट के नियमों को देखकर तो देर उसमें हो ही जाती है और दुनिया भर में सब जगह देर होती ही है । यह कोई नयी बात तो नहीं है । और अगर जल्दी में कोई काम कर दें और कोई कानूनी नुक्स रह जाय तो

---

*वक्ता ने भाषण को पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हाईकोर्ट में रिट आ जायगी और उसमें सब किया धरा खत्म हो जायगा। तो यह देर तो एवायड नहीं की जा सकती। यह बात सही है कि एफीशियन्सी बढ़ाई जा सकती है। लेकिन इनएफीशियेंसी हर जगह हो रहती है उसको जितना कम किया जा सकता है उतना कम करना चाहिये लेकिन बावजूद इसके बिजनेस को पूरा करनें में देर लगेगी ही। सरकार अगर हुक्म भी दे दे कि महीने भर में हो जाय, डेढ़ महीने में हो जाय तो या तो फिर डिक्टेटरशिप ही तभी जल्दी हो जाएगी। अब दूसरी बात में आपकी इत्तिला के लिये अर्ज करूं कि पी० डब्लू० डी० और इंडस्ट्रीज ने बहुत सी जमीनें ऐक्वायर की हैं। बहुत सी सेन्ट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्टर और पी० डब्लू० डी० के जरिये ऐक्वायर की हैं। इन सब में कम्पेंसेशन का मामला है। तो बावजूद इच्छा के देर हो ही जाती है। यह मैं तसलीम करता हूं कि देर हो गयी।

श्री तेज सिंह--

लैंड ऐक्वीजीशन आफिस में स्टाफ बढ़ाया जा सकता है।

श्री चरणसिंह--

अगर बढ़ जाने का हुक्म भी दे दिया जाय तो भी वह इतनी जल्दी हो नहीं सकता। एल०एस०जी उसे नहीं कर सकता। एक आदमी बीमार हो गया उसका बूढ़ा बाप, उसकी मां और उसकी वह बीमार हो गयी तो वह छुट्टी चला गया। अब कोई इसे थोड़े ही जानता था। इस तरह की बात हो गयी। लेकिन मुझे इसकी शिकायत नहीं है। जो कुछ बात हो माननीय मित्रों को कहनी ही चाहिये।

एक बात और है। अब तक नकशे म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट के मातहत और रेगुलेशन आफ बिल्डिंग्ज ऐक्ट के मातहत अलग अलग नकशे मंजूर होते थे। अब दोनों को एक कर दिया गया है कि जहां दोनों ऐक्ट नाफिज है वहां दोनों जगह नक्शे नहीं मंजूर किये जायेंगे, बल्कि एक ही जगह जो नक्शे मंजूर हो जायेंगे वही मान लिये जावेंगे। यह गोरखपुर, गाजियाबाद और देहरादून से शिकायत आई थी तो इस तरह से करने में जनता को बहुत सहूलियत हो जायगी।

एक बात यह कही गयी कि टैक्स सुपरिन्टेडेन्ट और आर्डिनरी सुपरिन्डेन्टेंट जो हैं इनका सेन्ट्राइजेशन होना चाहिये। इनका सेन्ट्रालाइजेशन हो गया है। वह अगर रूल उठाकर देखेंगे तो उनको मालूम होगा कि इनका हो गया है। गवर्नमेंट अपने हाथ में पावर ले रही है और जब पावर ले रही है तो गड़बड़ होती है जैसा कि शिकायत की गई कि वह फला टैक्स सुपरिन्टेडेंट थे उन्होंने इतना रुपया अपनी लड़की की शादी में खर्च किया और कार भी शादी में दी। वह टैक्स सुपरिन्टेडेंट जब म्युनिसिपैलिटी के मातहात काम करते थे तब किसकी जिम्मेदारी थी? तब तो वह गवर्नमेंट के मातहत नही थे। गवर्नमेंट के आफिसों में जो लोग काम करते है यह सब को मालूम है कि उनमें भी बहुत सी गलतियां करते हैं। हमारे कर्मचारियों में भी भ्रष्टाचार है। यह तो आम बात हुई। म्युनिसिपलिटी में भी ऐसे लोग है जिनमें ईमानदारी भी है और भ्रष्टाचारी भी है और गवर्नमेंट में भी हैं।

हैडक्लर्क की पोस्ट की बात कही गई। वह भी सन्ट्रलाइज्ड हो गई है। लाइटनिंग सुपरिन्टेडेंट की नहीं की गई है क्योंकि उनकी तनख्वाह १२० से शुरू होती है। हमने इसके लिये केन्द्रीयकरण करने का उसूल यह रखा है कि जिस आदमी की तनख्वाह १५० रुपये माहवार से शुरू होती हो उन सबको केन्द्रीय करण कर दिया जाये सिवाय ओवरसियर और सैनीटरी इन्स्पैक्टर क जिनकी तनख्वाह १५० से कम है। इनके अलावा और किसी की सर्विस को, जो १५० से नीचे है, उनको कन्द्रीयकरण नहीं किया गया है। पहले विचार था कि १५० से नीचे वालों के लिये करेंगे लेकिन फिर फैसला यह हुआ कि नीचे वालों में ओवरसियर और चीफ सैनिटरीटी इन्स्पैक्टर को ही रखा जाय और इन दोनों का केन्द्रीयकरण किया जाय। इसलिये यह एक्सेप्शन किया गया है। बाकी जो इन्सपैक्टर १५० से कम वेतन के हैं उनका नहीं किया गया है। केवल १९ सर्विसेज का किया गया है। देहरादून की म्युनिसिपैलिटी ने यह शिकायत

[श्री चरण सिंह]

की कि गवर्नमेंट के पास सब पावर हैं और हमारे पास पावर नहीं हैं लेकिन उनके पास पावर है। १५० से नीचे जिनकी तनख्वाह शुरू होती है उनको छोड़ दिया है। इन शब्दों के साथ में फिर माननीय मित्र से दरख्वास्त करूंगा कि इस संशोधन को पेश करने की जरूरत नहीं है। इसमें समय बर्बाद होगा क्यों कि सब्सटेंशियल बात इस बिल में नहीं है।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैंने जो मंत्री जी से टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट के बारे में एक बात कही थी उसके लिये शायद उन्होंने कुछ गलत अनुमान लगाया। इसलिये मैं उसको फिर कह देना चाहता हूं। उसका प्लान पहले निकाला जाय और बाद में उसको पास कर दें।

श्री चरण सिंह—

टाउन इम्प्रूवमेंट ऐक्ट पहले से मौजूद है।

श्री हरीश कुमार गंगवार—

मैं कहना चाहता हूं कि जब आप किसी जमीन को ले लेते हैं तो फिर उस चीज की पहले बनाना चाहिये ताकि जो उसका निर्माण करेंगे वह किसी अवधि के अन्दर पूरा हो जाय। यह प्राविजन नहीं है। १ जमीन को एकवायर किया जाता है। ४, ५ साल तक वह बेकार बड़ी रहती है। उसमें खेती हो सकती थी अगर वह उनके पास होती....

श्री चरण सिंह—

यह प्वाइण्ट आपका बहुत हद तक ठीक है। सेक्शन ४ में जमीन का नोटिफिकेशन करके छोड़ देते हैं। वह वर्षों पड़ी रहती है। अब हमने इस तरह का संशोधित बिल तैयार किया है लेकिन वह गवर्नमेंट आफ इंडिया की स्वीकृति के लिये भेजा हुआ है। जब तक उनकी उस पर कन्सेन्ट न आ जाय हम पास नहीं कर सकते हैं। उसमें यह है कि जब नोटिफिकेशन हो जाय तो ५ साल के अन्दर जरूर वह सेक्शन ६ की कार्यवाही हो जाय और सेक्शन ४ न्युलिफाइ समझी जायगी।

*श्री हरीश कुमार गंगवार—

श्रीमन, मुझे प्रसन्नता हुई कि जनता की बेचैनी का अहसास मंत्री जी को है। लेकिन ५ वर्ष की अवधि बहुत अधिक है, अगर इसको घटा कर कम कर दें तो ज्यादा अच्छा होगा। यह उनके सोचने का विषय है, क्योंकि वह भी किसानों से ताल्लुक रखते हैं। वह जानते हैं कि किसानों को पहले से ही जमीन कितनी प्यारी रही है। जबकि देश का उत्पादन गिर गया है तो हम जितनी हो सके ज्यादा पैदावार बढ़ायें और जो मुनासिब तरीके हों वह अख्तियार करें, जमीन को पड़ा न रहने दें—यह उनके सोचने की बात है।

दूसरी बात यह है कि जो म्यूनिसिपल बोर्ड के कर्मचारी ट्रांस्फर किये गये हैं उसका एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू यह है कि जिस समय वह नौकरी पर रखे गये थे तो उनकी सर्विसेज की कंडीशंस कुछ और थीं और अब दूसरी हो गयी हैं, इसलिए उनको कुछ सुविधाएं देने की बात रहनी चाहिये। इस गरज से अगर डेढ़ सौ रुपये पर किसी का अप्वाइन्टमेंट शहर में हुआ है तो इसलिए कि वह जानता है कि मेरा मकान यहां पर है और और मैं आपने बाल बच्चों और परिवार के साथ रहकर अपनी जिम्मेदारी निभाने में कोई दिक्कत नही होगी इसलिये बोड़ी तनख्वाह पर भी नौकरी कर लेता है। अब जबकि यह ट्रांस्फरेबिल पोस्ट हो गयी है तो उसकी विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिये या पे, भत्ता बढ़ना चाहिये—यह आपके सोचने की बात है। मैं बहरहाल सुझाव दे सकता हूं मुमकिन है आप इसपर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तीसरी बात यह है कि एक बड़ा भारी प्रश्न यह भी बन गया है नगरपालिकाओं और टाउन एरियाज में कि आमतौर से लोग म्युनिसिपैलटीज की जमीन पर एनक्रोचमेंट करते हैं और म्युनिसिपैलिटी का जो ऐक्ट संशोधित किया है उससे काम नहीं चल रहा है। रास्ते बहुत सकरे हो गये हैं और नगरवासियों की सुख सुविधा के स्थानों पर भी एनक्रोंचमेंट हो गया है और म्युनिसिपैलिटि के लोग मत की लालच में बहुत लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करते। मेरे यहां बरेली में ही जो पिछले चैयरमैन थे सिंघल साहब, उन्होंने एक म्युनिसिपेलिटी के नाले को दबाकर सिंघल बाजार के नाम से पूरा बजार खड़ा कर दिया। जब चैयरमैन ही ऐसा काम करे तो जनता में भी ऐसी बातें पेदा होती है। गलियां जो ६–६–और १०–१० गज चौड़ी होनी चाहिए उन पर मकान खड़े कर लिये जाते हैं। बिल्डिग इंस्पेक्टर भी नहीं देखते, क्योंकि बनने से पहले पैसा मिल जाता है। यह ख्याल तो गलत है कि गवर्नमेंट में जाने से कोई भ्रष्टाचार कम हो जायगा—— जोकि उनकी नस नस में व्याप्त हो गया है लेकिन इसको दूर करने के लिए कोई एजेंसी होनी चाहिए, उसके कोई नियम बनने चाहिए और ऐसा जागरूक डिपार्टमेंट होना चाहिए जो इन चीजों को देखें। यह सही है कि हमने चुने हुए आदमियों को अधिकार दे रखे हैं, लेकिन पब्लिक इनक्रोसचमेंट के कारण नगरों में बड़ी गड़बड़ी फैली हुई है।

एक और बात है। पहले जो बैनामें होते थे उन पर म्युनिसिपेल्टी २ प्रतिशत का कर लगाती थीं। अब सरकार ने यह ५ प्रतिशत कर दिया है। धारा ११ के अन्तर्गत। जब मैं सिलेक्ट कमेटी में था तब भी मैंने इसका विरोध किया था। इस प्रकार के टैक्स बढ़ा देने से होता यह है कि आदमी जब सेल डीड लिखाता है तो टैक्स को कम करने के लिये वह उसकी रकम को कम लिखाता है। इस प्रकार सरकार को ज्यादा आमदनी नहीं होती। अगर टैक्स को एक प्रतिशत कर दिया जाय तो लोग सही रकम लिखायेंगे और उससे आमदनी बढ़ सकती है। अतः इस प्रकार के जो संशोधन दिये गये है, वे बहुत उचित है और सरकार उस पर विचार करने की कृपा करे और उन्हें स्वीकार करे।

श्री चरणसिंह——

मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। कोई भी टैक्स इस विधेयक द्वारा बढ़ाया नहीं गया है। बल्कि वह कम किया गया है। उसके लिये तो सरकार को बधाई मिलनी चाहिये थी। यह ५ परसेंट तो पहले से ही था। हमने यह किया है कि जमीन की कीमत पर दो परसेंट जो टैक्स लिया जाता था वह जमीन की कीमत पर नहीं लिया जायेगा, बल्कि उसकी जो एनुअल वेल्यु वगैरह होगी, जिस तरह से स्टैम्प ड्यूटी लगती है, उसी हिसाब से यह होगा।

श्री हरीश कुमार गंगवार——

श्रीमन्, मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं और अपना संशोधन वापस लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता——

प्रश्न यह है कि संशोधन वापस लेने की माननीय सदस्य को आज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता——

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९६६ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड २—११

संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ४७, सन् १९४८ ई० के परिशिष्ट में उल्लिखित संशोधनों को यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९१९ में समाविष्ट करना और संयुक्त प्रान्तीय ऐक्ट संख्या ४७, सन् १९४८ ई० का निरसन

२—(१) यू०पी० टाउन इम्प्रयूमेन्ट ऐक्ट, १९१९ क संशोधन १९४८ ई० का यूनाइटेड प्राविसेन्ज टाउन इम्प्रूवमेन्ट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) ऐक्ट के परिशिष्ट में दी गयी रीति से किया जायगा, और उपर्युक्त रीति से संशोधित पूर्ववर्ती ऐक्ट इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा जायगा।

(२) १९४८ ई० का यूनाइटेड प्राविन्सेज टाउन एम्प्रूवमेन्ट (अवस्थानुकूल परिवर्तन) ऐक्ट एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ८, १९१९ में नयी धारा ४४—ए का बढ़ाया जाना

३—मूल अधिनियम की धारा ४४ के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात् :—

अन्य विकास उपक्रम

"४४—(ए)—(१) ट्रस्ट, राज्य सरकार के अनुरोध पर अथवा उसके अनुमोदन से किसी क्षेत्र का नियोजित विकास करने का कार्य अपने हाथ में ले सकता है, और धारा २३ से ४४ तक के उपबन्ध ऐसे कार्य के संबंध में लागू न होंगे।

(२) उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, १९६६ के प्रारम्भ होने के पूर्व किसी ट्रस्ट द्वारा हाथ में लिया गया कोई ऐसा विकास कार्य इस धारा के अधीन हाथ में लिया गया समझा जायगा मानो इस धारा के उपबन्ध सदैव प्रवृत्त रहे हों, और तदनुसार, किया गया कोई कार्य अथवा की गयी कोई कार्यवाही, जिसके अन्तर्गत किसी ऐसे कार्य को आगे बढ़ाने में अध्याय ६ के अधीन की गयी कोई कार्यवाही भी है, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी और सदैव से ही किया गया कार्य अथवा की गयी कार्यवाही समझी जायगी।"

४९-सी का बढ़ाया जाना

४—मूल अधिनियम की धारा ४९-बी के पश्चात् निम्नलिखित नयी धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

ट्रस्ट की निधि से व्यय की अनुज्ञा देने का सरकार का अधिकार

"४९-सी—इस ऐक्ट की किसी अन्य उपबन्ध के अधीन ट्रस्ट के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ट्रस्ट कोई भी ऐसा कार्य करने के लिए व्यवस्था कर सकता है जिसके व्यय को राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ट्रस्ट की निधियों पर समुचित प्रभार घोषित करे।"

धारा ६७—एच का संशोधन

५—मूल अधिनिय की धारा ६७-एच की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात् :—

"(१) अचल संपत्ति के किसी हस्तान्तरण विलेख पर इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, १८८९ द्वारा आरोपित शुल्क, ऐसे क्षेत्र के, जिसमें यह ऐक्ट लागू हो, भीतर स्थित अचल सम्पत्ति की दशा में, प्रतिफल की धनराशि या मूल्य

पर जिसके अभिदेश में उक्त ऐक्ट के अधीन शुल्क की गणना की जाय दो प्रति शत बढ़ा दिया जायगा।"

६—उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ११२-क में उपधारा (२) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायें:—

"(२) जब कोई ऐसी सेवा सृजित की जाय तो सेवा में सम्मिलित पदों पर काम करने वाले पदाधिकारियों और सेवकों तथा धारा ५७७ के खण्ड (ङ) के उपखण्ड (१) के अधीन उन पदों के कर्तव्यों का पालन तथा कृत्यों का सम्पादन करने वाले पदाधिकारियों और सेवकों को भी, यदि वे उपयुक्त पाये जायें, विहित रीति से, अस्थायी या अन्तिम रूप से, सेवा में लिया जा सकता है और अन्य व्यक्तियों की सेवायें विहित रीति से समाप्त हो जायगी। उ० प्र० अधिनियम संख्या २, १९५९ की धारा ११२-क का संशोधन

(३) उपधारा (१) और (२) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में, उक्त उपधाराओं में अभिदिष्ट किन्हीं विषयों के संबंध में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की भी व्यवस्था की जा सकती है।"

७—मूल अधिनियम की धारा १९१ की उपधारा (१) में शब्द "विक्रय संपत्ति के मूल्य पर अथवा भोगबन्धक (mortgage) की दशा में लिखित (instrument) द्वारा सुरक्षित धनराशि पर" के स्थान पर शब्द "प्रतिफल की धनराशि या मूल्य पर, जिसके अभिदेश में उक्त अधिनियम के अधीन शुल्क की गणना की जाय," रख दिये जायें। धारा १९१ का संशोधन

८—मूल अधिनियम की धारा ५७७ में— धारा ५७७ का संशोधन

(क) खण्ड (ङ) में शब्द "जब तक इस अधिनियम के अधीन निर्मित पदों पर उनकी नियुक्ति न हो जाय, वे वही वेतन और भत्ते पायेंगे तथा सेवा की उन्हीं शर्तों के अधीन रहेंगे जिनके कि वे उक्त दिन अधिकारी अथवा अधीन थे" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"जब तक वे इस अधिनियम के अधीन सृजित पदों पर नियुक्त न किये जायें या धारा १२-क के अधीन बनायी गयी नियमावली द्वारा सृजित किसी केन्द्रीय सेवा में अन्तिम रूप से न लिये जायें अथवा उनकी सेवायें ऐसी नियमावली के अनुसार समाप्त न हो जायें, वे वही वेतन और भत्ते पायेंगे और, ऐसी नियावली में अन्यथा की गयी व्यवस्था को छोड़ कर, सेवा की उन्हीं शर्तों के अधीन रहेंगे जिनके लिये वे नियत दिन के ठीक पूर्व अधिकारी अथवा अधीन थे,"

(ख) खण्ड (च) में शब्द "नियोजित करने की कार्यवाही निम्नलिखित प्रक्रिया के अनसार की जायेगी" के स्थान पर शब्द "नियुक्ति करने में धारा ११२-क के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण किया जायगा" रख दिये जायें।

९—यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा ६० की उपधारा (१) के प्रारम्भिक पैरा के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:— यू० पी० ऐक्ट संख्या २, १९६१ की धारा ६० का संशोधन

"किसी म्युनिसिपैलिटी में, जहां कोई एक्जीक्यूटिव आफिसर हो, बोर्ड के निम्नलिखित अधिकारों का प्रयोग ऐसे अधिकारी द्वारा किया जायगा

और धारा ६२ में की गयी व्यवस्था को छोड़ कर, उनका प्रयोग अन्यथा नहीं किया जायगा, अर्थात्,"

धारा ६९-बी का प्रतिस्थापन

१०—मूल अधिनियम की धारा ६९—बी के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:—

"६९-बी—(१) धारा ५७ से ५९, ६५, से ६८, ६९, ६९-ए, ७१, ७४, ७९ और ८० में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार नियमों द्वारा, किसी भी समय ऐसे अधिकारियों तथा सेवकों की जिन्हें वह उपयुक्त समझे एक या अधिक ऐसी सेवायें सृजित करने के लिए व्यवस्था कर सकती है जो राज्य के सभी या कुछ म्युनिसिपल बोर्डों अथवा म्युनिसिपल बोर्डों और महापालिकाओं के लिए सामान्य हों, तथा किसी ऐसी सेवा में भर्ती करने की रीति और नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तें नियत कर सकती है।

(२) जब कोई ऐसी सेवासृजित की जाय तो सेवा में सम्मिलित पदों पर काम करने वाले अधिकारियों और सेवकों को, यदि वे उपयुक्त पाये जायें, विहित रीति से अस्थायी या अन्तिम रूप से सेवा में लिया जा सकता है और अन्य व्यक्तियों की सेवायें विहित रीति से समाप्त हो जायेंगी।

(३) उपधारा (१) और (२) के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे नियमों में, उक्त उपधाराओं में अभिदिष्ट किन्हीं विषयों के संबंध में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श करने की भी व्यवस्था की जा सकती है।"

धारा १२८-ए का संशोधन

११—मूल अधिनियम की धारा १२८—ए की उपधारा (१) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्—

"(१) यदि किसी बोर्ड ने धारा १२८ की उपधारा (१) के खन्ड (१३-बी) में अभिदिष्ट कर आरोपित किया हो तो अचल सम्पत्ति के किसी हस्तान्तरण विलेख पर इंडियन स्टाम्प ऐक्ट, १८८९, द्वारा आरोपित शुल्क ऐसी म्युनिसिपैलिटी की सीमाओं के भीतर स्थित अचल सम्पत्ति की दशा में, प्रतिफल की धनराशि या मूल्य पर, जिसके अभिदेश में उक्त ऐक्ट के अधीन शुल्क की गणना की जाय, दो प्रति शत बढ़ा दिया जायगा:

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन से, बोर्ड, विशेष संकल्प द्वारा, स्टाम्प शुल्क में वृद्धि के उपर्युक्त प्रति शत को पांच प्रति शत तक बढ़ा सकता है।"

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड २ से ११ तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रन उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १२

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९६६ की धारा ६२ का संशोधन

१२—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद अधिनियम, १९६५ मे जिसे आगे इस अध्याय मूल अधिनियम कहा गया है—

(१) उपधारा (१) मे शब्द "संक्रमित संपत्ति के मूल्य पर, अथवा भोग बन्धक की दशा में संलेख द्वारा प्रतिभूत धनराशि पर" के स्थान पर

शब्द "प्रतिफल की धनराशि या मूल्य पर जिसके अभिदेश में उक्त अधिनियम के अधीन शुल्क की गणना की जाय" रख दिये जायें।

(२) उपधारा (५) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय, अर्थात्:—

"यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६, ८ और २४ के उपबन्ध सी निवृत्ति (सेंसर) के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे निरसन तथा पुनः अधिनियमन के संबन्ध में लागू होते हैं।"

श्री बंशीधर मिश्र (जिला खीरी)—

श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खण्ड १२ की दूसरी पंक्ति में शब्द "कहा गया है" के बाद शब्द "की धारा ६२ में" बढ़ा दिये जायं।

श्री चरणसिंह—

यह मुझे स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खण्ड १२ की दूसरी पंक्ति में शब्द "कहा गया है" के बाद शब्द "की धारा ६२ में" बढ़ा दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १२ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १३–१४

१३—मूल अधिनियम की धारा ९६ की उपधारा (३) में शब्द "और उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ के अध्याय १३" के स्थान पर निम्नलिखित रख दिये जायें, अर्थात्:— धारा ९६ का संशोधन

"उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९, के अध्याय १३, यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६ की धारा १७८ से १८६ तक (या उसकी धारा ३३८ के अधीन अथवा यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४, की धारा ३८ के अधीन यथाप्रसारित उक्त धारायें), या, यथा स्थिति, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१, की धारा १६२ से १७१ तक, "

१४—उत्तर प्रदेश निर्माण-कार्य विनियमन अधिनियम, १९५८, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा २ के खण्ड (घ) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय, अर्थात्:— उ० प्र० अधिनियम संख्या २४, १९५७ की धारा २ का संशोधन

(घ) "विनियमित क्षेत्र" का तात्पर्य ऐसे क्षेत्र से है जिससे संबंध में धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन प्रख्यापन तत्समय प्रवृत्त हो,"

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १३ और १४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १५

धारा ३ का संशोधन

१५—मूल अधिनियम की धारा ३ की संख्या बदल कर उसकी उपधारा (१) कर दी जाय, और इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (१) के पश्चात् निम्नलिखित नयी उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:—

"(२) किसी विनियमित क्षेत्र के संबध में उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९, क अध्याय १३, यू०पी० म्युनिसिपेलिटीज ऐक्ट, १९१६, की धारा १७८ से १८६ तक (या उसकी धारा ३३८ के अधीन अथवा यू० पी० टाउन एरियाज ऐक्ट, १९१४, की धारा ३८ के अधीन यथा प्रसारित उक्त धारायें), यू० पी० टाउन इम्प्रूवमेन्ट ऐक्ट, १९१९, की धारा २९, ३० और ३२, ,या ,यथास्थिति, उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, १९६१, की धारा १६२ से १७१ तक का प्रवर्तन उस अवधि के लिए निलम्बित रहेगा जिसमें उपधारा (१) के अधीन इससे संबद्ध घोषणा लागू रहे, और यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४, की धारा ६ के उपबन्ध ऐसे निलम्बन के संबध में इस प्रकार लागू होंगे मानों कि निलम्बन इस अधिनियम द्वारा उक्त अधिनियमितियों का निरसन हो।"

श्री बंशीधर मिश्र—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १५ द्वारा मूल अधिनियम की धारा ३ में बढ़ाई गई उपधारा (२) में शब्द "घोषणा" के स्थान पर शब्द "प्रख्यापन" रख दिया जाय।

श्री चरणसिंह—

स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १५ द्वारा मूल अधिनियम की धारा ३ में बढ़ाई गई उपधारा (२) में शब्द "घोषणा" के स्थान पर शब्द "प्रख्यापन" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १६

धारा १९ का संशोधन

१६—मूल अधिनियम की धारा १९ की उपधारा (२) के खण्ड (छछ), में शब्द "की प्रतिलिपियों" के स्थान पर "के निरीक्षण या उनकी प्रतिलिपियों" रख दिये जायें।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १७

१७—उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय (अल्पकालिक व्यवसाय) अधिनियम, १९६३ (जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ के प्रतिबन्धात्मक खण्ड में अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, १९६६" के स्थान पर अंक तथा शब्द "३० जून, १९६७" रख दिये जायें। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६३, की धारा ३ का संशोधन]

श्री बंशीधर मिश्र—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १७ की दूसरी पंक्ति में शब्द "आगे" के बाद शब्द "इस अध्याय में" बढ़ा दिया जाय।

श्री चरणसिंह—

स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १७ की दूसरी पंक्ति में शब्द 'आगे' के बाद शब्द "इस अध्याय में" बढ़ा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संशोधित खण्ड १७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १८—२०

१८—मूल अधिनियम की धारा ५ में अंक तथा शब्द "३१ दिसम्बर, १९६६" के स्थान पर अंक तथा शब्द "३० जून, १९६७" रख दिये जायें। धारा ५ का संशोधन

१९—उत्तर प्रदेश पालिका (केन्द्रीयित) सेवा नियमावली, १९६६, उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, १९५९ और यू० पी० म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, १९१६, के उपबन्धों के अधीन बनायी गयी समझी जायगी, मानों इस अधिनियम द्वारा उक्त अधिनियम और ऐक्ट में किये गये संशोधन सदैव प्रवृत्त रहे हों, और उसे वैध समझा जायगा तथा सदैव से वैध रहा समझा जायगा और, उसमें किये गये किन्हीं संशोधनों के अधीन रहते हुए प्रवृत्त बनी रहेगी, तथा उक्त अधिनियम और ऐक्ट में किसी बात के होते हुए भी ४ सितम्बर, १९६७, को समाप्त होने वाली अवधि में, उक्त नियमावली में संशोधन करने के अधिकार का प्रयोग पूर्वगामी प्रभाव देते हुए किया जा सकता है। समझा जाना वैधीकरण, आदि

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या ७ १९६६

२०—उत्तर प्रदेश पालिका सेवायें (केन्द्रीयकरण) (प्रकीर्ण उपबन्ध) अध्यादेश १९६६, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। निरसन

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १८ से २० तक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

शीर्षक, प्रस्तावना और खण्ड १

उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९६६

स्थानीय स्वायत्त शासन से सम्बद्ध विभिन्न अधिनियमितियों के कतिपय उपबन्धों का आगे दिये हुये प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने के लिए

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

अध्याय १

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम १—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, १९६६, कहलायेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री चरणसिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९६६, जैसा कि वह संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश स्थानीय स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, १९६६, जैसा वह संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन ६ बज कर २६ मिनट पर अगले दिन ११ बजे दिन तक के लिए स्थगित हो गया ।)

श्रीपति सहाय,
सहायक सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ :
५ दिसम्बर, १९६६ ।

नत्थी 'क'

(देखिये नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्र० सं० १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५२ पर।)

संदिग्ध हुए गबन रुपये का प्रत्येक ठेकेदार का वर्षवार विवरण

उत्तर गोंडा वन खंड

लाट सं०	ठेकेदार का नाम	धनराशि जो प्रारम्भ में आडिट द्वारा गबन की हुई संदिग्ध की गयी	धनराशि जो जांच के पश्चात् गबन हुई नहीं पाई गई	शेष धनराशि जिसके सम्बन्ध में जांच जारी है
१	२	३	४	५
	१९५५–५७			
२८० से २८३ तक	श्री ललई हाजी ..	५००.००	..	५००.००
३००	,, छुटकन राम ..	११.८७	..	११.८७
३१७	,, साह मुहम्मद ..	६३०.००	..	६३०..००
३२९ और ३३२	त्रिबेनी प्रसाद	१००.००	..	१००.००
३३७	,, भगवती प्रसाद	१,१००.००	१,१००.००	..
३९२	,, बलदेव सिंह ..	१,७००.००	१,७००.००	..
४४२	,, मुहम्मद इद्रिस ..	३.०६	..	३.०६
४४३	,, राम लाल कपूर	६.३७	..	६.३७
४४४	,, जसवन्त सिंह ..	०.८१	..	०.८१
४४५	,, राम लखन ..	०.७५	..	०.७५
४४६	,, राम लखन ..	१.२५	..	१.२५
४५१	,, राम दास ..	४.००	..	४.००
४५२	,, निसार अहमद ..	०.८१	..	०.८१
४५३	,, मुहम्मद जहूर ..	६.००	..	६.००
४५५ और ४५७	,, सुलेमान ..	१०१.००	..	१०१.००
४५६	,, सम्सुल हक ..	०.७५	..	०.७५
४५८	,, जगन्नाथ प्रसाद	१.५६	..	१.५६
४५९	,, जसवन्त सिंह ..	५.६९	..	५.६९
४६० से ४६३	,, पियारे खां ..	६.००	..	६.००
४६५, ४६७, ४६९ और ४७०	बलदेव सिंह ..	२७.०७	..	२७.०७
४७१	,, अमर नाथ सिंह	१८.०६	..	१८.०६
४७२	,, नियामत खां ..	०.७५	..	०.७५

१	२	३	४	५
४७३	,, सूरज नारायन ..	२५३.१२	..	२५३.१२
४७४	,, सना उल्लाह ..	२.००	..	२.००
४७५	,, छुटकन राम ..	१.३१	..	१.३१
४७६	,, ममदार ..	९.९४	..	९.९४
४७७	,, जमना सिंह ..	१०.००	..	१०.००
४७८ और	,, मुहम्मद इस्माइल	२४.१२	..	२४.१२
४७९				
४८० और ४८१	पिंगल सिंह ..	१७६.७४	१६०.००	१६.७४
४८२ से ४८४	सरदार सिंह ..	१२.३७	..	१२.३७
४८५ और	,, मुहम्मद रफीक खां	४.९९	..	४.९९
४८६				
४८७ और	,, मजहर हुसैन ..	१३.३८	..	१३.३८
४८८				
४८९	,, मुहम्मद हनीफ	५३२.०४	..	५३२.०४
४९६ और	,, नजर मुहम्मद	११५.००	११५.००	..
५०४				
५१२	,, बल बीर सिंह ..	५०.००	५०.००	..
५१४	,, मुहम्मद हनीफ ..	१३०.००	..	१३०.००
५१५	,, बलवीर सिंह	८०.००	८०.००	..
५२२	,, मुमताज अली ..	११०.००	११०.००	..
५२६	,, मुहम्मद इद्रिस ..	३८५.००	..	३८५.००
५३८	,, मुहम्मद हनीफ	१०.००	..	१०.००
५६१	,, साह मुहम्मद ..	१२०.००	१२०.००	..
योग	५५–५६ ..	६,२६५.८१	३,४३५.००	२,८३०.८१

१९५६–५७

९७ और	श्री विशम्भर दयाल	६७२.६८	..	६७२.६८
९८				
११७	,, नसीर खां ..	१००.००	१००.००	..
१२५ और	,, बदलू ..	१,०००.००	..	१०००.००
१२८				
३१३ ए	,, बहादुर केवट ..	८५.००	..	८५.००
२५६, २५७, २५८	,,			
२७२ और	,, सरदार सिंह ..	६,६६५.००	..	६,६६५.००
३०५		२,०४०.००	..	२,०४०.००
		२,०००.००	..	२,०००.००
२७१	श्री मोहम्मद यूसुफ	४६५.००	४६५.००	..
२७७	,, नियाज अहमद	१,८२०.००	..	१,८२०.००
२८१	,, मोहम्मद सिद्दीक	८५०.००	..	८५०.००
		२००.००	२००.००	..
२८५	,, बलदेव सिंह ..	१,६००.००	..	१६,००.००

१	२	३	४	५
२८४	,, नियाज अहमद	१,५०५.००	..	१,५०५.००
२८६	,, राम तुल्ला ..	१,०३२.००	..	१,०३२.००
२१७ और	,, छोटकन ..	४१८.००	..	४१८.००
२९९		४५०.००	..	४५०.००
३०३	,, जानकी सरन ..	२५०.००	..	२५०.००
३०६	,, अब्दुल बहाब ..	७४०.००	..	७४०.००
३०७	,, मुंशी रजा ..	१,०००.००	..	१,०००.००
३१३	,, लक्ष्मी नरायन	८००.००	..	८००.००
३१५	,, मोहम्मद नजीर प्रथम ।	१५१०.००	..	१,५१०.००
३१७	,, बनवारी लाल ..	४००.००	..	४००.००
३२४	,, मोहम्मद यासीन	१,६००.००	..	१,६००.००
३२६ और	,, मोहम्मद जहूर	८१०.००	..	८१०.००
३३४				
३६३	,, मोहम्मद युसुफ	५०.००	..	५०.००
३९०	,, अजीत सिंह ..	२००.००	..	२००.००
३९३	,, जसवंत सिंह ..	५०.००	..	५०.००
४२७ और	,, बलदेव सिंह ..	२,६००.००	..	२,६००.००
४२८				
४३१	,, जसवंत सिंह ..	२,९८०.००	..	२,९८०.००
४५७	,, राधे लाल ..	५०.००	..	५०.००
५००	,, बुद्ध नरायन ..	१००.००	१००.००	..
५०९	,, समी उल्लाह ..	२८०.००	२८०.००	..
३६५	,, अब्दुल सत्तार ..	१००.००	..	१००.००
योग	१९५६–५७	३४,४२२.६८	१,१४५.००	३३,२७७.६८
	१९५७–५८			
३३५	श्री मुहम्मद इस्माइल	७,४००.००	..	७,४००.००
३५७	,, समीर ..	१७०.००	१७०.००	..
	योग ५७–५८ ..	७,५७०.००	१७०.००	७,४००.००
	१९५८–५९			
१०७	श्री छुटकन ..	२७०.००	..	२७०.००
११०	,, मुहम्मद इद्रिस ..	७४०.००	..	७४०.००
११४	,, हुसयनी ..	३००.००	..	३००.००
१२४	,, जय गोपाल शर्मा	१०२.५२	..	१०२.५२
१२६	,, अब्दुल रशीद ..	७०.००	७०.००	..
३४३ और ३४४	,, देवता दीन ..	१,४००.००	..	१,४००.००

१	२	३	४	५
३४२और	,, प्रीतम सिंह ..	५६५.००	..	५६५.००
३५७				
३७४	,, ब्रित सिंह ..	२,८००.००	२,८००.००	..
३८८	,, सरदार सिंह ..	१,७००.००	१,७००.००	..
३८९	,, औतार सिंह ..	१४१.००	..	१४१.००
३९४और	,, सरदार सिंह ..	२,८८०.००	..	२,८८०.००
३९६				
४०६और	,, सरदार सिंह ..	५,७२०.००	५,७२०.००	..
४०७				
४३५और	,, अमर नाथ सिंह	६००.००	..	६००.००
४३६				
४४२	,, बलदेव सिंह ..	७,०००.००	..	७,०००.००
४६३और	,, जसवन्त सिंह ..	१,९२०.००	..	१,९२०.००
४६५, ४६९				
४८६	,, एल० एन० शर्मा	८८.००	..	८८.००
६५७	,, देवता दीन ..	७३०.००	७३०.००	..
६६६और	श्री बद्री ..	५०.००	..	५०.००
६६७				
६२५	,, सहदेव ..	४००.००	४००.००	..
६५५	,, मुहम्मद यूसुफ	२८०.००	२८०.००	..
६६८	,, मुहम्मद सिद्दीक	१५५.००	..	१५५.००
६७०	,, नसीर खां ..	३२५.००	३२५.००	..
६७४	,, रामपत ..	५०.००	२५.००	२५.००
६७५	,, मदन मोहन तिवारी	५३५.००	५२५.००	१०.००
६७६	,, नजर मुहम्मद ..	३३०.००	२४५.००	८५.००
६७७	, सतगुर प्रसाद ..	५५.००	..	५५.००
६७९	,, नजर मुहम्मद ..	३२५.००	३२५ ००	..
६८१	,, महमूद ..	२३०.००	२३०.००	..
६८३	,, तुला राम ..	५०.००	२५.००	२५.००
६८७	,, पूरन सिंह ..	१६५.००	१६५.००	..
६८८	,, मुहम्मद इसाक	५०.००	..	५०.००
६८९	,, राम अधार ..	३५०.००	३५० ००	..
६९०	,, मुहम्मद इसाक	५०.००	..	५०.००
६९२	,, ,, ..	५०.००	..	५०.००
६९६	,, पूरन सिंह ..	१,४५०.००	१,४५०.००	..
६९७	,, हुकम दार ..	४१०.००	४१०.००	..
७००	,, रहमत खां ..	१००.००	१००.००	..
६७३	,, राम बुझावन ..	६०.००	६०.००	..
७०१	,, राम अधार ..	१,०००.००	१,०००.००	..
	योग ५८–५९ ..	३३,४९६.८५	१६,९३५.००	१६,५६१.८५
	कुल योग ..	८१,७५५.३४	२१,६८५.००	६०,०७०.३४

नत्थी 'ख'

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५६ पर)

तालिका (क)

तहसील मलिहाबाद, जिला लखनऊ की रजिस्टर्ड नर्सरियों द्वारा वर्ष १९६५ से तैयार किये गये कलमों की संख्या तथा उनकी निरीक्षण के दिनांक का विवरण

नाम नर्सरी व पता	वर्ष १९६५		वर्ष १९६६	
	तैयार की हुई अनुमानित कलम संख्या	जांच की तिथि	तैयार की हुई अनुमानित कलम संख्या	जांच की तिथि
१—मालिक नर्सरी, मलिहाबाद	५६,०००	२०—६—६५ १६—८—६५ १९—८—६५	६५,०००	२३—६—६६
२—हलीम	४९,०००	२०—६—६५	५०,०००	१२—५—६६
३—हबीब	२०,६००	२०—६—६५	२६,०००	१२—५—६६
४—सफदर	६,७५०	२३—६—६५ ३—७—६५	७,३००	१२—५—६६ २०—५—६६
५—हक	३०,४००	२०—६—६५	५४,०००	१२—५—६६
६—बहार नर्सरी काकोरी ..	४४,०००	२०—६—६५ १६—८—६५ १९—८—६५	६५,०००	२७—४—६६ ७—६—६६
७—नेशनल	३१,२००	२०—६—६५	३१,७२९	२०—५—६६ २७—५—६६
८—आइडियल	११,७००	२०—६—६५	१५,२७०	२०—५—६६ ८—७—६६
९—किसान नर्सरी महमूदनगर	५१,०००	२३—७—६५.	५१,५००	११—४—६६ ३०—४—६६ ६—५—६६
१०—माल नर्सरी माल ..	५३,०००	२३—६—६५ ३—७—६५	९०,०००	२३—५—६६ २५—६—६६
११—आदर्श	३१,०००	२३—६—६५ ३—७—६५	६०,०००	२७—४—६६ २३—६—६६
१२—सदा बहार	२२,९००	२३—६—६५ ३—७—६५	४०,०००	२३—३—६६ ३०—५—६६
१३—चैम्पियन	१९,५००	२३—६—६५ ३—७—६५	२६,५००	२३—५—६६
१४—लैंप इन्स्टीट्यूट अटारी	३३,०००	२२—७—६५	४२,०००	३०—५—६६
१५—अब्दुल्ला नर्सरी, मलिहाबाद	.	..	५८,३४६	१२—५—६६ ३०—५—६६

नत्थी 'ग'

(देखिये ता० प्र० सं० ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४५८ पर)

दिनांक १६-८-६५ को सायंकाल ४'४० पर श्री ज्ञान चन्द पारिख, चुंगी अधीक्षक, नगरपालिका मथुरा ने कोतवाली मथुरा में लिखित सूचना भेजी कि दिनांक १५-८-६५ की रात्रि ११'४५ बजे तीन यात्री बसें चौकी बाग चैनसुख पर रुकीं। जमीर खां चपरासी तथा मुहर्रिर द्वारा यात्री-कर देने के लिये कहा गया तो बसों के कुछ यात्रियों ने झगड़ा फसाद-किया और यात्री-कर नहीं दिया। उसी दौरान वह लोग रसीद बुक उठा ले गये। जमीर खां द्वारा गेट न खोलने पर कुछ यात्रियों ने मार-पीट की। यह लोग बसों को बिना कर दिये ले गये। इन तीन बसों में से एक बस का नम्बर २११५ आर० एस० एल० था। शेष दो बसों के नम्बर नहीं देखे जा सके। इस रिपोर्ट पर घटना की जांच दिनांक १६-८-६५ को सब इन्सपेक्टर, पुलिस, श्री युद्धपालसिंह ने मौके पर जा कर की। जिससे ज्ञात हुआ कि रात्रि को चुंगी चौकी पर आई तीन बसों के यात्रियों से चुंगी कर्मचारियों ने यात्री-कर मांगा। जिस पर कुछ यात्रियों ने वैधानिक आपत्ति उठाई। इसी बात पर परस्पर कहा-सुनी हो गई। यात्रियों ने यात्री-कर नहीं अदा किया और उच्च अधिकारियों से उनके दुर्व्यवहार की शिकायत करने की धमकी देते हुए तीनों बसें यात्रियों को लेकर चली गईं। जिनमें से केवल एक का नम्बर २११५-आर० एस० एल० नोट किया जा सका। चुंगी कर्मचारियों ने अपने बचाव की दृष्टि से उक्त रिपोर्ट घटना के दूसरे दिन १७ घंटे बाद कोतवाली में की। जमीर खां चौकीदार या अन्य किसी कर्मचारी चुंगी के साथ कोई घटना मार-पीट की नहीं हुई और न किसी को चोट आई। परस्पर वाद-विवाद के समय ही कुछ यात्रियों ने चुंगी चौकी के तख्त पर रखे कुछ कागजात उठा कर नीचे फेंक दिये थे। जिनमें से कुछ कागजात कर्मचारियों को, बाद में चौकी के सामने की नाली में पड़े मिले। किन्तु उनमें से एक रसीद बही नहीं मिल सकी। यह रसीद बुक यात्रियों के लिये निरर्थक थी और केवल उसी के उठा ले जाने की कोई सम्भावना नहीं पाई गयी। और इस बात का कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं हो सका है। चूंकि इन यात्रियों के नाम व पते न तो चुंगी के कर्मचारी ही बतला सके और न अन्य किसी प्रकार भी ज्ञात हो सके थे। इनके पहचानने की सम्भावना भी कर्मचारीगण ने नहीं बताई। अतः इन परिस्थितियों में इन अज्ञात अभियुक्त के विरुद्ध किसी प्रकार की वैधानिक कार्यवाही करने में विवशता रही है। राजस्थान के संबंधित अधिकारियों से बसों के संबंध में आवश्यक जानकारी मांगी गई थी किन्तु संबंधित मोटर बसों के ड्राइवर व कन्डक्टरों के नाम, व पते प्रयत्न किये जाने पर भी नहीं ज्ञात हो सके। चूंकि किसी हस्तक्षेप योग्य अपराध का होना नहीं पाया गया था अतएव मुकदमा कायम नहीं किया गया था और इसी कारण फाइनल रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता नहीं रही। इस घटना की जांच पुलिस द्वारा समाप्त कर दी गई है।

नत्थी 'घ'

(देखिये ता० प्र० सं० ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६० पर)

तालिका

१—कमिश्नर, लखनऊ डिवीजन	.. ..	अध्यक्ष
२—निदेशक, आर्थिक बोध एवं संस्था विभाग	..	सदस्य
३—उप सचिव (योजना)	.. .. ..	,,
४—निदेशक, प्लानिंग रिसर्च एवं ऐक्शन इन्सटिटयूट	..	,,
५—संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकीय)	.. ..	,,
६—उप सचिव, कृषि विभाग	.. .. ..	,,
७—राजस्व परिषद् का एक नामित	.. ..	
८—राजस्व विभाग का एक नामित	.. ..	,,
९—श्री आर० के गुप्ता, उप विकास आयुक्त	.. ..	,,
१०—डाइरेक्टर, नेशनल सेम्पिल सर्वे केन्द्र सरकार का एक नामित		,,
११—उप विकास आयुक्त (कृषि)	.. ..	संयोजक

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ङ'

(देखिये ता० प्र० सं० १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६० पर)

(१) उत्तर प्रदेश प्रशासी (प्रवर) सेवा	(१) महापालिकाओं के उप नगर अधिकारी।
	(२) महापालिकाओं के सहायक नगर अधिकारी।
	(३) श्रेणी १ और २ के म्युनिसिपल बोर्डों के कार्यकारी अधिकारी तथा महापालिका, कानपुर के अनुभागीय अधिकारी।
	(४) श्रेणी १ और २ के म्युनिसिपल बोर्डों के कर निर्धारण अधिकारी।
	(५) श्रेणी १ के म्युनिसिपल बोर्डों के सचिव।
(२) उत्तर प्रदेश पालिका प्रशासी (अधीनस्थ) सेवा :	(१) श्रेणी ३ और ४ के म्युनिसिपल बोर्डों के कार्यकारी अधिकारी।
	(२) श्रेणी ३ और ४ के म्युनिसिपल बोर्डों के कर-निर्धारण अधिकारी।
	(३) श्रेणी ३ और ४ के म्युनिसिपल बोर्डों के सचिव।
	(४) महापालिकाओं के कर अधीक्षक (जिसमें पथ-कर, सीमा-कर या चुंगी अधीक्षक भी सम्मिलित है) और सहायक कर अधीक्षक (जिसके अन्तर्गत सहायक, पथ-कर, सीमा-कर अथवा चुंगी अधीक्षक भी सम्मिलित हैं) तथा अन्य राजस्व अधीक्षक।
	(५) श्रेणी १ के म्युनिसिपल बोर्डों चुंगी के अधीक्षक तथा कर अधीक्षक (जिसके अन्तर्गत पथ-कर तथा सीमा अथवा पथकर अधीक्षक भी सम्मिलित हैं)।
(३) उत्तर प्रदेश पालिका चिकित्सा (प्रवर) सेवा।	(१) महापालिकाओं के एलोपैथिक चिकित्सालयों, औषधालयों के (श्रेणी १ के) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी तथा एलोपैथिक चिकित्सालयों, औषधालयों (श्रेणी २ के) चिकित्सा अधिकारी।
	(२) महापालिकाओं के होम्योपैथिक औषधालयों के (श्रेणी १ के) प्रभारी चिकित्सा अधिकारी।
	(३) म्युनिसिपल बोर्डों के एलोपैथिक चिकित्सालयों, औषधालयों के प्रभारी मेडिकल अफसर।
	(४) महापालिकाओं के (श्रेणी १ के) वैद्य और हकीम।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(४) उत्तर प्रदेश पालिका चिकित्सा (अधीनस्थ) सेवा ।	(१) महापालिकाओं के होम्योपैथिक औषधालयों के (श्रेणी २ के) चिकित्सा अधिकारी ।
	(२) महापालिकाओं के (श्रेणी २ के) वैद्य और हकीम ।
(५) उत्तर प्रदेश पालिका सार्वजनिक स्वास्थ्य (प्रवर) सेवा ।	(१) महापालिकाओं में प्रसूति एवं शिशु कल्याण तथा परिवार नियोजन केन्द्रों की (श्रेणी १ और २ की) महिला डाक्टर ।
	(२) महापालिकाओं के संक्रामक रोग चिकित्सालयों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ।
	(३) म्युनिसिपल बोर्डों के संक्रामक रोग चिकित्सालयों के प्रभारी मेडिकल अफसर ।
(६) उत्तर प्रदेश पालिका सार्वजनिक स्वास्थ्य (अधीनस्थ) सेवा ।	(१) महापालिकाओं के प्रसूति एवं शिशु कल्याण तथा परिवार नियोजन केन्द्रों की (श्रेणी ३ की) महिला डाक्टर ।
	(२) महापालिकाओं तथा श्रेणी १ एवं २ के म्युनिसिपल बोर्डों के मुख्य सफाई निरीक्षक ।
	(३) महापालिकाओं और म्युनिसिपल बोर्डों के सफाई निरीक्षक ।
(७) उत्तर प्रदेश पालिका पशु चिकित्सा सेवा ।	(१) महापालिकाओं तथा श्रेणी १ और २ के म्युनिसिपल बोर्डों के (श्रेणी १ के) सहायक पशु चिकित्सक ।
	(२) महापालिकाओं तथा श्रेणी १ और २ के म्युनिसिपल बोर्डों के (श्रेणी २ के) सहायक पशु चिकित्सक ।
(८) उत्तर प्रदेश पालिका अभियंत्रण (प्रवर) सेवा ।	(१) नगर महापालिका, कानपुर के नगर अभियंता ।
	(२) कानपुर के अतिरिक्त महापालिकाओं के नगर अभियंता ।
	(३) महापालिका कानपुर के अधिशासी अभियंता ।
	(४) महापालिकाओं के सहायक अभियंता जिनमें सहायक अभियंता (इलेक्ट्रिकल तथा मेकेनिकल इन्चार्ज बर्कशाप) भी सम्मिलित हैं ।
	(५) श्रेणी १ के म्युनिसिपल बोर्डों के सिविल अभियंता ।
	(६) श्रेणी २ के म्युनिसिपल बोर्डों के (अर्ह) सिविल अभियंता ।
(९) उत्तर प्रदेश पालिका अभियंत्रण (अधीनस्थ) सेवा ।	(१) श्रेणी २ के म्युनिसिपल बोर्डों के (अनर्ह) सिविल अभियंता ।
	(२) महापालिकाओं और म्युनिसिपल बोर्डों के (अर्ह) ओवरसियर (सिविल) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(१०) उत्तर प्रदेश पालिका जल-कल, विद्युत तथा अभियंत्रण (प्रवर) सेवा।	(१) महापालिकाओं के नगर अभियंता (जलकल)।
	(२) महापालिका, कानपुर के यांत्रिक अभियंता।
	(३) महापालिका के सहायक अभियंता (जल-कल)।
	(४) म्युनिसपल बोर्डों में श्रेणी 'क' और 'ख' उपक्रमों के जल-कल अभियंता, विद्युत अभियंता, अथवा विद्युत् तथा जलकल अभियंता।
	(५) म्युनिसिपल बोर्डों में श्रेणी 'क' के उपक्रमों के (अर्ह) सहायक जल-कल अभियंता, सहायक विद्युत अभियंता अथवा सहायक विद्युत् तथा जल-कल अभियंता।
(११) उत्तर प्रदेश पालिका जल-कल, विद्युत तथा यांत्रिक अभियंत्रण अधीनस्थ सेवा।	(१) म्युनिसिपल बोर्डों में श्रेणी 'ख' उपक्रमों के (अनर्ह) जलकल अभियंता, विद्युत अभियंता अथवा विद्युत तथा जल-कल अभियंता।
	(२) म्युनिसिपल बोर्डों में श्रेणी 'ख' के उपक्रमों के (अर्ह) सहायक जल-कल अभियंता, सहायक विद्युत अभियंता अथवा सहायक विद्युत् तथा जल-कल अभियंता।
	(३) म्युनिसिपल बोर्डों में श्रेणी 'ग' के उपक्रमों के (अर्ह) जल-कल अभियंता, विद्युत अभियंता अथवा विद्युत् एवं जल-कल अभियंता।
	(४) म्युनिसिपल बोर्डों के १,००० किलोवाट से अधिक अधिष्ठापित क्षमता वाले बिजली घर (डीजल तथा जल विद्युत केन्द्र दोनों के) (अर्ह) अधीक्षक।
	(५) महापालिकाओं में मुख्य मीटर निरीक्षक, मुख्य पाइप लाइन निरीक्षक, मुख्य क्षेत्रीय निरीक्षक, चीफ वेस्ट डिटेक्शन इन्स्पेक्टर (अर्ह)।
	(६) म्युनिसिपल बोर्डों के श्रेणी 'क' उपक्रमों के मुख्य मीटर निरीक्षक, मुख्य पाइप लाइन निरीक्षक, मुख्य क्षेत्रीय निरीक्षक तथा चीफ वेस्ट डिटेक्शन इन्स्पेक्टर (अर्ह)।
	(७) मसुरी म्युनिसिपल बोर्ड के जल विद्युत् उपक्रम के मेन्स अधीक्षक।
(१२) उत्तर प्रदेश पालिका तरुपालन (Arboriculture) (प्रवर) सेवा।	कानपुर महापालिका के लिये तरुपालक (Arboriculturist)।
(१३) उत्तर प्रदेश पालिका तरुपालन (अधीनस्थ) सेवा।	उद्यान और बाग अधीक्षक।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(१४) उत्तर प्रदेश पालिका लेखा (प्रवर) सेवा।	(१) महापालिकाओं के लेखा अधिकारी। (२) महापालिकाओं के सहायक लेखा अधिकारी।
(१५) उत्तर प्रदेश पालिका लेखा (अधीनस्थ) सेवा।	(१) महापालिकाओं के लेखाकार। (२) श्रेणी १ के म्युनिसिपल बोर्डों के लेखाकार।
(१६) उत्तर प्रदेश पालिका लेखा परीक्षा (प्रवर) सेवा।	महापालिकाओं के मुख्य नगर लेखा परीक्षक।
(१७) उत्तर प्रदेश पालिका लेखा परीक्षा (अधीनस्थ) सेवा।	महापालिकाओं के लेखा परीक्षक।
(१८) उत्तर प्रदेश पालिका शिक्षा सेवा	महापालिकाओं और श्रेणी १, २ और ३ के म्युनिसिपल बोर्डों की शिक्षा महिला अधीक्षक तथा शिक्षा अधीक्षक।
(१९) उत्तर प्रदेश पालिका अनु सचिवीय (ministerial) सेवा।	(१) महापालिकाओं के कार्यालय, अधीक्षक। (२) श्रेणी १ के म्युनिसिपल बोर्डों के प्रधान लिपिक या कार्यालय अधीक्षक।

विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये ता० प्र० सं० १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६५ पर)

सूची

संबंधित अधिकारियों को निम्नांकित आदेश जारी किये गये हैं:

(१) वे आटा का उत्पादन मांग के अनुसार कराएं।

(२) जिलों को जो आटा, मैदा, इत्यादि एलाट किया जाता है उसको जिले एलाटमेंट की तिथि से एक सप्ताह के अन्दर मिल से उठा लें ताकि ताजा माल उपभोक्ताओं को उपलब्ध होता रहे।

(३) मिलों में पहिले बना हुआ माल पहिले निकाला जाय और बाद वाला माल बाद में, यदि वह खराब नहीं है।

(४) यदि आटा की क्वालिटी के विषय में कोई शिकायत प्राप्त हो तो उसे शासन को मिल का नाम आटा इत्यादि बनाने की तिथि, जिलाधीश के नामिनी द्वारा उसके उठाने की तिथि, नमूना लिया जाने के विषय में सरकार को सूचित करें और साथ ही साथ जिला स्तर पर इस विषय में की जाने वाली कार्यवाही शीघ्र की जाये।

(५) इसके अतिरिक्त यदि कहीं से आटा के खराब होने की शिकायत प्राप्त होती है तो तुरन्त उसकी वैज्ञानिक जांच कराई जाती है और तदनुसार कार्यवाही की जाती है।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी "छ"

(देखिये ता० प्र० सं० २१ का उत्तर पीछे ४६७ पृष्ठ पर)

अनुदान दिये जाने का वर्ष	अनुदान की धनराशि	कार्य जिसके लिये अनुदान दिया गया
	रु०	
१९६२–६३	६,००० ४,०००	स्कूल भवन निर्माण हेतु
१९६४–६५	८,१००	सड़क निर्माण हेतु
	१०,०००	सड़क निर्माण हेतु
१९६५–६६	९,६५०	सड़क निर्माण हेतु
	४०,०००	सड़क निर्माण हेतु

विधान सभा दुर्ग

नत्थी "ज"

(देखिये ता० प्र० सं० २५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६८ पर)

तालिका "क"

गोंडा जिले के मत्स्य तथा सिंचाई विभाग के अन्तर्गत जलाशयों से द्वितीय तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना कार्यकाल में वर्षवार हुई आय का विवरण

विभाग को प्राप्त आय	द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल					योग
	१९५६–५७	१९५७–५८	१९५८–५९	१९५९–६०	१९६०–६१	
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
मत्स्य विभाग को ..	३०,०००	३०,०००	३१,०००	१४,०००	१०,०००	१,१५,०००
सिंचाई विभाग को ..	५,१०२	५,१०२	५,०९७.९४	७,०१०	४,६१५	२६,९२६.९४
योग ..	३५,१०२	३५,१०२	३६,०९७.९४	२१,०१०	१४,६१५	१,४१,९२६.९४

विभाग को प्राप्त आय	तृतीय पंचवर्षीय योजना काल					योग
	१९६१–६२	१९६२–६३	१९६३–६४	१९६४–६५	१९६५–६६	
	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०	रु०
मत्स्य विभाग को ..	२२,०००	११,०००	२०,०००	१६,०००	४५,०००	१,१४,०००
सिंचाई विभाग को .	७,१२०	११,६५०	८,११३	८७३	७,१९७	३४,९५३
योग ..	२९,१२०	२२,६५०	२८,११३	१६,८७३	५२,१९७	१,४८,९५३

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४७६ पर)

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् (प्रक्रिया का विनियमन) विधेयक, १९६६

[जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ]

यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू, ऐक्ट १९०१ का आगे दिये हुये प्रयोजनों के निमित्त संशोधन करने और उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ रेवेन्यू (प्रक्रिया का प्रख्यापन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९५३ का निरसन करने के लिये

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१
उ० प्र० अधिनियम संख्या ३०, १९५३

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् (प्रक्रिया का विनियमन) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा ।

यू० पी० ऐक्ट संख्या ३, १९०१ की धारा ७ और ८ के स्थान पर नयी धाराओं का प्रतिस्थापन

२—यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ७ और ८ के स्थान पर निम्नलिखित धारायें रख दी जायें, अर्थात्—

कार्य का वितरण करने का अधिकार

"७ (१) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये किन्हीं नियमों और धारा ८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, परिषद् अपने सदस्यों को बीच कार्य का वितरण इस प्रकार कर सकती है और अपने क्षेत्राधिकार क ऐसा क्षेत्रीय विभाजन कर सकती है जैसा कि वह उचित समझे ।

(२) पूर्वोक्त शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिषद् विशेषतः और उपर्युक्त के अधीन रहते हुए, अपने सदस्यों द्वारा अकेले या डिवीजन बेंचों में बैठ कर न्यायिक कार्य के निस्तारण को विनियमित कर सकती है ।

निर्णय, जब डिवीजन बेंच द्वारा वाद की सुनवाई की जाय

८ (१) जब कोई ऐसी न्यायिक कार्यवाही, जो अपील या अभिदेश अथवा पुनरीक्षण में परिषद् द्वारा विचार किये जाने के लिये आये, दो या अधिक सदस्यों से संघटित किसी डिवीजन बेंच द्वारा सुनी जाय, तो मामला ऐसे सदस्यों की राय अथवा उनमें से अधिकांश की राय, यदि कोई हो, के अनुसार निर्णीत किया जायगा ।

(२) यदि संघटित बेंच के सदस्यों में किसी प्रश्न पर दिये जाने वाले निर्णय के संबंध में बराबर-बराबर संख्या में मतभेद हो तो मामले की सुनवाई ऐसे प्रश्न पर एक या अधिक अन्य सदस्यों द्वारा की जायगी और मामला ऐसे प्रश्न पर उन सदस्यों में से अधिकांश की राय के अनुसार निर्णीत किया जायगा जिन्होंने मामले की सुनवाई की हो और उनके अन्तर्गत वे सदस्य भी होंगे जिन्होंने उसे पहले सुना हो ।"

निरसन तथा अपवाद

३—(१) उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ रेवेन्यू (प्रक्रिया का प्रख्यापन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९५३, जिसे आगे इस धारा में उक्त अधिनियम कहा गया है, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है। उ० प्र० अधिनियम संख्या ३०, १९५३ ई०

(२) यू० पी० जनरल क्लाजेज ऐक्ट, १९०४ की धारा ६ के उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त अधिनियम के निरसन का उक्त अधिनियम की धारा ३ में अभिदिष्ट किसी निर्णय को, जो दिया गया हो, सुनाया गया हो अथवा जिसमें सहमति दी गई हो, अथवा उसके अनुसरण में किये किसी कार्य की, वैधता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यू० पी० ऐक्ट संख्या १, १९०४

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ रेवेन्यू (प्रक्रिया का प्रख्यापन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९५३ की धारा ३ के साथ पठित यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की वर्तमान धारा ८ के अधीन यह आवश्यक नहीं है कि राजस्व परिषद् के सभी सदस्य, जो उसके विचारार्थ आई हुई किसी न्यायायिक कार्यवाही के निर्णय में भाग लेते हैं, वास्तव में पक्षों की सुनवाई करें और यह पर्याप्त समझा जाता है कि केवल एक ऐसा सदस्य पक्षों की सुनवाई कर ले और दूसरा उसके निर्णय से सहमत हो। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह विचार व्यक्त किया गया है कि किसी सदस्य का, अपने सहयोगी द्वारा अभिलिखित निर्णय पर वास्तव में पक्षों की सुनवाई किये बिना सहमति देना, नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विरुद्ध होगा। अतएव, यह प्रस्ताव किया जाता है कि उत्तर प्रदेश बोर्ड आफ रेवेन्यू (प्रक्रिया का प्रख्यापन तथा वैधीकरण) अधिनियम, १९५३ निरस्त किया जाय। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि यू० पी० लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ७ को संशोधित किया जाय जिससे कि परिषद् को स्पष्ट रूप से यह प्राधिकार दिया जाय कि वह अकेले या डिवीजन बेंचों में बैठने वाले अपने सदस्यों द्वारा कार्य के निस्तारण को विनियमित कर सके।

तदनुसार यह विधेयक पुरःस्थापित किया जाता है।

हुकुमसिंह बिसेन,
राजस्व मंत्री।

संसद पुस्तकालय

नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ४७७ पर)

उत्तर प्रदेश हिन्दू सर्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (प्रवृत्त रहने का) विधेयक, १९६६

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६२

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ की अवधि को और बढ़ाने के लिये

विधेयक

भारतीय गणतंत्र के सत्रहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है —

संक्षिप्त नाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) (प्रवृत्त रखने का) अधिनियम, १९६६ कहलायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २२, १९६२ की धारा १ का संशोधन

२—उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ की धारा १ की उपधारा (३) में शब्द "चार वर्ष" के स्थान पर शब्द "छ वर्ष" रख दिये जाये।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्था (सम्पत्ति अपव्यय निवारण) (अस्थायी अधिकार) अधिनियम, १९६२ हिन्दू सार्वजनिक धार्मिक संस्थाओं की सम्पत्तियों के अपव्यय को रोकने के उद्देश्य से पारित किया गया था। यह एक अस्थायी विधान था जो तब तक प्रभावी रहने के लिये अभिप्रेत था जब तक कि इस सम्बन्ध में व्यापक विधान को अन्तिम रूप न दे दिया जाय। चूंकि अभी तक व्यापक विधान को अन्तिम रूप नहीं किया जा सकता है, इसलिये इस अधिनियम की अवधि को, जो १४ दिसम्बर, १९६६ को पुनः होने वाली है, और बढ़ाना आवश्यक है।

तद्नुसार, यह विधेयक, पुरःस्थापित किया जाता है।

सीताराम,
समाज कल्याण मंत्री।

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० १६१ एल० ए०—१९६७—८४६।